महावैयाकरण पण्डितदीनबन्धुझा
विरचितः

लिङ्गवचनविचारः

ललिताख्यहिन्दीव्याख्यानोपेतः

सम्पादकः
डॉ. श्रीधरत्रिपाठी

मिथिला विद्यापीठ
दरभंगा

Mithila Research Institute Sanskrit Series—No. 4

Edited by
Mahāmahopādhyāya
Dr. UMESH MISHRA
Former Director
Mithila Research Institute, Darbhanga
1954

LIṄGAVACANAVICĀRA

(A TREATISE ON GENDER AND NUMBER IN SANSKRIT)

of

Mahāvaiyākaraṇa

Paṇḍit Dīnabandhu Jha, Vishistavidvān

MITHILA RESEARCH INSTITUTE

DARBHANGA

Edited & Translated

By

Dr. SHRIDHAR TRIPATHI

M.A., Ph.D., D. Litt.

Vyākaraṇavedāntācārya

Purāṇa Shāstri, Dip. in. Ed.

Published by

Dr. Shridhar Tripathi

Director

Mithila Research Institute Darbhanga

1990

मिथिलासंस्कृतविद्यापीठग्रन्थमाला—पुष्पम् ४

महावैयाकरण
पण्डितदीनबन्धुझा
विरचितः

लिङ्गवचनविचारः

ललिताख्यहिन्दीव्याख्यानोपेतः

सम्पादकोऽनुवादकश्च
डॉ० श्रीधरत्रिपाठी

मिथिलासंस्कृतविद्यापीठप्रधानेन डॉ. श्रीधरत्रिपाठिना
प्रकाशितः

शकाब्दः १९१२ संवत् २०४७ ऐश्वीयाब्दः १९९०

Copies of this Volume can be had from your bookseller or from The Director, Mithila Institute, Darbhanga on pre-payment of Rs. 45.00 either in cash, Postal Order or M.O.

Printed by R. S. Pandya at the Tara Printing Works, Varanasi and Published by Dr. S. Tripathi, Director Mithila Research Institute, Darbhanga, Bihar

The Government of Bihar established the Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning at Darbhanga in 1951 with the object, *inter alia*, to promote advanced studies and research in Sanskrit Learning to bring together the traditional Pandits with their profound learning and the modern scholars with their technique of research and investigation and to publish works of permanent value to scholars. This Institute is one of the six Research Institutes being run by the Government of the Bihar as a token of their homage to the tradition of learning and scholarship for which Bihar was noted. The five others are : (i) Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa at Vaishali; (ii) Kashi Prasad Jayasawal Research Institute for research in ancient, medieval and modern Indian History at Patna ; (iii) Bihar Rastrabhasa Parishad for Research and Advanced Studies in Hindi at Patna ; (iv) Nava Nalanda Mahavihara for Research and Post-Graduate Studies in Buddhist Learning and Pali at Nalanda ; and (v) Institute of Post-Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning at Patna.

As part of this programme of rehabilitating and reorientating ancient learning and scholarship, the editing and publication of this volume has been undertaken with the co-operation of scholars of Bihar and outside. The Government of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust that this humble service to the world of scholarship and learning would bear fruit in the fullness of time.

The Government of Bihar established the Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning at Darbhanga in 1951 with the object, *inter alia*, to promote advanced studies and research in Sanskrit Learning, to bring together the traditional Pandits with their profound learning and the modern scholars with their technique of research and investigation and to publish works of permanent value to scholars. This Institute is one of the six Research Institutes being run by the Government of the Bihar as a token of their homage to the tradition of learning and scholarship for which Bihar was noted. The five others are: (i) Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa at Vaishali; (ii) Kashi Prasad Jayaswal Research Institute for research in ancient, medieval and modern Indian History at Patna; (iii) Bihar Rastrabhasa Parishad for Research and Advanced Studies in Hindi at Patna; (iv) Nava Nalanda Mahavihara for Research and Post-Graduate Studies in Buddhist Learning and Pali at Nalanda; and (v) Institute of Post-Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning at Patna.

As part of this programme of rehabilitating and reorientating ancient learning and scholarship, the editing and publication of this volume has been undertaken with the co-operation of scholars of Bihar and outside. The Government of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust that this humble service to the world of scholarship and learning would bear fruit in the fullness of time.

NOTE BY THE GENERAL EDITOR

The Mithila Sanskrit Reasearch Institute has been established by the Government of Bihar and is located at Darbhanga on a plot of land donated by the Maharajadhiraja Shri Kameshwara Singh Bahadur of Darbhanga. The foundation-stone of the Institute was laid down by the President of the Indian Union Dr. Rajendra Prasad on the 21st of November, 1951.

This Institute has been founded with a view to promote advanced research in various aspects of Sanskrit learning and to impart teaching of the Post Graduate standard to a limited number of students in the stimulating environments of a residential community. It will serve as the meeting-ground of the traditional Sanskrit scholars and modern researchers so that while the traditional scholars may get training in modern methods of research, the sources of ancient learning and its depth may easily be available to the modern scholars. In so doing the Institute will aim at the preservation and rehabilitation of the traditional Indian scholarship in the field of modern learning and research.

The Institute mainly stands for higher researches based on authentic texts on modern scientific lines; so while individual researchers including the members of the staff may carry on research in particular subjects, the Institute as a whole will have some long-term as well as short-term programme of research and publication.

As a foundation for carrying on research in the future and as a means of preserving useful source of materials, the Institute will take up the collection and survey of manuscri-

pts and other important source of material available in Mithila in particular, and also in other parts of Bihar and elsewhere.

The Institute will not only promote and encourage research by individual scholars and students, but it will also undertake specific projects which will be in the nature of team work produced by all or selected members of the staff working in close co-operation and association with one another and seeking the guidance and assistance of the Board of Advisers. From time to time, a programme or plan for the projects extending over a specified period will be drawn up and duties will be assigned to various members of the staff in connection with the fulfilment of that project. The following projects may, for example, be undertaken by the Institute from time to time :

(i) Editing the Puranas and the Upanisads on scientific lines.

(ii) Collection, survey and cataloguing of manuscripts and other important source materials available in Mithila and in other parts of Bihar.

(iii) Editing a series of rare and important old and new Sanskrit Texts.

(iv) Preparing a critical bibliography of research work done in Sanskrit topic-wise, up to the present day and preparing supplements subsequently.

(v) Preparing a comprehensive History of Sanskrit literature in all its branches based on original sources.

(vi) Preparing a chronology of Sanskrit authors and their works.

(vii) Preparing an annual hand-book of information on Indological studies.

Other projects also may be undertaken in course of time.

The Institute will publish gradually monographs, texts, critical editions, catalogues, bibliographies, critical works, research journals, etc. The publication will be confined principally to the work done at the Institute either through individual research of students, scholars and members of the staff or through the projects undertaken at the Institute.

With these aims and objects in view we have undertaken the publication of rare and important works of old and also of modern period in order to place before the scholarly world the past and present contributions of Sanskrit scholars to knowledge in a Sanskrit series under our 'short term project of research programme'.

PREFACE

In pursuance of the declared objects of the *Mithila Research Institute*, Darbhanga we are presenting herewith the **Lingavacanavicara** to the world of scholars as the fourth volume of the *Mithila Research Institute Sanskrit Series*. The author, Pt. Dinabandhu Jha is one of the top-ranking grammarians of the present day Mithila. He is also our respected colleague in the Instituie. In the present treatise on the problem of gender and number in sanskrit the author has tried to remove some difficulties which haunt not only the beginners but the learned Pandits as well. A result of long practical experience, extending over more than half a century, this book will, we hope, remove a long felt want of the sanskritists.

But it is not for us to say how far our hope will be justified, for we are one with Kalidasa when he says—

'आ परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्' ।

Meantime, I must thank the Government of Bihar for enabling me to start the series within a couple of years from the inception of the Institute.

Thanks are due to the authorities of the Darbhanga Press Co. Ltd., but for whose kind and ungruding assistance the volume could not have come out in such a form and in such a short time.

UMESHA MISHRA
Vaishakha Sankranti
1361 Fasli

प्रधानसम्पादकीयामुखम्

जनकयाज्ञवल्क्यादिपवित्रीकृते मिथिलामण्डले दरभङ्गानगरे महाराजाधिराजेन श्री५मता कामेश्वरसिंहबहादुरेण दानरूपेण प्रदत्ते बृहद्भूभागे एकपञ्चाशदुत्तरैकोनविंशतितमे ख्रीस्ताब्दीयनवम्बरमासस्यैकविंशतितमे दिवसे भारतवर्षाधिष्ठात्रा श्रीमद्राजेन्द्रप्रसादमहोदयेन मिथिलासंस्कृतविद्यापीठोऽयं संस्थापितः ।

आवासिकेऽस्मिन् विद्यापीठे संस्कृतविद्याया विभिन्नशाखासु गम्भीरगवेषणात्मकाध्ययनं तदनुसारेणैव स्वल्पसंख्यकेभ्यो विद्यार्थिभ्यः स्नातकोत्तरशिक्षाप्रदानञ्च लक्ष्यम् । सम्मेलनस्थानमेतद्भारतीयप्राचीनशिक्षापद्धतिजुषां पण्डितानामाधुनिकगवेषणापराणां विदुषाञ्च । सम्भाव्यते चात्र परस्परपूरकत्वं सारस्वतवर्गद्वयस्य । अनेन प्रकारेण विद्यापीठेऽत्र प्राचीनविद्याध्ययनपद्धतिः अर्वाचीनविद्याक्षेत्रेषु प्रतिष्ठिता भविष्यति ।

आधुनिकवैज्ञानिकपद्धत्यनुक्रमेण प्राचीनशास्त्रग्रन्थानधिकृत्य प्रोच्चतमानुसन्धानं हि मुख्यं कर्तव्यत्वेन परिगृहीतमत्र । अध्यापका गवेषकाश्च विभिन्नविषयेषु गवेषणायां संलग्नाः सन्ति । पीठस्य स्वतन्त्रतया स्वल्पदीर्घकालसाध्या च गवेषणासरणिस्तदनुपुस्तकप्रकाशनञ्चेत्युभयं प्रवर्त्तितम् । मिथिलाप्रान्ते तथाऽन्यत्र च यानि खलु प्रत्नानि हस्तलिखितानि पुस्तकानि समुपलभ्यन्ते तेषां संग्रहोऽपि विद्यापीठस्यान्यतम उद्देश्यः । एतेष्वेव ग्रन्थरत्नेषु भारतीयकलाविज्ञानपरम्परा निहितास्ति । यत्र पुनस्तादृशः संग्रहो न शक्यकरणीयस्तत्र केवलं विशेषविवरणसंग्रहोऽपि सम्पादनीय एव ।

अत्र विद्यापीठे न केवलं वैयक्तिकी गवेषणा प्रचरति अपि तु शिक्षकाः विद्यार्थिनश्च परस्परं मिलित्वा सामूहिकरूपेण गवेषणाकार्यं परिचालनापरिषदो निर्देशानुसारेण स्वीकुर्वन्ति ।

काले काले निर्दिष्टकालसाध्या ये विषयाः स्वीकर्तव्यास्तेषु कियन्तोऽधस्तादुल्लिख्यन्ते—

(१) वैज्ञानिकरीत्या पुराणानामुपनिषदां च सम्पादनम् ।

(२) प्राचीनहस्तलिखितानां ग्रन्थानां तथ्यपूर्णवस्तूनां संग्रहः परीक्षणं विवरणनिर्माणं च ।

(३) बहुमूल्यानां संस्कृतग्रन्थानां प्राचीनानामाधुनिकानां च सम्पादनम् ।

(४) गवेषणनिबन्धानां विषयानुसारेण समीक्षिकसूचीनिर्माणं तथा काले काले तत्परिपूर्त्तिविधानं च ।

(५) मूलग्रन्थानां परीक्षणं विधाय सर्वशाखान्वितस्य संस्कृतसाहित्यस्य पूर्णाङ्गेतिहासनिर्माणम् ।

(६) संस्कृतग्रन्थानां तत्कर्तॄणां च कालक्रमनिर्धारणम् ।

(७) भारतीयविद्यानिबन्धानां वार्षिकविवरणग्रन्थप्रणयनम् ।

इत्येवं व्यवस्थिते मिथिलासंस्कृतविद्यापीठस्थेन विशिष्टविदुषा श्रीदीनबन्धुशर्म्मणा गवेषणापूर्वकं निर्मितोऽयं लिङ्गवचतविचारनाम्ना प्रसिद्धो ग्रन्थो विपश्चितां पुरतः संस्थाप्यते । सुविदितमस्ति संस्कृतज्ञानां यदनादिकालतो व्यापकरूपेण प्रचलितेऽयं संस्कृतभाषा अद्यापि अथैवोल्लसन्ती शिष्टपरिगृहीतत्वमेवैतस्य बीजम् । बहुदेशव्यापित्वात् प्रतिदिनं वृद्धिगतत्वाच्चास्यां भाषायां तत्तत्प्रान्तीयप्रयोगवैचित्र्यात् शब्दानां लिङ्गे वचने च महान् भेदो दृश्यते । बहुषु स्थलेषु सन्देहोऽपि भवत्येव । प्राचीनानामर्वाचीनानामपि विदुषां लिङ्गवचनविषये महान् विवादो दृश्यते । अत एवास्माकं विशिष्टविदुषा महावैयाकरणेन श्रीदीनबधुशर्म्मणा शास्त्रतर्कानुभवादिसम्मिलितोऽयं ग्रन्थो निर्मितः । सोऽयमद्य प्रकाश्यते । ग्रन्थस्योपादेयताविषये स्वयं वक्तुं सर्वथाऽसमर्थोऽयं जनः । विशिष्टाः विद्वांसः एवात्र प्रमाणम् । आशास्महे यदनेन विवेचनेन सर्वेषां संस्कृतभाषारसिकानां महान् लाभो भविष्यतीति ।

वैशाखकृष्णैकादशी **श्रीउमेशमिश्रः**

१३६१ फसली **प्रधानसम्पादकः**

प्राक्कथनम्

इह खलु संस्कृतवाक्येषु लिङ्गसंख्याविषये वैचित्र्यसद्भावादनेकविधा उत्पद्यन्ते सन्देहाः। तत्र लिङ्गविषये तावत् नपुंसकव्यक्तौ 'अयं ब्राह्मण' इति वाक्यं प्रयोक्तव्यम्, 'इयं ब्राह्मणीति' वा। सन्देहबीजन्तु यथा पुंसि न लौकिकं स्त्रीत्वं, स्त्रियां च न लौकिकं पुंस्त्वं तथा न स्त्री न पुमान् इति विग्रहानुसारेण नपुंसके लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरुभयोरप्यभावः। ब्राह्मणादिशब्दाश्च लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरेव बोधका न तु लौकिकनपुंसकत्वस्य।

एवं व्याकरणे पुंसीत्याद्युपादाय कार्याणि विधीयन्ते। तत्र पुंस्त्वादिकं यदि लौकिकं गृह्यते तदा घटानित्यादौ नत्वादिकं न स्यात्। यदि वा चेतनाचेतनसाधारणं शास्त्रीयमेव पुंस्त्वादि गृह्यते तर्हि ब्राह्मणीत्यतः पुरुषस्यापि बोधः स्यात्। तस्मात् व्याकरणशास्त्रे निमित्तभूतं पुंस्त्वादि लौकिकं वा शास्त्रीयं वा ग्राह्यमित्यपरः सन्देहः।

तथा 'स्त्रीस्वामिकं धनमि'ति वाक्यं साधु 'स्त्री स्वामिनीकमि'ति वा उभयं वेत्यपि संशयः। एवमन्येऽपि। तथा संख्याविषयेऽपि। 'इयं रामस्य दारा' इति वाक्यं शुद्धं किं वा इमे 'रामस्य दारा' इति।

तथा 'नारीणां स्तना'विति वाक्यं सम्यक् किं वा 'नारीणां स्तना' इति आहोस्विदुभयम्।

एवं गावो धनम्, गावो धनानीति वाक्यद्वयमध्ये प्रथमं वाक्यं भवितुमर्हति द्वितीयमेव वा किं वोभयमपि।

एवमादयो बहवोऽन्येऽपि सन्देहा जायन्ते। सन्दिहानाश्च संस्कृतवाण्या यथा यद्भाषितुं लेखांश्च विधातुं न प्रभवन्ति।

अपि च लिङ्गादिविषये विशेषरूपेण बहवो विषया ज्ञातुमिष्यन्ते। यथा लौकिकानां शास्त्रीयाणाञ्च पुंस्त्वादीनां कानि लक्षणानि, कथं च लौकिकपुंस्त्वादौ लिङ्गपदवाच्यता, पुंलिङ्गादिशब्दानां च के अर्थाः, एकस्यां व्यक्तौ दारा इत्यादि बहुवचनानां कथं साधुत्वमित्येवमादयः।

न च लिङ्गसंख्ययोर्विषये तत्तत्संदेहनिराकरणपरः प्रतिपित्सिततत्तदर्थप्रतिपादनपरश्च तन्मात्रविषयकः कोऽपि ग्रन्थः केनापि प्रणीतः प्रणीतो वा नेदानीमुपलभ्यते। यमवलोक्यानायासे न सन्देहा निराक्रियेरन् बोध्यव्यविषयाश्च बुध्येरन्। इत्याकलय्य 'लिङ्गवचनविचार'नामा नाम्नैव विषयद्योतकः स्वल्पकलेवरो ग्रन्थो विरचितः।

आशास्यते चैनमभिसमीक्ष्य विचक्षणाः प्रसन्नतामासादयिष्यन्ति, अन्तेवसन्तश्चोपकृता भविष्यन्तीति ।

एष हि ग्रन्थः पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यभाष्यप्रदीपप्रदीपोद्योतसिद्धान्तकौमुदीशब्देन्दुशेखरभूषणदर्पणशास्त्रार्थरत्नावलीव्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोकपदवाक्यरत्नादिग्रन्थानां लिङ्गसंख्यानिरूपणपरान् भागान् समवलोक्य स्वयं भूयो यथामति विचार्य च तथा सरलप्रणाल्या सम्पादितो यथा लिङ्गवचनविषये सन्देहानपाकरिष्यति ज्ञातव्यविषयांश्च ज्ञापयिष्यति ।

अत्र च लिङ्गनिरूपणभागेऽपि वचनविचारो वचननिरूपणभागेऽपि लिङ्गविचारः प्रसङ्गात् कृत इति लिङ्गविचारो वचनविचारश्चेति ग्रन्थद्वयमिति न वक्तुमुचितमपि त्वेक एव ग्रन्थः ।

एतस्मिश्च बहवः सिद्धान्ताः संक्षिप्य कारिकयोपनिबद्धाः । कतिपये च कारिकानुक्ता अपि निवेदिताः ।

सोऽयं कारिकासूचीविषयसूचीभ्यां युक्तो मिथिलासंस्कृतविद्यापीठाध्यक्ष (डाइरेक्टर) महामहोपाध्यायडाक्टरश्रीमदुमेशमिश्रमहोदयानां प्रयत्नेन विहाराधीश्वरेण परमकृपयाङ्गीकृत्य मुद्रापितः । उक्तपीठाध्यक्षमहोदयैः संशोधितः प्रकाशितश्चेति ।

मिथिलासंस्कृतविद्यापीठः
दरभङ्गा
संवत् २०११

श्रीदीनबन्धुः

पुरोवाक्

वेदों का अध्ययन, उनके वास्तविक अर्थ-बोध की विधि, उनकी समुचित व्यवस्था और यज्ञादि में उनका यथोचित विनियोग के लिए कतिपय सहायक ग्रन्थों की रचना की गई, जिन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्ग छः हैं, जिनमें व्याकरणशास्त्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है।[1] संस्कृतेतर भाषाओं में व्याकरण एक स्वतन्त्र शास्त्र नहीं, अपितु भाषा का अंग है, किन्तु संस्कृत साहित्य में वह एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठापित है।

शास्त्रकारों ने व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के क्रम में "व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्" कहा है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके अर्थ-बोध के लिए जिन व्याकरण ग्रन्थों को रचा गया उनका नाम प्रातिशाख्य है। आज व्याकरण शब्द से जिसे सर्वाधिक नाम-प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त है वह है आचार्य पाणिनि आविष्कृत लौकिक व्याकरण। जिस व्याकरण का आचार्य पाणिनि ने सूत्र रूप में बीज वपन किया, उसे कात्यायन ने पल्लवित और महर्षि पतञ्जलि ने पुष्पित कर यह प्रमाणित किया कि संस्कृत वाङ्मय का व्याकरण विश्व के भाषाशास्त्र में अद्वितीय स्थान रखता है। व्याकरण-साधक ये मुनित्रय भाषा को जिस रूप में परिमार्जित किये उस भाषा को आज तक न कोई बिगाड़ सका न नष्ट ही कर सका। व्याकरण एक ओर वेद मन्त्रों के अर्थ व्यक्त करने की कुञ्जी है तो दूसरी ओर ऐसा कवच भी है जिससे वेदमन्त्र सुरक्षित रहते हैं।

व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई यह एक विवादास्पद विषय है। विद्वानों द्वारा इस विचार की पुष्टि की जाती है कि उपलब्ध वैदिक पदपाठों की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र पूर्णप्रतिष्ठित हो चुका था, क्योंकि धातु-उपसर्ग,[2] प्रकृति-प्रत्यय,[3] समासगत पूर्वोत्तरपद[4] आदि के प्रयोग वैदिक साहित्य में स्पष्ट दृष्टगोचर होते हैं।

---

१. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामायनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। पा० शि० ४१-४२

२. ऋक्० १।११३।१६।
वही ८।४३।२।

३. ऋक्० १।३।१०।
वही १।८।४-५।

४. ऋक्० १।३।३।
वही १०।५८।४३।

ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत, रामायण आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी व्याकरण शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।[1] इससे स्पष्ट है कि इन ग्रन्थों की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र का सुव्यवस्थित पठन-पाठन होता था। महर्षि पतञ्जलि भी इस विचार से सहमत हैं।[2]

ऋक्तन्त्र के अनुसार व्याकरणशास्त्र के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा माने जाते हैं।[3] कुछ आधुनिक विद्वानों ने ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित २२ शास्त्रों का उल्लेख किया।[4]

(१) वेदज्ञान	(९) रसतन्त्र	(१६) गणितशास्त्र
(२) ब्रह्मज्ञान	(१०) योगविद्या	(१७) वास्तुशास्त्र
(३) पदार्थविज्ञान	(११) धर्मशास्त्र	(१८) शिल्पशास्त्र
(४) लिपिज्ञान	(१२) अर्थशास्त्र	(१९) अश्वशास्त्र
(५) धनुर्वेद	(१३) कामशास्त्र	(२०) मीमांसाशास्त्र
(६) आयुर्वेद	(१४) व्याकरणशास्त्र	(२१) स्तवशास्त्र
(७) नाट्यवेद	(१५) ज्योतिषशास्त्र	(२२) इतिहासपुराण
(८) हस्त्यायुर्वेद		

द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति हैं, जिन्होंने निम्नलिखित शास्त्रों का प्रवर्तन किया[5] :—

(१) सामगान[6] (२) अर्थशास्त्र[7]

---

१. गो० ब्रा० १।२४।
मुण्डको० १।१।
सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते।
तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा॥ महाभा० उद्यो० ४३।६१।
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम्॥ वाल्मी० किष्कि० ३।२९।

२. पुराकल्प एतदासीत् संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते॥
महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० १

३. ऋक्तन्त्र० १।४

४. भारतवर्ष का बृहद् इतिहास (भगवद्दत्तकृत) भाग २ अध्या० ४
संस्कृत व्या० शा० का इतिहास (युधिष्ठिरमी०) भाग १ अध्या० २

५. संस्कृत व्या० शा० का इतिहास भाग १ अध्या० २

६. छान्दोग्यो० २।२२।१

७. महाभा० शान्ति० ५९।८४

(३) वास्तुशास्त्र[1] (४) अगदतन्त्र[2]

(५) वेदाङ्ग[3] (छन्द, कल्प, ज्यो०, निरु०, शिक्षा, व्याकरण)

(६) इतिहासपुराण[4]।

आचार्य बृहस्पति ने इन्द्र को व्याकरणशास्त्र का ज्ञान कराया और इन्द्र ने सर्वप्रथम पदों के प्रकृति प्रत्ययों को विभक्त कर शब्दोपदेशप्रक्रिया की अवतारणा की।[5] आगे चलकर व्याकरण के दो सम्प्रदायों को प्रसिद्धि मिली—(I) ऐन्द्रसम्प्रदाय और (II) माहेश्वरसम्प्रदाय। पाणिनीय व्याकरण जो संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक लोकप्रिय है, वह माहेश्वरसम्प्रदाय का माना जाता है।

पाणिनि ने अपनी कृति में काश्यप, शाकल्य, शाकटायन, स्फोटायन, सेनक, आपिशलि, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज और गार्ग्य नामक दश[6] आचार्यों का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व भी विभिन्न आचार्यों द्वारा व्याकरणशास्त्र का प्रवर्तन किया जा चुका था। व्याकरणशास्त्र की संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों की भिन्न-भिन्न मान्यताएँ हैं :—

(क) दुर्गाचार्य ने व्याकरण को अष्टविध होने की बात कही है।[7]

(ख) एक अर्वाचीन ग्रन्थकार ने ब्राह्म, ऐशान, ऐन्द्र, प्राजापत्य, वार्हस्पत्य, त्वाष्ट्र, आपिशल और पाणिनीय इन आठ नामों की चर्चा की है[8]।

---

१. महाभा० शान्ति० ७५।६

२. महाभा० शान्ति० २५१।३-४

३. महाभा० शान्ति० ११२।३२
महाभाष्य १।१।१
न्यायमञ्जरी पृ० ४१८

४. वायुपुराण १०३।५९

५. तैत्ति० संहिता ६।४।७
संस्कृत व्याकरण का इतिहास खं० १ पृ० ६२

६. पा० सू० १।२।२५, पा० सू० १।१।१६, पा० सू० ३।४।१११
पा० सू० ३।१।११२, पा० सू० ५।४।११२, पा० सू० ६।१।९२
पा० सू० ६।१।१३०, पा० सू० ७।१।७४, पा० सू० ७।२।६३ और पा० सू० ८।३।२२

७. "व्याकरणमष्टप्रभेदकम्"
दुर्गाचार्य कृत निरुक्त वृत्ति आनन्दाश्रम संस्क० पृ० ७४, ७८

८. ब्राह्ममैशानमैन्द्रं च प्राजापत्यं वृहस्पतिम्।
त्वाष्ट्रमापिशलं चेति पाणिनीयमथाष्टमम्॥
हैमवृहद्वृत्त्यवचूर्णि पृ० ३

(ग) यमलाष्टकतन्त्र के प्रणेता ने ब्राह्म, चान्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सौम्य और वैष्णव इन आठ व्याकरणों का उल्लेख किया है[1]।

(घ) आचार्य वोपदेव ने जिन आठ व्याकरणों का उल्लेख किया है वे हैं—ऐन्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, आपिशल, शाकटायन, पाणिनीय, आमर और जैनेन्द्र-व्याकरण[2]।

(ङ) भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण की एक टीका में भी आठ व्याकरणों की चर्चा है[3]।

(च) आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने व्याकरणशास्त्र की नव संख्याओं का उल्लेख किया है। रामायण से यह स्पष्ट होता है कि राम के शासनकाल में अनेक व्याकरण प्रचलित थे[4]।

(छ) १८ वीं शताब्दी में रचित गीतासार के हस्तलेख में नव व्याकरणों की चर्चा है[5]।

(ज) एक प्राचीन वैष्णवाचार्य ने भी नव-विध व्याकरणों का उल्लेख किया है[6]।

---

१. द्रष्टव्य—ऋग्वेद-कल्पद्रुम में यमलाष्टक तन्त्र।
युधिष्ठिरमीमांसक का हस्तलेख पृ० ११४

२. इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥
वोपदेवकृत कविकल्पद्रुम का प्रारम्भ।

३. ....साच पाणिन्याद्यष्टव्याकरणोदित........
भारतीय विद्या वर्ष ३ अङ्क १ पृ० २३२

४. सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरुं सुराणाम्।
सोऽयं नव व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्॥
वा० रा० उतर० ३६।४७

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधाश्रुतम्।
बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम्॥ वा० रा० कि० ३।२९

५. गीतासारमिदं शास्त्रं गीतासारसमुद्भवम्।
अत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसमुच्चयम्॥ ५५
अष्टादशपुराणानि नवव्याकरणानि च।
निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। ५७
गीतासार हस्तलेख नं० १६४ सन् १९८३-८४
भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिच्यूट पूना में संग्रहीत।

६. ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम्॥ श्रीतत्त्वविधिः

(झ) भारतयुद्ध के समकालिक यास्क मुनि के अनुसार महाभारत काल में भी अनेक व्याकरणों के अध्ययनाध्यापन प्रचलित थे[1]।

(ञ) काशिका में वृत्तिकार ने पाँच व्याकरणों का ही उल्लेख किया है[2]।

व्याकरणशास्त्र की संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में वैमत्य हो सकता है पर इस विचार से प्रायः सभी सहमत हैं कि अति प्राचीन काल से ही व्याकरणाध्ययन की परम्परा है[3]।

व्याकरणशास्त्र को तीन भागों में विभक्त किया जाता है—

(i) छान्दसमात्र—प्रातिशाख्य आदि।

(ii) लौकिकमात्र– कातन्त्र, चान्द्र आदि।

(iii) लौकिक-वैदिक उभयविध—आपिशल, पाणिनीय आदि।

विद्वानों की राय है कि उपलब्ध सभी लौकिक व्याकरण पाणिनि के बाद की कृतियाँ हैं। यह कहा जा चुका है कि प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध केवल वैदिक संहिताओं से है। प्रातिशाख्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनमें व्याकरणशास्त्र का मुख्य उद्देश्य प्रकृति-प्रत्ययरूप व्याकृति का निर्देश नहीं है। यह तथ्य है कि प्राचीन आचार्यों ने प्रातिशाख्यग्रन्थों को व्याकरणशास्त्र के रूप में स्वीकार भी नहीं किया है। तथापि प्रातिशाख्यों में व्याकरण के एकदेश सन्धि आदि का निर्देश होने से सामान्यतया इन्हें वैदिक व्याकरण के रूप में मान्यता दी गई है। कालक्रम से प्रातिशाख्यों की संख्या में ह्रास होता गया। महर्षि यास्क की राय है कि संहिता के मूलपाठ को आधार मानकर सभी चरणों में प्रातिशाख्य प्रवृत्त हुए हैं।[4] प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग कर पद साधुत्व के अनुशासन की उनमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यही कारण है कि शब्दानुशासन ग्रन्थों में प्रातिशाख्यों की गणना सम्भव नहीं है। इस समय लगभग दश प्रातिशाख्य ज्ञात या उपलब्ध हैं[5]—

१. निरुक्त १।१२।

२. पञ्चव्याकरणाः। काशिकावृत्ति ४।२।६०

३. पुराकल्प एतदासीत्, संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते।
महाभाष्य १।१।१

४. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि। निरुक्त १।१७

५. वाजसनेय प्रातिशा० अनन्तभाष्य मद्रास संस्क० पृ० ४।
शांख्यायन श्रौतभाष्य १२।१३।५।
अलवर राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र ग्रन्थ सं० १७।
लौंगाक्षिगृह्यभाष्य ५।१ पृ० १०१-१०२।
संस्कृत व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २ पृ० ३२५।

(१) ऋक्प्रातिशाख्य (२) आश्वलायनप्रातिशाख्य (३) वाजसनेयप्रातिशाख्य (४) अथर्वप्रातिशाख्य (५) चारायणियप्रातिशाख्य (६) वाष्कलप्रातिशाख्य (७) शांखायनप्रातिशाख्य (८) तैत्तिरीयप्रातिशाख्य (९) मैत्रायणीयप्रातिसाख्य (१०) सामप्रातिशाख्य।

प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य वैदिक व्याकरण भी उपब्ध होते हैं। यथा—(१) ऋक्तन्त्र (२) लघुऋक्तन्त्र (३) सामतन्त्र (४) अक्षरतन्त्र (५) प्रतिज्ञा-सूत्र (६) भाषिकसूत्र (७) अथर्वचतुराध्यायी और (८) छन्दोगव्याकरण।

पाणिनी के बाद भी व्याकरण सूत्रों की रचना का क्रम चलता रहा। पाणिनी से अर्वाचीन सूत्रप्रणेताओं में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं[1]—(१) वामन (२) भोजदेव (३) हेमचन्द्र (४) वोपदेव, (५) शिवस्वामी (६) शर्ववर्मा (७) क्षपणक (८) चन्द्रगोमी (९) देवनन्दी (१०) अकलङ्क (११) पाल्यकीर्ति (१२) बुद्धि-सागर (१३) भद्रेश्वरसूरी (१४) अनुभूतिस्वरूप (१५) क्रमदीश्वर और (१६) पद्मनाभ।

व्याकरणशास्त्र सम्बन्धी जितने ग्रन्थ प्राचीन आचार्यों और अर्वाचीन मनीषियों द्वारा रचे गये हैं उनमें पाणिनि का व्याकरण पुरातन साहित्य की विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण शाखा का केन्द्र है। भारतीय विद्या-विकास-भूमि में उसके अतिरिक्त अन्य किसी की जड़ें इतनी गहरी नहीं पहुँच सकी हैं। पाणिनि की यह कृति भाषा साधुता का प्रमाण है, जो वैदिक भाष्यों की आधारशिला है। पाणिनि भारतवर्ष की उस भाषावैज्ञानिक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रतिभा को शब्दविद्या की जन्मदात्री होने का श्रेय भले ही न प्राप्त हो सके पर उससे उद्भूत व्याकरण-शास्त्र ने अपने से पूर्व की सभी कृतियों (व्याकरण सम्बन्धी) को शास्त्रसन्दर्भों में नाम-शेष कर दिया तथा परवर्ती कृतियों को उनकी साम्प्रदायिक परिसीमाओं में रहने को विवश कर दिया। अष्टाध्यायी के रूप में मानव मेधा की एक महती कृति के रचयिता, भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट आप्त वैयाकरणों में अन्यतम आचार्य पाणिनि के स्थिति काल का सही निर्धारण कर पाना भारतीय इतिहास की खोज करनेवाले पुराविदों के लिए चुनौती का विषय रहा है[2]। श्री बाटलिंक और प्रो० मैक्समूलर ने पाणिनि का समय ३५० ई० पू० माना है[3]। प्रो० वेबर का कहना है—'पाणिनि की

---

१. पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त पृ० ३६।
   संस्कृत व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ७२।

२. ब्लूमफील्ड—लैंग्वेज पृ० ११।
   गोल्डस्टूकर—पाणिनी पृ० ९५ और २८९।

३. गोल्डस्टूकर—पाणिनी पृ० ९१ और ९३।

अष्टाध्यायी में "यवन"[1] और "लिपि"[2] शब्दों का प्रयोग किया गया है। यवनानी का लिपि अर्थ में प्रयोग माना गया है[3]। पा० सू० ४।२।४५ से सम्बद्धगण पाठ में शूद्रक-मालव सेना का नाम आया है। इन अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर पाणिनि का समय सिकन्दर के आक्रमण के बाद ३२७ ई० पू० होना चाहिए[4]। गोल्डस्कूटर ने बार्टलिक, वेबर और मैक्समूलर के विचारों का खण्डन करते हुए पाणिनि का समय ७०० ई० पू० स्वीकार किया है[5]। उनकी राय में पाणिनि, कात्यायन से चार पाँच पीढ़ी पूर्व हुए थे। युधिष्ठिर मीमांसक ने यास्क, शौनक, व्याडि, पाणिनि, पिङ्गल आदि को लगभग समसामयिक माना है। उनके अनुसार पाणिनि का समय २८०० ई० पू० होना चाहिए[6]। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने पाणिनि का समय सातवीं शती ई० पू० माना है। भण्डारकर ऑरियन्टल रिसर्च इन्स्टिच्यूट के आचार्य आर० एन० दाण्डेकर पाणिनि का स्थिति-काल छठीं शती ई० पू० मानते हैं[7]। विभिन्न मतों की समीक्षा कर प्रो० मनोमोहन घोष (कलकत्ता विश्व वि०) ने पाणिनि का समय ५०० ई० पू० कहा है[8]। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी पाणिनि का समय पाँचवीं शती ई० पू० माना है[9]।

पाणिनि का व्याकरण जिस भाषा का संरचनात्मक वर्णन करता है वह, संस्कृत भाषा के विकास के उस सन्धियुग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब वैदिक भाषा अपनी मन्थर गति से वैदिक ग्रन्थों में सिमटती जा रही थी तथा उसका स्थान विकासशील भाषा प्राप्त कर रही थी। पाणिनि की कृति का उद्देश्य समसामयिक लौकिक भाषा का पूर्ण तथा वैज्ञानिक संरचनात्मक विश्लेषण करना और लोकभाषा के साथ वैदिक भाषा का आनुवंशिक साजात्य बोध कराने के लिए वैदिक भाषा का प्रासङ्गिक वर्णन करना है।

आधुनिक काल में पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्रचलित हैं—

(१) **पाणिनीय व्याकरण का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन।** इस अध्ययन के अन्तर्गत डा० वासुदेव शरण अग्रवाल रचित "पाणिनि कालीन भारतवर्ष" महत्त्वपूर्ण कृति है।

---

१. पा० सू० ४।१।४९।
२. पा० सू० ३।२।२१।
३. महाभाष्य अ० ४ पा० १ आ० २ वा० ५१४३ "यवनाल्लिप्याम्"।
४. वेबर—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर पृ० २१७-२२१।
५. टी गोल्डस्टूकर—"पाणिनी" पृ० ८७-९२, २०५-२०८, २३०।
६. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग पृ० १३७।
७. एनल्स आफ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिच्यूट खण्ड एल० १९६९ पृ० ६८।
८. मनोमोहन घोष—पाणिनीय शिक्षा प्रस्तावना पृ० १११।
९. पाणिनि कालीन भारतवर्ष पृ० ४६८।

(२) **वैदिकव्याकरण (शिक्षा, प्रातिशाख्य) के साथ पाणिनीय व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन।** इस अध्ययन में सिद्धेश्वर वर्मा की कृति "क्रिटिकल स्टडीज इन द फोनेटिक आपजरवेशन्स ऑफ इण्डियन ग्रामेरियन्स" का नाम उल्लेखनीय है।

(३) **अष्टाध्यायी में प्रयुक्त वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की विधाओं का अध्ययन।** इस पद्धति में डा० विद्यानिवास मिश्र कृत "दि डिस्किव्टिव टेकनिक ऑफ पाणिनि" एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है।

(४) **शब्द रचना सम्बन्धी पाणिनीय प्रक्रिया का अध्ययन।** इस अध्ययन में बैटी शेफट्स रचित "ग्रामेटिकल मेथड इन पाणिनि" और बुश्कूल रचित "दि त्रिपादी" के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

(५) **भाषादर्शन के सम्बन्ध में पाणिनीय मान्यताओं का अध्ययन।** इस अध्ययन के अन्तर्गत डा० सत्यकाम की रचना "भाषातत्त्व और वाक्यपदीय" का नाम उल्लेखनीय है।

(६) **पाणिनीय व्याकरण का तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन।** इस अध्ययन पद्धति की दिशा में कोई कृति विशेषरूप से उल्लेखनीय एवं प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है। डा० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री कृत "संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना" में इस अध्ययन के कुछ लक्षण दीख पड़ते हैं।

(७) **वैदिक भाषा में पाणिनि के योगदान का अध्ययन।** इस अध्ययन में पालथीमे रचित "पाणिनि एण्ड वेद" महत्त्वपूर्ण कृति है।

विद्वज्जन इस विचार से सहमत होंगे कि वर्तमान युग में ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के जो साधन उपलब्ध हैं वे पाणिनि-काल में न थे। अतः विवेचनाधीन भाषा की वंश-परम्परा और सजातीय भाषा-परिवार के शब्दों के यत्र-तत्र विकीर्ण रूपों का परिचय पाणिनि के लिए सम्भव न था। जहाँ तक वैदिक भाषा के शब्दों का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि पाणिनि या कात्यायन, उनके अर्थों या विकासक्रम से अपरिचित थे, किन्तु यह मान लेना यथार्थता से परे होगा। विशेषतः उन शब्दों से जो वेदमन्त्रों में बहु प्रयुक्त थे। यथा—"धर्मन्" आदि प्रातिपदिक। "आह" आदि धातुएँ। भाषाशास्त्रियों के लिए यह ध्यातव्य है कि किसी भी भाषा के संरचनात्मक (वर्णनात्मक) व्याकरण (भाषाविज्ञान) के निर्माण में उक्त अध्ययन विशेष सहायक साधन नहीं बनता, क्योंकि भाषाविज्ञान की यह विधा भाषा का ऐतिहासिक या

तुलनात्मक अध्ययन नहीं करती अपितु उसके संरचना-विश्लेषण तक ही केन्द्रित रहती है।[1]

पाणिनीय व्याकरण को सुस्थिर एवं उत्कर्ष युक्त बनाने में कात्यायन और पतञ्जली का योगदान स्तुत्य है। वार्तिककार कात्यायन को प्रायः पाणिनीय सूत्रशास्त्र का कटुआलोचक माना जाता है। किन्तु वास्तविकता तो यह है कि आचार्य कात्यायन द्वारा की गयी आक्षेप-समाधान-शैली की समीक्षा ने पाणिनीय सूत्रों की अनेक समस्याओं को प्रकाश में लाया तथा पाणिनीय सीमाओं में उनके समाधान की दिशाएँ भी खोजी हैं। यह बात दूसरी है कि कहीं-कहीं पाणिनी की न्यूनताओं का समाधान करने के प्रयत्नातिशय में वे बहक से गये हैं तथा एक विशेष शैली में रचे गये सूत्रशास्त्र के समीक्षक के रूप को भुलाकर विकल्परूप से अन्य शैली प्रस्तुत करने का अभिनय कर बैठे हैं, जिसके लिए महर्षि पतञ्जलि को उन्हें चेतावनी देनी पड़ी—"सिध्यत्येवम्, अपाणि-अपाणिनीयं तु भवति[2]।" पतञ्जली का तात्पर्य यह है कि समीक्षक के रूप में कात्यायन का कार्य प्रत्येक दोष और उसका समाधान पाणिनीय परिधि में देखना है न कि विकल्प शैली प्रस्तुत करना[3]। आचार्य पतञ्जलि व्याकरणशास्त्र के इतिहास में नयी उपलब्धियों के स्रष्टा, नये उपादानों के जन्मदाता, असाधारण प्रतिभा एवं अप्रतिम मेधासम्पन्न वैयाकरण हुए। उनके प्रयास से ब्रह्मा से लेकर पाणिनी तक की अतिदीर्घ व्याकरण-परम्परा विविध विचारवीथियों में फैलाकर अपनी चरमोन्नत अवस्था में पहुँच गई।

वैदिक एवं लौकिक शब्दों के साधुत्व की दृष्टि से "शब्दानुशासन" व्याकरण का मुख्य प्रयोजन कहा गया है। उसके क्रम में ही रक्षा, ऊह, आगम आदि अनेक प्रयोजन प्रदर्शित हैं। शब्दानुशासन के अन्तर्गत लिङ्ग और वचन का भी विशेष महत्त्व है। अपशब्दप्रयोग-जन्य प्रत्यवाय से बचने के लिए साधुशब्दों का अनुशासन व्याकरण के लिए जितना अपेक्षित है उतना ही लिङ्ग और वचन का अनुशासन भी। यों तो पाणिनि ने कुछ लिङ्गबोधक प्रत्ययों के सम्बन्ध में सूचना अवश्य दी है परन्तु इसके ज्ञान के लिए वृद्धों का व्यवहार ही प्रमाण है। प्रत्येक शब्दों के लिए लिङ्गानुशासन सम्भव न होने से व्याकरण इस अंश में पर्याप्त प्रमाण के रूप में गृहीत नहीं है। यद्यपि स्त्रीलिङ्ग बोधक या द्योतक टाप्, ङीप्, ङीष्, क्तिन् आदि प्रत्ययों का निर्देश किया गया है फिर भी प्रयोग (व्यवहार) द्वारा ही उसका निर्णय हो पाता है[4]। जहाँ तक शब्दगत पुंस्त्वादि के निर्णय का प्रश्न है उसमें आचार्य

---

१. रिडिंग्स इन लिंग्विस्टिक्स पृ० १९९।
पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त पृ० १७७।

२. महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० १ पृ० ६१।

३. पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना सिद्धान्त पृ० ८५।

४. लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य।

पाणिनि प्रमाण ही हैं, किन्तु व्याख्याकारों ने सांख्यसिद्धान्त के अनुसार सत्त्वादि गुणों की उपचय, अपचय और साम्यावस्था के आधार पर पुंस्त्व, स्त्रीत्व और नपुंसकत्व का निर्णय किया है। सत्वादी गुणों की कौन-सी अवस्था किस शब्द में है इसका निर्णय प्रयोग के द्वारा ही करना पड़ेगा। प्रयोग का मूल आधार व्यवहार है। व्यवहार का बोधक कोश है जो आप्तजनों (वृद्धों) के व्यवहार पर सुस्थिर है। कहा है—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च ।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य धीराः ॥

"द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने" "बहुषु बहुवचनम्" इत्यादि सूत्रों के द्वारा वचन का अनुशासन किया है किन्तु विवक्षा के अधीन ही वचनों का भी व्यवहार होता है। यही कारण है कि कतिपय शब्द सदा एकवचन में और कुछ एक शब्द सदा बहुवचन में ही व्यवहृत होते हैं। यथा—दार शब्द। समस्य सुन्दरा दारा में दार शब्द का प्रयोग पुलिङ्ग और बहुवचन में निर्णीत है। इसमें व्याकरण का अनुशासन नगण्य है। यहाँ वृद्धों के व्यवहार के अनुसार "दारा पुंसि च भूम्नि एव" इत्यादि कोश-वाक्य ही प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः सदा बहुवचन का ही प्रयोग देखा जाता है। यहाँ बहुत्व की विवक्षा के बिना भी बहुवचन का प्रयोग कोशादि के द्वारा निर्णीत है जो साधु प्रयोग भी माना जाता है।

महावैयाकरण आचार्य दीनबन्धु झा ने व्यवहार-सौकर्य के लिए इस लघुकाय पुस्तक में लिङ्ग और वचन सम्बन्धी विचार को बहुत ही रोचक और तर्कपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पुस्तक का द्वितीय संस्करण ललित हिन्दी टीका सहित प्रकाशित करते हुए मैं विद्यावाचस्पति पं० रामकरण शर्मा विशिष्ट विद्वान् मिथिला शोध संस्थान दरभंगा के प्रति श्रद्धावनत हूँ, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो सका। पुस्तक के मुद्रण में पूर्ण अभिरुचि और तत्परता बरतने के लिए तारा प्रेस, वाराणसी के प्रबन्धक श्री रमाशंकर पण्ड्या का भी मैं आभारी हूँ। अन्त में मैं मिथिला शोध संस्थान के प्रकाशन प्रबन्धक महेश्वर लाल दास को भी उनके सतत् सहयोग और श्रम के लिए धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

श्रीधर त्रिपाठी
दिसम्बर १९९०

विषयसूची

पृष्ठ

विचारणीयलिङ्गपदार्थकथनम् १
लौकिकपुंस्त्वादिषु लिङ्गत्वनिर्वचनम् २
लौकिकपुंस्त्वादिलक्षणम् ३
लौकिकपुंस्त्वलक्षणम् (स्त्रीनपुंसकव्यावृत्तम्) ३
लौकिकस्त्रीत्वलक्षणम् (पुंनपुंसकव्यावृत्तम्) ३
लौकिकनपुंसकत्वलक्षणम् (पुंस्त्रीव्यावृत्तम्) ४
लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोर्लक्षणम् (नपुंसकसाधारणम्) ४
शास्त्रीयपुंस्त्वादिलक्षणानि ७
व्याकरणशास्त्रे शास्त्रीयमेव लिङ्गं निमित्तम् ८
शास्त्रीयपुंस्त्वादिषु प्रमाणकथनम् ८
शास्त्रीयपुंस्त्वादिलक्षणे मतभेदाः ८
शास्त्रीयपुंस्त्वादीनां सिद्धान्तलक्षणम् ९
सिद्धान्तलक्षणे विवेचना ९
आत्मादिपदार्थे आरोपितमेव पुंस्त्वादि १०
पुमादिशब्दव्युत्पत्तिः १०
पुमादिशब्दप्रयोगविचारः ११
पुंलिङ्गादेर्विग्रहः १६
पुंलिङ्गादिविग्रहविचारप्रपञ्चः १६
पुमादीनां शास्त्रीयं लौकिकञ्च पुंस्त्वादि वाच्यम् १८
लिङ्गज्ञानोपायः २०
लिङ्गस्य प्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्वज्ञानोपायः २१
प्रसिद्धेष्वेव लिङ्गेषु शब्दाः प्रयोक्तव्याः २१
अमरकोषशैली २२
शास्त्रीयमपि लिङ्गमर्थनिष्ठमेव २६
शास्त्रीयलिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वखण्डनम् २७

ब्राह्मणादीनां युगपच्छास्त्रीयलौकिकोभयलिङ्गबोधकता	...	....	२८
जनादिशब्दानां शास्त्रीयमात्रलिङ्गवाचिता	...	....	२९
ब्राह्मण्यादिशब्दात् पुरुषादिबाधाभावे हेतुः	....	...	३०
अलिङ्गसलिङ्गशब्दविभागः	....	...	३१
स्वतन्त्रलिङ्गविशेष्यनिघ्नयोः परिचयः	...	...	३२
जातिवाचका अपि केचन त्रिलिङ्गाः	...	...	३३
लौकिकलिङ्गबोधकशब्दः विभागः	....	...	३३
सलिङ्गप्रभेदानामुदाहरणानि	....	...	३३
अपत्यप्रत्ययान्तानां लिङ्गविचारः	....	...	३७
केवलप्राणिवाचकशब्दविभागः	...	...	३७
लौकिकलिङ्गवाचकशब्दविभागः	...	...	३८
लौकिकलिङ्गवाचिनः प्रायेण तत्सजातीयशास्त्रीयलिङ्गबोधकाः		...	४०
विशेष्यनिघ्नानां शास्त्रीयलिङ्गत्रयवाचिता	...	...	४०
विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गावाचित्वपक्षोपपादनम्	...	...	४१
विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गवाचित्वपक्षसमर्थनम्	...	...	४३
लिङ्गसंख्ययोः क्वचिदविवक्षापि	...	...	४४
लिङ्गविवक्षाऽविवक्षयोर्व्यवस्था	....	...	४५
नित्यस्त्रीलिङ्गे तु न लिङ्गाविवक्षा	...	...	४८
लिङ्गाविवक्षायां तस्यापत्यमित्यमादेशोपपादनम्	...	...	४९
ब्राह्मणादिशब्दानां शास्त्रीयलिङ्गावाचकत्वमतखण्डनम्	....	...	५२
ब्राह्मणादिशब्दानां त्रैविध्यम्	....	...	५३
शास्त्रीयलिङ्गानां शब्दवाच्यत्वे युक्तयः	...	...	५४
त्रिलिङ्गशब्दानां विभागः प्रयोगव्यवस्था च	...	...	५७
विशेष्यनिघ्नानां प्रयोगवैचित्र्यम्	....	...	५७
प्रयोगवैचित्र्ये प्रमाणम्	...	...	६४
या विशेष्येषु दृश्यन्ते इत्यस्य व्याख्या	....	...	६४
सामान्ये नपुंसकम्	...	....	६६
अनुकरणलिङ्गविचारः	...	...	६७
तच्छब्दलिङ्गवचनविचारः	...	....	७२

शक्यशब्दे लिङ्गवचनविचारः ७५
वचनशब्दार्थः ७७
विभक्तय एकत्वद्वित्वबहुत्वानां बोधिकाः ७७
बहुत्वादावेव बहुवचनादि ७८
एकत्वाबोधेऽपि क्वचिदेकवचनम् ७८
औत्सर्गिकैकवचनसाधनम् ७८
द्व्येकयोरित्येकग्रहणस्य भाष्योक्तप्रत्याख्यानप्रकारः ७९
एकग्रहणस्यावश्यकत्वमाशङ्क्य समाधानम् ७९
अत्र घटोस्तीत्यत्रैकत्वबोधोपपादनम् ७९
औत्सर्गिकमेकवचनं सत्येव गमके इति नागेशभट्टमतम् ८४
औत्सर्गिकमेकवचनं सार्वत्रिकमिति दीक्षितादिमतम् ८४
मैथिली दारा इत्यादिबहुवचनोपपादनम् ८५
नैयायिकमते मैथिली दारा इत्यादौ बहुवचनोपपादनम् ८८
नैयायिकमते समानवचनतानियमविचारः ८९
मीमांसकशाब्दिकयोर्मते तादृशनियमो नावश्यकः ९१
समानवचनत्वनियमः (तार्किकमते) ९१
लघ्वाकारसमानवचनत्वकथनम् ९२
नियमान्तरकथनम् (समानवचनताविषये) ९३
गावो धनमित्येकवचनोपपत्तिः ९८
"या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इत्यस्यावशिष्टं व्याख्यानम् ९९
रामस्य सुन्दरा दारा इत्यादौ सुन्दरादिपदात् बहुवचनोपपत्तिः १००
चैत्रो मैत्रश्च गच्छत इति विभिन्नवचनोपपत्तिः १०१
तिङन्तेऽपि समानवचनता १०१
शाब्दिकमते तिङन्ते नियमान्तरम् १०२
नीलं घट इति प्रयोगाभावे हेतुः १०६
विशेष्यविशेषणभावनियमः १०७
इदं घट इत्यादिप्रयोगाः कुतो न १०९
नारीणां स्तनावित्यादौ द्विवचनोपपत्तिः ११०

नित्यबहुवचनान्तादिना लक्षणानि ११२
विंशत्यादिशब्दविचारः ११५
नागेशभट्टमतम् (संख्यावाचकविषये) ११७
एकादशेत्यादिद्वन्द्वानुपपत्तेः शिवकुमारशास्त्रीकृतः परीहारः १२२
संख्यावाचकविषये विदुषां मतसंग्रहः १२३
क्वचिदादरे बहुवचनम् १२९
वयंब्रूम इत्यादेरुपपत्तिः १२९
अनुषङ्गे लिङ्गवचनविचारः १३१
प्रकृतिविकृतिभावे वचनव्यवस्था १३४
दर्पणकृन्मतखण्डनम् (प्रकृतिविकृतिभावस्थले) १३५
मतान्तरखण्डनम् १४१
लिङ्गनिमित्तककायस्य संग्रहो विचारश्च १४२
अतोमितिसूत्रार्थः १४३
तार्किकोक्तसमानलिङ्गत्वखण्डनम् १४३
पुंवद्भावविचारः १४४
नित्यबहुवचनान्तशब्दसंग्रहः १४५

कारिकासूची

		पृष्ठ			पृष्ठ
अज्ञानध्वान्तपटल	....	१	ते क्लीबलिङ्गा धात्वर्थे	...	५९
अतो जनादिशब्देभ्यः	....	३०	ते च संख्येय वस्तूनां	....	११७
अधिकस्य च लिङ्गस्य	...	५४	तेनेयं ब्राह्मणीत्युक्ते	...	२९
अन्तेवासिगणस्वान्ते	...	१	ते समानाधिकरण	....	५७
अन्त्यः प्रायेण तुन्नन्त	....	७५	त्यदादयो विशेष्यार्थ	..	११०
अभेदकत्वात्सर्वत्र	...	५४	दाराः पुंसि च भूम्न्येवे	...	८६
असमानाधिकरण	....	५८	द्रव्योपसर्जनीभूत्	....	६१
अस्ति च यस्य प्रवृत्ति	...	४०	द्वितीयभेदास्ते संख्या	....	११८
आदरे क्वचिदेकस्मिन्	...	१२९	द्विविधः शक्यशब्दोऽस्ति	...	७५
आहुर्नैयायिका दाराः	....	८८	नपुंसकक्लीबषण्ड	....	१९
उद्देश्यप्रतिनिर्देश्या	..	७४	न्याय्यं लिङ्गं परित्यज्य	....	६३
एवं यत्रोभयं कर्तृ	...	१३४	परे त्वाहुर्विशेष्यान्त	...	४३
औत्सर्गिकैकवचन	...	८४	पुमादीनां च पुंस्त्वादि	...	१८
औत्सर्गिकैकवचनं सर्वत्र	...	८४	पुमानयं जनः स्त्रीयं	....	१५
क्वचिद्धर्मपराः क्वापि	...	११	पुलिङ्गादौ धर्मपराः	....	११
गार्ग्यं विप्रद्वयं गार्ग्यं	....	३७	पुंस्त्वं तु लौकिकं मेढ्र	....	३
जनादयस्तु शास्त्रीय	....	३०	पुंस्त्वादिरूपं यल्लिङ्गं	....	१
जनादिर्लौकिकं लिङ्गं	..	३०	पुंस्त्वादिर्लौकिकं पुंस्त्री	...	२
जनादिशब्दभिन्नानां	...	२९	पूर्ववाक्यादुत्तरत्र	...	१३१
जातिशब्दद्रव्यशब्दौ	...	३२	प्रकृतिर्विकृतिश्चैव	....	१३४
तच्छब्दो यत्पदार्थस्य	...	७२	प्रमाणत्वशतत्वादि	....	९०
तत्र तत्र कृता	...	१	प्राप्तेषु त्रिषु लिङ्गेषु	...	५९
तत्राद्यासु स्त्रीत्वलिङ्ग	...	४८	प्रोच्यते वचनं संख्या	...	७७
तत्रोपचयभागो यः	...	७	ब्राह्मणक्षत्रियादीनां	....	५२
तथात्वे चैकशेषेण	...	११९	भ्रान्तेरुक्तौ तथारोपे	....	१४०
तथापि लिङ्गशास्त्राणां	..	५४	यच्च व्याकरणाचार्यैः	...	१
तदास्मिन् ब्राह्मणग्रामे	...	५२	यद्वा पङ्कादयस्तत्तत्	...	१५
तस्मान्नीलपदार्थस्य	....	१०७	ये विंशतित्वादिसंख्या	...	११५
तासां विशेष्यवचन	....	९०	येषां क्लीबत्वमत्रोक्तं	...	६३
तृतीयभेदाः संख्येय	....	११९	लिङ्गार्थलक्षकं लिङ्ग	—	१७

		पृष्ठ
लिङ्गाविवक्षया क्वापि	....	४४
लिङ्गे प्रसिद्धिविज्ञानं	....	२१
वक्षोजनयनादीनि	....	१११
वन्दनीयां सदा सर्वैः	...	१
विंशत्याद्याः परार्धान्ताः	....	११५
विशेषणपराच्छब्दात्	....	९८
विशेषणमभेदेन	..	१०६
विशेषणविशेष्यत्वे	...	१०७
विशेष्यनिघ्नशब्दानां	....	५७
विशेष्यनिघ्ना ये शब्दाः	...	४१
विशेष्यनिघ्नाः शास्त्रीय	...	४०
विशेष्यवाचकपद	...	६०
विशेष्यवाचके द्वित्व	...	९८
विशेष्यवाचिपदतः	...	८८
विशेष्ये जातिसंज्ञे द्वे	....	१०७
शब्दाः केचिन्नित्यबहु	....	११२
शास्त्रीयलिङ्गविज्ञानं	...	२०
शास्त्रीयस्यापि लिङ्गस्य	...	२६
शूद्राप्रभृतिशब्देषु	...	४५
सरस्वत्याः प्रयोगेषु	..	१
संज्ञाभिन्नादतः शब्दात्	...	१२९
सांख्यप्रसिद्धसत्त्वादेः	...	७
स्त्रीपुंसयोरपत्यान्ताः	....	३७
स्त्रीप्रत्ययप्रकृतयः	...	४८
स्वसजातीयशास्त्रीय	...	२९

श्रीः

लिङ्गवचनविचारः

अज्ञानध्वान्तपटलविपाटनपटुं गुरुम् ।
नत्वा शिवकुमाराख्यं विख्यातं जगतीतले ॥१॥

अन्तेवासिगणस्वान्ते विज्ञानोदयसम्पदे ।
अस्म्यहं लिङ्गवचनविचारं कर्तुमुद्यतः ॥२॥

लिङ्गशब्दस्यानेकार्थत्वात् किं तात्रल्लिङ्गं विचारविषय इत्यपेक्षायामुच्यते—

वन्दनीयां सदा सर्वैरखर्वकरुणामयीम् ।
नौम्यहं शारदां देवीमज्ञानतिमिरापहाम् ॥ १ ॥

सरस्वत्याः प्रयोगेषु कुत्र किं वचनन्तथा ।
लिङ्गमित्यवबोधाय दीनबन्धोरियं कृतिः ॥ २ ॥

तत्र तत्र कृता चर्चा शास्त्राचार्येण दुर्ग्रहाः ।
हिन्द्यां व्याख्यायते तेन श्रीधरेण त्रिपाठिना ॥ ३ ॥

अज्ञानान्धकार समूह के विदारण में निपुण, जगत् प्रसिद्ध शिवकुमार नामक गुरु को नमस्कार कर, छात्रों के हृदय में विज्ञानोदय की प्राप्ति की कामना से मैं लिङ्ग एवं वचन सम्बन्धी विचार करने के लिए उद्यत हूँ ॥ १-२ ॥

विचारणीयलिङ्गपदार्थकथनम्

पुंस्त्वादिरूपं यल्लिङ्गं शब्दवाच्यतयाऽऽश्रितम् ।
अयं ब्राह्मण इत्यादौ स्त्रिया व्यावृत्तिहेतवे ॥३॥

यच्च व्याकरणाचार्यैः शब्दशास्त्रप्रवृत्तये ।
लिङ्गमङ्गीकृतं भिन्नमुभयं तद्विचारये ॥४॥

विचारणीयलिङ्गञ्च पुंस्त्वादिरूपं लौकिकं शास्त्रीयं च । तत्र लौकिकलिङ्गं चेतनमात्रवाचकब्राह्मणकुमारादिवाच्यम् । अत एवायं ब्राह्मणोऽयं कुमार इत्यादौ स्त्रिया व्यावृत्तिः ।

शास्त्रीयन्तु लिङ्गं ततो विलक्षणमेव, व्याकरणशास्त्रे 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इत्यादौ निमित्ततयाऽऽश्रीयमाणम् । नहि तत्र लौकिकं लिङ्गं निमित्तमास्थातुं शक्यम्, घटानित्यादौ नत्वाद्यभावापत्तेः । एतदुभयविधमपि लिङ्गमत्र विचार्यते ॥३-४॥

इसलिए विचारणीय लिङ्ग पदार्थं का निरूपण कर रहा हूँ

लिङ्ग शब्द अनेकार्थक हैं, अतः सर्वप्रथम यह अपेक्षा होगी कि लिङ्ग विचार का विषय क्या है ?

पुंस्त्व स्त्रीत्व आदि रूप वाला जो लिङ्ग, 'यह ब्राह्मण है' आदि प्रयोगों में स्त्रीत्व-भान हटाने के लिए शब्द के (वाच्य) अर्थ के रूप में लिया जाता है और जो, व्याकरण के आचार्यों द्वारा शब्दशास्त्र में प्रवृत्ति के लिए भिन्न रूप में (शास्त्रीय) लिङ्ग स्वीकृत है, उन दोनों का विचार कर रहा हूँ ॥ ३-४ ॥

लौकिकपुंस्त्वादिषु लिङ्गत्वनिर्वचनम्

'घटशब्दः पुंलिङ्गः', 'अथ लिङ्गानुशासनम्', 'सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्' इत्यादिव्यावहारात् शास्त्रीयपुंस्त्वादिषु लिङ्गपदवाच्यत्वमवधार्यते किन्तु लौकिकपुंस्त्वादिषु कथं लिङ्गशब्दवाच्यत्वम् ? तत्रोच्यते—

पुंस्त्वादि लौकिकं पुंस्त्रीक्लीबानां लक्षणं यतः ।
तेनोच्यते लिङ्गमिति लिङ्गं लक्षणवाचि यत् ॥५॥

लौकिकेषु पुंस्त्वस्त्रीत्वनपुंसकत्वेषु लक्षणत्वरूपं लिङ्गत्वमक्षतमेव । लक्ष्यन्ते हि लौकिकपुंस्त्वादिभिः पुरुष-स्त्री-क्लीब-रूपव्यक्तिविशेषाः । इत्थं च लौकिकं शास्त्रीयं चोभयमपि पुंस्त्वादिकं लिङ्गमुच्यते ॥ ५ ॥

पुंस्त्व आदि रूप विचारणीय लिङ्ग लौकिक और शास्त्रीय दो प्रकार के होते हैं, उनमें लौकिक लिङ्ग चेतन मात्र के वाचक ब्राह्मण, कुमार आदि शब्दों का वाच्य होता है । अतएव "यह ब्राह्मण हैं", "यह कुमार है" आदि प्रयोगों में स्त्रीत्व की व्यावृत्ति है ।

शास्त्रीय लिङ्ग तो उससे विलक्षण होता है जो व्याकरणशास्त्र में 'तस्माच्छसो नः पुंसि', आदि सूत्रों में निमित रूप में आश्रयण किया गया होता है । वहाँ लौकिक लिङ्ग को निमित्त रूप से स्वोकार नहीं किया जा सकता क्योंकि "घटान्" आदि प्रयोगों में लौकिक पुंस्त्व के न रहने के कारण उस सूत्र से होनेवाले नत्व के अभाव की आपत्ति होने लगेगी । अतः इन दोनों प्रकार के लिङ्गों का यहाँ विचार किया जाता है ।

लौकिक पुंस्त्व आदि में पहले लिङ्गत्व का निर्वचन किया जाता है

प्रश्न होता है कि—"घट शब्द पुंलिङ्ग है", "इसके बाद लिङ्ग का अनुशासन किया जाता है" तथा अमरकोश में आया है कि "कई वर्गों में नाम एवं लिङ्ग का सम्पूर्ण अनुशासन कहा जाता है" आदि व्यवहारों से शास्त्रीयं पुंस्त्व आदि में लिङ्ग, पद का वाच्य है, ऐसा निश्चय किया जाता है, किन्तु पुंस्त्व आदि में किस तरह लिङ्ग, पद का वाच्य है ? इसके उत्तर कहा जाता है—

पुंस्त्व आदि पुरुष स्त्री एवं नपुंसक के लौकिक लक्षण हैं इसलिए उसे लौकिक लिङ्ग कहा जाता है, क्योंकि लिङ्ग शब्द लक्षणवाचक होता है ।

लौकिक पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व में लक्षणत्व रूपी लिङ्गत्व विद्यमान ही रहता है। क्योंकि लौकिक पुंस्त्व आदि से पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक रूप व्यक्तिविशेष लक्षित होते हैं। इस तरह लौकिक एवं शास्त्रीय दोनों ही पुंस्त्व आदि लिङ्ग कहे जाते हैं ॥ ५ ॥

लौकिकपुंस्त्वादिलक्षणम्

पुंस्त्वं तु लौकिकं मेढ्रवत्त्वं, स्त्रीत्वं सयोनिता ।
अयोग्येन्द्रिययोगित्वं क्लीबत्वमवधार्यताम् ॥६॥

'अयं पुमान्' इत्यादिव्यवहारप्रवर्त्तकं ब्राह्मणमानयेत्यादौ स्त्रिया व्यावर्तकं च लौकिकं पुंस्त्वम् । तच्च शिश्नवत्त्वरूपम् । न चैवं छिन्नशिश्ने पुंसि पुमानयमिति-व्यवहारानुपपत्तिः, शिश्नवत्त्वस्योपलक्षणत्वोपगमात् । एवञ्च शिश्नवत्त्वसमानाधिकरणतद्व्यक्तित्ववत्त्वं पुंस्त्वमिति फलितम् । यथा लोमवल्लाङ्गूलवत्त्वमेव पशुत्वं, न जातिविशेष इति दर्शने छिन्नलाङ्गूलेऽपि पशुव्यवहाराय लाङ्गूलस्योपलक्षणत्वं तथेहापि वक्तुं शक्यत्वात् ।

अथैवमपि मेढ्रशून्यस्यैव यस्य जन्म तत्र कथं पुमानयमिति व्यवहारः ? एवं दृष्टान्तेऽपि जन्मतो लाङ्गूलशून्ये लोमशून्यलाङ्गूलवति वा पशौ कथं पशुव्यवहार इति चेत्—अत्राहुर्दार्शनिकाः—यस्य यत् असाधारणं लक्ष्म, तस्य तत्सहितस्यैव जन्मनैयत्यम् । तथा च प्राणिनः शिश्नवत्त्वं वा योनिमत्त्वं वा नियतमेव । एवं पशूनां जन्मकाले लोमवल्लाङ्गूलवत्त्वं प्रकृतिस्वभावसिद्धत्वान्नियतम् । एतेन सास्नावत्त्वं गोर्लक्षणं जन्मतस्तद्रहिते गवि अव्याप्तमित्यपि प्रत्युक्तम्, तादृशस्य गोः प्रकृतिविरुद्धत्वेनोत्पत्त्यभावात् । एवञ्च लिङ्गेन वा योनिना वा युक्त एव प्राणी जायते इति नोक्तदोष इति ।

नन्वेवमपि पुमाकारनपुंसकव्यक्तावतिव्याप्तिरिति चेत् लक्षणघटकशिश्ने संभोगयोग्यत्वस्य निवेशनीयत्वात् । यदि त्वेवमपि रोगादिवशात् सभोगानर्हशिश्नवति अव्याप्तिरित्युच्युते, तदा रोगाद्यप्रयुक्तं यत् संभोगानर्हत्वं तच्छून्यत्वं तत्र निवेश्यम् । तथा च रोगाद्यप्रयुक्तसंभोगयोग्यत्वाभावरहितमेढ्रवत्त्वं लौकिकपुंस्त्वम् । नपुंसकशिश्ने रोगाद्यप्रयुक्तो जन्मसिद्ध एव संभोगयोग्यत्वाभावोऽस्तीति न नपुंसकेऽतिव्याप्तिः । रोगादिनोपहतेन्द्रिये तु रोगादिकृत एव संभोगयोग्यत्वाभावो न तु तदकृत इति विशिष्टाभावसत्त्वात् रुग्णवृद्धादौ नाव्याप्तिः, आदिपदेन वयसोऽपि ग्रहणात् । अत एव शिशावपि नाव्याप्तिः । योग्यतानिवेशाच्च ब्रह्मचारिणि न सा ।

लौकिकस्त्रीत्वन्तु इयं स्त्रीतिव्यवहारप्रवर्तकं 'ब्राह्मणीमानये'त्यादौ पुरुषव्यवच्छेदकम् । तच्च योनिमत्त्वम् । पुंलक्षण इवात्रापि दोषवारणाय रोगाद्यप्रयुक्तमिथुनकर्मोपयोगयोग्यत्वाभावरहितयोनिमत्त्वं स्त्रीत्वमिति निर्वक्तव्यम् । लक्षणसमन्वयः पूर्वोक्तरीत्योहनीयः । तथा चोक्तम्—

"स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः ॥"

अत्र केशो योनिः, लोम शिश्नः। स्तनेति तूपलक्षणम्। तेनाजातस्तन्यां नाव्याप्तिः। वस्तुतस्तु स्त्रींलक्षणे 'स्तने'ति नैव वाच्यम्।

लौकिकनपुंसकत्वं तु निरुक्तपुंस्त्वस्त्रीत्वोभयशून्यत्वे सति स्त्रीपुंससाधारणावयवशालित्वम्, 'न स्त्रीपुमानि'ति योगार्थानुसारित्वात्। घटादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम्—इत्याहुः।

वयन्तु ब्रूमः—मेढ्रवत्त्वं लौकिकपुंस्त्वम्। लौकिकस्त्रीत्त्वं तु योनिमत्त्वम्। न च मूढ़मेढ्रभगान्यतरवन्नपुंसकव्यक्तावतिव्याप्तिरिति वाच्यम्, इष्टापत्तेः। लौकिकनपुंसकत्वं तु रोगवयःप्रमृत्यप्रयोज्यमिथुनकर्मयोग्यत्वाभावयुतमेढ्रभगान्यतरवत्त्वे सति पुंस्त्वस्त्रीत्वान्यतरप्रयुक्तश्मश्रुस्तनादिशून्यत्वम्। सत्यन्तानिवेशे बालेऽपि 'इयं व्यक्तिर्नपुंसकमि'तिव्यवहारापत्तिः।

यत्र चैतल्लक्षणलक्षितं नपुंसकत्वं तत्र लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरेकतरं नियतम्। अर्थात् लोकप्रसिद्धनपुंसकत्वं लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वान्यतरसमानाधिकरणमेव तिष्ठतीति। अत एव मेढ्रवति नपुंसकजने 'अमुना नपुंसकब्राह्मणेन कृतमि'ति प्रयोग उपपद्यते। उपपद्यते च योनिमति नपुंसकजने 'अनया नपुंसकब्राह्मण्या कृत'मिति प्रयोगः। लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वाभ्यां लौकिकनपुंसकत्वस्य वैयधिकरण्याभ्युपगमे तु नोपपद्येत। तथा हि चेतनमात्रवृत्तिप्रवृत्तिनिमित्तकानां ब्राह्मणकुमारादीनां शास्त्रीयपुंस्त्वस्त्रीत्वशक्तत्वं, न नपुंसकशक्तत्वम्। अत एव नपुंसकव्यक्तितात्पर्येणापि 'एतानि ब्राह्मणानी'ति नैव भवति प्रयोगः, शास्त्रीयपुंस्त्वादिकञ्च केवलान्वयि। एवं स्थितौ यदि नपुंसकव्यक्तौ लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वे न स्वीक्रियेते तदा ब्राह्मणीमानयेत्यादौ पुरुषबोधाभावाय स्वीकरणीयस्य 'चेतनमात्रनिष्ठप्रवृत्तिनिमित्तकात् ब्राह्मणादिपदात् प्रतीयमानशास्त्रीयपुंस्त्वादिसामानाधिकरण्येन तत्सजातीयलौकिकलिङ्गमपि प्रतीयत एवे'ति नियमस्य भङ्गापत्तिः। 'अमुना क्लीबब्राह्मणेने'त्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वसामानाधिकरण्येन नपुंसकव्यक्तिव्यावृत्तलौकिकपुंस्त्वस्य भानासम्भवात्, 'अनया क्लीबब्राह्मण्ये'त्यादौ शास्त्रीयस्त्रीत्वसामानाधिकरण्येन नपुंसकजनव्यावृत्तलौकिकस्त्रीत्वस्य भानासंभवाच्च। उक्तनियमस्य भङ्गाभ्युपगमे च उक्तस्य ब्राह्मण्यादिशब्दात् पुरुषबोधप्रसङ्गरूपदोषस्यापत्तेः, नपुंसकस्त्रीबोधतात्पर्येणापि 'अमुना नपुंसकब्राह्मणेने'तिप्रयोगापत्तेश्च, नपुंसकपुरुषबोधतात्पर्येणापि 'अनया ब्राह्मण्या कृतमि'ति प्रयोगापत्तेश्च। मम तु लौकिकं पुंस्त्वं स्त्रीत्वं वा लौकिकनपुंसकत्ववत्यपि जने वर्तत एवेति नोक्तदोषावकाशः। 'अमुना ब्राह्मणेन' 'क्लीबब्राह्मणेन वे'त्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टलौकिकपुंस्त्वस्य भानान्न ब्राह्मण्या बोधापत्तिः, न वा 'अनया ब्राह्मण्ये'त्यादितः पुरुषबोधापत्तिः। शास्त्रीयलौकिकलिङ्गयोः साजात्यं च लिङ्गविशेषबोधकसामानशब्दवाच्यत्वेन बोध्यम्॥ ६॥

लौकिक पुंस्त्व आदि लिङ्ग का लक्षण

लौकिक पुंस्त्व है—मेढ्रवत्वम्, स्त्रीत्व है—सयोनिता एवं अयोग्य इन्द्रिय से योगित्व नपुंसकत्व निश्चित किया जाता है। (पुरुषोचित जनेन्द्रिय (शिश्न) से युक्त व्यक्ति को पुरुष, स्त्री जननेन्द्रिय (योनि) से युक्त व्यक्ति को स्त्री तथा अक्षम एवं अयोग्य इन्द्रिय वाले व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है।) 'यह पुरुष है' इस रूप में व्यवहार प्रवृत्त करने वाले "ब्राह्मण को लाओ" आदि वाक्यों से स्त्री के बोध की व्यावृत्ति (निराकरण) कराने वाला लौकिक पुंस्त्व होता है। वह पुंस्त्व शिश्नवत्त्व (शिश्न वाले धर्म) स्वरूप होता है। इस लक्षण में यह शङ्का नहीं की जा सकती कि वैसा मानने पर छिन्न शिश्न (लिङ्ग) वाले पुरुष में यह प्रमाण है। यह व्यवहार अयुक्त होने लगेगा, क्योंकि शिश्नवत्व शब्द वहाँ उपलक्षण (लक्षणा से दूसरे अर्थ का बोधक) है—ऐसा माना जाता है। इस तरह शिश्नवत्व के साथ एक अधिकरण में रहने वाले व्यक्तित्व वाले का धर्म रूप पुंस्त्व है—यह फलितार्थ होता है। जिस तरह लोमवत् एवं लाङ्गूलवत्त्व ही पशुत्व होता है, जातिविशेष नहीं, ऐसा मान्य होने पर छिन्न लाङ्गूल वाले में भी पशु व्यवहार हो, एतदर्थ लाङ्गूल को उपलक्षण माना जाता। उसी तरह शिश्न-वत्त्व को भी उपलक्षण माना जा सकता है।

इसके बाद भी कहा जा सकता है कि इस तरह उपलक्षण मानने पर भी जिसका मेढ्र शून्य ही जन्म हुआ, उसमें यह पुरुष है ऐसा व्यवहार कैसे होगा? इसी तरह दृष्टान्त रूप प्रदर्शित पशु में भी जो जन्म से लाङ्गूल (पुच्छ) रहित है या लोमरहित एवं लाङ्गूल वाला है, उसमें यह पशु है ऐसा व्यवहार कैसे होगा? इस शङ्का के उत्तर के रूप में दार्शनिक कहते हैं कि जिसका जो असाधारण लक्षण होता हैं, उस लक्षण के साथ ही उसका जन्म होता है—यह नियत है। दूसरी बात यह है कि प्राणी का शिश्न वाला या योनि वाला होना निश्चित नहीं हैं। (अतः उस उक्त लक्षण में दोष नहीं हैं। ऐसा मानने पर, जो लोग, सास्नावत्त्वं गौ का लक्षण कहने पर जो गौ जन्म से ही सास्ना से रहित है, उसमें वह लक्षण नहीं घटता, अतः उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष है, ऐसा कहते हैं, उनका भी समाधान हो गया। क्योंकि प्रकृति विरुद्ध होने के कारण उस तरह की गौ की उत्पत्ति ही नहीं होती। इस तरह लिङ्ग या योनि से युक्त ही प्राणी उत्पन्न होता है, अतः लक्षण में प्रदर्शित दोष नहीं है।

ऐसा मान्य होने पर भी पुरुष के आकार वाले नपुंसक व्यक्ति में उक्त लक्षण के जाने से लक्षण में अतिव्याप्ति दोष रहेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शिश्नवत्व लक्षण घटक शिश्न के विशेषण के रूप में सम्भोगयोग्यत्व का निवेश किया जाएगा। यदि इस तरह भी रोग आदि कारण सम्भोगयोग्यताशून्य शिश्न वाले में लक्षण के न जाने में अव्याप्ति दोष होगा, ऐसा कहेंगे, तो कहा जाएगा कि रोग आदि से अप्रयुक्त जो सम्भोग की अनर्हता उससे शून्यत्व का वहाँ निवेश करना है। वैसा करने पर लौकिक पुंस्त्व का स्वरूप होगा कि रोग आदि से अप्रयुक्त सम्भोग की योग्यता के अभाव से रहित मेढ्रवत्त्व रूप लौकिक पुंस्त्व होता है। नपुंसक के शिश्न में रोग आदि से अप्रयुक्त, जन्मसिद्ध ही सम्भोग की योग्यता का अभाव है, अतः नपुंसक में इस लक्षण के न जाने से अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। रोग आदि से

उपहत इन्द्रिय वाले में तो रोग आदि से उत्पादित ही सम्भोगयोग्यता का अभाव होता है। रोग आदि से अकृत नहीं होता है, इसलिए विशिष्टाभाव होने के कारण रुग्ण तथा वृद्ध आदि में लक्षण की अव्याप्ति न होने से दोष नहीं होगा। आदि पद से अवस्था का ग्रहण होने के कारण शिशु में भी अव्याप्ति दोष नहीं होता। लक्षण के स्वरूप में योग्यता पद का निवेश कर देने से ब्रह्मचारी में भी अव्याप्ति न होगी। (अतः वह लक्षण निर्दुष्ट है)।

लौकिक स्त्रीत्व तो 'यह स्त्री है' आदि रूप में होनेवाले व्यवहार का प्रवर्तक तथा ब्राह्मणी को लाओ आदि वाक्य से बोध्य रूप में पुरुष का व्यवच्छेदक है। स्त्रीत्व योनिमत्व (स्वरूप वाला) होता है। पुरुष के लक्षण के समान इसमें भी दोषों के कारण के लिए रोग आदि से अप्रयुक्त मिथुन कर्म के उपयोग की योग्यता के अभाव से रहित योनि वाली जाति स्त्रीत्व का स्वरूप है, ऐसा निर्वचन करना चाहिए। इस लक्षण का समन्वय तर्क के आधार पर पहले बतायी गयी रीति के अनुसार करनी चाहिए। उसी तरह कहा गया है कि—

स्तन एवं केश वाली स्त्री होती है तथा लोम वाला पुरुष कहा गया है। इस श्लोक में केश शब्द योनि परक है तथा लोम शब्द शिश्न परक है। यहाँ स्तन शब्द उपलक्षण है, अतः अजात स्तन वाली स्त्री में भी लक्षण के जाने से अव्याप्ति दोष नहीं होता है। वस्तुतः स्त्री के उपर्युक्त लक्षण में स्तन शब्द का निवेश नहीं करना चाहिए।

लौकिक नपुंसकत्व, तो निर्वचन किए गये पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व दोनों से शून्य होते हुए स्त्री एवं पुरुष के साधारण अवयवशाली होता है। क्योंकि न स्त्रीपुमान् इस विग्रह में नपुंसक पद की सिद्धि होने से वैसा लक्षण ही योग के अनुसारी होगा। स्त्रीपुंससाधारणावयव-शालित्वं यह लक्षण का विशेष्य दल न रहेगा तो घट आदि में अतिव्याप्ति होगी, अतः वहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए लक्षण में विशेष्य दल दिया गया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं।

हमारा कहना है—लौकिक पुंस्त्व मेढ्रवत्त्व है, तथा लौकिक स्त्रीत्व योनिमत्त्व है। ऐसा मानने पर यह नहीं कह सकते कि जिसका मेढ्र या भग छिपा हो उस नपुंसक व्यक्ति में लक्षण की अतिव्याप्ति होने से दोष होगा, क्योंकि वैसा इष्ट ही आ जाता है। लौकिक नपुंसकत्व तो रोग एवं अवस्था प्रभृति से अप्रयोज्य मिथुनकर्म की योग्यता के अभाव से युक्त मेढ्र या भग में से किसी एकवाला होता हुआ पुंस्त्व या स्त्रीत्व किसी एक से प्रयुक्त श्मश्रु या स्तन से शून्य (जो हो वह) होता है। (यही उसका लक्षण है) इस लक्षण में सत्यन्त भाग का निवेश न रहने पर बालक में भी यह व्यक्ति नपुंसक है, ऐसा व्यवहार होने लगेगा। अतः वैसा किया गया है।

जहाँ इस लक्षण से लक्षित नपुंसकत्व रहता है, वहाँ लौकिक पुंस्त्व या स्त्रीत्व में से एक निश्चित ही रहता है। अर्थात् लोक प्रसिद्ध नपुंसकत्व लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व में से किसी एक का समानाधिकरण होकर ही रहता है इसीलिए मेढ्र वाले नपुंसकजन में उस नपुंसक ब्राह्मण ने किया, यह प्रयोग युक्त होता है तथा योनिवाले नपुंसकजन में 'इस नपुंसक ब्राह्मणी ने किया, यह प्रयोग युक्त होता है। लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व से लौकिक नपुंसकत्व

का वैयधिकरण्य मानने पर तो वैसा उपपन्न नहीं होगा। जैसे—चेतन मात्र में रहने वाले प्रवृत्तिनिमित्त ब्राह्मण एवं कुमार आदि शास्त्रीय पुंस्त्व या शास्त्रीय स्त्रीत्व शक्त होते हैं, नपुंसक में शक्त नहीं होते हैं। अतएव नपुंसक व्यक्ति के तात्पर्य से भी "एतानि ब्राह्मणानि" ऐसा प्रयोग नहीं होता है। शास्त्रीय पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व केवलान्वयी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि नपुंसक व्यक्ति में लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व स्वीकृत नहीं किये जाते हैं तो "**ब्राह्मणी-मानय**" आदि में पुरुषबोध के अभाव के लिए यह स्वीकृत करना पड़ता है कि चेतनमात्र में रहने वाले प्रवृत्ति निमित्त ब्राह्मण आदि पदों से प्रतीत होनेवाले शास्त्रीय पुंस्त्व आदि के साथ समानाधिकरण रूप से उसके सजातीय लौकिक लिङ्ग भी प्रतीत होता ही है। नपुंसक व्यक्ति में लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व को स्वीकार न करने पर उस नियम का भङ्ग होने लगेगा। "**अमुना क्लीबब्राह्मणेन**" आदि प्रयोगों में शास्त्रीय पुंस्त्व के साथ समानाधिकरण रूप से—नपुंसक व्यक्ति से रहित लौकिक पुंस्त्व का भान असम्भव होगा। तथा "**अनया क्लीब-ब्राह्मण्या**" आदि प्रयोगों में शास्त्रीय स्त्रीत्व के साथ समानाधिकरण रूप से नपुंसक जन से व्यावृत्त लौकिक स्त्रीत्व का भान असम्भव होगा। उस नियम के भङ्ग को मानने पर तो उक्त ब्राह्मणी आदि शब्दों से पुरुष के बोध प्रसङ्ग रूपी दोष की आपत्ति होने लगेगी। नपुंसक स्त्री के बोध के तात्पर्य से भी "**अमुना नपुंसकब्राह्मणेन**" इस प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी एवं नपुंसक पुरुष के बोध के तात्पर्य से भी "**अनया ब्राह्मण्या कृतम्**" इस प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी। मेरे मन में तो लौकिक पुंस्त्व या लौकिक स्त्रीत्व लौकिक नपुंसकत्व वाले जन में भी रहता ही है। अतः उक्त दोष का कोई अवसर नहीं उपस्थित होता "**अमुना ब्राह्मणेन**" या "**क्लीबब्राह्मणेन**" आदि प्रयोगों में शास्त्रीय पुंस्त्व के साथ लौकिक पुंस्त्व का भान होने से ब्राह्मणी के बोध की आपत्ति नहीं होती है तथा अनया ब्राह्मण्या आदि प्रयोगों से पुरुष के बोध की आपत्ति भी नहीं होती। शास्त्रीय एवं लौकिक लिङ्गों का साजात्य तो लिङ्ग-विशेष के बोधक समान शब्द के वाच्य होने के कारण होता है ॥ ६ ॥

शास्त्रीयपुंस्त्वादिलिङ्गलक्षणानि

साङ्ख्यप्रसिद्धसत्त्वादेर्लिङ्गं परिणतिर्मतम्।
शास्त्रतो ज्ञायते यस्मात् ततः शास्त्रीयमुच्यते ॥७॥

तत्रोपचयभागो यस्तत्पुंस्त्वमभिधीयते।
स्त्रीत्वं त्वपचयो भागः साम्यं क्लीबत्वमुच्यते।
केवलं शास्त्रकार्यार्थमाश्रितं शाब्दिकैर्बुधैः ॥८॥

अथ 'ब्राह्मणोऽयम्' 'ब्राह्मणीयम्' इत्यादौ शब्दशक्त्या प्रतीयमानमपि लौकिकलिङ्गं 'तस्माच्छसो नः पुंसि:', 'स्त्रियाम्', 'स्वमोर्नपुंसकात्', इत्यादि व्याकरणशास्त्रेषु न निमित्तम्, 'घटान्' 'खट्वा' 'मधु' इत्यादौ नादेश-टाप्प्रत्ययलुगाद्य-भावप्रसङ्गात्। किन्तु तेभ्यो लौकिकलिङ्गेभ्यो विलक्षणं किमप्यन्यदेव। तदुक्तं सरूप-

सूत्रे भाष्ये—"न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गमाश्रयितुम् । अवश्यं कश्चित् स्वकृतान्त आस्थेयः कोऽसौ स्वकृतान्तः ? संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमि"ति ।

अस्यायमर्थः—संस्त्यानं सत्त्वादिगुणानामुपचयरूपः परिणामः, प्रसवः अपचयपरिणामः । तद्द्वयात्मकं लिङ्गं वैयाकरणैः शास्त्रेषु निमित्तमाश्रयणीयमिति ।

तत्रोपचयः पुंस्त्वलिङ्गम् अपचयः स्त्रीत्वलिङ्गमिति विवेकः । तदेवं शास्त्रीयपुंस्त्वस्त्रीत्वे निरूपिते ।

अथ शास्त्रीयं नपुंसकत्वं किम् ? तत्र केचित्—सत्वरजस्तमोगुणानां त्रयाणामुपचयापचयसाम्यानि क्रमशः पुंस्त्व-स्त्रीत्व-नपुंसकत्वानीत्याहुः । अन्ये तु—सत्त्वादि गुणानां मध्ये कस्यचिद्गुणस्योपचयः पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वं, साम्यं नपुंसकत्वम्, न तु गुणत्रयस्य । तत्साम्ये प्रलयस्यैव सिद्धान्तितत्वादिति वदन्ति । परे तु—साम्यं न नपुंसकत्वमपि तु स्थितिः । अत एव यत्र त्रयाणामपि गुणानां वैषम्यं तत्रापि नपुंसकत्वमुपपद्यते इत्याहुः ।

वस्तुतस्तु सत्त्वरजस्तमोगुणानां मध्ये कस्यचिद्गुणस्योपचयांशः पुंस्त्वमपचयांशः स्त्रीत्वमिति सम्यगेव । नपुंसकता तु तत्र कस्यचिद्गुणस्य साम्यावस्था अर्थात् उपचयापचयराहित्येन समपरिणामः । तथा चोक्तं सरूपसूत्रभाष्यप्रदीपे कैयटेन—

"गुणानां सत्त्वरजस्तमःपरिणामरूपाणां शब्दादीनां वृद्धिह्रासमध्यमावस्थाः शब्दैकगोचरा लिङ्गत्वेन परिगृह्यन्ते" इति ।

अस्यायं भावः—सांख्यसिद्धान्तानुसारेण सर्वे पदार्थाः प्रतिक्षणपरिणामिगुणत्रयसंघातरूपा ऋते पुरुषात् । तत्र कस्यचिद्वृद्धिरूपः परिणामः, कस्यचित् ह्रासरूपः, कस्यचित्तु वृद्धिह्रासराहित्येन समपरिणामो दीपवन्नियतः । एतादृशगुणपरिणामा एव तत्तच्छब्दमात्रवेद्याः सूक्ष्मत्वात्प्रमाणान्तरेण दुरधिगमा लिङ्गत्वेन स्वीक्रियन्ते वैयाकरणैः । तेन 'रामस्य दारा मैथिली कुलरत्नमि'ति एकस्मिन् मैथिलीपदार्थे युगपत् पुंस्त्वस्त्रीत्वनपुंसकत्वानां त्रयाणामपि लिङ्गानां भानम् । लौकिकलिङ्गपरिग्रहे तु तादृशपुंस्त्वादीनामेकत्र समावेशासंभवात् तदनुपपत्तिः । तटादिषु च कस्यापि तादृशलिङ्गस्यासद्भावेन तटी तटमित्यादौ तत्प्रयुक्तशास्त्रीयकार्यमशक्यमेव स्यादिति ।

अत्रायं निष्कर्षः—सत्त्वादिगुणपरिणामाः शास्त्रीयलिङ्गम् । तद्विशेषो वृद्धिपरिणामः पुंस्त्वम् । ह्रासपरिणामः स्त्रीत्वम् । समतया परिणामो नपुंसकत्वम् । गुणपरिणामसामान्यधर्मो लिङ्गत्वम् । तद्व्याप्यानि तु पुंस्त्वत्वादीनीति ।

ननु यदा सत्त्वादिगुणानां त्रयाणामप्युपचयपरिणाम एव, न कस्याप्यपचयपरिणामो न वा समपरिणामस्तदा अपचयरूपस्त्रीत्वाभावात् साम्यपरिणतिरूपनपुंसकत्वविरहाच्च तत्र तदा इयं व्यक्तिरिति इदं वस्त्विति च व्यवहारस्यानुपपत्तिरिति चेत्—न । न ह्येकदा त्रयोऽपि गुणा उपचीयन्तेऽपचीयन्ते वा, किन्तु यदैको गुण उपचीयते तदाऽपरः कश्चिद्गुणोऽपचयं यात्येव । तृतीयस्तु कश्चित् सम एवावतिष्ठते इति नियमात् ।

इत्थमेव गुणपरिणतिर्नान्यथेति कथमवधारणीयमिति चेत्—पदार्थतत्त्वविदो मुनेर्महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेर्वचनादिति गृहाण। उक्तं हि तेन सरूपसूत्रे—"तच्चोभयं सर्वत्र" इति। उपचयापचयोभयं सर्वत्र पदार्थे वर्तते इति तदर्थः। यदि तु कदाचित् कुत्रचिद्वस्तुनि सकलगुणानामुपचय एवापचय एव वा स्यात् तदा उभयं सर्वत्रेति कथनमसंगतं भवेत्।

नन्वेतावतापि गुणोपचयापचययोरेव सार्वत्रिकत्वं प्रमाणीकृतं भवति न पुनः साम्येन गुणपरिणतिरूपनपुंसकत्वस्य। तथा च कदाचित् साम्येन परिणतिविरह-दशायां तत्र 'इदं वस्तु' इतिव्यवहारानुपपत्तिरिति चेत्—अत्रोच्यते–समपरिणामोऽपि सार्वत्रिक इत्यपि भाष्यकारोक्त्यैव गम्यते। उक्तं हि तत्रैव भाष्ये—

"यद्युभयं सर्वत्र, कथं लिङ्गव्यवस्था ? विवक्षातः। उपचयविवक्षायां पुमान्। अपचयविवक्षायां स्त्री। उभयोरप्यविवक्षायां नपुंसकम्" इति।

अस्यायमभिसन्धिः—वक्त्रा विवक्षितोऽर्थस्तद्बोधजशब्देन प्रत्याय्यते। तत्त-दर्थबोधकता तु शब्दानां नियता। अतो यदाऽर्थे उपचयांशो विवक्षितस्तदा तद्बोध-कपदार्थादिशब्देन स एव बोध्यते। यदा चापचय एव विवक्षितस्तदा तद्बोधकव्यक्त्या-दिशब्देन स एव प्रत्याय्यते। यदा पुनरेतदुभयं न विवक्ष्यते अपि तु साम्येन परिणाम एव विवक्षितो भवति तदा तद्बोधकवस्त्वादिशब्देन तदेव (नपुंसकत्वमेव) बोध्यते। एवञ्च सर्वत्र सर्वलिङ्गसत्त्वेऽपि तद्व्यवस्थेति।

यद्यपि साम्यविवक्षायां नपुंसकमिति स्पष्टं नोक्तं भाष्ये तथापि "गुणानां वृद्धिह्रासमध्यमावस्था लिङ्गत्वेन परिगृह्यन्ते" इति कैयटव्याख्यानुसारेण तत्रैव भाष्य-तात्पर्यं लभ्यते। किञ्च यज्जातीयं पुंस्त्वं स्त्रीत्वं च नपुंसकत्वेनापि तज्जातीयेनैव भाव्यम्। तथा च पुंस्त्वस्त्रीत्वे यदि गुणपरिणतिरूपे तर्हि नपुंसकत्वस्यापि गुणपरि-णामरूपतैवोचिता। गुणपरिणामाश्चोपचयापचयसाम्यरूपा एवेति युक्तं नपुंसकत्वस्य गुणसाम्यावस्थारूपत्वम्।

अत्रेदं बोध्यम्—सांख्यदर्शने प्रकृतिः पुरुषश्च द्वावेव पदार्थौ। तत्र सत्त्वरजस्त-मोगुणत्रयात्मिका प्रकृतिः। सा च प्रतिक्षणपरिणामिनी। तत एव पुरुषभिन्नं सर्वमेव विश्वमुत्पद्यते। अतः कार्यकारणयोरभेदोपगमेन समस्तं जगत् त्रिगुणात्मकम् पुरुषस्त्व-परिणामी चेतनश्चेति सिद्धान्तः।

वैयाकरणाश्च व्याकरणप्रक्रियानिर्वाहाय सांख्यमतमनुसृत्य तन्मते स्थितानेव गुणपरिणामान् लिङ्गपदेन, तद्विशेषांश्च वृद्धिह्राससाम्यपरिणामान् क्रमशः पुंस्त्वस्त्रीत्व-नपुंसकत्वशब्दैः तद्गतजातिविशेषांश्च पुंस्त्वत्वादिशब्दैः परिभाषन्ते स्म।

न्यायादिदर्शनप्रवर्तकाचार्यास्तु व्याकरणतो वा स्वयमेव वा परिशुद्धां देव-वाणीमवगतवन्तो व्यवजह्रुरिति प्रयोजनविरहेण लिङ्गनिरूपणेषूदासीना एव।

एतेन न्यायादिनये पदार्थानां सत्त्वादिगुणात्मकत्वानङ्गीकारेण तन्मते किन्नाम शास्त्रीयलिङ्गमिति शङ्का समाहिता।

आत्मादिपदार्थे आरोपितमेव पुंस्त्वादि

नन्वेवमपि आत्मनां सांख्यसिद्धान्तानुसारेणापि सत्त्वादिगुणानात्मकत्वेन तत्रोक्तपुंस्त्वाद्यभावात् "सर्वानात्मनो नित्यानवेहि। नित्यानन्दघना चिदेव परं ब्रह्म" इत्यादौ पुंस्त्वादिनिमित्ता नत्वस्त्रीप्रत्ययाम्लुकः कथं प्रवर्त्तन्ताम्? उच्यते—तत्र पुंस्त्वाद्यारोपादेव तन्निमित्तकविधयः प्रवर्तन्ते। यथारोपितमपि बहुत्वमाश्रित्य दारलाजादिषु नामलिङ्गानुशासनकोषबोधितनित्यबहुत्वसंख्यावाचकत्वेषु 'बहुषु बहुवचनमि'ति शास्त्रप्रवृत्तिः तथा कोषादिबोधितनित्यलिङ्गकचिदादिशब्देष्वपि आरोपितलिङ्गमाश्रित्य शास्त्रप्रवृत्तेः स्वीकारात्।

पुमादिशब्दव्युत्पत्तिः

'पूञो डुम्सुन्' इत्यौणादिकसूत्रेण पुनातीति विग्रहे 'पुन्स्'शब्दः सिद्धः, तस्य पुमान् पुमांसावित्यादीनि विभक्त्यन्तरूपाणि। तत्र पुनातीति विग्रहमात्रम्'न तु तदर्थानुगमः। अस्य प्रवृत्तिनिमित्तं हि प्रोक्तलक्षणं लौकिकं शास्त्रीयं च पुंस्त्वम्, 'अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यत् प्रवृत्तिनिमित्तमि'त्युक्तत्वात्।

सरूपसूत्रे भाष्ये तु "लोके कर्तृसाधनः सूते इति पुमान्, सूतेः सप्" इत्युक्तम्। एतदनुसारेण सूधातोः कर्तरि डुम्सुनि धातोः सकारस्य पकारादेशे च 'पुम्स्'शब्दः सिद्ध्यतीति लभ्यते। तत्र सूते इत्यस्य "योनिरूपे आधारे शुक्रं त्यजतीत्यर्थ" इत्युद्द्योते नागेशः। परन्त्वेवं साधनेऽपि पुम्स्शब्दस्य पूर्वोक्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तं मन्तव्य न तु शुक्रत्यागकर्तृत्वम्, अत एव बालेपि पुमानयमिति व्यवहारः।

स्त्रीशब्दस्तु संघातार्थकस्य स्त्यैधातोरधिकरणे ड्रटि सिद्धः। स्त्यायतः संघीभवतः शुक्ररजसी यस्यां सा स्त्रीति विग्रहः। अस्यापि पूर्वोक्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यम्।

नपुंसकशब्दव्युत्पत्तिस्तु न स्त्री पुमानिति न भ्राडित्यादिसूत्रेण निपातनात् स्त्रीपुंसस्य पुंसकादेशः प्रकृतिभावान्नलोपाभावः। अस्यापि पूर्वोक्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यम् ॥ ७–८ ॥

शास्त्रीय पुंस्त्व आदि लिङ्गों के लक्षण

सांख्य दर्शन में प्रसिद्ध सत्त्व आदि का परिणाम लिङ्ग माना गया है। शास्त्र के द्वारा उसकी जानकारी होने के कारण वह शास्त्रीय लिङ्ग कहा जाता है। उसमें सत्त्व आदि गुणों का जो उपचयन भाग है, वह पुंस्त्व, (उन गुणों का) अपचय भाग स्त्रीत्व एवं (उन गुणों का) साम्य क्लीबत्व कहा जाता है। इसे केवल शास्त्रीय कार्य के लिए वैयाकरणों ने शास्त्रीय लिङ्ग के रूप में माना है ॥ ७–८ ॥

पुमादिशब्दप्रयोगविचारः

क्वचिद्धर्मपराः क्वापि स्वार्थबोधकलक्षकाः ।
पुमादिशब्दा विज्ञेयाः क्वचिद्धर्मिसमर्पकाः ॥ ९ ॥
पुंलिङ्गादौ धर्मपराः परिज्ञेयाः पुमादयः ।
'पुमान् पाप्मे'त्यादिवाक्ये स्वार्थबोधकलक्षकाः ॥ १० ॥

पुंस्त्रीनपुंसकशब्दाः पुंस्त्वादिधर्मविशिष्टशक्ताः । ते च क्वचित् धर्ममात्रबोधतात्पर्येण प्रयुज्यन्ते । यथा 'घटशब्दः पुंलिङ्गः, 'गङ्गाशब्दः स्त्रीलिङ्गः', 'धनशब्दो नपुंसकलिङ्ग' इति । एषु लिङ्गपदार्थे सामानाधिकरण्येनान्वितार्थकत्वात् पुमादयः शब्दा लक्षणया धर्ममात्रबोधकाः पुंस्त्वं लिङ्गमर्थो यस्य स इत्यादिबोधात् ।

क्वचित् स्वार्थबोधकतात्पर्येण प्रयुज्यन्ते; यथा 'पुमान् पाप्मा', 'सुमनसः स्त्रिय' इति । अत्र हि पुमानित्यादयः पुमाद्यर्थबोधकपराः, पाप्मशब्दः पुंस्त्वविशिष्टार्थबोधकः, सुमनश्शब्दः स्त्रीत्वविशिष्टार्थबोधक इत्यादिबोधात्, शास्त्रीयमपि लिङ्गमर्थनिष्ठमेवेति वक्ष्यमाणतया यथाश्रुतार्थपरत्वायोगात् कोषस्थशब्दानां च शब्दपरत्वात् ॥ ९–१० ॥

"ब्राह्मणोऽयम्" "ब्राह्मणीयम्" आदि वाक्यों में शब्द की शक्ति से प्रतीत होने वाला भी लौकिक लिङ्ग, तस्माच्छसो नः पुंसि, स्त्रियाम्, स्वमोर्नपुंसकात् आदि व्याकरण के शास्त्रों (सूत्रों) में निमित्त रूप से गृहीत नहीं हैं, क्योंकि घट शब्द में वैसे लिङ्ग के न रहने से 'तस्माच्छसो नः' सूत्र से नादेश खट्व शब्द में वैसे लिङ्ग के न रहने से टाप् प्रत्यय एवं मधु शब्द में न रहने से स्वमोर्नपुंसकात् सूत्र से लुक् आदि के अभाव का प्रसङ्ग होने लगेगा । वहाँ उन लौकिक लिङ्गों से विलक्षण कुछ दूसरे ही (शास्त्रीय लिङ्ग) माने जाते हैं । "सरूपाणामेकशेषः" सूत्र के भाष्य में कहा गया है—"वैयाकरणों द्वारा लौकिकलिङ्ग का आश्रयण नहीं किया जा सकता, उन्हें लिङ्ग के सम्बन्ध में कुछ अपने सिद्धान्त अवश्य स्थिर कर लेना चाहिए । वह कौन-सा अपना सिद्धान्त है । इस जिज्ञासा में कहा गया है—संस्त्यान एवं प्रसव लिङ्ग होते हैं ।"

उसका अर्थ है—संस्त्यान = सत्व आदि गुणों का उपचय रूप परिणाम, तथा प्रसव = उन गुणों के अपचय रूप परिणाम । ये दोनों लिङ्ग वैयाकरणों के लिए शास्त्रों (सूत्रों) में निमित्त रूप से आश्रयणीय है ।

वहाँ उपचय पुंस्त्व लिङ्ग है तथा अपचय स्त्रीत्व लिङ्ग है ऐसा विचार किया गया है । इस तरह शास्त्रीय पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व का निरूपण किया गया है ।

अब प्रश्न होता है कि शास्त्रीय नपुंसक लिङ्ग क्या है ? इसके सम्बन्ध में कुछ लोगों का कथन है—"सत्व रज एवं तम तीनों गुणों के क्रमशः उपचय-पुंस्त्व, अपचय-स्त्रीत्व एवं साम्य नपुंसकत्व है ।" कुछ अन्य लोगों की राय है कि सत्त्व आदि गुणों में से किसी

(एक) गुण के उपचय को पुंस्त्व, किसी भी गुण के अपचय को स्त्रीत्व तथा कुछ गुणों का साम्य नपुंसकत्व होता है; तीनों गुणों का नहीं। तीनों गुणों के साम्य होने पर तो प्रलय होना ही सिद्धान्तित है। कतिपय आचार्यों की राय में साम्य नपुंसकत्व नहीं है, वह तो स्थिति है। अतएव जहाँ तीनों गुणों की विषमता होती है वहाँ भी नपुंसकत्व होता है।

वस्तुतः सत्व, रज एवं तम गुणों में से किसी गुण का उपचयांशपुंस्त्व और अपचय का अंश स्त्रीत्व है। यही कहना समुचित है। उसमें नपुंसकत्व तो किसी गुण का साम्यावस्था, अर्थात् उपचय एवं अपचय से राहित्य रूप समपरिणाम है। जैसा कि "सरूपाणामेकशेष" सूत्र के भाष्य की अपनी प्रदीप टीका में कैयट ने कहा है—"गुणों के सत्त्व, रज एवं तम के परिणामरूप शब्द आदि की वृद्धि, ह्रास एवं साम्य अवस्थायें जो एकमात्र शब्द के ही विषय हैं लिङ्ग के रूप में गृहीत होती हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि सांख्यदर्शन के सिद्धान्त के अनुसार पुरुष के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिणामी एवं तीनों गुणों के संघातरूप होते हैं। उसमें किसी वृद्धिरूप परिणाम, किसी का ह्रास रूप परिणाम तथा किसी का वृद्धि एवं ह्रास से रहित समपरिणाम होता है, जो दीप के समान नियत है। इस तरह के गुणों के परिणाम हो उन-उन शब्दों से ही समझने योग्य होते हैं। वे सूक्ष्म होने के कारण दूसरे प्रमाणों से दुरधिगम्य होते हैं, जिन्हें वैयाकरण लिङ्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे राम की दारा मैथिली कुलरत्न है, इस एक ही वाक्य में मैथिली पदार्थ में एक हो काल में दारारूप से पुंस्त्व मैथिलीरूप से स्त्रीत्व एवं कुलरत्नरूप से नपुंसकत्व इन तीनों लिङ्गों का भान होता है। लौकिक लिङ्ग को स्वीकार करने पर तो लौकिक पुंस्त्व आदि का एक जगह समावेश असम्भव होने के कारण एक काल में एक जगह तीनों लिङ्गों का होना युक्त नहीं होता। तट आदि शब्दों में तो किसी भी लौकिक लिङ्ग का सद्भाव (प्रवृत्ति) न रहने से तटी तटम् आदि प्रयोगों में लौकिक लिङ्ग प्रयुक्त शास्त्रीय कार्य नहीं हो सकेगा।

यहाँ निष्कर्ष यह है कि सत्त्व आदि गुणों का परिणाम शास्त्रीय लिङ्ग है। उसका विशेष वृद्धि परिणाम पुंस्त्व है, ह्रास परिणाम स्त्रीत्व और समता का परिणाम नपुंसकत्व है। गुण परिणाम का सामान्य धर्म लिङ्गत्व है और पुंस्त्वत्व आदि उसके व्याप्य होते हैं।

अब प्रश्न होता है कि जब सत्त्व आदि तीनों गुणों का उपचय परिणाम ही होगा, किसी का अपचय परिणाम या समपरिणाम नहीं होगा तब तो अपचयरूप स्त्रीत्व के न रहने तथा साम्य परिणामरूप नपुंसकत्व के न रहने से उस समय इयं व्यक्ति तथा इदं वस्तु इस तरह के व्यवहार की अनुपपत्ति हो जायेगी। इसके समाधान में कहा गया है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक समय तीनों गुण न बढ़ते हैं, न घटते हैं। जब एक गुण की वृद्धि (उपचय) होती है, तब दूसरा गुण अपचय (ह्रास) की स्थिति में जाता ही है। उस समय तीसरा कोई सम स्थिति में रहता है, ऐसा नियम है। (इसलिए व्यक्ति के रूप में स्त्रीत्व एवं वस्तु के रूप में नपुंसकत्व व्यवहार में कोई बाधा नहीं होती है)।

इसी तरह गुण की परिणति होती है, अन्य विधि से नहीं, इसे कैसे मान लिया जाय ? इसके समाधान में कहा गया है कि पदार्थतत्त्व को जानने वाले महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि के वचन से उसका निर्धारण किया जाय। उन्होंने "सरूपाणामेकशेषः" इस सूत्र के भाष्य में कहा है—वे दोनों तो सब जगह होते हैं अर्थात् उपचय एवं अपचय दोनों सब जगह पदार्थ में विद्यमान हैं। यदि कभी किसी वस्तु में सभी गुणों का उपचय ही होता अथवा अपचय ही हो होता, तो "उभयं सर्वत्र" यह भाष्य का कथन असंगत हो जाता।

प्रश्न है कि ऐसा मानने पर भी गुणों का उपचय एवं अपचय ही सार्वत्रिक रूपमें प्रमाणित होता है, साम्य रूप से गुण की परिणति रूप नपुंसकत्व प्रमाणित नहीं होता है। उस तरह कभी समतारूप परिणति की विरह दशा में वहाँ "इदं वस्तु" इस रूप में नपुंसकत्व व्यवहार की अनुपपत्ति होने लगी। ऐसी शंका होने पर कहा जाता है कि समपरिणाम भी सार्वत्रिक है। यह भी महाभाष्यकार की उक्ति से ही समझा जाता है। भाष्य में कहा गया है—"यदि गुणों के उपचय एवं अपचयरूप दोनों परिणाम सार्वत्रिक हैं तो लिङ्ग की व्यवस्था कैसे होती है ? उत्तर है कि विवक्षा से व्यवस्था होती है। उपचय की विवक्षा रहने पर पुरुष समझा जाता है, अपचय को विवक्षा रहने पर स्त्री समझी जाती है, और उपचय एवं अपचय, दोनों की विवक्षा न रहने पर नपुंसक समझा जाता है। (इस तरह "इदं वस्तु" शब्द से व्यवहार भो युक्त होता है)।

इसका यहाँ इस प्रकार समन्वय होता है—वक्ता द्वारा विवक्षित अर्थ, उस अर्थ के बोधक शब्द से समझा जाता हैं। शब्दों की उस-उस अर्थ की बोधकता तो नियत ही रहती है। इसलिए जब अर्थ में गुणों का उपचय अंश विवक्षित रहता है तब उस अर्थ के बोधक पदार्थ आदि शब्दों से वही समझा जाता है। इसी तरह जब अपचय ही विवक्षित रहता है तब उसके बोधक व्यक्ति आदि शब्द से वही समझा जाता है। जब फिर उपचय या अपचय दोनों विवक्षित न रहते हैं किन्तु साम्यरूप से परिणति ही विवक्षित रहती है तब उसके बोधक वस्तु आदि शब्द से नपुंसकत्व ही समझा जाता है। इस तरह सब जगह सभी लिङ्गों के रहने पर भी लिङ्ग की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि साम्यविवक्षा रहने पर नपुंसक होता है, यह भाष्य में स्पष्ट नहीं कहा गया है। तथापि—"गुणों के वृद्धि, ह्रास एवं मध्यम अवस्था लिङ्गत्व के रूप में परिगृहीत होती हैं" कैयट के इस व्याख्या के अनुसार भाष्य का तात्पर्य उसी रूप में समझा जाता है। दूसरी बात है कि जिस जातीय का पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व होगा, उसी जातीय वाला नपुंसकत्व को भी होना चाहिये। इस तरह यदि पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व गुण के परिणति रूप होंगे तो नपुंसकत्व को भी गुण के परिणति रूप होना ही उचित है। गुण के परिणाम तो उपचय, अपचय एवं साम्य रूप में ही होते हैं। अतः नपुंसकत्व को साम्यावस्था रूप में होना ही युक्त है।

यहाँ यह समझना चाहिए कि सांख्यदर्शन में प्रकृति एवं पुरुष दो हो मूल पदार्थ मान्य हैं। वहाँ सत्त्व, रजस् एवं तमस् इन तीन गुणों वाली (त्रिगुणात्मिका) प्रकृति होती है। वह (प्रकृति) प्रतिक्षण परिणाम वाली होती है। पुरुष से भिन्न सम्पूर्ण विश्व उसी से उत्पन्न

होता है। अतः कार्य एवं कारण में अभेद मानने पर समस्त जगत् त्रिगुणात्मक है, पुरुष तो अपरिणामी एवं चेतन है। यह सिद्धान्तरूप में स्वीकृत है।

वैयाकरणों ने व्याकरण की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए सांख्य के मत का अनुसरण कर उनके मत में माने गये गुणों के परिणामों को ही लिङ्ग पद से, तथा उनके (विशेष रूप) वृद्धि, ह्रास एवं साम्य परिणामों को क्रमशः पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व शब्दों से और उनमें रहने वाले जाति विशेष को पुंस्त्व आदि शब्दों से परिभाषित किया है।

न्याय आदि दर्शनों के प्रवर्त्तक आचार्यों ने तो व्याकरण के द्वारा या स्वयं ही परिशुद्ध देववाणी का ज्ञान प्राप्त कर उसका व्यवहार किया, इस तरह प्रयोजन के विरह से (आवश्यकता न रहने से) लिङ्गों के निरूपण में उदासीन ही रहे। इस स्पष्टीकरण से न्याय आदि के मत में पदार्थ, सत्त्व आदि गुण रूप हैं, इसे नहीं माना गया है, अतः उनके मत में शास्त्रीय लिङ्ग क्या है? इस शङ्का का समाधान हो गया।

आत्मा आदि पदार्थ में पुंस्त्व आदि आरोपित ही होते हैं

प्रश्न उठता है कि इस तरह व्यवस्था होने पर भी आत्मन आदि के सांख्य के सिद्धान्त के अनुसार भी सत्त्व आदि गुणात्मक न होने से वहाँ बनाये गये पुंस्त्व आदि के अभाव होने के कारण "सर्वानात्मनो नित्यानवेहि" इस वाक्य में पुंस्त्व के अभाव होने के कारण "तस्माच्छसो नः पुंसि" इस सूत्र से नत्व कैसे होगा? तथा "नित्यानन्दघना" इसमें स्त्रीत्व के अभाव के कारण स्त्री प्रत्यय तथा "चिदेव परं ब्रह्म" यहाँ नपुंसकत्व के अभाव के कारण "स्वमोर्नपुंसकात्" सूत्र से अम् का लुक् कैसे प्रवृत्त होंगे? इसके उत्तर में कहा जाता है कि वहाँ पुंस्त्व आदि के आरोप के कारण ही उनको निमित्त मानकर होने वाले विधि प्रवृत्त होते हैं। जैसे आरोपित भी बहुत्व मानकर दारा एवं लाजा आदि शब्दों में नामलिङ्गानुशासन कोष से बोधित नित्यबहुत्व संख्यावाचक शब्दों में "बहुषु बहुवचनम्" इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। उसी तरह कोष आदि से बोधित नित्य लिङ्ग वाले चित् आदि शब्दों में भी आरोपित लिङ्ग का आश्रयण कर शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। (इसलिए शास्त्रों की प्रवृत्ति आरोपित लिङ्ग का आश्रयण कर हो जायेगी)।

पुम् आदि शब्दों की व्युत्पत्ति

पूञो डुम्सुन् इस उणादि के सूत्र से पुनाति इस विग्रह में पुम्स् शब्द सिद्ध होता है, उसके पुमान् पुमांसौ आदि रूप में विभक्त्यन्त रूप होते हैं। वहाँ पुनाति ऐसा विग्रहमात्र होता है, उसके अर्थ का अनुमान नहीं होता। क्योंकि इसका प्रवृत्तिनिमित्त जैसा लक्षण बताया गया है, उस लक्षण वाला लौकिक एवं शास्त्रीय पुंस्त्व है। अभियुक्तों ने बताया है कि शब्दों की व्युत्पत्ति में निमित्त दूसरा होता है और प्रवृत्ति में निमित्त उससे भिन्न दूसरा ही होता है।

'सरूपाणामेकशेषः' सूत्र के भाष्य में तो कहा गया है कि लोके सूते विग्रह में कर्ता (अर्थ) सू धातु से सप् प्रत्यय कर पुमान् बनता है। उसके अनुसार सू धातु से कर्त्ता अर्थ में डुम्सुन् औणादिक प्रत्यय होता है और धातु के सकार का पकार आदेश होने पर पुम्स् शब्द

सिद्ध होता है। वहाँ सूते का नागेश ने उद्योत टीका में अर्थ किया है कि योनिरूप आधार में शुक्र (वीर्य) का त्यग करता है। परन्तु इस तरह के साधन में भी पुम्स् शब्द प्रवृत्ति निमित्ता प्रतिपादित पुंस्त्व ही मानना चाहिए। शुक्रत्याग कर्तृत्व रूप प्रवृत्ति निमित्त नहीं मानना चाहिए। इसीलिए बालक में भी "यह पुरुष है", ऐसा व्यवहार होता है। स्त्रीशब्द तो संघात अर्थवाले स्त्यै धातु से अधिकरण में ड्रट् प्रत्यय होने पर सिद्ध होता है। सत्यायतः संघ के रूप में होते है। शुक्र रजसी = वोर्य एवं रज, यस्याम् = जिसमें वह स्त्री है, ऐसा वहाँ विग्रह होता है। इसका प्रवृत्ति निमित्त भी स्त्रीत्व ही होता है ऐसा समझना चाहिए।

नपुंसक शब्द की तो व्युत्पत्ति है—न स्त्री पुमान्। वहाँ न भ्राट् सूता से स्त्री एवं पुंस के स्थान में 'पुंसक' यह निपातन से आदेश होता है तथा प्रकृतिभाव होने के कारण न का लोप नहीं होता है। इसका भी पूर्वोक्त नपुंसकत्व ही प्रवृत्ति निमित्त समझना चाहिए।

पुमादि शब्दों का प्रयोग सम्बन्धी विचार

पुम् आदि शब्दों को कहीं धर्मपरक, कहीं स्वार्थ के बोधक या लक्षक तथा कहीं धर्मी के समर्पक रूप में समझना चाहिए। पुंलिङ्ग में (रहने वाले) पुम् आदि शब्दों को धर्मपरक तथा पुमान् एवं पाप्मा आदि शब्दों में अपने अर्थ के बोधक या लक्षक रूप में मानना चाहिए ॥९-१०॥

यद्वा पङ्कादयस्तत्तत्पदार्थत्वेन बोधकाः।
पुमानित्यादिशब्दानां श्रुतार्थपरता ततः ॥ ११ ॥
'पुमानयं जनः', 'स्त्रीयं व्यक्ति'रित्यादिवाक्यगाः।
धर्मिणं ब्रुवते स्वार्थं लक्षणाऽपेक्षणाद्विना ॥ १२ ॥

यद्वा कोषे शब्दा अर्थपरा इति शेखरकृतोक्तत्वात् पङ्कपदार्थाभिन्नः पाप्मपदार्थ इति बोधः। तत्र पङ्कपदार्थे अस्त्रीत्यभेदेनान्वेति, पाप्मपदार्थे च पुमानिति। एवञ्च स्त्रीत्वविशिष्टभिन्नाभिन्नपङ्कपदार्थाभिन्नः पुंस्त्वविशिष्टाभिन्नपाप्मपदार्थ इति बोधात् स्त्रीपुमादिपदं यथाश्रुतार्थपरमपि संभवति।

एतच्च पुमादिशब्दस्य प्रथमान्तत्वे, सप्तम्यन्तत्वे तु 'पुंसि क्लीबे च काकोल-कालकूटहलाहला" इत्यादौ काकोलादयः शब्दपरा एव। तथा च काकोलादयः शब्दाः पुंसि (पुंस्त्वविशिष्टेऽर्थे) क्लीबे क्लीबत्वविशिष्टे च शक्ताः पर्याया इति बोधः।

क्वचित्तु पुमादयः स्वार्थपरा एव। यथा अयं पुमान् इयं स्त्रीति अत्र च न लक्षणाऽपेक्षितेति ॥ ११-१२ ॥

पुम्, स्त्री एवं नपुंसक शब्द पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व रूप धर्मविशिष्ट में शक्त हैं। वे कहीं पर धर्म मात्र के बोध के तात्पर्य से प्रयुक्त होते हैं। जैसे—घट शब्द पुंलिङ्ग है, गङ्गा शब्द स्त्रीलिङ्ग है और घन शब्द नपुंसक लिङ्ग है। इन वाक्यों में लिङ्ग पदार्थ में

सामनाधिकरण्य रूप से अन्वित अर्थ वाले होने के कारण पुम् आदि शब्द लक्षणा शक्ति से धर्म के बोधक होते हैं, क्योंकि पुंस्त्व लिङ्ग अर्थ है जिसका वह पुंलिङ्ग है इस रूप में वहाँ बोध होता है। (इसी तरह स्त्रीलिङ्ग एवं नपुंसक लिङ्ग शब्दों से भी बोध होता है)।

कहीं वे शब्द अपने अर्थ का बोध कराने के तात्पर्य से प्रयुक्त होते हैं। जैसे—पुमान् पाप्मा एवं सुमनसः स्त्रियः आदि। यहाँ पुमान् आदि शब्द पुम् आदि अर्थों के बोधक हैं। तथा पाप्म शब्द पुंस्त्वविशिष्ट अर्थ का बोधक है। सुमनस् शब्द स्त्रीत्वविशिष्ट अर्थ का बोधक है। ऐसा समझा जाता है। शास्त्रीय लिङ्ग भी अर्थनिष्ठ ही होता है, ऐसा कहा जाने वाला है इसलिए यथाश्रुत अर्थपरक होना युक्त नहीं होगा। कोष के शब्द भी शब्द-परक होते हैं।

अथवा पङ्क आदि शब्द उन-उन पदार्थत्व के (रूप में) बोधक होते हैं। इसलिए पुमान् आदि शब्द श्रुत अर्थपरक होते हैं। यह जन पुरुष है तथा यह व्यक्ति स्त्री है इत्यादि वाक्यों में रहने वाले वे शब्द लक्षणा के अपेक्षा के बिना ही धर्मी रूप स्वार्थ को बताते हैं।

"कोष में शब्द अर्थपरक होता है" ऐसा लघुशब्देन्दुकार नागेश ने बताया हैं इसके अनुसार देखा जाय, तो पङ्क पदार्थ से अभिन्न पाप्म पदार्थ है इस रूप में अर्थ बोध होता है। वहाँ पङ्क पदार्थ में स्त्री यह अभेद सम्बन्ध से अन्वित होता है और पाप्म पदार्थ से पुमान् अभेद सम्बन्ध अन्वित होता है। यह पुम् आदि शब्दों के प्रथमान्त रहने पर होता है, ससम्यन्त रहने पर तो "पुलिङ्ग एवं नपुंसक लिङ्ग में काकोल, कालकूट एवं हलाहल शब्द होते हैं, इस कोष में तो काकोल आदि शब्दपरक ही होते हैं। उस वाक्य से उस तरह काकोल आदि शब्द पुंसि—अर्थात् पुंस्त्वविशिष्ट अर्थ में तथा क्लीबे अर्थात् क्लीबत्वविशिष्ट अर्थ में शक्त पर्याय हैं ऐसा बोध होता है।

कहीं तो पुम् आदि शब्द स्वार्थपरक ही होते हैं। जैसे यह पुमान् है, यह स्त्री है। इन लक्षणा की अपेक्षा उस अर्थ के बोध के लिए नहीं होतो है ॥ ११-१२ ॥

पुंलिङ्गशब्दादेर्विग्रहः

अथ "पुंलिङ्गो घटशब्दः" इत्यत्र पुंलिङ्ग इति बहुव्रीहेः को विग्रहः ? न तावत् पुमान् लिङ्गं यस्य स इति, पुंस्त्वादिरूपे लिङ्गपदार्थे पुंस्त्वविशिष्टार्थाभेदस्य बाधितत्वात्। नापि पुंशब्दस्य धर्मपरत्वमङ्गीकृत्य पुमान् नाम पुंस्त्वं लिङ्गं यस्येति विग्रहः कर्तुं शक्यः, षष्ठ्यर्थबहुव्रीहेः स्वस्वामिभावाधाराधेयभावादिकतिपयनियतसम्बन्धेनैव सम्बन्धिनोऽन्यपदार्थस्य बोधने सामर्थ्यात्, वाचकत्वसम्बन्धेन सम्बन्धिनमन्यपदार्थं बोधयितुमसामर्थ्यात्। अत एव कृष्णकलसशब्दो नीलघट इति न प्रयोगः नीलो घटो यस्येति विग्रहकनीलघटरूपबहुव्रीहेर्नीलघटार्थक इति बोधाजननात्।

अत्रायं प्रपञ्चः—अनेकमन्येति बहुव्रीहिविषयेऽयं नियमः स्वलौकिकविग्रहीभूतं यद्वाक्यं स्वघटकया यं येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्निति द्वितीयादिविभक्त्या स्वघटकैकप्रथमान्तपदार्थान्वयियदपरपदार्थानुयोगिकं यं सम्बन्धं प्रतिपादयितुमीष्टे तत्प्रति-

योगिकतत्सम्बन्धवत्यन्यपदार्थे बहुव्रीहिर्भवतीति। तद्यथा पीताम्बर इति बहुव्रीहेः पीतमम्बरं यस्य स इति लौकिकविग्रहवाक्यम्, तच्च स्वघटकयस्येति षष्ठ्या स्वघटक-पीतमिति प्रथमान्तपदार्थान्वय्यम्बरमिति प्रथमान्तपदार्थानुयोगिकं संयोगसम्बन्धं बोधयितुं शक्नोति। अतोऽम्बरपदार्थप्रतियोगिकसंयोगसम्बन्धवति हरावन्यपदार्थे बहुव्रीहिर्जायते पीताम्बर इति।

एवं चित्रो गौर्यस्येति लौकिकविग्रहवाक्यं स्वघटकयस्येतिषष्ठ्या चित्रान्वयि-गवानुयोगिकं स्वस्वामिभावरूपं सम्बन्धं बोधयितुमीष्टे। अतो गोप्रतियोगिकतत्सम्बन्ध-वति चैत्ररूपेऽन्यपदार्थे चित्रगुरिति भवति बहुव्रीहिः।

एवं यं प्राप्तो ग्रामः स इति विग्रहवाक्यं स्वघटकया यमितिद्वितीयया स्वघटक-ग्रामपदार्थान्वयिप्राप्तपदार्थैकदेशप्राप्त्यनुयोगिकं कर्मतासम्बन्धं बोधयति, वैयाकरणमते पदार्थभूतस्यापि विभक्त्यर्थस्य सम्बन्धविधया भानोपगमात्। अतः प्राप्तिप्रतियोगिक-कर्मतासम्बन्धेन सम्बन्धिन्यन्यपदार्थे प्राप्तग्राम इति बहुव्रीहिः, एवं घटो विषयो यस्येति विग्रहको घटविषयको बोध इति भवति प्रयोगः, न पुनःनील घटो बोध इति, नीलो घटो यस्येति विग्रहस्य कर्तुमशक्यत्वात्। तस्मात् पुंलिङ्गशब्दस्य पुंस्त्वं लिङ्गं यस्येति वा पुंस्त्वं लिङ्गं वाच्यं यस्येति वा न भवितुमर्हति विग्रहः इति चेत्—अत्रोच्यते—

लिङ्गार्थलक्षकं लिङ्गपदमादाय जायते।
पुंलिङ्गादिबहुव्रीहिरलिङ्गमिति शब्दवत्॥ १३॥

पुमादिपदस्य पुंस्त्वादिधर्मपरत्वं, लिङ्गशब्दस्य लक्षणया लिङ्गरूपार्थपरत्व-मूरीकृत्य पुंस्त्वं लिङ्गमर्थो यस्येति विग्रहे पुंलिङ्गादिबहुव्रीहिरुपपादनीयः। इत्थमेव हि अलिङ्गे युष्मदस्मदी इति, स्वरादीतिसूत्रे भाष्ये अलिङ्गमसंख्यमिति वा इति चोप-पद्यते। अनया तु रीत्या नीलघटोऽर्थो यस्य स इति विग्रहको नीलघटः कृष्णकलसशब्द इत्यादिबहुव्रीहिप्रयोगास्तु अनभिधानान्न भवन्तीति॥ १३॥

पुंलिङ्ग आदि शब्दों का विग्रह

प्रश्न है कि "पुंलिङ्गो घटशब्दः" इस वाक्य के पुंलिङ्ग इस बहुव्रीहि समास वाले पद में कैसा विग्रह होता है? यह तो नहीं कह सकते कि पुमान् लिङ्गं यस्य स ऐसा विग्रह है, क्योंकि पुंस्त्व आदि लिङ्ग पदार्थ में पुंस्त्वविशिष्ट अर्थ का अभेद सम्बन्ध से अन्वय बाधित है। न तो पुम् शब्द को धर्मपरक मानकर पुमान् अर्थात् पुंस्त्व लिङ्गं यस्य ऐसा विग्रह ही किया जा सकता है क्योंकि षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि का स्व स्वामी भाव या आधार आधेय भाव आदि कुछ नियत सम्बन्ध से ही, सम्बन्धी का अन्य पदार्थ के बोधन में सामर्थ्य रहता है। वाचकत्व सम्बन्ध से सम्बन्धी अन्य पदार्थ का बोध कराने का सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए कृष्ण कलस शब्द का प्रयोग नीलघट के लिए नहीं होता है। क्योंकि नीलो घटो यस्य इस विग्रह में नीलघट रूप बहुव्रीहि से नीलघटार्थक ऐसा बोध नहीं होता है।

यहाँ यह विशिष्ट रूप में व्यक्तिकरण है—'अनेकमन्यपदार्थे' इस सूत्र से होने वाले बहुव्रीहि समास के विषय में यह नियम है कि समास का अपना लौकिक विग्रह वाला जो वाक्य वह अपने में रहने वाले यं, येन्, यस्मै, यस्मात्, यस्य एवं यस्मिन् इन द्वितीया आदि विभक्तियों से अपने में रहने वाले एक प्रथमान्त पदार्थ के अन्वयी दूसरे पदार्थ के अनुयोगिक जिस सम्बन्ध का बोध कराने में समर्थ होता है, उस सम्बन्ध के प्रतियोगिक सम्बन्ध वाले अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि समास होता है। जैसे—पीताम्बर इस बहुव्रीहि में पीतम् अम्बरं यस्य स ऐसा लौकिकविग्रह वाक्य है, वह अपने में रहने वाले यस्य इस षष्ठी से अपने में रहने वाले पीतम् इस प्रथमान्त पदार्थ के अन्वयी अम्बर इस प्रथमान्त पदार्थानुयोगिक संयोगसम्बन्ध का बोध करा सकता है, इसलिए अम्बर पदार्थ प्रतियोगिकसंयोगसम्बन्ध वाले हरि इस अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि समास से पीताम्बर यह प्रयोग होता है।

इसी तरह चित्रो गौर्यस्य यह लौकिकविग्रह वाक्य है। वह अपने में रहने वाले यस्य इस षष्ठी से चित्र में अन्वयी गवानुयोगिक स्व स्वामिभाव रूप सम्बन्ध का बोध कराने में समर्थ है, इसलिए जो प्रतियोगिक उस सम्बन्ध वाले चैत्र रूप अन्य पदार्थ में चित्रगु ऐसा बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरह यं प्राप्तो ग्रामा स यह विग्रहवाक्य अपने में रहने वाले यम् इस द्वितीया से अपने में रहने वाले ग्राम पदार्थ के अन्वयी प्राप्त पदार्थ के एकदेश प्राप्ति का अनुयोगिक कर्मता सम्बन्ध का बोध कराता है। क्योंकि वैयाकरणों के मत में पदार्थभूत भी विभक्ति के अर्थ का सम्बन्ध रूप से ही अन्वय बोध माना जाता है। इसलिए प्राप्ति प्रतियोगिक कर्मता सम्बन्ध से सम्बन्धी अन्य पदार्थ में प्राप्त ग्रामः ऐसा बहुव्रीहि होता है। इसी तरह घटो विषयी यस्य इस वाला विग्रह वाला "घटविषयको बोधः" ऐसा प्रयोग होता है। नीलघटः ऐसा बोध नहीं होता है क्योंकि नीलो घटो यस्य ऐसा विग्रह नहीं किया जा सकता। इसलिए पुंलिङ्ग शब्द का पुंस्त्व लिङ्गं यस्य ऐसा या पुंस्त्वं लिङ्गं वाच्यं यस्य ऐसा विग्रह नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में कहा गया है—लक्षणा शक्ति से लिङ्गार्थ लक्षक लिङ्ग पद को लेकर पुंलिङ्ग आदि शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अलिङ्गे युस्मद-स्मदो इस वाक्य के अलिङ्ग पद में बहुव्रीहि समास होता है। (उसी तरह पुंलिङ्ग शब्द में भो बहुव्रीहि होता है।

पुम् आदि पदों को पुंस्त्व आदि धर्म परक तथा लिङ्ग शब्द को लक्षण से लिङ्ग रूप अर्थपरक मानकर "पुंस्त्वं लिङ्गमर्थो यस्य" इस विग्रह में पुंलिङ्ग आदि पदों में बहुव्रीहि समास का उपपादन करना चाहिए। इसी तरह "अलिङ्गे युष्मदस्मदो" इस प्रयोग की तथा स्वरादि-निपातमव्ययम् इस सूत्र के भाष्य में पठित "अलिङ्गमसंख्यमिति वा" इस प्रयोग की सिद्धि का उपपादन होता है। इस रीति से नीलघटोऽर्थो यस्य स इस विग्रह वाले नीलघटः तथा कृष्णकलशशब्दः आदि बहुव्रीहि के प्रयोग तो भाष्य आदि में अभिहित न होने के कारण नहीं होते हैं॥ १३॥

पुमादीनां शास्त्रीयं लौकिकञ्च पुंस्त्वादि वाच्यम्

पुमादीनाञ्च पुंस्त्वादि शास्त्रीयं लौकिकं तथा।
द्विविधं कारणं ज्ञेयं पर्यायेण प्रवर्तने॥ १४॥

नपुंसकक्लीबषण्डप्रभृतेरेवं लौकिकम् ।
नपुंसकत्वमर्थोस्ति घटादीनां घटत्ववत् ॥ १५ ॥

पुंस्त्रीनपुंसकादिशब्दा लौकिकं शास्त्रीयं च पुंस्त्वादि यथायथं प्रवृत्तिनिमित्त-मुपादाय प्रवर्त्तन्ते । तत्र यदा लौकिकं पुंस्त्वादि निमित्तमाश्रित्य प्रयुज्यन्ते अयं पुमान्, इयं स्त्री, अयमियं वा नपुंसकमिति तदा कोषाद्युक्तस्वीयशास्त्रीयलिङ्गमपि तत्तल्लौकि-कलिङ्गसामानाधिकरण्येन बोधयन्त्येव ।

अत एव शुचीन् पुंसआनयेत्यत्र शास्त्रीयपुंस्त्वनिमित्तकं नत्वं सिद्धयति । तत्र पुंशब्दस्य शास्त्रीयपुंस्त्वबोधकत्वाभावे तु शुचिशब्दस्य विशेष्यनिघ्नतया शास्त्रीय-पुंस्त्वबोधकत्वाभावत् पुंसीति नत्वं न स्यात् । न स्याच्चेयं स्त्रीत्यत्र शास्त्रीयस्त्रीत्व-निमित्तको ङीप् । एवमभ्यागतान् क्लीबान् पश्येत्यत्रापि न स्यान्नत्वम् ।

यदा तु पुमादयः शास्त्रीयमेव पुंस्त्वादि प्रवृत्तिनिमत्तमाश्रित्य प्रयुज्यन्ते पुमान् पाप्मा, खट्वा स्त्री, धनं नपुंसकमिति तदा शास्त्रीपुंस्त्वादेः प्रवृत्तिनिमित्तरूपेणैवोक्तत्वेन शास्त्रीयलिङ्गप्रयुक्तकार्यसिद्धया तद्विशिष्टे तस्यास्थित्या च द्विः पुंस्त्वादिकं न बोधयन्ति ।

एतेन पुमादीनां स्वप्रवृत्तिनिमित्तपुंस्त्वादिना सह शास्त्रीयलिङ्गस्यापि बोध-जनकत्वे प्रातिपदिकार्थेतिसूत्रस्थभाष्यासंगतिः । तत्र हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमेत्यं-शस्योदाहरणानि पुमान् स्त्री नपुंसकमिति प्रदर्शितानि, न तु प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिङ्गाधिक्ये प्रथमेत्यंशस्येति निरस्तम् । तत्र शास्त्रीयलिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकानामेव पुमानित्यादीनामुदाहरणत्वेन कथनात् । एवञ्च लौकिकप्रवृत्तिनिमित्तकाः अयं पुमान् इत्यादयो लिङ्गाधिक्ये प्रथमेत्यंशस्यैवोदाहरणत्वेन बोध्याः । भाष्ये तु तथा विविच्य नोक्ता इत्यन्यदेतत् ॥ १४–१५ ॥

पुम् आदि शब्दों के भी पुंस्त्व आदि शास्त्रीय तथा लौकिक दो प्रकार के पर्याय से प्रवृत्ति कराने वाले कारण अर्थात् प्रवृत्ति निमित्त होते हैं । नपुंसक, क्लीब एवं षण्ड प्रभृति के लौकिक नपुंसकत्व अर्थ उसी तरह होते हैं । जैसे घट आदि के घटत्व आदि अर्थ होते हैं ।

पुम्, स्त्री तथा नपुंसक आदि लौकिक एवं शास्त्रीय पुंस्त्व आदि को यथा यथ प्रवृत्ति निमित्त लेकर (मानकर) प्रवृत्त होते हैं । वहाँ जब लौकिक पुंस्त्व आदि को निमित्त रूप में आश्रयण कर प्रयुक्त होते हैं तब अयं पुमान्, इयं स्त्री अयमियम्बा नपुंसकम् आदि रूप में तो कोष आदि में बताये गये अपने शास्त्रीयलिङ्ग को भी उस उस लौकिक लिङ्ग के समानाधि-करण्य रूप से बोध कराते ही हैं ।

अत एव "शुचीन् पुंसः आनय", इस वाक्य के शुचीन् पद में शास्त्रीय पुंस्त्व को निमित्त मानकर होने वाला नत्व सिद्ध होता है । वहाँ पुम् शब्द में शास्त्रीय पुंस्त्व की बोधकता के अभाव रहने पर तो शुचि शब्द के विशेष्य के अनुसार लिङ्ग वाले होनेके कारण शास्त्रीय पुंस्त्व की बोधकता के अभाव होने से "तस्माच्छसो नः पुंसि" इस सूत्र से होने वाला नत्व

न होता। इसी तरह शास्त्रीय स्त्रीत्व की बोधकता न रहने पर न होता 'इयं स्त्री' यहाँ शास्त्रीय स्त्रीत्व को निमित्त मानकर होने वा ङीप् प्रत्यय। इसी तरह अभ्यागतान् क्लीबान् पश्य यहाँ भी नत्व न होता।

जब पुम् अदि शब्द शास्त्रीय पुंस्त्व आदि प्रवृत्ति निमित्त का ही आश्रयण कर पुमान्, पाप्मा, खट्वा, स्त्री, धनं नपुंसकम् अदि की तरह प्रयुक्त किये जाते हैं तब शास्त्रीय पुंस्त्व आदि के प्रवृत्ति निमित्त रूप से ही उक्त होने के कारण शास्त्रीयलिङ्ग प्रयुक्त कार्य की सिद्धि हो जाने से तथा शास्त्रीय पुंस्त्व आदि से विशिष्ट उस शब्द की स्थिति न रहने के कारण पुमान् आदि शब्द लौकिक एवं शास्त्रीय रूप में दो बार पुंस्त्व आदि का बोध नहीं कराते हैं।

ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का यह कहना है कि पुम् आदि शब्दों के अपने प्रवृत्ति निमित्त पुंस्त्व आदि के साथ शास्त्रीय लिङ्ग के भी बोधजनक होने पर प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिणाम, इस सूत्र के भाष्य की असङ्गति होगी, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिार्थ मात्र में प्रथमा इस अंश के उदाहरण के रूप में पुमान्, स्त्री एवं नपुंसकम् ये प्रदर्शित किये गये हैं, न कि प्रातिपदिकार्थ को अपेक्षा लिङ्गाधिक्य में प्रथमा इस अश के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं। ऐसा कथन खण्डित हो गया। क्योंकि वहाँ शास्त्रीयलिङ्ग सम्बन्धी प्रवृत्तिनिमित्तकों के उदाहरण के रूप में पुमान् आदि कहे गये हैं। इस तरह लौकिक प्रवृत्ति निमित्त वाले अयं पुमान् आदि लिङ्गाधिक्य मे प्रथमा इस अंश के उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। भाष्य में तो उस प्रकार अलग-अलग प्रतिपादन नहीं किया गया हैं, यह एक दूसरी बात है। (अतः भाष्य की असङ्गति नहीं है) ॥ १४–१५ ॥

लिङ्गज्ञानोपायः

शास्त्रीयलिङ्गविज्ञानं शास्त्रेण खलु जायते।
लौकिकस्य तु लिङ्गस्य प्रत्यक्षेणावगम्यता ॥ १६ ॥

पुंस्त्रीनपुंसकव्यक्तीनां लक्षणरूपं लौकिकं लिङ्गमाकृतिग्राह्यमिति प्रत्यक्षेणैवावगन्तुं शक्यम्। इयं स्त्री, अयं पुमान्, एष जनो नपुंसकमित्याद्युपदेशेन च। न तु घञजपः पुंसि इत्यादिव्याकरणानुशासनेन, नापि कोषेण, ताभ्यां लौकिकलिङ्गानुपदेशात्।

शास्त्रीयन्तु गुणोपचयापचयादिरूपं लिङ्गं घञजपः पुंसि देवताः स्त्रियाम् इत्यादिशास्त्रेणैवावगन्तुं योग्यम्, न प्रत्यक्षेण। सत्त्वादिगुणा एव हि तावद्दुरधिगमास्तर्हि तत्परिणतिरूपं लिङ्गं शास्त्रमन्तरेण कथमिवावधारणीयं स्यात्।

लिङ्गानुशासनञ्च द्विविधम्—घञजपःपुंसि स्त्रियां क्तिन् इत्यादिशास्त्ररूपं कोषरूपं च। न च कोषो नानुशासनमिति मन्तव्यम्। अमरसिंहकृतकोषस्य नामलिङ्गानुशासनसंज्ञाया अन्वर्थत्वान्यथानुपपत्त्या कोषाणामपि लिङ्गानुशासनत्वात् ॥ १६ ॥

लिङ्ग-ज्ञान का उपाय

शास्त्रीय लिङ्ग का ज्ञान शास्त्र से ही होता है। लौकिक लिङ्ग की जानकारी प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

पुम्, स्त्री एवं नपुंसक व्यक्तियों के लक्षण रूप लौकिक लिङ्ग आकृति से ग्राह्य होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष से ही उन्हें जाना जा सकता है। तथा इयं स्त्री, अयं पुमान्, एवं एषजनः नपुंसकम् इत्यादि उपदेश के द्वारा जाने जा सकते हैं। न तो "घञजपः पुंसि" इस लिङ्गानुशासन सम्बन्धी व्याकरण के अनुशासन से और न कोष से ही बोध होता है, क्योंकि उनसे लौकिक लिङ्ग का उपदेश नहीं होता है।

शास्त्रीय लिङ्ग सत्व आदि गुणों के उपचय अपचय रूप तो 'घञजपः पुंसि' देवताः स्त्रियाम् इत्यादि लिङ्गानुशासन सम्बन्धी व्याकरण शास्त्र से ही समझने के योग्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष से नहीं जाने जा सकते। निश्चित रूप से सत्त्व आदि गुण उस रूप में, बोधगम्य नहीं हैं फिर उनके परिणति रूप लिङ्ग का शास्त्र के बिना कैसे निश्चय किया जा सकता है।

लिङ्गानुशासन भी दो प्रकार के होते हैं—(१) घञजपः पुंसि, स्त्रियां क्तिन् आदि शास्त्र रूप और (२) कोष रूप ऐसा तो नहीं मान सकते कि शब्दकोष लिङ्गानुशासन नहीं है, क्योंकि अमरसिंह निर्मित शब्दकोष की, नामलिङ्गानुशासन (इस रूप) की अन्वर्थ संज्ञा की उपपत्ति, कोष को लिङ्गानुशासन मानने के बिना नहीं हो सकती है। अतः कोष भी लिङ्गानुशासन है ॥ १६ ॥

लिङ्गस्य प्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्वज्ञानोपायः

लिङ्गे प्रसिद्धिविज्ञानं नामलिङ्गानुशासनात्।
तत्तल्लिङ्गे प्रयोगाणां दर्शनादपि जायते ॥ १७ ॥

कोषव्याकरणयोस्तत्तल्लिङ्गबोधकत्वेन प्रतिपादिताः शब्दाः प्रसिद्धेष्वेव लिङ्गेषु प्रयोक्तव्याः। प्रसिद्धिश्च पुराणेतिहासप्राचीननिबन्धकाव्यनाटकाख्यायिकादिषु प्रचुरं प्रयुज्यमानत्वात्। न हि व्याकरणे कोषे वा प्रोक्तं लिङ्गं सर्वमेव प्रसिद्धम्। तद्यथा अर्द्धर्चाः पुंसि चेति सूत्रेणार्धर्चादीनां पुंस्त्वं नपुंसकत्वं चानुशिष्टम्। अर्द्धर्चादिगणे च शरीरघृतादयोऽपि पठिताः सन्ति। परन्तु तेषां नपुंसके एव प्रयोगा दृश्यन्ते, न पुंसि। अतस्तेषां पुंस्त्वमप्रसिद्धमिति न ते तत्र प्रयोक्तव्याः। अत एवामरसिंहेन तेषां नपुंसकत्वमेव बोधितम्।

एवं तर्हि तेषामर्द्धर्चादिषु पाठो नोचितः किम्? उचित एव, लोकवेदसाधारणत्वात्। अथ शब्दानुशासनमित्यस्य व्याख्याने केषां शब्दानामनुशासनमिति पृष्टे लौलिकानां वैदिकानां चेति भाष्यकृतोक्तत्वात्। उक्तं चामरसिंहेनापि—

"अर्धर्चादौ घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वैदिकं ध्रुवम्।
तन्नोक्तमिह, लोकेऽपि तच्चेदस्त्यस्तु शेषवत् ॥"

एवं वा पुंसि पद्ममित्यादिना पद्मादेः पुंस्त्वशक्तिरपि बोधिता, परन्तु पुंस्त्वं तस्याप्रसिद्धमेव। कोषा अपि प्रायेण लोकवेदसाधारणशब्दविषया इति पद्मादेः पुंस्त्वशक्तिकथनस्य न वैयर्थ्यम्।

विषयोऽयं लिङ्गभिन्नेऽप्यर्थे। तथा हि ते ते शब्दास्तत्तदर्थे नाना कोषेषु प्रतिपादिता अपि प्रसिद्धिमनुसृत्यैव प्रयोक्तव्याः। यथा हेमचन्द्रकोषे—

"क्रोडा हारा च दारा च त्रय एते यथाक्रमम्।
क्रोडे हारे च दारेषु शब्दाः प्रोक्ता मनीषिभिः॥"

इति हारदारशब्दौ टाबन्तावप्युक्तौ। परन्तु तयोरटाबन्तयोरेव प्रयोगो दृश्यते। यथा—

"हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा।
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः"॥
"नमयति धनुरैशं यस्तदारोपणेन
त्रिभुवनजयलक्ष्मीर्मैथिली तस्य दाराः"॥

अतो हारादाराशब्दावप्रयुक्तत्वादप्रसिद्धत्वान्न प्रयोक्तव्यौ। एवमन्यशब्दविषयेऽप्यनुसन्धेयम्।

यद्यपि नानाग्रन्थावलोकनपूर्वकः कस्य शब्दस्य किं लिङ्गं प्रसिद्धं किं वाप्रसिद्धमिति निर्णयो बहुपरिश्रमबहुलकालसापेक्षस्तथापि अमरसिंहनिर्म्मितेनामरकोषनाम्ना प्रसिद्धेन नामलिङ्गानुशासनेन तथा निर्णयः सुकरः। तत्र हि ये शब्दा यस्मिन्नर्थे प्रसिद्धास्ते तस्मिन्नेवार्थे प्रतिपादिताः। येषां च यदेव लिङ्गं प्रसिद्धं तेषां तदेव लिङ्गमुक्तमस्ति। अतस्तदनुसारेण प्रयोक्तॄणां नाप्रसिद्धप्रयोगकलङ्कसम्भवः।

नन्वमरकोषेऽपि दैवतपद्मादीनां पुंस्त्वमपि प्रतिपादितमस्ति, किन्तु तन्न प्रसिद्धम्। तस्मादमरोक्तानामपि शब्दानां तदुक्तसकललिङ्गे न प्रयोगयोग्यत्वमिति चेत्—न। अमरसिंहेन दैवतादेः पुंस्त्वादि न प्रसिद्धमिति स्वयमेव शैल्या सूचितत्वात्।

अमरकोषशैली

एषा ह्यमरकोषशैली—**१ रूपभेदेन, २ साहचर्येण, ३ विशेषोक्त्या, ४ द्वयोरितिकथनेन, ५ यत्किञ्चिल्लिङ्गनिषेधमुखेन,** वा यल्लिङ्गं बोध्यते तत्प्रसिद्धम्।

यत्तु रूपभेदेनाबोधितं सत् वाशब्दसहितेन पुंसीत्यादिना बोध्यते तत् अप्रसिद्धम् यस्य च यल्लिङ्गं कोषान्तराद्युक्तमपि स्वयं न बोध्यते तस्य शब्दस्य तदपि लिङ्गमप्रसिद्धमिति।

तत्र **१ रूपभेदेन यथा**—मेघपुष्पं घनरसः। **२ साहचर्येण**—नीवृज्जनपदौ। अत्र जनपदशब्दस्य रूपविशेषेण पुंस्त्वनिर्णयात् तत्साहचर्येण नीवृत् पुमानिति निर्णयः।

३ विशेषोक्त्या—पुंसि क्लीबे च काकोलकालकूटहलाहलाः, स्त्रियां प्रावृट् । **४ द्वयोरिति कथनेन**—द्वयोः पाटलिः । मिथुने तु द्वयोरिति इति परिभाषणात् द्वयोरित्यनेन स्त्रीपुंसयोर्ग्रहणम् । **५ निषेधमुखेन**—अर्गलं न ना, धर्मोऽस्त्री । अत्र पुंस्त्वनिषेधेन अवशिष्टयोः स्त्रीत्वनपुंसकत्वयोर्ग्रहणम् । स्त्रीत्वनिषेधेन चावशिष्टपुंस्त्वनपुंसकत्वयोर्निर्णयः, निषिद्धलिङ्गं शेषार्थमिति परिभाषितत्वात् ।

अथ च 'दैवतानि पुंसि वा' । अत्र दैवतशब्दस्य पुंस्त्वं दैवत इति स्वरूपेणाबोधितं सत् पुंसि वेति बोधितत्वादप्रसिद्धमिति सूच्यते, एवं 'वा पुंसि पद्म'मित्यादावपि बोध्यम् । विकल्पेन बोधितयोर्लिङ्गयोर्मध्ये यल्लिङ्गं स्वरूपेण अर्थात् तत्प्रयुक्तामादिकार्यमुखेन बोध्यते तदेव प्रसिद्धमिति । उभयोः प्रसिद्धत्वे हि पुंनपुंसकयोरिति वदेत् अस्त्रियामिति वा । अनुक्तत्वेन यथा 'शरीरं वर्ष्म विग्रहः' । अत्र शरीरशब्दस्य पुंस्त्वं नोक्तमिति अर्धर्चा इति शास्त्रेणोक्तमपि न प्रसिद्धमिति । एवं नीवृच्छब्दस्य कोषान्तरोक्तं स्त्रीत्वं न प्रसिद्धममरसिंहेनोपेक्षितत्वात् ।

यत्तु एवंविधशैल्याः सत्त्वे 'वा तु क्लीबे दिवसवासरा' वित्युक्ततया दिवसवासरबोध्यनपुंसकत्वस्यापि अप्रसिद्धत्वापत्तिः, इष्टापत्तिस्तु न 'कान्ते कत्यपि वासराणि गमय त्वं मीलयित्वा दृशा' विति महाकविप्रयोगविरोधात् । अतो लिङ्गस्य प्रसिद्धत्वमप्रसिद्धत्वं वा काव्यादौ तथाप्रयोगदर्शनादर्शनाभ्यामेव निर्णेयमिति—तन्न, अमरुककविना नपुंसके वासरशब्दस्य प्रयुक्तत्वेऽपि तस्य पुंस्येव प्रचुरप्रयोगदर्शनेन तद्वाच्यं नपुंसकत्वमप्रसिद्धमेवेत्यमरसिंहस्याशयात् । एवं दिवसशब्दस्यापि । तस्मात् प्रोक्ता लिङ्गप्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्वविषयामरशैली मन्तव्यैवेति ॥ १७ ॥

लिङ्ग की प्रसिद्धि एवं अप्रसिद्धित्व के ज्ञान का उपाय

नामलिङ्गानुशासन (कोष) से लिङ्गविषयक प्रसिद्धि का ज्ञान होता है। उन-उन लिङ्गों में प्रयोगों को देखने से भी प्रसिद्धि का ज्ञान होता है।

कोष एवं व्याकरण में उन-उन लिङ्गों के बोधक के रूप में प्रतिपादित शब्द प्रसिद्ध लिङ्गों में ही प्रयोग करने योग्य होते हैं । प्रसिद्धि जानकारी पुराण, इतिहास, प्राचीन निबन्ध, काव्य, नाटक एवं आख्यायिका प्रभृति में अधिकतर प्रयोग होने से होती है । व्याकरण या कोष में कहे गये सब लिङ्ग ही प्रसिद्ध नहीं होते हैं । जैसे "अर्धर्चाः पुंसि च" इस सूत्र से अर्धर्चादि गण के शब्द पुंलिङ्ग एवं नपुंसक रूप में अनुशासित हैं, और अर्धर्चादि गण में शरीर घृत आदि शब्द भी पढ़े गये हैं। किन्तु उन शब्दों के प्रयोग नपुंसक में ही देखे जाते हैं, पुंलिङ्ग में नहीं । अतः उनका पुंस्त्व अप्रसिद्ध है, उनका प्रयोग पुंलिङ्ग में नहीं करना चाहिए । इसीलिए अमरसिंह ने अमरकोष में उनके नपुंसकत्व का ही बोध कराया है ।

ऐसा होने पर उन शब्दों का अर्धर्चादिगण में पाठ क्या उचित नहीं है ? इसके समाधान में कहा गया है कि उचित ही है, क्योंकि वह पाठ लोक एवं वेद उभय साधारण है । (वेद में पुंलिङ्ग में उन शब्दों का प्रयोग होने से पाठ उचित है) महाभाष्यकार ने 'अथ

शब्दानुशासनम्' इस वचन के व्याख्यान में किन शब्दों का अनुशासन है, ऐसा पूछने पर लौकिक एवं वैदिक शब्दों का (अनुशासन है) ऐसा कहा है। अमरसिंह ने भी कहा है कि—

"अर्धर्चादि गण में घृत आदि शब्दों का पुंस्त्व निश्चित ही वैदिक है। इस अमरकोष में उसे नहीं कहा है। लोक में भी यदि पंस्त्व मिलता है तो और शब्दों के समान वह भी रहे।"

इसी तरह 'वा पुंसि पद्मम्' इस लिङ्गानुशासन के वचन से पद्म आदि शब्दों में पुंस्त्व की शक्ति भी बोधित है, परन्तु पुंस्त्व उसका अप्रसिद्ध है। कोष भी प्रायः लोकवेदसाधारण शब्दविषयक होते हैं—इसलिए पद्म आदि शब्दों की पुंस्त्व शक्ति कथन की व्यर्थता नहीं है।

लोकवेदसाधारण प्रतिपादनात्मक विषय लिङ्ग से भिन्न अर्थ में भी रहता है। जैसे वे-वे शब्द उन-उन अर्थों में विभिन्न कोषों में प्रतिपादित हैं फिर भी प्रसिद्धि का अनुसरण कर ही प्रयोग करने योग्य होते हैं। जैसे हेमचन्द्र कोष में कहा गया है कि—

"क्रोडा, हारा एवं दारा ये तीनों शब्द क्रम से क्रोड, हार एवं दार अर्थों में मनीषियों ने कहे हैं।"

इस कोष से दार एवं हार शब्द टाप् प्रत्ययान्त कहे गये हैं। किन्तु उन शब्दों का टाप् प्रत्ययान्त से रहित ही प्रयोग देखा जाता है। जैसे—

विश्लेष भीरु मुझसे गले में हार न आरोपित किया गया, किन्तु इस समय पर्वत, नदियाँ एवं वृक्ष हम दोनों के बीच आ गये। (यहाँ हार का प्रयोग है)

जो शिव के धनुष को आरोपण कर नवा देता है, उसकी त्रिभुवन की विजय-लक्ष्मी रूप मैथिली जानकी दारा होगी। (यहाँ दार शब्द का बहुवचनान्त दाराः है, टाबन्त नहीं है)।

अतः हारा एवं दारा शब्द टाबन्त अप्रयुक्त होने के कारण अप्रसिद्ध हैं इसलिए प्रयोग करने योग्य नहीं है। इसी तरह दूसरे शब्दों के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करना चाहिए।

यद्यपि अनेक ग्रन्थों का अवलोकन कर किस शब्द का कौन लिङ्ग प्रसिद्ध है, अथवा कौन अप्रसिद्ध है ऐसा निर्णय कर पाना बहुत परिश्रम एवं काल की अपेक्षा के बाद ही सम्भव है तथापि अमरसिंह द्वारा रचित अमरकोष नाम से प्रसिद्ध नामलिङ्गानुशासन विषय ग्रन्थ से वैसा निर्णय करना आसान है। क्योंकि वहाँ जो शब्द जिस अर्थ में प्रसिद्ध है, वे उसी अर्थ में बताये गये हैं। तथा जिन शब्दों का जो लिङ्ग प्रसिद्ध है, उनका वही लिङ्ग कहा गया है। अतः उसके अनुसार प्रयोग करने वालों को अप्रसिद्ध शब्द प्रयोग रूप का कलङ्क सम्भव न होगा।

प्रश्न है कि अमरकोष में भी दैवत, पद्म आदि शब्दों का पुलिङ्ग में भी प्रयोग किया गया हैं, किन्तु वह प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए अमरकोष में कहे गये शब्दों का भी वहाँ कहे गये सब लिङ्गों में प्रयोग की योग्यता नही हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि ऐसी

बात नहीं है, क्योंकि अमरसिंह ने स्वयं अपनी प्रतिपादन शैली के माध्यम से सूचित किया है कि दैवत पद्म आदि शब्दों का पुंस्त्व आदि प्रसिद्ध नहीं हैं।

अमरकोष की शैली का विवेचन

यह अमरकोष की शैली है कि रूप भेद से, साहचर्य से, विशेष उक्ति से श्लोकक्रमे द्वयोः इस कथन से तथा जिस किसी लिङ्ग का निषेध करते हुए लिङ्ग निर्देश से जो लिङ्ग बताया जाय वह प्रसिद्ध लिङ्ग होता है।

जो रूपभेद से बोधित न होकर वा शब्द के साथ, पुंसि आदि शब्द से बोधित कराया जाय, उस शब्द का वह लिङ्ग भी अप्रसिद्ध लिङ्ग होता है।

वहाँ रूपभेद का उदाहरण है—"मेघपुष्पं घनरसः" (रूपभेद से दोनों भिन्न लिङ्ग हैं)। साहचर्य का उदाहरण है—"नीवृज्जनपदौ"। यहाँ जनपद शब्द के रूप भेद से पुंस्त्व का निर्णय है और उसके साथ पढ़े जाने के कारण नीवृत् शब्द, पुंलिङ्ग है, ऐसा निर्णय किया जाता है। विशेषोक्ति का उदाहरण है—"पुंसि क्लीबे च क्राकोलकालकूटहलाहलाः। स्त्रियां प्रावृट्। (यहाँ लिङ्ग के सम्बन्ध में विशेष उक्ति है)। द्वयोरिति का उदाहरण है—"द्वयोः पाटलिः" अमरकोष में ही मिथुने तु द्वयोरिति, अर्थात् मिथुन (स्त्रीपुंस) के बोध कराने के लिए द्वयोः कहा गया है, वैसा परिभाषण किया गया है, इसलिए द्वयोः कहने पर स्त्री एवं पुंस का बोध होता है। निषेधमुखेन का उदाहरण है—"अर्गलं न, ना, घर्मोऽस्त्री"। यहाँ अर्गल शब्द में ना अर्थात् पुंस्त्व का निषेध करने से अवशिष्ट स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व का ग्रहण होता है। तथा घर्म शब्द मे स्त्रीत्व के निषेध से अवशिष्ट पुंस्त्व एव नपुंसकत्व का निर्णय किया जाता है, क्योंकि निषिद्धलिङ्ग शेषार्थम् अर्थात् जहाँ किसी एक लिङ्ग का निषेध है, वह शेष लिङ्ग का बोधक है। ऐसी परिभाषा अमरकोष में ही की गयी है।

इसके बाद, "दैवतानि पुंसि वा" इस अमरकोष वाक्य में दैवतशब्द का पुंस्त्व दैवत इस स्वरूप से अबोधित होता हुआ, पुंसि वा, इस कथन से बोधित है, इससे वह लिङ्ग अप्रसिद्ध है, यह सूचित होता है, इसी तरह वा पुंसि पद्मम् आदि वाक्यों से भी लिङ्ग अप्रसिद्ध सूचित होता है। विकल्प से बोधित दो लिङ्गों के बीच जो लिङ्गस्वरूप से—अर्थात् उस लिङ्ग से प्रयुक्त अम् आदि कार्य के प्रदर्शन द्वारा बोधित कराया जाता है, वह लिङ्ग ही प्रसिद्ध लिङ्ग है। दोनों के प्रसिद्ध रहने पर तो "पुंनपुंसकयोः" ऐसा कहते या वहाँ अस्त्रियाम् ऐसा कहते। लिङ्ग के अनुक्त होने से भी उस लिङ्ग की अप्रसिद्धता समझी जाती है।— जैसे 'शरीरं वर्ष्मविग्रहः' यह वचन। यहाँ शरीर शब्द का पुंस्त्व नहीं कहा गया है, इसलिए 'अर्धर्चाः पुंसि' इस सूत्र से कहा गया भी पुंलिङ्ग प्रसिद्ध नहीं है। इसी तरह अमरसिंह से उपेक्षित होने के कारण नीवृत् शब्द का दूसरे कोषों में कहा गया भी स्त्रीत्व प्रसिद्ध नहीं है।

जो यह कहा जाता है कि अमरकोष की ऐसी शैली रहने पर "वा तु क्लीबे दिवस-वासरौ" इस रूप में कहा गया है अतः दिवस एवं वासर शब्द से बोध्य नपुंसकत्व की भी अप्रसिद्धत्व की आपत्ति होगी। वह इष्ट ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि 'कान्ते

कत्यपि वासराणि' गमय त्वं मीलयित्वा दृशौ, (हे प्रिये, तुम कुछ दिनों को आँख मूँद कर बिताओ) इस श्लोक में महाकवि ने नपुंसकलिङ्ग में वासर शब्द का प्रयोग किया है। इस लिए लिङ्ग की प्रसिद्धता एवं अप्रसिद्धता का निर्णय काव्य आदि में वैसे प्रयोगों के देखे या न देखे जाने के आधार पर ही करना चाहिए। वह कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि अमरुक कवि द्वारा नपुंसक में वासर शब्द का प्रयोग किये जाने पर भी उस शब्द का पुंलिङ्ग में ही प्रचुर प्रयोग देखा जाता है इसलिए उस का वाच्य नपुंसकत्व अप्रसिद्ध ही है ऐसा अमर सिंह का आशय है। इसी तरह दिवस शब्द में भी समझना चाहिए। इसलिए कही गयी लिङ्ग के प्रसिद्धत्व एवं अप्रसिद्धत्व विषयक अमरकोष की शैली माननी चाहिए॥ १७॥

शास्त्रीयमपि लिङ्गमर्थनिष्ठमेव

शास्त्रीयस्यापि लिङ्गस्य स्थितिरर्थे सुनिश्चिता।
तस्य शब्दगतत्वं हि सहते न विचारणाम्॥ १८॥

अथ लौकिकं लिङ्गमर्थनिष्ठमिति निर्विवादमेव, परन्तु शास्त्रीयलिङ्गं शब्दनिष्ठमर्थनिष्ठं वेति विवादास्पदम्। तत्र सन्देहबीजन्तु 'अर्धं नपुंसकम्', 'अस्त्री पङ्कं पुमान् पाप्मा', इत्यादिदर्शनेन तस्य शब्दगतत्वं लभ्यते, पुमादिशब्दानां पुंस्त्वादिविशिष्टार्थपरत्वात्। तस्य च शब्दनिष्ठत्वेऽपि यथाकथञ्चित् शास्त्रीयकार्याणि निर्वाहयितुं शक्यान्येव।

अथ च 'देवताः स्त्रियाम्', 'अर्धर्चा पुंसि' चेत्यादिदर्शनेन तु लिङ्गस्यार्थगतत्वं लभ्यते एवं स्वीकारेऽपि शास्त्रीयकार्यनिर्वाहे न काचिद्बाधेति।

तत्र निर्णीयते लिङ्गमर्थनिष्ठमेव लौकिकलिङ्गस्यार्थनिष्ठतया शास्त्रीयलिङ्गस्यापि तथात्वौचित्यात् भगवता पाणिनिमुनिना प्रातिपदिकार्थलिङ्गेत्यादिशास्त्रेण लिङ्गे प्रथमाविधानाच्च, प्रातिपदिकार्थमात्रे विवक्षिते तदपेक्षयाधिके लिङ्गमात्रे वा विवक्षिते प्रथमेति तदर्थात्। न्यायनये शब्दस्य शाब्दबोधे भानाभावेन तद्गतत्वेनाभिमतस्य लिङ्गस्य प्रथमया बोधयितुमशक्यत्वाच्च। अत एव 'देवताः स्त्रियां', 'नपुंसके प्रातिपदिकस्ये'त्यादिकं संगच्छते। 'अर्द्धं नपुंसकम्', 'अञ्जलिः पुमान्' इत्यादौ नपुंसकादिशब्दास्तु नपुंसकत्वपुंस्त्वादिबोधकपराः इति न तदसांगत्यम्। न च यथाश्रुतार्थपरत्वसंभवे लक्ष्यार्थपरत्वं नोचितमिति वाच्यम्, अत्र यथाश्रुतार्थपरत्वस्य त्वन्मते संभवेऽपि 'दैवतानि पुंसि वे'त्यादौ शक्यार्थलक्ष्यार्थयोरुभयोरप्यसंभवात्।

तथा चाह भाष्यकारः—'एकार्थे शब्दान्यत्वाद्दृष्टं लिङ्गान्यत्व'मिति। अस्यार्थः एकस्मिन्नर्थे जलादिरूपे शब्दान्यत्वात् घनरस आपो जलमिति शब्दभेदात् विभिन्नलिङ्गार्थकशब्दप्रयोगाल्लिङ्गानां भेदो ज्ञायते इति। एतच्च भाष्यं लिङ्गभेदसाधनपरम्। एकार्थे इत्युक्त्या च लिङ्गानामर्थनिष्ठत्वं सिद्धवत्प्रतिपादितम्।

शास्त्रीयलिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वखण्डनम्

एतेन यदुक्तं वैयाकरणभूषणे सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यं नपुंसकत्वम्, आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वं तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च। तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटादिशब्दा भिद्यन्ते। केषांचिदनेकलिङ्गत्वव्यवहारस्तु समानानुपूर्वीकत्वेन शब्दानामभेदारोपात्। एवञ्च पदार्थपदे पुंस्त्वमेव, व्यक्तिपदे स्त्रीत्वमेव, वस्तुपदे नपुंसकत्वमेवेति सर्वत्रैवायं पदार्थः इयं व्यक्तिरिदं वस्त्विति व्यवहारस्तटस्तटी तटमिति चोपपद्यते। तच्च लिङ्गमर्थपरिच्छेदकत्वेनान्वेतीति पश्वादिशब्दोक्तं पशुस्त्रियां नास्तीति पशुनेत्यादिविधिर्न छाग्यादीनङ्गत्वेन प्रयोजयतीति—

तदपास्तम्। शब्दगतधर्मेणार्थपरिच्छेदस्य दुरुपपादत्वात् शब्दे च शास्त्रीयस्यैव लिङ्गस्य सम्भवेन तस्य च केवलान्वयितयार्थव्यावर्तकत्वासम्भवाच्च उभयं सर्वत्रेति भाष्येण पुंस्त्वादेरविरोधलाभेन तमेव विरुद्धधर्ममादायेति कथनस्य चिन्त्यत्वाच्च ॥१८॥

शास्त्रीयलिङ्ग भी अर्थनिष्ठ ही होता है

शास्त्रीय लिङ्ग की भी अर्थ में सुनिश्चित रूप में स्थिति होती है। क्योंकि उसको शब्दगत मानने पर वह विचारसह नहीं हो सकता। (शास्त्रीय लिङ्ग को शब्दगत स्वीकार करना विचारणीय नहीं कहा जा सकता)।

लौकिक लिङ्ग अर्थनिष्ठ होता है। यह निर्विवाद है। शास्त्रीय लिङ्ग शब्दनिष्ठ है या अर्थनिष्ठ यह विवादास्पद है। उसमें सन्देह का कारण यह है कि अर्धं नपुंसकम्, इस पाणिनि के सूत्र तथा अस्त्री पङ्कं पुमान् पाप्मा आदि कोशवचनों को देखने से स्पष्ट होता है कि वह लिङ्ग शब्दगत है, क्योंकि पुम् आदि शब्द पुंस्त्व विशिष्ट अर्थपरक होते हैं (और वह अर्थ शब्दगत ही होता है)। उस लिङ्ग को शब्दनिष्ठ होने पर भी जिस किसी तरह शास्त्रीय कार्य का निर्वाह शक्य ही रहता है।

और देवताः स्त्रियाम् इस कोषवचन के तथा अर्धर्चाः पुंसि च आदि सूत्रों को देखने से शास्त्रीय लिङ्ग का अर्थगत होना ही उपलब्ध होता है। वैसा स्वीकार करने पर भी शास्त्रीय कार्य के निर्वाह में कोई बाधा नहीं।

अतः सन्देह की उस स्थिति में निर्णय किया जाता है कि शास्त्रीयलिङ्ग भी अर्थनिष्ठ ही होता है। लौकिक लिङ्ग अर्थनिष्ठ होता है, इसलिए शास्त्रीय लिङ्ग का भी अर्थनिष्ठ होना ही उचित है। भगवान् पाणिनिमुनि ने "प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिणाम" इस सूत्र से लिङ्ग में प्रथमा का विधान किया है। उस सूत्र का अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के विवक्षित रहने पर या उसके अपेक्षा लिङ्गमात्र के विवक्षित रहने पर प्रथमा विभक्ति होती है (उससे लिङ्ग में प्रथमा का विधान किया गया है)। न्याय के मत में शाब्दबोध में शब्द के भान का अभाव रहता है। इसलिए लिङ्ग को शब्दगत मानने पर प्रथमा से उसका बोध अशक्य भी हो जाएगा। अर्थनिष्ठ होने से ही "देवताः स्त्रियाम्" नपुंसके प्रातिपदिकस्य आदि वाक्यसंगत होते हैं। अर्धं नपुंसकम्, अञ्जलिः पुमान् आदि वाक्यों में नपुंसक आदि शब्द नपुंसकत्व, पुंस्त्व

आदि के बोधक परक हैं इसलिए वहाँ असङ्गति नहीं है। यह नहीं कह सकते हैं कि सुने गये शब्द के शक्यार्थ के सम्भव रहने पर उसे लक्ष्यार्थपरक मानना उचित नहीं है, क्योंकि इन स्थलों में उनके मत में यथाश्रुत अर्थ परक मानना सम्भव होने पर भी दैवतानि पुंसि च, आदि वाक्यों में शक्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों असम्भव हो जाते हैं।

भाष्यकार ने कहा है "एक अर्थ में शब्द के भिन्न होने पर लिङ्ग में भी भिन्नता देखी गयी है।" इसका अर्थ है—एक ही अर्थ में जल आदि रूप शब्द की विभिन्नता में घनरस, आप् जल आदि रूप में शब्दभेद से विभिन्न लिङ्गार्थक शब्दों के प्रयोग से लिङ्गों का भेद जाना जाता है। यह भाष्य लिङ्ग के भेद का साधन परक है। भाष्य में एकार्थ इस कथन से लिङ्ग अर्थनिष्ठ होते हैं इस विचार को सिद्ध करने के पक्ष में प्रतिपादन किया गया है।

शास्त्रीय लिङ्ग को शब्दनिष्ठ मानने वाले (विचारों) का खण्डन

शास्त्रीयलिङ्ग अर्थनिष्ठ है, इसके समर्थन में प्रतिपादन करने से कुछ लोगों का शब्द-निष्ठ सम्बन्धी प्रतिपादन खण्डित हो गया। जैसे वैयाकरणभूषणसार में कहा गया है कि सत्त्व-राजस् एवं तमस् गुणों का साम्य नपुंसकत्व है, आधिक्य पुंस्त्व है तथा अपचय स्त्रीत्व है, वह उस-उस शब्द में रहने वाला तथा उस-उस शब्द का वाच्य होता है। उसी विरुद्ध धर्म को लेकर तट आदि शब्द तटःतटी-तटम् आदि रूप में परस्पर भिन्न होते हैं। कुछ लोगों का उस शब्द में अनेक लिङ्गत्व ऐसा व्यवहार तो समानानुपूर्वीक होने के कारण तट एवं तटी शब्द में अभेद के आरोप से होता है। इस तरह पदार्थ पद में पुंस्त्व ही रहता है; व्यक्ति पद में स्त्रीत्व एवं वस्तु पद में नपुंसकत्व ही रहते हैं—इस तरह सब जगह अयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु ऐसा व्यवहार होता है, तथा तट, तटी, तटम् इस रूप में लिङ्ग भेद भी उपपन्न होता है। वह लिङ्ग अर्थपरिच्छेदक रूप से शब्द से अन्वित होता है। इसलिए "पशुना यजेत" इस विधिवाक्यगत पशुना में पुंलिङ्ग के ही अन्वित होने से पशु आदि शब्दों से उक्त पशु स्त्रीलिङ्ग में नहीं है, अतः वह विधिवाक्य छागी आदि स्त्री को अपने अङ्ग के रूप में प्रयोजित नहीं करता है। (छागी वहाँ नहीं ली जाती) यह वैयाकरणभूषण का कथन इसलिये भी खण्डित है कि शब्दगत धर्म से अर्थ का परिच्छेद दुरुपपादनीय है। दूसरी बात है कि शब्द में शास्त्रीय लिङ्ग ही सम्भव है, और वह केवलान्वायी होता है इसलिये उसमें अर्थ की व्याव-र्त्तकता सम्भव नहीं है। भाष्य में 'उभयं सर्वत्र' अर्थात् दोनों लिङ्ग सब जगह होते हैं ऐसा बताया गया है – जिससे पुंस्त्व आदि समान धर्म बोधित होते हैं। ऐसी स्थिति में "तमेव-विरुद्धधर्ममादाय तटादि शब्दाः भिद्यन्ते, इस उक्ति में "विरुद्धधर्ममादाय" यह कथन भी चिन्त्य है ॥ १८ ॥

ब्रह्मणादीनां युगपच्छास्त्रीयलौकिकोभयलिङ्गबोधकता

ननु ब्राह्मणीशब्दात् पुरुषस्य कुतो न बोधः ? अथ स्त्रियां स्त्रीप्रत्ययविधानात् स्त्रिया एव बोध इति चेत्—न। शास्त्रीये एव स्त्रीत्वे तद्विधानात् तस्य च केवलान्वयितया पुरुषेऽपि सद्भावात्। एवं ब्राह्मणोऽयमित्यतो न कुतः स्त्रीव्यक्तिबोधः ? अत्रोच्यते—

जनादिशब्दभिन्नानां केवलप्राणिवाचिनाम् ।
शास्त्रीयं लौकिकञ्चापि वाच्यं लिङ्गद्वयं मतम् ॥ १९ ॥

स्वसजातीयशास्त्रीयलिङ्गेन सह बुध्यते ।
निगमाल्लौकिकं लिङ्गं ब्राह्मणक्षत्रियादितः ॥ २० ॥

तेनेयं ब्राह्मणीत्युक्ते पुरुषो नैव बुध्यते ।
नायं ब्राह्मण इत्युक्ते ज्ञायते वनिताजनः ॥ २१ ॥

जनादिशब्दभिन्नकेवलप्राणिवाचकब्राह्मणक्षत्रियादिशब्दानां शास्त्रीयस्त्रीपुंसलिङ्गता कोषे प्रतिपादितैव । किन्तु तेषां लौकिकमपि पुंस्त्वं स्त्रीत्वं चार्थः । तेन तेभ्यो लौकिकलिङ्गमपि स्वसजातीयशास्त्रीयलिङ्गेन सह प्रतीयते एव । एवञ्च ब्राह्मणीशब्दान्न कदाचिदपि पुरुषबोधः । तथा हि ब्राह्मणीत्यत्र स्त्रीप्रत्ययोत्पत्तये प्रकृतिभूतब्राह्मणपदार्थे शास्त्रीयस्त्रीत्वं विवक्षणीयमेव । तथा च ब्राह्मणीशब्दात् लौकिकस्त्रीत्वस्यापि शास्त्रीयस्त्रीत्वसामानाधिकरण्येन नियमतो बोधान्न पुरुषस्य बोधः । एवं ब्राह्मणोऽयमित्यत्र इदोऽय् पुंसोत्ययादेशाय पुंस्त्वविवक्षाया आवश्यकतयाः तत्सामानाधिकरण्येन लौकिकस्यापि पुंस्त्वस्य बोधान्न ततः स्त्रीव्यक्तिबोधः, ब्राह्मणादिपदार्थनिष्ठशास्त्रीयलिङ्गबोधे तदर्थनिष्ठतत्सजातीयलौकिकलिङ्गबोधोपधायकसामग्र्या व्यापकसामग्रीविषयापेक्षणीयत्वात् ॥ १९-२१ ॥

ब्राह्मण आदि शब्दों की एक ही काल में शास्त्रीय लौकिक दोनों लिङ्गों की बोधकता का प्रतिपादन किया जाता है ।

प्रश्न है कि ब्राह्मणी शब्द से पुरुष का बोध क्यों नहीं होता ? यह कहें कि स्त्रीलिङ्ग में ही ङीप् रूप स्त्रीप्रत्यय का विधान है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय स्त्रीत्व में ही स्त्री प्रत्यय का विधान है और वह केवलान्वयी होता है इसलिए पुरुषों में भी उसका सद्भाव रहता है । इसी तरह ब्राह्मणोऽयं कहने से स्त्रीव्यक्ति का बोध क्यों नहीं होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि—

जन आदि शब्दों से भिन्न केवल प्राणी वाचक शब्दों में शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों लिङ्ग वाच्य रूप में माने गये हैं ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शब्दों से अपने सजातीय लिङ्ग के साथ-साथ नियमतः लौकिक लिङ्ग भी समझा जाता है ।

इसलिए इयं ब्राह्मणी कहने पर पुरुष नहीं समझा जाता तथा अयं ब्राह्मणः कहने पर स्त्रीजन की जानकारी नहीं हो पाती है ।

कोश में जन आदि शब्दों से भिन्न केवल प्राणीवाचक ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शब्दों की शास्त्रीय स्त्रीलिङ्गता एवं पुंलिङ्गता कही गयी है । किन्तु उनके लौकिक भी पुंस्त्व एवं

स्त्रीत्व अर्थ होते हैं। इसलिए उनके द्वारा अपने सजातीय शास्त्रीयलिङ्ग के साथ लौकिक लिङ्ग भी प्रतीत होता है। इस तरह ब्राह्मणी शब्द से कभी-भी पुरुष का बोध नहीं होता हैं। जैसे ब्राह्मणी इस प्रयोग में स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति के लिए प्रकृतिरूप ब्राह्मण पदार्थ में शास्त्रीय स्त्रीत्व की विवक्षा करनी ही है। उस तरह ब्राह्मणी शब्द से लौकिक स्त्रीत्व का भी शास्त्रीय स्त्रीत्व के साथ समानाधिकरण्य से नियमतः बोध होने से उससे पुरुष का बोध नहीं होता है। इसी तरह ब्राह्मणोऽयम् इस प्रयोग में 'इदोऽय पुंसि' इस सूत्र से अय् आदेश के लिए पुंस्त्व की विवक्षा के आवश्यक होने से उसके समानाधिकरण्य में लौकिक पुंस्त्व के बोध के कारण उससे स्त्रीव्यक्ति का बोध नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण आदि पदार्थों में रहनेवाले शास्त्रीय लिङ्ग के बोध के प्रति उस अर्थ में रहनेवाले उसके सजातीय लौकिक लिङ्ग के व्यापक सामग्री की तरह अपेक्षा होती है ॥ १९-२१ ॥

जनादयस्तु शास्त्रीयमात्रलिङ्गस्य बोधकाः ॥ २२ ॥

अतो जनादिशब्देभ्यः पुरुषस्याथवा स्त्रियाः ।
उभयस्यापि वा बोधो जायते योग्यतावशात् ॥ २३ ॥

जनादिर्लौकिकं लिङ्गं प्रत्याययति नैव यत् ।
अतो योषित्पुरुषयोस्तुल्यरूपं प्रवर्तते ॥ २४ ॥

जनादिशब्दास्तु न लौकिकलिङ्गवाचकाः, अपि तु शास्त्रीयमात्रलिङ्गवाचकाः। तेन पुरुषे स्त्रियामपि तत्प्रयोगः। यथा—

'सखीजनः पश्यति कौतुकेन" ।
"यत्र विद्वज्जनो नास्ति" ।

अत्रेदं बोध्यम् यथा वह्निसंयोगोत्तरं दाहदर्शनात् दाहं प्रति वह्नेः कारणत्वं कल्प्यते, अतोत्र दाहः कुतो नेतिपर्यनुयोगस्य वह्नेरभावादिति समाधानम्, तथा ब्राह्मणोऽयमिति श्रवणानन्तरं लौकिकपुंस्त्वयुतब्राह्मणविषयकबोधरूपकार्यदर्शनात् पुरुषत्वविशिष्टब्राह्मणविषयकशाब्दबुद्धिं प्रति स्त्रीप्रत्ययासमभिव्याहृतब्राह्मणपदजन्य-लौकिकपुंस्त्वोपस्थितिसहकृतब्राह्मणोपस्थितेः कारणत्वं कल्पनीयमिति तादृशकारण-विरहेण न ब्राह्मणीशब्दात् पुरुषबोधः।

एवं ब्राह्मणीयमिति श्रवणोत्तरं लौकिकस्त्रीत्वयुक्तब्राह्मणत्वविशिष्टविषयकशाब्द-बोधोत्पत्त्या तादृशबोधं प्रति स्त्रीप्रत्ययसमभिव्याहृतब्राह्मणपदजन्यलौकिकस्त्रीत्वो-पस्थितिसहकृतब्राह्मणत्वावच्छिन्नोपस्थितेः कारणत्वकल्पनात् तादृशकारणविरहेण ब्राह्मणोऽयमित्यतो न योषिद्विषयको बोधः।

जनादिशब्दात्तु स्त्रीपुरुषसाधारण्येन बोधोदयात्तत्र लौकिकलिङ्गनिरूपितशक्तेर-कल्पनात् स्त्रिया वा पुरुषस्य वोभयोर्वा बोध इति।

जनादिगणस्तु जन लोक अपत्य सन्तति सन्तान रक्षस् पतङ्ग शलभ गोधा सारिका पिपीलिका लिक्षा यूका छुच्छुन्दरीझिल्लीवाचकप्रभृतिः ।

अलिङ्गसलिङ्गशब्दविभागः

शब्दास्तावद्द्विविधाः—अलिङ्गाः सलिङ्गाश्च । तत्रालिङ्गा अव्ययान्याख्यातानि सलिङ्गास्तु विशेष्यनिघ्नाः स्वतन्त्रलिङ्गाश्च । तत्र विशेष्यनिघ्ना एव अन्यलिङ्गा इत्युच्यन्ते 'अधीनो निघ्न आयत्त' इति कोषात् विशेष्याधीना इत्यर्थः । समानाधिकरणविशेषणपरत्वे विशेष्यवाचकबोध्यलिङ्गबोधका इति यावत् । अन्यलिङ्गशब्दोऽप्येतदर्थपर एव। विशेष्यनिघ्नास्त्रिलिङ्गा एव ।

स्वतन्त्रलिङ्गास्तु एकलिङ्गा द्विलिङ्गास्त्रिलिङ्गाश्चेति त्रिविधाः । तत्रैकलिङ्गा अपि पुंस्त्रीनपुंसकमात्रलिङ्गवाचित्वेन त्रिविधाः । द्विलिङ्गा अपि स्त्रीपुंसयोः स्त्रीनपुंसकयोः पुंनपुंसकयोश्च वाचकत्वेन त्रिविधाः । तदित्थं सलिङ्गानां सप्तविधत्वम्—पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्गनपुंसकलिङ्ग-स्त्रीपुंसलिङ्ग—स्त्रीनपुंसकलिङ्ग-पुंनपुंसकलिङ्ग-त्रिलिङ्गत्वभेदात् ॥ २२–२४ ॥

जन आदि शब्द तो शास्त्रीय लिङ्ग मात्र के बोधक होते हैं, इसलिए जन आदि शब्दों से योग्यतावश पुरुष अथवा स्त्री या दोनों का बोध होता है ।

जन आदि शब्द लौकिक लिङ्ग का बोधक नहीं होने के कारण स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रवृत्त होते हैं ।

जन आदि शब्द लौकिक लिङ्ग के वाचक नहीं होते, वे शास्त्रीय लिङ्ग मात्र के ही वाचक होते हैं । इसलिए पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उसका समान रूप से प्रयोग होता है । जैसे—

सखीजनः पश्यति कौतुकेन, यहाँ सखी स्त्री के लिए तथा यत्र विद्वज्जनो नास्ति, यहाँ विद्वान् पुरुष के लिए जन शब्द का प्रयोग है ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि जैसे वह्नि के संयोग से दाह देखने में आता है वहाँ दाह के प्रति वह्नि कारण है, ऐसी कल्पना करते हैं । इसलिए यहाँ दाह क्यों नहीं है ? इस प्रश्न का वह्नि के अभाव से यह समाधान होता है । उसी तरह "ब्राह्मणोऽयम्" ऐसा सुनने के बाद लौकिक पुंस्त्व से युक्त ब्राह्मण विषयक बोध रूप कार्य देखा जाता है, जिससे पुरुषत्वविशिष्ट ब्राह्मण विषयक शब्दबोध के प्रति स्त्री-प्रत्यय से रहित ब्राह्मण पद से होनेवाले लौकिक पुंस्त्व की उपस्थिति के साथ ब्राह्मण पद की उपस्थिति कारण है, ऐसी कल्पना करनी होगी । अतः वैसे कारण के न रहने से ब्राह्मणी शब्द से पुरुष का बोध नहीं होगा ।

इसी तरह ब्राह्मणीयम् इसके सुनने के बाद लौकिक स्त्रीत्व से युक्त ब्राह्मणत्वविशिष्ट सम्बन्धी बोध रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए वैसे बोध के प्रति स्त्री-प्रत्यय सहित ब्राह्मण पद से होनेवाले लौकिक स्त्रीत्व की उपस्थिति के साथ ब्राह्मणत्वावच्छिन्न (ब्राह्मण)

की उपस्थिति कारण है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी—ऐसी स्थिति में वैसे कारण के अभाव से ब्राह्मणी शब्द से पुरुष का बोध न होगा।

जन आदि शब्दों से तो स्त्री एवं पुरुष दोनों का साधारण रूप से बोध होता है इसलिए वहाँ लौकिक लिङ्ग निरूपित शक्ति की कल्पना नहीं की जाती। यही कारण है कि स्त्री पुरुष अथवा दोनों का उससे बोध होता है।

जनादि गण में तो—जन, लोक, अपत्य, सन्तति, सन्तान, रक्षस, पतङ्ग, शलभ, गोधा, सारिका, पिपीलिका, लिक्षा, यूका, छुच्छुन्दरी, झिल्ली प्रभृति शब्द आते हैं।

अलिङ्ग एवं सलिङ्ग शब्दों का विभाग

शब्द प्रायः दो तरह के होते हैं—अलिङ्ग एवं सलिङ्ग। उसमें अलिङ्ग अव्यय तथा आख्यात हैं। सलिङ्ग दो तरह के होते हैं—विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले तथा स्वतन्त्र लिङ्ग वाले उसमें विशेष्यनिघ्न ही अन्यलिङ्ग ऐसा कहा जाता है क्योंकि "अधीनो निघ्न आयत्त" इस कोष से (निघ्न अधीनार्थक है) विशेष्यनिघ्न शब्द विशेष्याधीन अर्थ वाला है, अर्थात् समानाधिकरण विशेषण से परे रहने पर विशेष्यवाचक शब्द से बोध्य लिङ्ग का जो बोधक हो। अन्यलिङ्ग शब्द भी उपर्युक्त की तरह अर्थपरक होता है। विशेष्यनिघ्न शब्द तीनों लिङ्गों वाले ही होते हैं।

स्वतन्त्र लिङ्ग वाले शब्द तो एक लिङ्ग वाले, दो लिङ्ग वाले एवं तीन लिङ्ग वाले भी पुम्, स्त्री एवं नपुंसक मात्र के वाचक होने से तीन प्रकार के होते हैं। दो लिङ्ग वाले भी स्त्री एवं पुंस के स्त्री एवं नपुंसक के तथा पुम् एवं नपुंसक के वाचक होने से तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार सलिङ्ग शब्दों से (१) पुंलिङ्ग (२) स्त्रीलिङ्ग (३) नपुंसक लिङ्ग (४) स्त्रीपुंसलिङ्ग (५) स्त्रीनपुंसकलिङ्ग (६) पुंनपुंसकलिङ्ग और (७) त्रिलिङ्ग के भेद से सात प्रकार के होते हैं॥ २२-२४॥

स्वतन्त्रलिङ्गविशेष्यनिघ्नयोः परिचयः

जातिशब्दद्रव्यशब्दौ लिङ्गे स्वातन्त्र्यमृच्छतः।
गुणशब्दक्रियाशब्दौ प्रायोऽन्याधीनलिङ्गकौ ॥२५॥

स्वतन्त्रलिङ्गविशेष्यनिघ्नयोरवगम इत्थम्। जातिद्रव्यगुणक्रियाशब्देषु आद्यौ स्वतन्त्रलिङ्गौ, अन्त्यौ तु प्रायेण विशेष्यनिघ्नौ वेदितव्यौ। तत्र जातिशब्दाः प्रकारतया विशेष्यतया वा जात्युपस्थापकाः। ते उभये स्वतन्त्रलिङ्गाः। तत्र प्रकारतया जात्युपस्थापकाः घटपङ्कतटादयः। विशेष्यतया जात्युपस्थापकाः ब्राह्मणत्वब्राह्मण्यादयः। द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिमात्रबोधका आकाशचन्द्रादयः। तेऽपि स्वतन्त्रलिङ्गाः। गुणशब्दा गुणप्रकारकबोधजनकाः शुक्लमृद्वयादयो विशेष्यनिघ्नाः। प्राधान्येन गुणोपस्थापकास्तु ते जातिशब्दा एवेति स्वतन्त्रलिङ्गा एव, 'गुणे शुक्लादयः पुंसी'त्युक्तत्वात्। एवं गुणिवाचकप्रकृतिकत्वतलाद्यन्ताः शुक्लतादयोऽपि जातिवाचका एवेति। ते स्वतन्त्र-

लिङ्गा एव। क्रियाशब्दाः क्रियाप्रकारकबोधजनकाः पक्पाचकादयः। तेऽपि विशेष्यनिघ्नाः। विशेष्यतया क्रियोपस्थापका भवितव्यम्। पाकः कृतिः इत्यादयस्तु जातिशब्दत्वान्न विशेष्यनिघ्नाः अपि तु स्वतन्त्रलिङ्गा एव। प्राय इति कथनन्तु प्रमाणप्रधानोपाध्यायादिशब्दानां क्रियाशब्दत्वेऽपि विशेष्यनिघ्नत्वाभावात्। यथा देवदत्तः प्रधानम्। सूर्यादिः स्वल्पपरिमाणग्रहे दूरत्वमुपाधिः नीलः पट इत्यत्र नीलो विशेषणमिति दिक्।

जातिवाचका अपि केचन त्रिलिङ्गाः

जातिवाचको न कश्चिदपि त्रिलिङ्गः। भाष्ये 'लिङ्गानां च न सर्वभाक्' इत्युक्ततया एकशब्दवाच्यजातेरसर्वलिङ्गत्वबोधनात् 'तटं त्रिषु' इत्यमरस्य प्रमाद इति केचिदिति नागेश आह।

परे तु उक्तभाष्ये प्रायेणेति शेषः। अत एव विभीतकामलकादीनां बहूनां निघण्टौ त्रिलिङ्गत्वप्रतिपादनं संगच्छते। अनेककोषकृतां प्रमादकल्पनापेक्षया तद्भाष्यस्य प्रायोवादत्वस्वीकृतेर्न्याय्यत्वात्। एतदभिप्रेत्यैव नागेशेनापि इति केचिदित्युक्तमिति वदन्ति।

लौकिकलिङ्गबोधकशब्दविभागः

शास्त्रीयलिङ्गवाचकाः सामान्येन विविच्य निगदिताः। अथेदानीं लौकिकलिङ्गवाचकाः सामान्यतो विभज्योच्यन्ते। ये खलु लक्षणरूपं लौकिकपुंस्त्वादिलिङ्गमाचक्षते, ते शब्दा द्विविधाः। केचित् प्रवृत्तिनिमित्तं पुंस्त्वादि ब्रुवते पुमादयः। पुमानयम्, इयं स्त्री, एष जनो नपुंसकम्। एषु हि लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वनपुंसकत्वानि शब्दप्रवृत्तौ निमित्तानि। तदवच्छिन्ने च तत्सजातीयं शास्त्रीयमपि लिङ्गं प्रतीयते। तेन अमुना पुंसेत्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वादिनिबन्धननाभावादिरूपशास्त्रीयकार्यसिद्धिः।

केचन च प्रवृत्तिनिमित्तावच्छिन्ने स्वार्थे लौकिकपुंस्त्वादि बोधयन्ति। यथा ब्राह्मणकुमार्यादयः। अमुना ब्राह्मणेन अस्याः कुमार्याः प्रतिपालनम्, इमान् शूद्रान् इमाः शूद्राश्च त्यज। एते च लौकिकपुंस्त्वादिसामानाधिकरण्येन शास्त्रीयमपि पुंस्त्वादि बोधयन्त्येव। अत एव तन्निबन्धननत्वादिरूपशास्त्रीयकार्यसंपत्तिः। एवमेते शब्दा लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरेव वाचकाः, न तु लौकिकनपुंसकत्वस्य। तद्धि नपुंसकक्लीबशब्दादिभिरेव प्रवृत्तिनिमित्तरूपेणोच्यते।

सलिङ्गप्रभेदानामुदाहरणानि

अथ पूर्वमुक्ताः सलिङ्गानां प्रभेदा उदाह्रियन्ते—

(१) पुंस्त्वमात्रवाचकाः अर्थाश्रयविषयादयः। तत्प्रयोगाः–यथा घटशब्दस्य घटत्वमर्थः (वाच्यम्)। अत्रागमने सन्देशकथनमर्थः (प्रयोजनम्)। चैत्रस्य प्रभूतं हिरण्यमर्थः (धनम्)। पृथ्वी लोकानामाश्रयः (आधारः)। तस्माच्छस इति नत्वे पुंस्त्वमाश्रयः (निमित्तम्)। दासीनां स्वामिनी आश्रयः (सेव्या)। मिथिला रमणीयो विषयः। घट इति ज्ञाने घटत्वं विषयः। ममाध्ययनं प्रवृत्तिविषयः।

(२) स्त्रीत्वमात्रवाचकाः जातिव्यक्तिसंपदादयः। घटत्वं जातिः। यस्तत्र दृष्टः सा व्यक्तिराहूयताम्। अयं महत्या संपदा युक्तः।

(३) नपुंसकमात्रलिङ्गा रक्षोधनरत्नादयः। तत्प्रयोगो यथा—आसीद्रावणो नाम महाबलिष्ठं रक्षः। गावो धनम्। गङ्गा नदीरत्नम्।

(४) स्त्रीपुंसोभयलिङ्गाः अर्गलब्राह्मणभ्रमरादयः। इदं वस्तु अर्गला अर्गलो वा। अयं ब्राह्मण इति पुंसि। स्त्रियां तु इयं ब्राह्मणी। एवं भ्रमरः भ्रमरी।

(५) स्त्रीनपुंसकलिङ्गाः पुस्तकवेतसक्रोडादयः। इह नास्ति पुस्तकी पुस्तकं वा, ग्रन्थव्यञ्जकलिपियुतपत्रसमुदाय एव पुस्तकम्, ग्रन्थस्तु न पुस्तकी, अतो न साऽध्ययनकर्म। पुस्तकं पठतीति तु पुस्तकन्यस्तलेखाभिव्यक्तग्रन्थपरम्। वेतसो वेतसं वा तरुः मातुः क्रोडे क्रोडायां वा स्तनन्धयः सुखं स्वपिति।

(६) पुंनपुंसकलिङ्गाः पङ्कधर्मकार्पासादयः। गङ्गायाः पङ्कं पङ्को वाऽऽनीयताम्। धर्मं धर्मो वा सुखहेतुर्वस्तु, कार्पासं कार्पासो वा वस्त्रसाधनं पदार्थः।

(७) त्रिलिङ्गाः तटबिभीतकामलकादयः। एते स्वतन्त्रलिङ्गाः। विशेष्यनिघ्ना अपि त्रिलिङ्गा एव ॥ २५ ॥

स्वतन्त्र लिङ्ग एवं विशेष्यनिघ्न का परिचय

जाति शब्द एवं द्रव्य शब्द लिङ्ग में स्वतन्त्रता प्राप्त करते (स्वतन्त्र होते) हैं, जबकि गुण शब्द एवं क्रियाशब्द प्रायः दूसरे के अधीन लिङ्ग वाले होते हैं।

स्वतन्त्र लिङ्ग एवं विशेष्यनिघ्न का बोध इस प्रकार होता है—जाति, द्रव्य, गुण एवं क्रिया शब्दों में प्रथम दोनों शब्द स्वतन्त्र लिङ्ग वाले तथा अन्त के दोनों प्रायः विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले होते हैं; ऐसा समझना चाहिए। वहाँ जाति शब्द प्रकार विशेषण के रूप में अथवा विशेष्य के रूप में जाति को उपस्थित करने वाले होते हैं। वे दोनों जाति द्रव्य शब्द स्वतन्त्र लिङ्ग वाले होते हैं। उसमें प्रकार रूप से जाति के उपस्थित कराने वाले ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण्य आदि शब्द हैं। एक व्यक्ति मात्र के बोधक द्रव्यशब्द आकाश, चन्द्र आदि हैं। वे भी स्वतन्त्र लिङ्ग वाले होते हैं। शुक्ल एवं मृदु आदि गुणशब्द गुण-परकबोध के जनक होते हुए विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले होते हैं। प्रधान रूप से गुण को उपस्थित करने वाले तो जाति शब्द ही हैं, जो स्वतन्त्र लिङ्ग वाले ही होते हैं। कहा गया है—"गुणे शुक्लादयः पुंसि" अर्थात् शुक्ल आदि शब्द गुणपरक होने पर पुंलिङ्ग में ही होते हैं'। इसी प्रकार गुणी शब्द के प्रकृति वाले जिनके अन्त में त्वतल आदि लगे हों वे शुक्लता आदि शब्द भी जातिवाचक ही होते हैं। वे स्वतन्त्र लिङ्ग वाले ही होते हैं। क्रिया प्रचारक बोध के जनक युक्त वाचक आदि क्रिया शब्द विशेष्याधीन ही होते हैं। विशेष्य रूप से क्रिया को उपस्थित कराने वाले भवितव्यम्, पाकः एवं कृतिः आदि तो जातिशब्द होने के कारण विशेष्य निघ्न नहीं होते, बल्कि स्वतन्त्र लिङ्ग वाले ही होते हैं। श्लोक में प्रायः ऐसा कथन तो

प्रमाण, प्रधान एवं उपाध्याय आदि शब्दों के क्रिया शब्द होनेपर भी विशेष्य विघ्नत्व के कारण कहा गया हैं। जैसे—देवदत्तः प्रधानम्, सूर्य आदि के स्वल्प परिमाण में ग्रहण का दूरत्व उपाधि है। नीलः घटः यहाँ नील शब्द विशेषण है।

जातिवाचक भी कुछ तीनों लिङ्गों में होते हैं

जातिवाचक कोई शब्द तीनों लिङ्गों वाला न होता है। क्योंकि भाष्य में जाति के लक्षण को इस रूप में भी कहा है कि "लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक्" अर्थात् जो सभी लिङ्गों में न होता हो। इस भाष्य की उक्ति से एकशब्दवाच्य जातिवाचक शब्द सब लिङ्गों में होने वाला नहीं होता, ऐसा बोध कराया गया है। ऐसी स्थिति में "तटं त्रिषु अर्थात् तट शब्द तीनों लिङ्गों में होता है" अमरकोष की यह उक्ति कुछ विद्वानों की राय में प्रमादवश है, यह नागेश में लघुशब्देन्दुशेखर में कहा है। अन्य विद्वानों का कहना है कि उस भाष्य-वाक्य का शेष अंश प्रायेण है', (अतः सब लिङ्गरहित प्रायेण होते हैं, यह उसका अर्थ है)। इस तरह यह मानना होगा कि कुछ शब्द तीनों लिङ्गों में भी होते हैं। इसलिए विभीतक, आमलक आदि बहुत शब्दों का निघण्टु में त्रिलिङ्ग प्रतिपादन सङ्गत होता है। अनेक कोष बनाने वालों के प्रमाद की कल्पना की अपेक्षा से उस भाष्य में प्रायोवाद की स्वीकृति ही न्याय्य है। अतः यह कहा जाता है कि ऐसा समझ कर ही नागेश ने वहाँ "ऐसा कुछ लोग कहते हैं, यह कहा है।

लौकिक लिङ्ग बोध कराने वाले शब्दों के विभाग

शास्त्रीय लिङ्ग के वाचक शब्द सामान्य रूप से विवेचन कर कहे गये। इसके बाद अब लौकिक लिङ्ग के वाचक शब्द सामान्य रूप से विभक्त कर कहे जा रहे हैं। जो शब्द लक्षण स्वरूप लौकिक पुंस्त्व आदि लिङ्ग को बताते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रवृत्तिनिमित्त पुंस्त्व आदि को बताते हैं, वे पुम् आदि शब्द हैं। पुमान् अयम्, इयं स्त्री, एष जनो नपुंसकम्, इस रूप में वे प्रयुक्त होते हैं। इनमें लौकिक पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व शब्दों की प्रवृत्ति में निमित्त होते हैं। पुंस्त्व आदि से अवच्छिन्न शब्द में उसका सजातीय शास्त्रीय लिङ्ग भी प्रतीत होता है। जिससे अमुना पुंसा, आदि प्रयोगों शास्त्रीय पुंस्त्व आदि के कारण 'ना' भाव आदि रूप शास्त्रीय कार्य की सिद्धि होती है।

और कुछ शब्द प्रवृत्तिनिमित्त अवच्छिन्न स्वार्थ में लौकिक पुंस्त्व आदि का बोध कराते हैं। जैसे ब्राह्मण, कुमारी आदि शब्द। अमुना ब्राह्मणेन अस्याः कुमार्याः प्रतिपालनम्, इमान् शूद्रान्, इमाः शूद्राश्च त्यज इस रूप में उनका प्रयोग होता है। ये लौकिक पुंस्त्व आदि के साथ सामानाधिकरण्य रूप से शास्त्रीय पुंस्त्व आदि का भी बोध कराते हो हैं। इसीलिए शास्त्रीय लिङ्ग के कारण होने वाले नत्व आदि कार्य वहाँ होते हैं। इस तरह ये शब्द लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व के ही वाचक होते हैं, लौकिक नपुंसकत्व के वाचक नहीं होते। वह नपुंसक क्लीब आदि शब्द से ही प्रवृत्तिनिमित्त रूप से कहा जाता है।

सलिङ्ग के प्रभेदों का उदाहरण

यहाँ पहले कहे गये सलिङ्ग शब्दों के प्रभेदों को उद्धृत किया जाता है—

(१) पुंस्त्वमात्र के वाचक अर्थ, आश्रय, विषय आदि शब्द उदाहरण हैं। उनके प्रयोग हैं—जैसे घटशब्दस्य घटत्वमर्थः (यहाँ अर्थ शब्द का वाच्य अर्थ है)। अत्रागमने सन्देश-कथनमर्थः, यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ है। चैत्रस्य प्रभूतं हिरण्यमर्थः, यहाँ अर्थ शब्द का धन अर्थ है। पृथिवी लोकानामाश्रयः, यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ आधार है। तस्माच्छसः इति नत्वे पुंस्त्वमाश्रयः, यहाँ आश्रय का अर्थ निमित्त है। दासीनां स्वामिनी आश्रयः—यहाँ आश्रय शब्द सेव्य अर्थ में प्रयुक्त है। मिथिलारमणीयोविषयः, (यहाँ विषय का अर्थ देश है)। घट इति ज्ञाने घटत्वं विषयः। ममाध्ययनं प्रवृत्तिविषयः। (ये उनके प्रयोग हैं, जिन में अर्थ, आश्रय एवं विषय प्रभृति शब्द उदाहरण हैं)।

(२) स्त्रीत्व मात्र के वाचक, जाति व्यक्ति एवं संपद् आदि शब्द (उदाहरण हैं), उनके प्रयोग हैं– घटत्वं जातिः, यस्तत्र दृष्टः सा व्यक्तिराहूयताम्। अयं महत्या सम्पदायुक्तः, (इन प्रयोगों के जाति व्यक्ति एवं संपद् शब्द केवल स्त्रीत्व ही के वाचक हैं, सलिङ्ग का यह दूसरा उदाहरण है)।

(३) नपुंसकलिङ्गमात्र के वाचक, रक्षस्, धन एवं रत्न आदि शब्द (उदाहरण हैं), उनका प्रयोग जैसे—आसीद्रावणो नाम महाबलिष्ठं रक्षः, गावो धनम्, गङ्गानदीरत्नम् (इन प्रयोगों के केवल नपुंसकवाचक रक्षः, धन एवं रत्न शब्द तीसरे उदाहरण हैं।

(४) स्त्री पुंस दोनों लिङ्ग वाले शब्द अर्गला, ब्राह्मण, भ्रमर आदि हैं। शब्द—इदं वस्तु अर्गला अर्गलो वा, अयं ब्राह्मणः पुंलिङ्ग में तथा स्त्रीलिङ्ग इयं ब्राह्मणी है। इसी तरह भ्रमरः, भ्रमरी उनके प्रयोग हैं। (वे सलिङ्ग चतुर्थ उदाहरण है)।

(५) स्त्रीलिङ्ग एवं नपुंसक दोनों लिङ्गों वाले पुस्तक, वेतस एवं क्रोड़ आदि शब्द। (उनके प्रयोग ये हैं) इह नास्ति पुस्तकी, पुस्तकं वा। ग्रन्थव्यञ्जकलिपि से युक्त पत्रसमुदाय के लिए ही पुस्तक यह नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होता है। ग्रन्थ तो पुस्तकी इस रूप से स्त्री-लिङ्ग में नहीं प्रयुक्त होता है। इसलिए वह स्त्रीलिङ्ग पुस्तकी अध्ययन का कर्म नहीं है। पुस्तकं पठति यह प्रयोग तो पुस्तक में न्यस्त लेख को अभिव्यक्त करने वाला ग्रन्थपरक होता है। वेतसो वेतसं वा तरुः, मातुः क्रोडे क्रोडायाम्वा स्तनन्धयः सुखं स्वपिति। (इन प्रयोगों में आये पुस्तक वेतस एवं क्रोड शब्द उभयलिङ्गी सलिङ्ग के पाँचवें उदाहरण हैं)।

(६) पुंलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग दोनों के वाचक—पङ्क, घर्म एवं कार्पास आदि शब्द सलिङ्ग के छठे उदाहरण हैं। इनके प्रयोग हैं—गङ्गायाः पङ्कं पङ्को वाऽऽनीयताम्। घर्मं घर्मो वा सुखहेतुर्वस्तु। कार्पासं कार्पासो वा वस्त्रसाधनं पदार्थः।

(७) तीनों लिङ्गों में प्रयुक्त होने वाले—तट, विभीतक एवं आमलक आदि शब्द सलिङ्ग के सातवें उदाहरण हैं। ये स्वतन्त्र लिङ्ग वाले होते हैं। ये विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले होते हुए भी तीनों लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं॥ २५॥

अपत्यप्रत्ययान्तानां लिङ्गविचारः

अथेयं विचारणा अपत्यप्रत्ययान्ता मानवगार्ग्यादयः किं तावत् मानवोऽयमित्यादि प्रयोगदर्शनात् मानवमस्तीत्यादि प्रयोगादर्शनाच्च स्त्रीपुंसोभयमात्रलिङ्गाः उत रक्तभवाद्यर्थकतद्धितान्तवत् त्रिलिङ्गा इति ? तत्रैष निर्णयः—

स्त्रीपुंसयोरपत्यान्ता इति कोशानुसारतः ।
मानवादिपदं पुंस्त्वस्त्रीत्वयोरेव वाचकम् ॥२६॥

अमरकोषे लिङ्गसंग्रहवर्गे "स्त्रीपुंसयोरपत्यान्ताः" इत्यभिधानादपत्यप्रत्ययान्तानां स्त्रीत्वपुंस्त्वोभयमात्रलिङ्गवाचिता इति ॥२६॥

अपत्यप्रत्ययान्त वाले शब्दों का लिङ्गविचार

अपत्य प्रत्ययान्त शब्दों के विषय में विचारणीय है कि क्या मानव गार्ग्य आदि शब्द 'मानवोऽयम् आदि प्रयोगों के देखने से पुंलिङ्ग' तथा मानवमस्ति इस प्रयोग को देखने से नपुंसकलिङ्ग के रूप में दोनों लिङ्ग में होते हैं, या रक्त एवं भव आदि अर्थों में होने वाले तद्धित प्रत्ययान्तों के समान तीनों लिङ्ग में होते हैं ? उस विचारणा में निर्णय किया जाता है—

अपत्यप्रत्ययान्त शब्दकोष के अनुसार स्त्रीलिङ्ग एवं पुलिङ्ग में होते हैं। मानव आदि वैसे शब्द पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व के ही वाचक होते हैं।

अमरकोष के लिङ्गसंग्रह वर्ग में 'स्त्रीपुंसयोरपत्यान्ताः' अर्थात् अपत्यप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग एवं पुंलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ऐसा कहा गया है, उसके अनुसार अपत्यप्रत्ययान्त शब्दों की स्त्रीत्व एवं पुंस्त्वलिङ्ग मात्र की वाचकता होती है ॥ २६ ॥

गार्ग्यं विप्रद्वयं गार्ग्यं विप्राणां वर्तते शतम् ।
एवमिष्टे प्रयोगे तु तस्य लिङ्गत्रये स्थितिः ॥२७॥

केचित्तु एतद्ब्राह्मणद्वयं मनोरपत्यमित्यर्थे एतद्ब्राह्मणद्वयं मानवमिति प्रयोगः सम्यक्, ब्राह्मणद्वयं मानवः इति प्रयोगो न समीचीनः प्रतिभातीति अपत्यप्रत्ययान्तानां भवाद्यर्थकतद्धितान्तानामिव त्रिलिङ्गता । अमरसिंहेन तु तेषां प्रायेण स्त्रीपुंसयोः प्रयोगदर्शनाद्द्विलिङ्गतोक्तेति न तद्विरोधः । किञ्चामरकोषे गण्डूषशब्दस्य स्त्रीत्वमात्रलिङ्गत्वमुपदिष्टं "लाक्षा लिक्षा च गण्डूषा" इति परन्तु "कृत्वा द्वादश गण्डूषान् मुखशुद्धिर्विधीयते" इत्यादौ पुंलिङ्गोऽपि गण्डूषशब्दो दृश्यते । तस्मादमरोक्तानां लिङ्गानां प्रामाण्यं न तु तदनुक्तानामप्रामाण्यमेवेति वदन्ति ।

केवलप्राणिवाचकशब्दविभागः

चेतनमात्रवाचका द्विविधाः केचिल्लौकिकलिङ्गं ब्रुवते केचिन्नेति लौकिकलिङ्गवाचकत्वतदवाचकत्वाभ्यां द्वैविध्यम् । तत्र लौकिकलिङ्गवाचकाः पितृ मातृ भ्रातृ

दुहितृ स्वसृ जातृ जामातृ पुरुष वृष वृषभदार स्नुषा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुमारादयो बहवः।

लौकिकलिङ्गाबोधकास्तु जनलोकादयः पूर्वोक्ताः। एषां पुरुषे स्त्रियां च प्रयोगेण लौकिकलिङ्गवाचकत्वाभावः।

लौकिकलिङ्गवाचकशब्दविभागः

लौकिकलिङ्गवाचका अपि द्विविधाः। केचित् प्रवृत्तिनिमित्तं लौकिकपुंस्त्वादिलिङ्गं ब्रुवते, यथा पुमान् स्त्री नपुंसकम्। अपरे ब्राह्मत्वाद्रिरूपप्रवृत्तिनिमित्तविशिष्टस्वार्थे लौकिकं पुंस्त्वादि लिङ्गं बोधयन्ति। यथा ब्राह्मणः ब्राह्मणी, कुमारः कुमारी। तथा च प्रवृत्तिनिमित्तभूतलौकिकलिङ्गवाचकत्वाप्रवृत्तिनिमित्तलौकिकलिङ्गवाचकत्वाभ्यां तेषां द्वैविध्यम्।

तत्र प्रवृत्तिनिमित्तभूतलौकिकलिङ्गवाचकाः पितृमातृजामातृभ्रातृदारपुरुषवृषवृषभप्रभृतयः। लिङ्गेतरप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति लौकिकलिङ्गवाचकास्तु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रान्त्यजबालप्रभृतः। एते लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वोभयलिङ्गवाचकाः। तत्र स्त्रियां प्रयोगे स्त्रीप्रत्ययोत्पत्त्या ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्राऽन्त्यजा कुमारी बालेत्यादय शब्दाः संपद्यन्ते।

एवञ्च प्राणिमात्रवाचकाः सामान्यतस्त्रिविधाः। १ प्राणिमात्रवाचित्वे सति लौकिकलिङ्गवाचित्वाभावे च सति शास्त्रीयपुंस्त्वनपुंसकत्वान्यतमवाचिनः। २ प्रवृत्तिनिमित्तभूतलौकिकपुंस्त्वनपुंसकत्वान्यतमलिङ्गवाचित्वे सति तत्सजातीयविजातीयान्यतरशास्त्रीयलिङ्गवाचिनः। ३ लौकिकलिङ्गेतरप्राणिमात्रगतप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वोभयवाचित्वे च सति शास्त्रीयपुंस्त्वस्त्रीत्वोभयवाचिनश्च ॥ २७ ॥

गार्ग्यं विप्रद्वयं तथा गार्ग्यं विप्राणां शतम् वर्त्तते आदि रूप में गर्गस्य गोत्रापत्यम् इस अर्थ में अपत्यार्थक यञ्प्रत्ययान्त 'शब्द का यदि नपुंसकलिङ्ग में भी प्रयोग इष्ट है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अपत्यप्रत्ययान्त की तीनों लिङ्गों में स्थिति मानी गयी है।

कुछ लोग तो एतद्ब्राह्मणद्वयं मनोरपत्यम् इस अर्थ में एतद्ब्राह्मणद्वयं मानवम् इस प्रयोग को ठीक मानते हैं। उनके अनुसार "ब्राह्मणद्वयं मानवः" ऐसा प्रयोग समीचीन नहीं माना जाता। ऐसी हालत में कुछ आचार्यों की राय है कि भव आदि अर्थ में होने वाले तद्धित प्रत्ययान्तों के समान अपत्यप्रत्ययान्त शब्दों की भी त्रिलिङ्गता होती है। अमरसिंह ने तो उनका प्रायः स्त्री एवं पुंस् लिङ्गों में ही प्रयोग देखने से द्विलिङ्गता बतायी है ? (इस तरह दोनों के प्रतिपादन में दृष्टिभेद से भेद है) विरोध नहीं है। दूसरी बात है कि अमरकोष में "लाक्षा लिक्षा च गण्डूषा" इस उक्ति के द्वारा गण्डूष शब्द का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग मात्र में होने का संकेत किया गया है परन्तु "कृत्वा द्वादश गण्डूषान् मुखशुद्धिर्विधीयते" आदि प्रयोगों

में गण्डूष शब्द का पुंलिङ्गरूप भी देखा जाता है। इसलिए अमरकोष में बताये गये लिङ्गों का प्रामाण्य है, पर उसमें न कहे गये लिङ्गों में अप्रमाण्य नहीं है, ऐसा वे कहते हैं।

केवल प्राणिवाचक शब्दों का विभाग

चेतनमात्र के वाचक शब्द दो तरह के होते हैं। उनमें कुछ लौकिक लिङ्ग को बताते हैं, कुछ नहीं बताते, इसलिए लौकिक लिङ्ग के वाचक एवं अवाचक भेद से उनके दो प्रकार हैं। वहाँ लौकिक लिङ्ग के वाचक पितृ, भ्रातृ, दुहितृ, स्वसृ, यातृ, जामातृ, पुरुष, वृष, वृषभदार, स्नुषा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं कुमार आदि बहुत शब्द हैं।

लौकिक लिङ्ग के अबोधक तो जन एवं लोक आदि पूर्वोक्त शब्द है। इनका पुरुष एवं स्त्री के लिए प्रयोग होने से ज्ञात होता है कि लौकिक लिङ्ग की वाचकता का इनमें अभाव है।

लौकिक लिङ्ग के वाचक शब्दों का विभाग

लौकिक लिङ्ग के वाचक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में लौकिक पुंस्त्व आदि लिङ्गों को कहते हैं। जैसे—पुमान्, स्त्री एवं नपुंसकम्। दूसरे ब्राह्मणत्व आदिरूप प्रवृत्तिनिमित्त के साथ वाले स्वार्थ में लौकिक पुंस्त्व आदि अपने लिङ्गों का भी बोध कराते हैं। जैसे—ब्राह्मणः ब्राह्मणी, कुमारः कुमारी, आदि। उस तरह प्रवृत्ति निमित्तभूत लौकिक लिङ्ग के वाचक तथा अप्रवृत्ति निमित्त लौकिक लिङ्ग के वाचक, इन दोनों भेदों से उनके दो प्रकार होते हैं।

उसमें प्रवृत्ति निमित्त होने वाले लौकिक लिङ्ग के वाचक पितृ, मातृ, जामातृ, भ्रातृ, दार, पुरुष, वृष एवं वृषभ प्रभृति शब्द हैं। इतरलिङ्ग अर्थात् शास्त्रीयलिङ्ग प्रवृत्ति निमित्त जिनके हैं, ऐसा होते हुए लौकिक लिङ्ग के वाचक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्त्यज एवं कालप्रभृति शब्द हैं। ये लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व दोनों लिङ्गों के वाचक हैं। उसमें स्त्री के लिए प्रयोग होनेपर स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति होने से ब्राह्मणी क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, अन्त्यजा कुमारी एवं बाला आदि शब्द बनते हैं।

इस तरह प्राणीमात्र के वाचक शब्द सामान्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। (१) प्राणीमात्र के वाचक होते हुए तथा लौकिक लिङ्ग के वाचकत्व के अभाव वाले होते हुए शास्त्रीय पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व में से किसी एक का वाचक (एक प्रकार है) (२) प्रवृत्तिनिमित्त होने वाले लौकिक पुंस्त्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व में से किसी एक लिङ्ग का वाचक होते हुए उसके सजातीय या विजातीय में से किसी एक शास्त्रीय लिङ्ग का वाचक (दूसरा प्रकार है) (३) लौकिक लिङ्ग से भिन्न प्राणीमात्र में होने वाले प्रवृत्तिनिमित्त वाले होते हुए तथा लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व दोनों के वाचक होते हुए शास्त्रीय पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व दोनों का वाचक (तीसरा प्रकार है) ॥ २७ ॥

लौकिकलिङ्गवाचिनः प्रायेण तत्सजातीयशास्त्रीयलिङ्गबोधकाः

अस्ति च यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं लौकिकलिङ्गं लोके वित्तम् ।
तस्य च वाच्यं खलु शास्त्रीयं लिङ्गमपि स्यात्तज्जातीयम् ॥२८॥

ये खलु लौकिकलिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः ते प्रायेण तत्सजातीयं शास्त्रीयलिङ्गं ब्रुवते । यथा पितृशब्दो लौकिकपुंस्त्ववाची पितृत्वं हि जनकत्वविशिष्टलौकिकपुंस्त्वं स च शास्त्रीयपुंलिङ्ग एव । एवं मातृशब्दो जनकत्वविशिष्टलौकिकस्त्रीत्ववाचीति शास्त्रीयमपि स्त्रीत्वमेव वक्ति । एवं जामातृदुहितृवृषभादयः । दारशब्दस्तु विवाहितत्वविशिष्टलौकिकस्त्रीत्ववाचित्वेऽपि शास्त्रीयपुंस्त्ववाचकः । तथा मन्त्रिवाचकप्रधानशब्दो लौकिकपुंस्त्ववाचित्वेऽपि तद्विजातीयशास्त्रीयनपुंसकत्ववाचीत्यतः प्रायेणेत्युक्तम् ॥ २८ ॥

लौकिक लिङ्ग के वाची प्रायः उसके सजातीय शास्त्रीय लिङ्ग के बोधक होते हैं

जिस शब्द का लौकिक लिङ्ग लोक में प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में प्रसिद्ध है, उसका उस लिङ्ग के जाति वाला शास्त्रीय लिङ्ग भी निश्चित ही वाच्य होता है ।

जो लौकिक लिङ्ग रूप प्रवृत्तिनिमित्त वाले होते हैं, वे प्रायः उसका सजातीय स्त्रीय लिङ्ग बताते हैं । जैसे पितृ शब्द लौकिक पुंस्त्ववाची है, क्योंकि पितृत्व जनकत्व विशेषण से युक्त लौकिक पुंस्त्व है और वह शास्त्रीय पुंलिङ्ग ही है । इसी तरह मातृ शब्द जनकत्व विशेषण से युक्त लौकिक स्त्रीवाची है और शास्त्रीय लिङ्ग स्त्रीत्व को ही बताता है । इसी तरह जामातृ, दुहितृ एवं वृषभ आदि शब्द हैं । दार शब्द तो विवाहितत्व विशिष्ट लौकिक स्त्रीत्ववाची होनेपर भी शास्त्रीय पुंस्त्व का वाचक है । उसी तरह मन्त्री का वाचक प्रधान शब्द लौकिक पुंस्त्व का वाची होने पर भी उसके विजातीय शास्त्रीय नपुंसकत्व का वाचक है । इसीलिए वहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात् प्रायः होते हैं ऐसा कहा गया है ॥ २८ ॥

विशेष्यनिघ्नानां शास्त्रीयलिङ्गत्रयवाचिता

विशेष्यनिघ्नाः शास्त्रीयलिङ्गत्रितयवाचिनः ।
भवन्त्येवान्यथा तेषां न हि स्यादन्यलिङ्गता ॥२९॥

विशेष्यनिघ्नानां सुन्दरादिशब्दानां शास्त्रीयलिङ्गत्रयवाचित्वमसन्दिग्धमेव । सुन्दरोऽयं कुमारः, सुन्दरीयं कुमारी, सुन्दरं वस्तु इत्यादिषु लिङ्गत्रयप्रयुक्तकार्यदर्शनात् । अत एव ते अन्यलिङ्गा विशेष्यनिघ्नाश्चोच्यन्ते ॥ २९ ॥

विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले प्रायः तीनों लिङ्गों के वाचक होते हैं

विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले शास्त्रीय तीनों लिङ्गों के वाची होते हैं । अन्यथा उनकी दूसरे के लिङ्ग की अनुसारिणीलिङ्गता नहीं हो सकती ।

विशेष्यनिघ्न सुन्दर आदि शब्दों का शास्त्रीय तीनों लिङ्गों का वाची होना असन्दिग्ध ही है। सुन्दरोऽयं कुमारः, सुन्दरीयं कुमारी, सुन्दरं वस्तु आदि प्रयोगों में तीनों लिङ्ग में प्रयुक्त कार्य देखने से ऐसा निर्णय है। इसीलिए वे शब्द अन्य लिङ्ग तथा विशेष्य निघ्न कहे जाते हैं ॥ २९ ॥

विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गावाचित्वपक्षोपपादनम्

विशेष्यनिघ्नानां ब्राह्मणकुमारादिशब्दवत् लौकिकपुंस्त्वादिवाचित्वमभ्युपगन्तव्यं न वेति सन्देहः। तत्र मतद्वयम्—

विशेष्यनिघ्ना ये शब्दास्तेषु शक्तिर्न लौकिके।
लिङ्गे गौरवदोषेणेत्याहुः केचिद्विचक्षणाः ॥ ३० ॥

विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गवाचकत्वं न स्वीकार्यमिति पूर्वपक्षसाधिका युक्तयश्च अनन्तेषु विशेष्यनिघ्नेषु लौकिकलिङ्गनिरूपितशक्तीनामकल्पनेन लाघवम्। शोभना पुस्तकीत्यादौ लौकिकलिङ्गबोधासम्भवः। पवित्रा ब्राह्मणीत्यादौ विशेष्यपदेनैव लौकिकलिङ्गप्रतीतिश्च।

एवं तर्हि विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गवाचित्वाभावपक्ष एवास्तु। न च तथा सति, जलानयनाय कश्चिदाहूयतामिति वाक्यात् कदाचित् स्त्रीव्यक्तेरपि बोधः स्यादिति वाच्यम्, इष्टापत्तेः। अत एव—

"अकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्बे।
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागधेयम्" ॥

इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययाभावेऽपि अकृशादिपदात्पार्वत्या बोधः। एवम्

"क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया।
या स्वौजसां साधयितुं विलासैस्तावत् क्षमा नामपदं बहु स्यात्" ॥

अत्र स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्योऽपि प्रथमाक्षमादिपदेभ्यः पुरुषस्य नलस्य प्रतीतिः।

न च विशेष्यनिघ्नानां लौकिकपुंस्त्वाद्यवाचित्वे

"अधरकिसलये कान्तदन्तक्षते हरिणशिशुदृशां नृत्यति भ्रूयुगम्।
ध्रुवमुचितमिदं यद्विपत्तौ सतामतिकुटिलगतेः स्यान्महानुत्सवः" ॥

इत्यत्र कान्तपदेन पुरुषस्य कथमवगतिरिति वाच्यम्? तात्पर्यवशाद्योग्यतावशाच्च पुरुषबोधात्, तत्रैव हरिणशिशुदृक्पदेन नारीबोधवत्। तस्मान्मा भूद्विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गवाचित्वभार इति वदन्ति ॥ ३० ॥

विशेष्य निघ्न शब्दों के लौकिक लिङ्ग वाचित्व पक्ष का उपपादन

विशेष्यनिघ्न शब्दों को ब्राह्मण एवं कुमार आदि शब्दों के समान लौकिक पुंस्त्व आदि का वाचक मानना चाहिए, या नहीं यह सन्देह होता है। उसमें दो मत है—जो विशेष्यनिघ्न शब्द है, उनमें लौकिक लिङ्ग को बताने की शक्ति नहीं होती क्योंकि वैसा मानने पर गौरवरूपी दोष होता है, ऐसा कुछ विद्वान् कहते हैं।

विशेष्यनिघ्न शब्दों की लौकिक लिङ्ग की वाचकता स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस पूर्वपक्ष के समर्थन में युक्तियाँ यों हैं—"वैसा करने पर विशेष्यनिघ्न अनन्त शब्दों में लौकिक लिङ्ग निरूपित शक्तियों की कल्पना न करने से लाघव होता है। शोभना पुस्तकी आदि प्रयोगों में लौकिक लिङ्ग का बोध असम्भव है तथा पवित्रा ब्राह्मणी आदि प्रयोगों में विशेष्य पद से ही लौकिक लिङ्ग की प्रतीति हो जाती है। (इसलिए लौकिक लिङ्ग वहाँ स्वीकार्य नहीं है)।

इस तरह युक्ति से अस्वीकार्य पक्ष के सिद्ध होने पर तब विशेष्यनिघ्न शब्दों का लौकिक लिङ्ग के वाचित्व के अभाव वाला पक्ष ही रहे। ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा होने पर जलानयनाय कश्चिदाहूयताम् इस वाक्य से कभी स्त्रीव्यक्ति का भी बोध होने लगेगा। (यह दोष होगा) क्योंकि वैसा दृष्ट ही है। इसी कारण—

(दोनों स्तनों में अकृश, उदर में कृश, आँख में विपुला, नितम्ब में विस्तृत एवं अधर में अरुण तथा चित्त में करुणाशाली कपाली शिव का भागधेय प्रकट हो, इस अर्थवाले उद्धृत पद्य में स्त्री-प्रत्यय के अभाव में भी अकृश आदि पद से पार्वती का बोध होता है।)

इसी तरह—

(साधु विभक्ति की यदि चिन्ता करें तो वह प्रथमा कही जानेवाली विभक्ति ही वैसी होगी, जो सु और जस् के विलास से नाम पदों को साधने में बहुत क्षम होगी, तथा यदि सज्जन व्यक्ति की विभक्त रूप में चिन्ता करे तो वही नाम व्यक्ति प्रथम होगा, जो अपने ओज के विलासों से क्षमा अर्थात् पृथिवी नामक पद साधने में अर्थात् अधीन करने मे क्षम हो सकता है।)

इस तरह द्वयर्थक उद्धृत पद्य में प्रथमा एवं क्षमा आदि पदों से पुरुष नाम की प्रतीति होती है। यह नहीं कह सकते कि विशेष्यनिघ्न शब्दों के लौकिक पुंस्त्व आदि के वाचक न होने पर—

कान्त के दन्त से क्षत नायिका के अधररूपी किसलय में हरिण के शिशु के समान आँखों वाली के दोनों भौं नाचते हैं, निश्चित ही उचित है कि सज्जनों की विपत्ति में कुटिल जाति वाले को महान् उत्सव होता है।

इस अर्थवाले उद्धृत पद्य में विशेष्यनिघ्न कान्त पद से पुरुष की कैसे प्रतीति होगी। (ऐसा नहीं कह सकते)। क्योंकि तात्पर्यवश तथा योग्यतावश यहाँ पुरुष का बोध हो जाता

है। वहीं जैसे हरिण शिशु दृक् पद से नारी का बोध होता है (उसी तरह हो जाएगा) इससे विशेष्यनिघ्न शब्दों पर लौकिक लिङ्ग के वाचित्व का भार 'मत हो' ऐसा वे कहते हैं ॥ ३० ॥

विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गवाचित्वपक्षसमर्थनम्

परे त्वाहुर्विशेष्यात्तल्लिङ्गानामपि लौकिकम् ।
लिङ्गमर्थोऽभ्युपेतव्यः कुमारब्राह्मणादिवत् ॥ ३१ ॥

परे तु प्राणिवाचिनां ब्राह्मणकुमारादीनां यथा लौकिकेऽपि लिङ्गे शक्तिस्तथा चेतनाचेतनसाधारणसुन्दरत्वाद्यवच्छिन्नवाचिविशेष्यनिघ्नानामपीति सुन्दरः कश्चिदानीयतामित्यतः पुरुषस्यैव, सुन्दर्यानीयतामित्यतश्च नार्या एव बोधः। विपरीतबोधेष्टापत्तिस्तु न, अनुभवविरोधात् ।

न च विशेष्यनिघ्नानां विशेषणत्वेनैव स्वार्थबोधकतया सुन्दर आनीयतामित्यत्र विशेष्यवाचकपदाध्याहारस्यावश्यकत्वेन नार्यादिपदाध्याहारे स्त्रीप्रत्ययमन्तरेणासाधुत्वापत्त्या पुरुष इत्यादेरेवाध्याहारेण भवितव्यमिति न ततः स्त्रिया बोध इति वाच्यम्, सर्वत्राध्याहारे मानाभावात् ।

किञ्च अयमधमपुत्र इत्यत्र विशेष्यवाचकपदाध्याहारासंभवेन विशेष्यनिघ्नानां समानाधिकरणविशेषणत्वेनैवार्थबोधकत्वमिति नियमासिद्धेः, मूर्खपुत्रो मूर्ख एवेत्यादौ स्त्रिया अपि बोधप्रसङ्गाच्च। मम तु लौकिकलिङ्गस्यापि वाचकतया लौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरुपस्थितौ पुरुषविषयकतात्पर्यवशात् स्त्रीप्रत्ययाभावघटितशाब्दसामग्र्या पुरुषबोधः सूपपादः विशेष्यनिघ्नत्वव्यवहारस्तु सामानाधिकरणविशेषणपरत्वे तथात्वमित्येतावताप्युपपद्यते ।

न च विशेष्यनिघ्नानां लौकिकलिङ्गस्यापि बोधकत्वे सुन्दरो घट आनीयतामित्यत्र बोधाभावप्रसङ्गः, घटे लौकिकलिङ्गाभावादिति वाच्यम्, यत्र हि लौकिकलिङ्गसंभवस्तत्रैव तत्प्रतीतेः। तथा हि न सुन्दरादिशब्दानां लौकिकलिङ्गविशिष्टशास्त्रीयलिङ्गे शक्तिः विनिगमनाविरहेण शास्त्रीयलिङ्गविशिष्टलौकिकलिङ्गेऽपि शक्तेः कल्पनीयतया गौरवात्, अपि तु लौकिके शास्त्रीये च लिङ्गे खण्डशः शक्तिः। तथा सति योग्यतातात्पर्यवशात् समभिव्याहारविशेषमहिम्ना च क्वचिदुभयोर्लिङ्गयोः प्रत्ययः क्वचिच्छास्त्रीयमात्रस्येत्यदोषादित्याहुः ॥ ३१ ॥

विशेष्यनिघ्न शब्दों के लौकिक लिङ्ग के वाची होनेवाले पक्ष का समर्थन

पर अर्थात् श्रेष्ठ लोग तो कहते हैं कि विशेष्यनिघ्न शब्दों के भी विशेष्य से अवगत तत् तत् लिङ्ग वाले शब्दों का कुमार एवं ब्राह्मण आदि शब्दों के समान लौकिक लिङ्ग रूपी अर्थ मान लेना चाहिए।

श्रेष्ठों का मत है कि प्राणीवाची ब्राह्मण एवं कुमार आदि शब्दों जैसे—लौकिक लिङ्ग (अर्थ) में भी शक्ति होती है, उसी तरह चेतन एवं अचेतन साधारण सुन्दरत्वावच्छिन्न के वाची

विशेष्यनिघ्न शब्दों की भी उस लिङ्गरूपी अर्थ में शक्ति होती है। इसलिए "सुन्दरः कश्चिदानीयताम्" इस वाक्य से पुरुष का ही बोध होता है, तथा "सुन्दर्यानीयताम्" इससे नारी का ही बोध होता है। उपर्युक्त कथन से विपरीत बोध तो अनुभव के विरुद्ध होने से इष्ट नहीं माना जा सकता है। विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाले शब्दों का विशेषणत्व रूप से ही स्वार्थबोधकता होने के कारण सुन्दर: आनीयताम् इस प्रयोग में विशेष्य वाचक पद का अध्याहार आवश्यक होने के कारण नारी आदि पदों के अध्याहार में स्त्री प्रत्यय के बिना असाधुत्व होने लगेगा, इसलिए पुरुष इत्यादि का ही अध्याहार होना चाहिए, इसलिए उससे स्त्री का बोध न होगा (ऐसा नहीं कह सकते) क्योंकि सब जगह अध्याहार करने में प्रमाण नहीं है।

दूसरी बात है कि "अयमघमपुत्र" इस वाक्य में विशेष्य वाचक पद के अध्याहार के असम्भव होने के कारण विशेष्यनिघ्न शब्दों की समानाधिकरणविशेषणत्व के रूप से ही अर्थबोधकता होती है, इस नियम की ही सिद्धि न हो सकेगी तथा "मूर्खपुत्रो मूर्ख एव" आदि वाक्यों से स्त्री का भी बोध होने लगेगा। मेरे मत में तो लौकिक लिङ्ग की भी वाचकता के कारण लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व की उपस्थिति होने पर पुरुष विषयक तात्पर्य के कारण स्त्री प्रत्यय के अभाव से घटित शब्द सामग्री से पुरुष बोध का उपपादन सम्भव है। विशेष्यनिघ्नत्व ऐसा व्यवहार तो समानाधिकरण परक रहने पर वैसा होता है, इस कहने मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है।

ऐसा भी नहीं कह सकते कि विशेष्यनिघ्न शब्दों के लौकिक लिङ्ग के बोधक होने पर "सुन्दरः घटः आनीयताम्" यहाँ बोध के अभाव की प्राप्ति होने लगेगी क्योंकि घट में लौकिक लिङ्ग का अभाव है, क्योंकि जहाँ लौकिक लिङ्ग सम्भव है, वही उसकी प्रतीति इष्ट है जैसे सुन्दर आदि शब्दों की लौकिक लिङ्ग विशिष्ट शास्त्रीय लिङ्ग में शक्ति नहीं होती, क्योंकि विनिगमना के अभाव के कारण शास्त्रीय लिङ्ग विशिष्ट लौकिक लिङ्ग में भी शक्ति की कल्पना करनी होगी, इस तरह शक्ति की कल्पनीयता रूपी गौरव होने लगेगा। किन्तु लौकिक एवं शास्त्रीय लिङ्गों में उनकी खण्डशः शक्ति है। वैसा होने पर योग्यता तथा तात्पर्यवश एवं समभिहार विशेष की महिमा से कहीं दोनों लिङ्गों का प्रत्यय होगा कहीं शास्त्रीय मात्र प्रत्यय होगा इस तरह दोष नहीं होगा, ऐसा वे कहते हैं ॥ ३१ ॥

लिङ्गसंख्ययोः क्वचिदविवक्षापि

लिङ्गाविवक्षया क्वापि शूद्रप्रभृतिशब्दतः।
योषित्पुरुषयोर्बोधः साधारण्येन जायते ॥ ३२ ॥

ये तावदनियतलिङ्गाः प्राणिषु प्रयोगयोग्याः शूद्रब्राह्मणादयः तद्वाच्यलौकिकलिङ्गस्य कुत्रचिदविवक्षापि भवति। तेन 'परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्' इत्यत्र शूद्रवाच्यलौकिकपुंस्त्वस्त्रीत्वयोरविवक्षितत्वात् शूद्रत्वेन स्त्रीपुरुषसाधारणधर्मेण स्त्रीपुरुषयोरुभयोर्बोधः। एवं, ब्राह्मणो न हन्तव्य' इत्यादौ लिङ्गाविवक्षयोभयोः प्रतीतिर्जायते।

ये पुनः प्राणिषु प्रयोगयोग्या अपि नियतलिङ्गाः सन्ति गन्धमुखगोधादयः तेषां लौकिकं लिङ्गं वाच्यमेव नास्ति अपि तु शास्त्रीयमेव। अतो गन्धमुखगोधाशालभादि-शब्देभ्यः स्त्रीपुरुषसाधारण्ये न बोधो नियत एव ॥ ३२ ॥

लिङ्ग एवं संख्या की कहीं-कहीं अविवक्षा भी होती है

लिङ्ग की अविवक्षा के कारण कहीं शूद्र प्रभृति शब्दों से साधारण रूप से स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध होता है।

जो अनियत लिङ्ग वाले प्राणियों में प्रयोग के योग्य शूद्र ब्राह्मण आदि शब्द हैं, उनके वाच्य लौकिक लिङ्ग की कहीं अविवक्षा भी होती है, इसीलिए "परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्" अर्थात् स्वभावजन्य सेवा रूप कर्म शूद्रों का भी अन्य वर्णों के समान ही होता हैं। इस वाक्य में शूद्र शब्द के वाच्य लौकिक पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व के अविवक्षित होने के कारण शूद्रत्व रूप से स्त्री एवं पुरुष साधारण धर्म से स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध होता है। इसी तरह "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" आदि वाक्यों में लिङ्ग को अविवक्षा के कारण ब्राह्मण शब्द से स्त्री एवं पुरुष दोनों की प्रतीति होती हैं।

जो फिर प्राणियों में प्रयोग के योग्य भी नियतलिङ्ग गन्ध, मुख एवं गोधा आदि शब्द हैं, उनका लौकिक लिङ्ग वाच्य ही नहीं है। शास्त्रीय लिङ्ग ही वाच्य है। अतः गन्ध, मुख, गोधा एवं शलभ आदि शब्दों से स्त्री एवं पुरुष सामान्य का बोध निश्चित नहीं है ॥ ३२ ॥

शूद्राप्रभृतिशब्देषु न लिङ्गस्याविवक्षणम्।
अतस्तेभ्यो नियमतः स्त्रीमात्रविषयैव धीः ॥ ३३ ॥

यथ यदा शूद्रप्रभृतिशब्देषु शास्त्रीयस्त्रीत्वं विवक्ष्यते तदा तेभ्यः स्त्रीप्रत्ययस्य टाबादेरुत्पत्त्या शूद्राब्राह्मणीत्याद्याः शब्दाः भवन्ति। तेभ्यश्च नियमेन स्त्रीव्यक्तय एव प्रतीयन्ते न पुरुषाः। कुत एतदिति चेत्? यतो विशेष्यनिघ्नभिन्नेषु लौकिकलिङ्ग-वाचकेषु उदीरितेषु शास्त्रीयलिङ्गसामानाधिकरण्येन तत्सजातीयं लौकिकलिङ्गमपि प्रतीयत एवेति नियमो जागर्त्ति। तस्मात् शूद्राप्रभृतिशब्देषु लौकिकमपि स्त्रीत्वं विवक्षणीयमेव भवति। तेन शूद्रब्राह्मणीत्यादितः स्त्रिया एव बोधो जायते न पुरुषस्य। विशेष्यनिघ्नानान्तु विशेष्याधीनलिङ्गसमर्पकत्वात् स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेऽपि सति तात्पर्ये लौकिकपुंस्त्वविशिष्टबोधकत्वमपि भवति। यथा "व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया" इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययान्तप्रथमाशब्देन नलस्य प्रतीतिः।

अथैवं लौकिकलिङ्गस्याविवक्षायां रन्धनाय पाचको नियुज्यतामिति वाक्यान्नार्या अपि बोधापत्तिरिति चेत्—प्रकरणादितो विवक्षाविरहनिर्णये इष्टापत्तिः।

अत एव तत्रभवः, तत्रजातः, इत्यादिसूत्रेषु व्याख्यानतो लिङ्गसंख्ययोर-विवक्षितत्वनिर्णयेन तदनवच्छिन्नस्यैव तद्धितवाच्यतया माथुरिकी माथुरिकावित्यादि-सिद्धिः पुंस्त्वैकत्वयोर्विवक्षितत्वे तु माथुरिक इत्येव स्यात्।

ननु "सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्र" मिति परिभाषया सूत्रेष्वेव तदविवक्षा, तत्र तथा सत्यपि आर्षत्वेन साधुत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात्। अन्यथा 'तस्यापत्य'मित्यादावमादेशाभावप्रसङ्गात् इति चेत्—मैवम्। ब्राह्मणो न हन्तव्यः, चाण्डालस्य गृहे न शयनीयमित्यादौ व्यावहारिकवाक्येऽपि लिङ्गसङ्ख्ययोरविवक्षादर्शनात्। अत एव ब्राह्मण्या अपि हननमनेकब्राह्मणस्यापि च हननं प्रतिषिद्धमवगम्यते। एवं चाण्डाल्या गृहेऽनेकचाण्डालस्वामिकगृहे च स्वापनिषेधो लभ्यते।

अपि च शास्त्रकारस्यापि संमतं लौकिकप्रयोगेऽपि कदाचित् लिङ्गस्याविवक्षापीति। तथा हि शूद्रशब्दस्य जात्यन्तरनिवृत्तिपरत्वे पूर्वं स्त्रीत्वाविवक्षणे तस्य महच्छब्देन समासे महाशूद्रः। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां जातिवाची यः शूद्रशब्दस्तदन्तप्रातिपदिकं स्त्रियां टापं लभते, जातिवाचिमहत्पूर्वन्तु नेत्यर्थकेन 'शूद्रा चामहत्पूर्वे' त्यजादिगणसूत्रेण टापि महाशूद्रा। तत्र निषेधाभावाय 'अमहत्पूर्वे' त्यंशेऽपि जातिरित्यस्य सम्बन्धः। तथा च तत्र शूद्रशब्दस्य जातिवाचित्वेऽपि महत्पूर्वस्य महाशूद्रेतिसमुदायस्य उत्कृष्टशूद्रबोधकतया जातिवाचित्वाभावादुक्तनिषेधाप्रवृत्त्या टापसिद्धिरिति महाभाष्ये उक्तम्। अनेन च लोकेऽपि लिङ्गाविवक्षा भवतीति स्पष्टमेव लभ्यते।

अपि च लिङ्गाविवक्षया 'कुक्कुटाण्डं मृगक्षीर'मित्यादेः सिद्धिमाश्रित्य कुक्कुट्यण्डं मृगीक्षीरमित्यादीनामनभिधानमित्याशयेन 'कुक्कुट्यादीनामण्डादिष्वि'ति पुंवद्भावविधायकवार्त्तिकस्य महाभाष्यकृता प्रत्याख्यानं कृतमित्यतोऽपि निश्चीयते सूत्रे इवान्यत्रापि भवति लिङ्गस्याविवक्षेत्यलम्।

इदन्तु बोध्यम् 'अर्थात् प्रकरणाद्वा विशेषावगति'रिति न्यायेन यदा भारवहनादिपुरुषसाध्यं प्रयोजनं प्रकृतो वा दासो भवति तदा शूद्रमाह्वयेत्यतः पुमानेवाह्वानकर्मतया प्रतीयते न तु स्त्री।

किञ्च नारीबोधाभिप्राये सति स्फुटप्रतिपत्तये शूद्रामाह्वयेत्येव वाच्यम्, शूद्राशब्दो हि प्रकरणादिकमनपेक्ष्यैव नारीं बोधयितुमीष्टे, शूद्रस्तु तदपेक्ष्येति नारीबोधाय शूद्राशब्द एव प्रयोक्तुमुचितः। तमनुक्त्वा प्रयुक्तः शूद्रशब्दः पुंमांसमेवावगमयति।

तत्र पुनरर्थः प्रकरणं च स्त्रीपुरुषसाधारणं तत्र लिङ्गस्याविवक्षया प्रयुक्तः शूद्रशब्दो लौकिकलिङ्गानवच्छिन्नविषयताकं बोधं जनयति। यथा शूद्रसन्निधौ वेदो नाध्येतव्यः, शूद्रो मासेन शुद्ध्यति।

एवञ्च शूद्राशब्दात् स्त्रीजनस्य बोधः सार्वत्रिकः। शूद्रशब्दात् पुरुषबोधो बाहुस्थलिकः। लौकिकलिङ्गाविषयकबोधस्तु क्वचित्क इति ॥ २३ ॥

शूद्रा प्रभृति शब्दों में लिङ्ग की अविवक्षा न होती है अतः उनसे नियमतः स्त्रीमात्र विषयक ही वृद्धि होती है।

जब शूद्र प्रभृति शब्दों से शास्त्रीय स्त्रीत्व की विवक्षा की जाती है। तब उनसे स्त्री प्रत्यय टाप् आदि की उत्पत्ति होने से शूद्रा एवं ब्राह्मणी आदि शब्द बनते हैं और उनसे

नियमतः स्त्री व्यक्तियों की ही प्रतीति होती है, पुरुष उनसे पुरुष की प्रतीति नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि इसलिए वैसा होता है कि विशेष्य-निघ्न, लौकिक लिङ्ग के वाचक शब्दों के उच्चारण करने पर शास्त्रीयलिङ्ग के समानाधिकरण के रूप में उसका सजातीय लौकिक लिङ्ग प्रतीत होता ही है, ऐसा नियम बन जाता है। इसलिए शूद्रा प्रभृति शब्दों में लौकिक स्त्री लिङ्ग भी विवक्षणीय ही होता है। अतः शूद्रा एवं ब्राह्मणी आदि शब्दों से स्त्री का ही बोध होता है, पुरुष का नहीं। विशेष्यनिघ्न शब्दों में तो विशेष्य के अधीन अपने लिङ्ग को समर्पण करने वाले होने के कारण स्त्री प्रत्ययान्त होने पर भी तात्पर्य के रहने पर लौकिकपुंस्त्वविशिष्ट रूप में बोधकता भी होती है। जैसे 'व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया' इस नैषधकाव्य के स्त्री-प्रत्ययान्त प्रथमा शब्द से नल की प्रतीति होती है।

यदि कहें कि इस तरह लौकिक लिङ्ग की अविवक्षा होने पर "रन्धनाय पाचको नियुज्यताम् इस वाक्य से नारी के बोध की भी आपत्ति होगी। तो कहा जाएगा कि प्रकरण आदि से विवक्षा के विरह के निर्णय होने पर नारी का बोध इष्ट ही सिद्ध होगा।

इसीलिए "तत्र भवः", 'तत्र जातः' आदि सूत्रों में व्याख्यान से लिङ्ग एवं संख्या के अविवक्षित होने के निर्णय के कारण लिङ्ग एवं संख्या से अनवच्छिन्न के ही तद्धित के वाच्य होने से माधुरिकी, माधुरिकौ आदि रूप में मधुर शब्द से तद्धित प्रत्ययों के लगने पर अन्य लिङ्ग एवं वचन वाले रूप बनते हैं। अन्यथा पुंस्त्व एवं एकत्व मात्र के विवक्षित होने पर माधुरिकः यही प्रयोग होता।

प्रश्न है कि सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्—अर्थात् सूत्र में लिङ्ग एवं वचन अविवक्षित है—इस परिभाषा से सूत्रों में ही लिङ्ग एवं वचन की अविवक्षा बतायी गयी है, किन्तु वहाँ वैसा न होने पर भी सूत्रों के आर्ष होने के कारण साधुत्व कहना शक्य हो सकता है। ऐसा न होने पर 'तस्यापत्यम्' आदि सूत्रों में अम् के आदेश के अभाव का प्रसङ्ग हो जाता? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि ऐसी बात नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि (केवल सूत्र में ही नहीं) ब्राह्मणो न हन्तव्यः, चाण्डालस्य गृहे न शयनीयम् आदि व्यावहारिक वाक्यों में भी लिङ्ग एवं वचन की अविवक्षा का दर्शन होता है। इसीलिये उनसे ब्राह्मणी के हनन भी प्रतिषिद्ध समझा जाता है। इसी तरह चाण्डाली के घर तथा अनेक चाण्डाल स्वामी वाले घर में भी शयन का निषेध अवगत होता है।

दूसरी बात है कि शास्त्रकार की भी ऐसी सम्मति है और लौकिक-प्रयोग में भी कभी लिङ्ग की अविवक्षा भी होती है। जैसे शूद्र शब्द के दूसरे जाति की निवृत्ति परक होने पर पहले स्त्रीत्व की अविवक्षा करने पर उसका महत् शब्द से समास होने पर महाशूद्रः ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। उससे स्त्रीत्व की विवक्षा रहने पर जातिवाची जो शूद्र शब्द है, उसके अन्त में रहने वाले प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में टाप् होता है। जातिवाची शूद्र शब्द के महत् के पूर्व में रहने पर तो नहीं इस अर्थ वाले 'शूद्रा चामहत्पूर्वा' इस अजादि गण में पठित सूत्र से टाप् होने पर महाशूद्रा ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। उस सूत्र में निषेध के अभाव के लिए

अप्रतिपादित 'महत्पूर्वा' इस अंश में भी जातिः इस पद का सम्बन्ध होता है। उस तरह वहाँ शूद्र शब्द के जातिवाची रहने पर भी महत् पूर्वक महाशूद्र इस समुदाय को उत्कृष्ट शूद्र के बोधक होने से, जातिवाची न होने के कारण उक्त निषेध की अप्रवृत्ति हो जाने से टाप् की सिद्धि होती है, ऐसा भाष्य में कहा गया है। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस लोक में भी लिङ्ग की अविवक्षा होती है।

दूसरी बात यह है कि लिङ्ग की अविवक्षा के कारण कुक्कुटाण्डम् मृगक्षीरम् आदि प्रयोगों की सिद्धि मानकर 'कुक्कुट्यण्डम्' मृगीक्षीरम् आदि प्रयोगों का अनभिधान है। इस आशय से "कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु" इस पुंवद्भाव विधायक वार्तिक का महाभाष्यकार ने खण्डन किया है। इससे भी निश्चय किया जाता है कि सूत्र के समान अन्य स्थानों में भी लिङ्ग की अविवक्षा होती है। इतना प्रतिपादन पर्याप्त है।

यह तो समझना चाहिए कि "अर्थ से या प्रकरण से विशेष की अवगति होती है। इस न्याय से अब भार का वहन करना आदि पुरुष साध्य प्रयोजन हो या वस्तुतः सेवक हो (प्रकृत में दास हो) शूद्रमाह्वय इस वाक्य से पुरुष ही आह्वान के कर्म के रूप में प्रतीत होता है। स्त्री नहीं। दूसरी बात है कि नारी के बोध का अभिप्राय रहने पर स्पष्ट समझने के लिये 'शूद्रामाह्वय' यही बोलना चाहिए। क्योंकि शूद्रा शब्द प्रकरण आदि की अपेक्षा के विना ही नारी का बोध कराने में समर्थ है। शूद्र शब्द तो प्रकरण आदि की अपेक्षा कर ही नारी का बोध होता है। इसलिए शूद्रा शब्द का प्रयोग ही वहाँ उचित है। उसका (शूद्रा का) प्रयोग न कर शूद्र शब्द का प्रयोग तो पुरुष का हीं बोध कराता है। जहाँ फिर अर्थ एवं प्रकरण स्त्री पुरुष साधारण हो वहाँ लिङ्ग की अविवक्षा से प्रयुक्त शूद्र शब्द लौकिक लिङ्ग से अनवच्छिन्न विषयक बोध कराता है। जैसे "शूद्रसन्निधौ वेदो नाध्येतव्यः" तथा "शूद्रो मासेन शुद्धयति" आदि प्रयोगों से वैसा बोध कराता है।

इस तरह शूद्रा शब्द से स्त्रीजन का बोध सार्वत्रिक होता है। शूद्र शब्द से पुरुष का बोध बहुत स्थल में होता है। लौकिक लिङ्ग का जो अविषय हो वैसा बोध तो कहीं-कहीं होने वाला होता है॥ ३३॥

नित्यस्त्रीलिङ्गे तु न लिङ्गाविवक्षा

ननु यथा स्त्रीत्वाविवक्षया कुक्कुटाण्डमित्यादौ कुक्कुटादिशब्दात् स्त्रीप्रत्ययाभावः तथा खट्वा गङ्गा तारा इत्यादौ खट्वगङ्गताररूपप्रातिपदिकात् स्त्रीत्वाविवक्षणे स्त्री-प्रत्ययानुत्पत्त्या खट्वस्तारो गङ्ग इत्यादेरपि साधुत्वापत्तिरिति नैष दोषः।

स्त्रीप्रत्ययप्रकृतयः काश्चित् स्त्रीमात्रलिङ्गिकाः।
अनेकलिङ्गाः काश्चिच्चेत्येवं द्वैविध्यमाश्रिताः॥ ३४॥
तत्राद्यासु स्त्रीत्वलिङ्गविवक्षा नियतान्यथा।
न ताः साधुत्वमृच्छेयुर्न च स्युः स्वार्थबोधिकाः॥ ३५॥

स्त्रीप्रत्ययप्रकृतिभूतप्रातिपदिकानि द्विविधानि स्त्रीत्वमात्रवाचकानि, स्त्रीत्ववाचित्वे सति तदितरलिङ्गवाचकानि च। तत्राद्येषु खट्वगङ्गतारगोधप्रभृतिषु स्त्रीत्वविवक्षा नित्या, अर्थात् स्त्रीत्वविवक्षयैव प्रयुक्तेषु साधुत्वमन्यथा त्वसाधुत्वमिति। द्वितीयेषु कोमलकुमारक्रोडप्रभृतिषु त्वनित्या सा, अर्थात् स्त्रीत्वविवक्षया वा तदविवक्षया वा प्रयुक्तेषु साधुत्वमिति। तत्र स्त्रीत्वे विवक्षिते स्त्रीप्रत्ययोऽन्यथा तु नेति विवेकः।

एतदुक्तं भवति यस्य हि शब्दस्य यदर्थविवक्षापूर्वकशास्त्रीयकार्ये सत्येव लोके प्रयोगो दृश्यते स तदर्थविवक्षापूर्वकशास्त्रीयकार्यसंस्कृत एव साधुत्वात् प्रयोक्तव्यः, प्रयुक्तानामिदमन्वाख्यानमिति व्याकरणाभियुक्तैरुक्तत्वात्। तथा च खट्वप्रभृतिषु स्त्रीत्वविवक्षा आवश्यकी अन्यथा ह्यसाधुत्वमर्थाप्रत्यायकत्वं च स्यात्।

अत एव धात्वर्थमात्रविवक्षया कर्तृकर्मकालाद्यविवक्षणेन लकाराद्यभावे पच् पठ् इत्यादेर्न साधुत्वम्। अन्यथा परश्चेति शास्त्रेण प्रत्ययः परो भवत्येवेति नियमेऽपि तत्तदर्थाविवक्षायां प्रत्ययविधीनां प्राप्तेरेवाभावात् पच् इत्यादेः साधुत्वमपरिहार्यमेव स्यात्।

न च धात्वर्थमात्रविवक्षायामपि धात्वर्थरूपभावे घञादेः प्राप्त्या पाक इत्यादय एव प्रयोगा न तु पचित्यादय इति वाच्यम्, सिद्धावस्थापन्ने एव धात्वर्थे घञादेर्विधानेन सिद्धत्वेनाविवक्षणे तस्याप्राप्तेः। ब्राह्मणशूद्रादिशब्दानान्तु लिङ्गप्रयुक्तकार्यरहितानामपि लोके प्रयोगसत्त्वात् कदाचित् लिङ्गस्याविवक्षाऽपि।

लिङ्गाविवक्षायां तस्यापत्यमित्यमादेशोपपादनम्

ननु यथा मृगक्षीरमित्यादौ स्त्रीत्वाविवक्षायां स्त्रीप्रत्ययाभावः तथा नपुंसकत्वस्याविवक्षितत्वे तस्यापत्यमित्यत्रामादेशेन न भवितव्यम्।

अत्र केचित् आर्षत्वाच्छन्दोवत् सूत्राणि भवन्तीति भाष्याच्च तत्रामादेश इति वदन्ति।

अन्ये तु अतोऽमित्यस्य नपुंसकत्वबोधकात्स्वमोरमिति नार्थः, अपि तु नपुंसकत्वशक्तात् इति। तथा च तस्यापत्यमित्यत्र तात्पर्याभावेन नपुंसकत्वस्य बोधाभावेऽपि तन्निरूपितशक्तेः सद्भावादमादेशसिद्धिः। न चैवं जातादिपदस्य त्रिलिङ्गतया तत्र जातः, तत्र भव इत्यादावप्यमापत्तिरिति वाच्यम्, शाब्दिकानां मतेऽर्थभेदेन शब्दभेदाङ्गीकाराज्जातभवादिशब्दस्य तत्तलिङ्गरूपार्थभेदेन भिन्नतया तत्र जात इत्यादौ पुंलिङ्गस्यैव जातादिशब्दस्योपादानेन तस्य च नपुंसकत्वशक्तत्वाभावेनामादेशाप्रसक्तेरित्याहुः।

नव्यास्तु अर्थभेदेन शब्दभेदानुपगमेऽपि न क्षतिः। तथा हि तस्यापत्यमित्यादावपत्यादिपदादपत्यादिविशेषणतया नपुंसकत्वं भासत एवेति नामादेशानुपपत्तिः। परन्तु अपत्यप्रत्ययवाच्यतया तन्न विवक्षितम्। यथा जलं घनरसपदवाच्यमित्यत्र जलविशेषणतया भासमानमपि नपुंसकत्वं घनरसपदवाच्यत्वेन न विवक्षितं तद्वत्। तथा च

तत्सम्बन्ध्यपत्यमित्यर्थेऽणादिरिति पर्यवसितार्थकवाक्ये इतिनापत्यत्वावच्छिन्न एव परामृश्यते, न तु नपुंसकत्वविशिष्टमपत्यम् न वा तत्पदार्थ उपग्वादिः तस्योपग्वादि-शब्दलभ्यत्वात् । नापि तत्सम्बन्धः तस्य उपग्वपत्यमित्यादाविवेकार्थीभावमहिम्नैव लाभात् । एवञ्चोपग्वादिरुपलक्षणं न तु विशेषणमिति तत्त्वम् । एवमेकत्वमप्यणादि-प्रत्ययवाच्यत्वेनाविवक्षितम् । तेन औपगवौ इत्यादयोऽपि सिद्ध्यन्ति । लिङ्गसंख्ययोः शक्तिग्रहस्तु तृजादिवल्लोकत एवेत्याहुः ॥ ३४-३५ ॥

नित्य स्त्रीलिङ्ग शब्दों में तो लिङ्ग की अविवक्षा नहीं होती

प्रश्न है कि जैसे स्त्रीत्व की अविवक्षा से कुक्कुटाण्डम् आदि प्रयोगों में कुक्कुट आदि शब्दों से स्त्रीप्रत्यय का अभाव होता है, तथा खट्वा, गङ्गा एवं तारा आदि प्रयोगों खट्व, गङ्ग एवं तार रूप प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की अविवक्षा रहने पर स्त्रीप्रत्यय की अव्युत्पत्ति होने से खट्व, तार एवं गङ्ग शब्दों की भी साधुत्व की आपत्ति होती है, इसलिए कोई दोष नहीं है।

कुछ स्त्री प्रत्यय में प्रकृतिभूत शब्द मात्र स्त्रीलिङ्ग वाले होते हैं। कुछ अनेक लिङ्ग वाले होते हैं, इस तरह वे दो प्रकार के माने जाते हैं।

उसमें पहले प्रकार वालों में नियत रूप से स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा रहती है— अन्यथा वे न तो साधुत्व को प्राप्त कर सकते हैं और न स्वार्थ के बोधक होते हैं।

स्त्रीप्रत्यय के प्रकृतिभूत प्रातिपदिक दो तरह के होते हैं—स्त्रीत्वमात्र के वाचक तथा स्त्रीत्व के वाचक होते हुए उससे दूसरे लिङ्ग के भी वाचक। उनमें से प्रथम प्रकार वाले प्रातिपदिक खट्व, गङ्ग, तार एवं गोध प्रभृति में स्त्रीत्व की विवक्षा नित्य रूप से रहती है, अर्थात् स्त्रीत्व को विवक्षा से ही प्रयुक्त किये जाने वालों में साधुत्व रहता है, अन्यथा असाधुत्व रहता है। दूसरे प्रकार वाले कोमल, कुमार एवं क्रोड आदि प्रातिपदिकों में तो स्त्रीत्व की की विवक्षा अनित्य होती है। अर्थात् स्त्रीत्व की विवक्षा से या अविवक्षा से प्रयुक्त होने वालों में साधुत्व रहता हैं। उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा रहने पर स्त्री प्रत्यय होता है अन्यथा नहीं होता यही विवेक (भेद) है।

इससे यह कहा जाता है कि जिस शब्द का जिस अर्थ की विवक्षापूर्वक शास्त्रीय कार्य होने पर ही लोक में प्रयोग देखा जाता है वह उस अर्थ की विवक्षापूर्वक शास्त्रीय कार्य से संस्कृत होता है और साधु होने के कारण प्रयोग के योग्य होता है। अभियुक्तों का कथन है कि प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान यह व्याकरण है। उस तरह खट्वप्रभृति शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा आवश्यक होती है। अन्यथा शब्द में असाधुत्व एवं अर्थ की अबोधकता होगी।

इसीलिए धात्वर्थ मात्र की विवक्षा से कर्त्ता, कर्म एवं काल आदि के अविवक्षित होने से लकार आदि के अभाव होने पर पच्, पठ् आदि का साधुत्व नहीं होता। अन्यथा परश्च इस सूत्र से प्रत्यय पर में होता ही है इस नियम के रहने पर भी उन उन अर्थों की अविवक्षा होने से प्रत्यय विधियों की प्राप्ति का ही अभाव होने से पच् आदि का साधुत्व अपरिहार्य ही हो जाएगा।

यह नहीं कह सकते कि धात्वर्थमात्र की विवक्षा रहने पर भी धात्वर्थ रूप भाव में घञ् आदि की प्राप्ति होने से पाक इत्यादि ही प्रयोग होंगे, पच् आदि न होंगे। क्योंकि सिद्धावस्थापन्न ही धात्वर्थ रहने पर घञ् आदि के विधान होने से सिद्धत्व की विवक्षा न रहने पर वैसे प्रयोग की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण एवं शूद्र आदि शब्दों के तो लिङ्ग प्रयुक्त कार्य से रहित अर्थात् लिङ्ग प्रयुक्त कार्यभिन्न कार्य में भी लोक में प्रयोग होने से कभी-कभी लिङ्ग की अविवक्षा भी होती है।

लिङ्ग की अविवक्षा रहने पर तस्यापत्यम् आदि प्रयोगों में अम् के आदेश की सिद्धि का उपपादन

प्रश्न है कि जैसे मृगक्षीरम् आदि प्रयोगों में स्त्रीत्व की अविवक्षा रहने पर स्त्री प्रत्यय का अभाव होता है उसी तरह तस्यापत्यम् इस प्रयोग में नपुंसकत्व के अविवक्षित रहने पर अम् आदेश न होना चाहिए ?

यहाँ कुछ आचार्य कहते हैं कि आर्ष होने के कारण एवं छन्द के समान सूत्र होते हैं, इस भाष्य से वहाँ अम् का आदेश होता है।

दूसरे आचार्यों का मत है कि 'अतोऽम्' इस सूत्र का, नपुंसकत्व के बोधक शब्द से सु एवं अम् के स्थान में अम् आदेश होता है, ऐसा अर्थ नहीं है, किन्तु नपुंसकत्व में शक्त शब्द से आदेश होता है, ऐसा अर्थ है। वैसा होने से तस्यापत्यम् इस प्रयोग में तात्पर्य के अभाव से नपुंसकत्व के बोध का अभाव रहने पर भी नपुंसकत्व निरूपक शक्ति के सद्भाव के कारण अम् के आदेश की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरह जात आदि पदों के तीनों लिङ्गों में होने के कारण "तत्र जातः" एवं "तत्र भवः" आदि सूत्र प्रयोगों में भी अम् आदेश की आपत्ति होगी। क्योंकि शाब्दिकों के मत में अर्थ भेद से शब्द भेद स्वीकृत होने से जातः एवं भवः आदि शब्द के तत् तत् लिङ्ग रूप अर्थ के भेद से भिन्न न होने के कारण तत्र जातः इस सूत्र प्रयोग में पुंलिङ्ग ही जात आदि शब्दों के ग्रहण करने से उसके नपुंसकत्व में शक्तत्व के अभाव होने से अमादेश की प्रसक्ति न होगी।

नवीन आचार्यों का कथन है कि अर्थ भेद से शब्द भेद को स्वीकार न करने पर भी कोई क्षति नहीं है। जैसे तस्यापत्यम् आदि में अपत्य आदि पद से अपत्य आदि के विशेषण के रूप में नपुंसकत्व भासित होता ही है, जिससे अम् के आदेश में कोई अनुपपत्ति न होगी। परन्तु अपत्यार्थक प्रत्यय के वाच्य के रूप में वह विवक्षित नहीं है। जैसे "जलं" "घनरस" पद का वाच्य है, यहाँ जल के विशेषण के रूप में भासित होने वाला भी नपुंसकत्व घनरस पद के वाच्य के रूप में विवक्षित नहीं रहता है, उसी तरह यहाँ भी भासित रहने पर भी वाच्य नहीं है। उस तरह—"तत्सम्बन्धी अपत्य इस अर्थ में अण् आदि प्रत्यय होते हैं" इस रूप में पर्यवसित अर्थ वाले तस्यापत्यम् इस वाक्य में अपत्यत्वावच्छिन्न का ही परामर्श किया जाता है, नपुंसकत्व विशिष्ट अपत्य का परामर्श नहीं किया जाता। वहाँ तत् पद का अर्थ उपगु आदि भी नहीं होता है, क्योंकि उपगु शब्द से ही उस अर्थ का लाभ हो जाता है। न उपगु शब्द का उससे सम्बन्ध ही होता है। क्योंकि उपग्वपत्यम् इस वाक्य के समान एकार्थीभाव

की महिमा से ही सम्बन्ध अर्थ का लाभ हो जाता है। इस तरह उसका तात्पर्य है कि उपगु आदि उसके उपलक्षण हैं, विशेषण नहीं हैं, इसी तरह एकत्व भी अण् आदि प्रत्यय के वाच्य रूप में अविवक्षित है। इसीलिए औपगवौ आदि (द्विवचन आदि) प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। लिङ्ग एवं संख्या में शक्ति-ग्रह तो तृच् आदि प्रत्ययों के समान लोक से ही हो जाता है ॥३४–३५॥

ब्राह्मणादिशब्दानां शास्त्रीयलिङ्गावाचकत्वमतखण्डनम्

ननु ब्राह्मणकुमारादिशब्दानां लौकिकमेव लिङ्गं वाच्यमस्तु, माऽस्तु शास्त्रीयं लिङ्गमर्थः। शास्त्रीयकार्येषु च शास्त्रीयलौकिकोभयलिङ्गं यथासंभवं निमित्ताश्रीयताम्, तन्त्रेणोभयलिङ्गग्रहणस्य कर्तुं शक्यत्वात्। तथा च खट्वेत्यादौ शास्त्रीयं स्त्रीत्वमाश्रित्य स्त्रीप्रत्ययः ब्राह्मणीत्यादौ तु लौकिकम्। एवं घटानित्यादौ शास्त्रीयं, ब्राह्मणानित्यादौ च लौकिकं पुंस्त्वमाश्रित्य नत्वम्। नपुंसकत्वं तु शास्त्रेषु सर्वत्र शास्त्रीयमेव। एवञ्च ब्राह्मणादीनां शास्त्रीयपुंस्त्वनिरूपितशक्तेरकल्पनेन महल्लाघवमिति चेत्—न।

ब्राह्मणक्षत्रियानां प्राणिमात्राभिधायिनाम्।
पुंस्त्वादि लिङ्गं शास्त्रीयं वाच्यं यदि न मन्यते ॥३६॥
तदाऽस्मिन् ब्राह्मणग्रामे पुरुषानथ च स्त्रियः।
ब्राह्मणान् विद्धि वाक्येऽस्मिन्न स्यान्नत्वस्य साधुता ॥३७॥

ब्राह्मणादिशब्दानां हि शास्त्रीयलिङ्गावाचकत्वे स्त्रीपुरुषोभयपरत्वेन प्रयुक्ते "एतस्मिन् ग्रामे वासिनः सर्वान् स्त्रियः पुरुषांश्च ब्राह्मणानवेही"ति वाक्ये नत्वानापत्तिः। यदि ह्यत्र ब्राह्मणपदवाच्यं लौकिकं पुंस्त्वं न विवक्ष्यते तदा पुंस्त्वबोधकत्वाभावेन नत्वाप्राप्तेः। अथ विवक्ष्यते तदापि तद्ग्रामवासिस्त्रीगणेषु तदसत्त्वान्नत्वाप्राप्तिरेव ब्राह्मणपदबोध्यत्वेन विवक्षितयावदर्थेषु पुंस्त्वाभावात्।

किञ्च एतद्ग्रामवास्यभिन्नसर्वपदार्थाभेदान्वयस्य लौकिकपुंस्त्वेन विशेषितब्राह्मणपदार्थेषु बाधितत्वेन सर्वान् ब्राह्मणानवेहीति वाक्यजबोधस्याप्रामाण्यापत्तिः। यथा हि पीतेष्वपि सत्सु घटेषु अत्र सर्वे घटा नीला इति बोधस्याप्रामाण्यं तद्वत्। मम तु लौकिकलिङ्गाविवक्षणात्, विवक्षणाच्च शास्त्रीपुंस्त्वस्य, तस्य च केवलान्वयित्वेन स्त्रीष्वपि सत्त्वात् एतद्ग्रामस्थान् सर्वान् ब्राह्मणानवेहीति वाक्ये पुंसीति नत्वमुपपद्यते, शास्त्रीयकार्यमात्रे शास्त्रीयस्यैव लिङ्गस्य निमित्तत्वोपगमात्।

न चैतद्रीत्या स्त्रीपुरुषोभयतात्पर्येण इमा ब्राह्मण्य इत्यपि प्रयोगः स्यात् लौकिकस्त्रीत्वस्याविवक्षणात् शास्त्रीयस्त्रीत्वविवक्षणाच्च तस्य च पुंस्वपि सत्त्वादिति वाच्यम्, शब्दस्वभाववैचित्र्यात् स्त्रीप्रत्ययसमभिव्याहृतब्राह्मणादिशब्दान्नियमतः स्त्रीव्यक्तिमात्रबोधात्।

एवं त्वन्मते पुमान् स्त्रियेत्येकशेषे ब्राह्मणान् पश्येत्यत्र नत्वानुपपत्तिः, ब्राह्मणीषु लौकिकपुंस्त्वाभावात्। मम तु तत्र पुंवाचकस्य शेषे तद्बोध्यशास्त्रीयपुंस्त्वस्य ब्राह्मणीष्वपि सत्त्वेन नत्वमुपपन्नं भवति।

अथ ब्राह्मण्यादिशब्दात् पुरुषबोधापत्तिवारणाय लौकिकलिङ्गवाचकात् शास्त्रीयपुंस्त्वादिबोधे तत्सामानाधिकरण्येन लौकिकस्यापि पुंस्त्वादेर्बोधो भवत्येवेति नियमस्य तदनुसारिकार्यकारणभावस्य च स्वीकरणीयतया ब्राह्मणान् पश्येत्यत्र शास्त्रीयपुंस्त्वबोधे लौकिकस्यापि पुंस्त्वस्य भानावश्यकतया पुमान् स्त्रियेत्येकशेष-सिद्धात् ब्राह्मणादिशब्दात् स्त्रीपुरुषोभयबोधानुपपत्तिस्तदवस्थेति चेत्—न, पुमान् स्त्रियेत्यादिशेषाविषयेष्वेव तथा नियमोपगमात् ।

एवं शास्त्रीलिङ्गस्य वाच्यत्वादेव "ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री"तिशास्त्र-विहितैकशेषविषये गाव इमा इत्यादौ शास्त्रीयस्त्रीत्ववैशिष्ट्येन वृषभाणामपि बोध उपपद्यते । तत्र लौकिकलिङ्गाभानात् शास्त्रीयस्त्रीत्वस्य च वृषभेष्वपि सद्भावात् ।

तथा च पुमान् स्त्रियेत्याद्येकशेषशास्त्रेण द्वयं लभ्यते ब्राह्मणीब्राह्मणावित्यादि-प्रयोगाणामसाधुत्वं तदर्थेऽपि ब्राह्मणावित्यादिप्रयोगाणां साधुत्वं च । अतश्च पुमान् स्त्रियेत्येकशेषसिद्धात् ब्राह्मणशब्दात् शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टलौकिकपुंस्त्ववत्सहित-लौकिकस्त्रीत्ववद्द्विबहुलब्राह्मणबोधः, सरूपाणामित्यनुशिष्टब्राह्मणशब्दाच्च शास्त्रीय-पुंस्त्वसहितलौकिकपुंस्त्वविशिष्टद्विबहुलब्राह्मणविषयको बोधः । तादृशब्राह्मणीशब्दात्तु शास्त्रीयस्त्रीत्वसहितलौकिकस्त्रीत्वविशिष्टद्विबहुलब्राह्मणविषयकः । अत एवैकशेष-सिद्धानां द्विवचनान्तता बहुवचनान्तता वा । तदसिद्धानां ब्राह्मणप्रभृतिशब्दानां प्रायेणैकपुंब्राह्मणबोधकत्वमेकवचनान्तत्वं च । एवं तथाभूतब्राह्मण्यादिशब्दानामप्येक-ब्राह्मणीबोधकत्वमेकवचनान्तत्वं च । एतेन ब्राह्मणादेः—

ब्राह्मणादिशब्दानां त्रैविध्यम्

१. शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टं यत् द्वयं बहु वा लौकिकपुंस्त्वविशिष्टसहितलौकिक-स्त्रीत्वविशिष्टं ब्राह्मणत्वावच्छिन्नं तद्बोधकत्वम् ।

२. शास्त्रीयलौकिकोभयविधपुंस्त्वविशिष्टैकद्विबहुलब्राह्मणत्वावच्छिन्नबोधकत्वम् ।

३. शास्त्रीयलौकिकस्त्रीत्वविशिष्टैकद्विबहुलब्राह्मणबोधकत्वं चेति ।

तत्राद्येऽनेकव्यक्तिबोधकतया द्विवचनबहुवचने एव । द्वितीये त्वेकवचनमपि । एवं तृतीयेऽपि । किन्तु तस्य शास्त्रीयस्त्रीत्वबोधकतया ततः स्त्रीप्रत्ययोत्पत्त्या ब्राह्मणीत्या-दिकं साधु ।

एकशेषप्रत्याख्याने तु ब्राह्मणब्राह्मणौ ब्राह्मणीब्राह्मणावित्यादीनामनभिधानान्न प्रयोगः । द्विवचनबहुवचनसमभिव्याहारे ब्राह्मणादिशब्दस्य केवलशास्त्रीयपुंस्त्वलिङ्ग-बोधकत्वेऽपि साधुत्वोपगमेन ब्राह्मणौ ब्राह्मणा इत्यादितः क्वचित् पुरुषमात्रविषयकोबोधः क्वचित् स्त्रीपुंसोभयविषयकः । अत्रैव सरूपाणाम्, पुमान् स्त्रिया इति शास्त्रतात्पर्यम् ।

एवं वृषभधेन्वाद्युभयपरत्वेन गाव इमा इत्यादय एव प्रयोग न तु इमे इत्यादयः । तत्र हि 'ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री' इति सूत्रेण स्त्रीवाचक एव शिष्यते । अतो गोशब्दस्य शास्त्रीयस्त्रीत्वविशिष्टं यत् लौकिकपुंस्त्वविशिष्टसहितलौकिकस्त्रीत्व-विशिष्टं गोत्वावच्छिन्नं तद्बोधकत्वमित्यादि पूर्ववद्बोध्यमित्यलम् ॥ ३६–३७ ॥

शास्त्रीयलिङ्गानां शब्दवाच्यत्वे युक्तयः

अभेदकत्वात् सर्वत्र भावादनुभवात्ययात् ।
शास्त्रीयलिङ्गवाचित्वं वृथेव परिलक्ष्यते ॥ ३८ ॥
तथापि लिङ्गशास्त्राणां प्रामाण्याद्व्यवहारतः ।
शब्दशास्त्रीयकार्याणामन्यथाऽनुपपत्तितः ॥ ३९ ॥
अधिकस्य च लिङ्गस्यावगमे प्रथमाविधेः ।
लिङ्गानां शब्दवाच्यत्वं शास्त्रीयाणामपीष्यते ॥ ४० ॥

शास्त्रीयलिङ्गस्य केवलान्वयित्वेनाव्यावर्तकत्वेऽप्यनुभवागोचरत्वेऽपि च शब्दवाच्यत्वं स्वीक्रियते । कुतः लिङ्गानुशासनानां घञजपः पुंसि, स्त्रियां क्तिन्, नपुंसके भावे क्त इत्यादीनामस्त्रीपङ्कं पुमान् पाप्मेत्यादीनाञ्च प्रमाण्यात्, घटशब्दः पुंलिङ्ग इत्यादिव्यवहारात्, चेतनाचेतनसाधारणपुंस्त्वादिलिङ्गानभ्युपगमे घटानित्यादौ तस्माच्छसो नः पुंसीत्यादिना नत्वादिरूपकार्याणामनुपपत्तेः प्रातिपदिकार्थलिङ्गेति शास्त्रेण प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिङ्गेऽधिके भासमाने प्रथमाविधानाच्च ॥ ३८–४० ॥

ब्राह्मण आदि शब्द शास्त्रीय लिङ्ग के अवाचक हैं इस मत का खण्डन

प्रश्न है कि ब्राह्मण एवं कुमार आदि शब्दों का लौकिक लिङ्ग ही वाच्य रहे, शास्त्रीय लिङ्ग उनका वाच्य अर्थ न हो, शास्त्रीय कार्यों में भी शास्त्रीय एवं लौकिक लिङ्गों का यथासम्भव निमित्त के रूप में आश्रयण किया जाय । क्योंकि तन्त्र से दोनों लिङ्गों का ग्रहण करना शक्य है । उस तरह खट्वा आदि प्रयोगों में शास्त्रीय स्त्रीत्व का आश्रयणकर स्त्री प्रत्यय टाप् की सिद्धि होगी, तथा ब्राह्मणी आदि में लौकिक लिङ्ग का आश्रयणकर स्त्री प्रत्यय की सिद्धि होगी । इसी प्रकार घटान् आदि में शास्त्रीय तथा ब्राह्मणान् आदि में लौकिक पुंस्त्व का आश्रयण कर नत्व की सिद्धि होगी । नपुंसकत्व तो शास्त्र में सब जगह शास्त्रीय ही आश्रित होता है । इस तरह ब्राह्मण आदि शब्दों की शास्त्रीय पुंस्त्व निरूपित शक्ति की कल्पना न करनी पड़ती है, यह एक बड़ा लाघव है ऐसा, उनका कहना है । किन्तु वह समुचित नहीं है क्योंकि—

ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि प्राणिमात्र के वाचक शब्दों का पुंस्त्व आदि शास्त्रीय लिङ्ग वाच्य अर्थ यदि नहीं मानते हैं तो "अस्मिन् ब्राह्मणग्रामे पुरुषानथ च स्त्रियः ब्राह्मणान् विद्धि" इस वाक्य में नत्व की साधुता न होगी ।

ब्राह्मण आदि शब्दों के शास्त्रीय लिङ्ग का अवाचक होने पर, स्त्री एवं पुरुष उभय परक प्रयोग करने पर "एतस्मिन् ग्रामे वासिन सर्वान् स्त्रियः पुरुषांश्च ब्राह्मणानवेहि" इस वाक्य में नत्व की अनापत्ति होगी । यदि यहाँ ब्राह्मण पद के वाच्य के रूप में लौकिक पुंस्त्व की विवक्षा न करते हैं तो पुरुषबोधक न होने के कारण नत्व की प्राप्ति न होगी । जब विवक्षा करते हैं, तब भी उस ग्राम के वासी साक्षिगण में पुंस्त्व का अभाव होने के कारण नत्व की अप्राप्ति ही होती है, क्योंकि ब्राह्मण पद से विवक्षित जितने अर्थ हैं, उनमें पुंस्त्व का अभाव रहता है ।

दूसरी बात है कि एतद्ग्रामवासी के अभिन्न सर्वपदार्थ, इस बोध में अभेदान्वय के लौकिक पुंस्त्व से विशेषित ब्राह्मण पदार्थों में बाधित होने के कारण "सर्वान् ब्राह्मणानवेहि" इस वाक्य से होने वाले बोध में अप्रामाण्य की आपत्ति होगी। जैसे पीले घटों के रहने पर भी यहाँ सभी घट नीले हैं, ऐसा बोध अप्रामाणिक होता है, उसी तरह वहाँ भी अप्रामाणिता होगी। शास्त्रीय लिङ्ग को वाचक मानने वाले मेरे मत में तो लौकिक लिङ्ग की विवक्षा न करने से और शास्त्रीयपुंस्त्व के केवलान्वयी होने के कारण स्त्रियों में भी रहने से "एतद्ग्रामस्थान् सर्वान् ब्राह्मणानवेहि" इस वाक्य में 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इस सूत्र से पुंस्त्व को निमित्त मानकर होने वाला नत्व सिद्ध होगा। क्योंकि शास्त्रीय कार्यमात्र में शास्त्रीय लिङ्ग के ही निमित्त रूप से माना जाता है।

यह नहीं कह सकते कि इस रीति से स्त्री एवं पुरुष दोनों के तात्पर्य से "इमा ब्राह्मण्यः" यह प्रयोग भी होगा, क्योंकि वहाँ लौकिक स्त्रीत्व की अविवक्षा तथा शास्त्रीय की विवक्षा है, और वह पुरुष में भी रहता है' ऐसा कहा जा सकता है। (यह नहीं कह सकते) क्योंकि शब्द के स्वभाव की विचित्रता से स्त्री प्रत्यय के साथ रहने वाले ब्राह्मण आदि शब्दों से ही नियमतः स्त्री व्यक्ति मात्र का बोध होता है।

इसी प्रकार तुम्हारे मत में 'पुमान् स्त्रिया' इस सूत्र से एकशेष होने पर उस तात्पर्य से प्रयुक्त 'ब्राह्मणान् पश्य' इस प्रयोग में नत्व की अनुपपत्ति होगी। क्योंकि ब्राह्मणी में लौकिक पुंस्त्व नहीं रहता है। मेरे मत में तो पुंवाचक ब्राह्मण शब्द के शेष होने पर उससे बोध्य शास्त्रीय पुंस्त्व के ब्राह्मणी में भी रहने से नत्व उपपन्न होता है।

इसके बाद भी यदि कहें कि "ब्राह्मणी आदि शब्द से पुरुष के बोध की आपत्ति के वारण के लिए लौकिक लिङ्ग के वाचक शब्द से शास्त्रीय पुंस्त्व आदि के बोध में उसके सामानाधिकरण्य के रूप में लौकिक भी पुंस्त्व आदि का बोध होता ही है" ऐसा नियम तथा उसके अनुसार कार्यकारणभाव को मान लेना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में "ब्राह्मणान् पश्य" इस प्रयोग में शास्त्रीय पुंस्त्व का बोध होने पर लौकिक पुंस्त्व के भान के आवश्यक होने से "पुमान् स्त्रिया" इस सूत्र से एकशेष से सिद्ध ब्राह्मण आदि शब्द से स्त्री एवं पुरुष दोनों के बोध की अनुपपत्ति फिर उसी रूप में रह जाती है। यह कहना युक्तिसंगत नहीं है, 'पुमान् स्त्रिया' प्रभृति सूत्रों से होने वाले एकशेष के अविषय में ही वैसा नियम माना जाता है।

इस तरह शास्त्रीयलिङ्ग के वाच्य होने से ही "ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री" इस सूत्र विहित एकशेष का विषय "गावः इमाः" आदि प्रयोगों में शास्त्रीय स्त्रीत्व के वैशिष्ट्य से वृषभों का भी बोध उपपन्न होता है। वहाँ लौकिक लिङ्ग के भान का अभाव है, तथा शास्त्रीय स्त्रीत्व का वृषभ में सद्भाव है। इसलिए वह उपपन्न होता है। उस तरह "पुमान् स्त्रिया" इत्यादि एकशेष विधायक सूत्रों से दो बातें सामने आती हैं—(१) ब्राह्मणी-ब्राह्मणौ आदि प्रयोग असाधु है तथा (२) उस अर्थ में भी ब्राह्मणौ आदि प्रयोगों की साधुता है।

इसलिए "पुमान् स्त्रिया" इस सूत्र के एकशेष से सिद्ध ब्राह्मण शब्द से शास्त्रीय पुंस्त्व से विशिष्ट लौकिकपुंस्त्व वाले के साथ लौकिक स्त्रीत्व वाले दो या अनेक ब्राह्मण विषयक बोध होता है। और उस तरह के ब्राह्मणी शब्द से तो शास्त्रीय स्त्रीत्व सहित लौकिक स्त्रीत्वविशिष्ट दो या अधिक ब्राह्मण विषयक बोध होता है। इसीलिए एकशेष से सिद्ध प्रयोगों में द्विवचनान्तता या बहुवचनान्तता होती है। एकशेष से सिद्ध न होने वाले ब्राह्मण प्रभृति शब्दों में तो प्रायः एक पुंलिङ्ग ब्राह्मण की बोधकता एवं एकवचनात्व होता है। इसी तरह वैसे ब्राह्मणी आदि शब्दों में भी एक ब्राह्मणी की बोधकता एवं एकवचनान्तत्व होते हैं। इस तरह ब्राह्मण आदि शब्द तीन प्रकार के होते हैं।

ब्राह्मण आदि शब्दों के तीन प्रकार

(१) पहला :—"शास्त्रीयपुंस्त्व रूपी विशेषण से युक्त जो दो या दो से अधिक लौकिकपुंस्त्वविशिष्ट के साथ लौकिक स्त्रीत्वविशिष्टब्राह्मणत्वावच्छिन्न का बोधक ब्राह्मणशब्द"।

(२) दूसरा :—शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों प्रकार के पुंस्त्वरूपी विशेषण से युक्त एक दो या बहुत ब्राह्मणत्वावच्छिन्न का बोधक ब्राह्मणशब्द।"

(३) तीसरा :—"शास्त्रीय एवं लौकिक स्त्रीत्व रूपी विशेषण से युक्त एक, दो या बहुत ब्राह्मणों का बोधक ब्राह्मण शब्द" उपर्युक्त त्रिविध ब्राह्मण शब्दों के प्रथम प्रकार में अनेक व्यक्ति की बोधकता होने के कारण द्विवचन एवं बहुवचन ही होते हैं। दूसरे में एकवचन भी होता है। इसी तरह तीसरे में भी होता है। किन्तु उक्त प्रकार वाले के शास्त्रीय स्त्रीत्व बोधक होने से उससे स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति होने से ब्राह्मणी आदि प्रयोगों के साधुत्व होते हैं।

एकशेष के प्रत्याख्यान के पक्ष में तो ब्राह्मण-ब्राह्मणौ तथा ब्राह्मणी-ब्राह्मणौ आदि प्रयोगों का अनभिधान होने के कारण प्रयोग नहीं होता। द्विवचन एवं बहुवचन के समभिव्याहार में ब्राह्मण आदि शब्दों के केवल शास्त्रीय पुंस्त्व लिङ्ग के बोधक होने पर भी साधुत्व मानने से ब्राह्मणौ, ब्राह्मणा आदि प्रयोगों से कहीं पुरुषमात्र विषयक बोध होता है और कहीं स्त्रीपुंस-उभय विषयक बोध होता है। इसी विषय में सरूपाणाम् एवं पुमान् स्त्रिया आदि सूत्रों का तात्पर्य है।

इसी तरह वृषभ, धेनु आदि शब्दों के भो स्त्रीपुंस दोनों परक होने से गावः इमाः आदि रूप में ही प्रयोग होते हैं। गावः इमे आदि प्रयोग नहीं होते। वहाँ "ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री" इस सूत्र से स्त्रीवाचकशब्द ही शेष रहता है। इसलिए जो शब्द का शास्त्रीयस्त्रीत्व विशिष्ट जो लौकिक पुंस्त्वविशिष्ट के साथ लौकिकस्त्रीत्व विशेषण से युक्त गोत्वावच्छिन्न, उसका बोधकत्व (गोशब्द का होता है) यह पूर्ववत् समझना चाहिए ॥ ३६–३७ ॥

शास्त्रीय लिङ्गों को शब्द का वाच्य बताने वाली युक्तियाँ

शास्त्रीय लिङ्गों में भेदक न होने से, सब जगह रहने से तथा अनुभव के अभाव से शब्दों को शास्त्रीयलिङ्गवाची मानना व्यर्थ (के समान) परिलक्षित होता है।

तथापि लिङ्गानुशासन के सूत्रों के प्रमाण से एवं व्यवहार से तथा शब्दशास्त्र सम्बन्धी कार्यों की शास्त्रीयलिङ्ग के न मानने पर अनुपपत्ति होने से (शास्त्रीयलिङ्ग शब्दवाच्य माना जाता है)। लिङ्ग अर्थ का प्रातिपादकार्थ से अधिक (रूप में) अवगम होने पर प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है, इससे शास्त्रीय लिङ्गों की शब्द-वाच्यता मानी जाती है।

शास्त्रीय लिङ्ग को केवलान्वयी होने के कारण किसी का व्यावर्त्तक न होने एवं अनुभव के विषय न होने पर भी शब्द के वाच्य के रूप में स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि लिङ्गानुशासन का "घञजपः पुंसि" सूत्र तथा पाणिनि के, "स्त्रियां क्तिन्", "नपुंसके भावेक्त" आदि सूत्र एवं "आस्त्रीपङ्कं पुमान् पाप्मा" आदि कोश के वचन उसमें प्रमाण हैं। तथा घट शब्द पुंलिङ्ग है, आदि रूप में व्यवहार होता है, इससे शास्त्रीय लिङ्ग को शब्द का वाक्य माना जाता है। चेतन एवं अचेतन साधारण में पुंस्त्व आदि लिङ्गों को न मानने पर घटान् आदि पदों में "तस्माच्छसो नः पुंसि' इत्यादि सूत्रों से नत्व आदि रूप कार्यों की अनुपपत्ति होने से तथा 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण' इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ के अपेक्षा लिङ्ग के अधिक रूप से भासमान होने पर प्रथमा का विधान किया गया है, इससे शास्त्रीय लिङ्ग को वाच्य माना है॥ ३८–४०॥

त्रिलिङ्गशब्दानां विभागः प्रयोगव्यवस्था च

त्रिलिङ्गाः शब्दा द्विविधाः। विशेष्यनिघ्नाः स्वतन्त्रलिङ्गाश्चेति प्रागुक्तमेव। तत्र ये स्ववाच्यलिङ्गत्रयं विशेष्यबोधकशब्दबोध्यलिङ्गमनपेक्ष्यैव पर्यायेण बोधयन्ति ते स्वतन्त्रलिङ्गाः स्वाधीनलिङ्गा वा उच्यन्ताम्। यथा दाडिमतटविभीतकादयः। ते च स्वल्पत्वात् परिगणयितुं शक्याः। ये पुनस्त्रिलिङ्गा विशेष्यवाचकशब्दप्रयोगे सति तच्छब्दबोधितमेव लिङ्गं बोधयन्ति तदप्रयोगे च नपुंसकत्वं पुंस्त्वं वा प्रत्याययन्ति ते विशेष्यनिघ्ना अन्यलिङ्गाश्चोच्यन्ते। तत्र स्वतन्त्रलिङ्गानां तत्तल्लिङ्गे यदृच्छया प्रयोगाः। यथा—

दाडिमः फलम्, दाडिमी फलम्, दाडिमं फलम्। जलसमीपदेशविशेषस्तटः, तटी तटं वा। विभीतको विभीतकी विभीतकं वा फलम्।

विशेष्यनिघ्नानां प्रयोगवैचित्र्यम्

विशेष्यनिघ्नशब्दानां वैचित्र्यमिदमीक्ष्यताम् ॥४१॥
ते समानाधिकरणविशेषणसमर्पकाः।
विशेष्याधीनवचनलिङ्गाः प्रोक्ता मनीषिभिः॥ ४२॥

विशेष्यनिघ्नानां प्रयोगेषु बहु वैचित्र्यमस्ति। तदस्माभिः प्रदर्श्यते। तच्च नियतमेव। तथा हि तेषाम्—

(१) नामार्थसमानाधिकरणविशेषणपरत्वे विशेष्यवाचकशब्दबोधिते एव लिङ्गे तद्बोधितवचने एव च प्रयोगो यथा—नीलः पटस्त्यज्यताम्, श्वेतां शाटीं परिधेहि, कोमलं वसनमानीयताम्॥ ४१–४२॥

तीनों लिङ्गों में होने वाले शब्दों के विभाग एवं प्रयोग की व्यवस्था

यह पहले कहा जा चुका है कि तीनों लिङ्गों में प्रयुक्त होने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं विशेष्यनिघ्न लिङ्ग वाले और स्वतन्त्र लिङ्ग वाले। उनमें जो शब्द, विशेष्य बोधक शब्द का बोध्य लिङ्ग की अपेक्षा किये विना ही अपने तीनों लिङ्गों का पर्याय से बोधित कराते हैं, वे स्वतन्त्र लिङ्ग वाले या स्वाधीन लिङ्ग वाले कहे जाँय। जैसे दाडिम तट एवं विभीतक आदि शब्द। अल्पसंख्यक होने के कारण उनका परिगणन किया जा सकता है। जो तीनों लिङ्गों वाले होते हुए भी (उनके साथ) विशेष्यवाचक शब्द का प्रयोग होने पर उस (विशेष्यवाचक) शब्द से बोधित लिङ्ग का ही बोध कराते हैं, और विशेष्यवाचक शब्द का प्रयोग न रहने पर नपुंसकत्व या पुंस्त्व का बोध कराते हैं, वे विशेष्यनिघ्न या अन्य लिङ्ग (वाले) कहे जाते हैं। स्वतन्त्र रूप से तीनों लिङ्ग वालों का तो तत्-तत् लिङ्ग में इच्छानुसार प्रयोग होता है। जैसे—दाडिमः फलम्, दाडिमी फलं, दाडिमं फलम्। जल के समीप का देश विशेष तट, तटी, तटम् इस तरह तीनों लिङ्गों में प्रयोग होता है। इसी तरह विभीतकः विभीतकी एवं विभीतकं वा फलम्, ऐसा तीनों लिङ्गों में इच्छानुसार प्रयोग होता है।

विशेष्यनिघ्न शब्दों के प्रयोग की विचित्रता

विशेष्यनिघ्न शब्दों के इस वैचित्र्य को देखा जाय। वे समानाधिकरण विशेषण के रूप में लिङ्ग एवं वचन के सम्बन्ध में विशेष्य के सामने अपने को समर्पित करने वाले तथा विशेष्य के अधीन वचन एवं लिङ्ग वाले होते हैं, ऐसा मनीषियों ने कहा है।

विशेष्यनिघ्न शब्दों के प्रयोग में जो विचित्रताएँ हैं वे दिखायी जा रही हैं—वे विचित्रताएँ निश्चित ही हैं। जैसे उनके—

(१) नामार्थं के समानाधिकरण विशेषण परक रहने पर, विशेष्यवाचक शब्द से बोधित ही लिङ्ग में तथा उससे बोधित वचन में ही उनका प्रयोग होता है। जैसे नीलः पटस्त्यज्यताम्, श्वेतां शाटीं परिधेहि, कोमलं वसनमानीयताम् (इन प्रयोगों में देखा जाता है) ॥ ४१–४२ ॥

असमानाधिकरणविशेषणपरास्तु ते।
पुंव्यक्तिबोधतात्पर्यसत्त्वे पुंलिङ्गभागिनः।
स्त्रीव्यक्तिबोधतात्पर्ये सति स्त्रीलिङ्गयोगिनः ॥ ४३ ॥

(२) विशेष्यनिघ्नानां व्यधिकरणविशेषणपरत्वे तु यदि पुरुषबोधे तात्पर्यं तदा पुंस्त्वे प्रयोगः। यदि च स्त्रीबोधे तात्पर्यं तदा स्त्रीत्वे। यथा—अधमाज्जातोऽयं नीचस्वभावः, अयं ज्येष्ठायाः पुत्रः, अयं तु कनिष्ठापुत्रः ॥ ४३ ॥

असमानाधिकरण विशेषणपरक रहने पर तो वे विशेष्यनिघ्न शब्द, पुंव्यक्ति के बोध का तात्पर्य रहने पर पुंलिङ्ग के भागी होते हैं तथा स्त्रीव्यक्ति के बोध का तात्पर्य रहने पर स्त्रीलिङ्ग के भागी होते हैं।

(२) विशेष्यनिघ्न शब्दों के व्यधिकरण विशेषणपरक होने पर तो यदि पुरुष के बोध में तात्पर्य हो तो पुंलिङ्ग में और यदि स्त्रीत्व के बोध में तात्पर्य हो तो स्त्रीत्व में उनका प्रयोग होता है। जैसे—"अधमाज्जातोऽयं नीच स्वभावः, तथा अयं ज्येष्ठाया पुत्रः, अयन्तु कनिष्ठा पुत्रः", इन प्रयोगों में देखा जाता है ॥ ४३ ॥

प्राप्तेषु त्रिषु लिङ्गेषु क्लीबलिङ्गा भवन्ति ते।
पुंलिङ्गास्तु प्रयुज्यन्ते यदि स्युः प्राणिबोधकाः ॥ ४४ ॥

(३) यस्य च विशेष्यनिघ्नस्य पुंस्त्वे स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे वा प्रयोगे कृते न विवक्षितार्थहानिः तस्येच्छया त्रिष्वपि लिङ्गेषु प्रयोगः प्राप्तः परन्तु स क्लीबे एव प्रयोक्तव्यः। यथा—सर्वैरिष्टं साध्यते। इदन्तु बोध्यम्।

"न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥"

अत्राद्ये इष्टशब्दस्य त्रिलिङ्गत्वात् इष्टः इष्टा इष्टमिति त्रिविधेऽपि प्रयोगे कृते यद्यपि विवक्षितार्थहानिर्न भवति, तथापि इष्टं साध्यते इत्येव प्रयोगः। द्वितीयेऽपि बोध्यं बोध्या बोध्यः इति त्रिविधोऽपि वक्तुं शक्यः, परन्तु बोध्यमिति नपुंसके एव प्रयोक्तव्यः। एवं तृतीये किञ्चनेति नपुंसक एव प्रयोगो न पुमादौ।

(४) यदि तु जातादयो लिङ्गत्रयशक्ताः—स्त्रीपुरुषोभयपरत्वेन प्रयोक्तुमिष्यन्ते तदा ते पुंलिङ्गा एव प्रयुज्यन्ते, यथा—"स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्" ॥ ४४ ॥

ते क्लीबलिङ्गा धात्वर्थे विशेषणपरा यदि ॥ ४५ ॥

(५) यदि विशेष्यनिघ्नाः धात्वर्थे समानाधिकरणविशेषणपराः तदा ते क्लीबलिङ्गा भवन्ति। यथा—स्तोकं पचति, सोल्लासं ब्रवीति।

अत्रेदं बोध्यम् भावार्थककृदन्तयोगे अभेदेन विशेषणपराः क्लीबे पुंसि च प्रयोक्तुं शक्यन्ते। स्तोकं पाकः स्तोकः पाक इति। तथा हि साध्यावस्थापन्नधात्वर्थविशेषणपरत्वे नपुंसके प्रयोगः सिद्धावस्थापन्नघञाद्यर्थविशेषणपरत्वे पुंसि। एतत्प्रयोगद्वयञ्च नैयायिका अपि स्वीकुर्वन्ति, किन्तु तन्मते केवला घञादयोऽनर्थकाः घञाद्यन्ता अपि क्रियावाचिनः। तत्र यदा धात्वर्थे विशेषणता तदा नपुंसके प्रयोगः, पुनर्घञाद्यन्तनामार्थे विशेषणता तदा पुंसि प्रयोग इति विशेषः ॥ ४५ ॥

तीसरा वैचित्र्य यह है कि तीनों लिङ्गों के प्राप्त होने पर वे नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं। यदि प्राणीबोधक शब्द हों तो उनका पुंलिङ्ग में ही प्रयोग किया जाता है।

यदि किसी विशेष्यनिघ्न शब्द का पुंलिङ्ग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में प्रयोग करने पर विवक्षित अर्थ की हानि न होते हों तो उसका प्रयोग इच्छानुसार तीनों लिङ्गों में किया जा सकता है। किन्तु नपुंसक लिङ्ग में ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे—सर्वैरिष्टं साध्यते, इदन्तु बोध्यम्, इत्यादि (इसी तरह "न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन", यह गीता का प्रयोग है)।

हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कुछ कर्त्तव्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त, प्राप्तव्य है फिर भी कर्म में रत रहता हूँ।

इन तीनों प्रयोगों के पहले में इष्ट शब्द के तीनों लिङ्गों में होने के कारण इष्टः, इष्टा एवं इष्टम् तीन तरह के भी प्रयोग करने पर यद्यपि विवक्षित अर्थ की हानि नहीं होती है, तथापि इष्टं प्राप्यते ऐसा नपुंसक लिङ्ग वाला ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रयोग में भी बोध्यम्, बोध्या एवं बोध्यः इन तीनों लिङ्गों का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु बोध्यम् इस नपुंसक लिङ्ग का ही प्रयोग होता है। इसी तरह तीसरे गीता वाले प्रयोग में किञ्चन ऐसा नपुंसक में ही प्रयोग है। पुंलिङ्ग आदि में नहीं।

(४) जात आदि शब्द तो तीनों लिङ्गों में शक्त हैं, यदि उनका स्त्री पुरुष उभयपरक के रूप में प्रयोग करने की कहीं स्थिति उपस्थित होती है तो वे पुलिङ्ग ही प्रयोग किये जाते हैं—जैसे—स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। (यहाँ स्त्री पुरुष दोनों का बोधक जाता पुंलिङ्ग है)।

यदि वे विशेष्यनिघ्न धातु के अर्थ में विशेषणपरक रहे तो वे नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं।

(५) यदि विशेष्यनिघ्नशब्द धातु के अर्थ में समानाधिकरण विशेषण परक हों तब वे क्लीबलिङ्ग वाले होते हैं। जैसे—स्तोकं पचति, सोल्लासं ब्रवीति इन प्रयोगों में क्रिया विशेषण में नपुंसक लिङ्ग है।

यहाँ यह समझना चाहिए कि भाव अर्थवाले कृदन्तपद से योग रहने पर अभेद सम्बन्ध से विशेषणपरक शब्द क्लीब एवं पुंलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। जैसे—साध्यावस्थापना धात्वर्थं के विशेषणपरक होनेपर नपुंसक में प्रयोग होता है, और सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ के विशेषणपरक रहने पर पुंलिङ्ग में प्रयोग होता है। इन दोनों प्रयोगों को नैयायिक भी स्वीकार करते हैं, किन्तु उनके मत में केवल घञ् आदि अनर्थक होते हैं, घञाद्यन्त भी क्रियावाचो होते हैं। वहाँ जब धात्वर्थ को विशेषणता होती है तब नपुंसक में प्रयोग होता है। जब फिर घञाद्यन्त में नामार्थ की विशेषणता होती है तब पुंलिङ्ग में प्रयोग होता है उनके मत में यह विशेष बात है ॥ ४४-४५ ॥

विशेष्यवाचकपदमलिङ्गं यदि वर्तते।
तदा विशेष्यनिघ्नानां प्रयोगः क्लीबलिङ्गकः ॥ ४६ ॥

(६) यदि च विशेष्यवाचकपदं लिङ्गवाचकं न, यथा अव्ययधात्वादि, तदा समानाधिकरणविशेषणपराणां क्लीबलिङ्गक एव प्रयोगः। यथा—

"न बुध्यते इत्यपि बुद्धिसाध्यम्" ।

कुटिलग्रीवं वीक्षते । मृदु पचति ।

अत्र बुद्धिसाध्यमित्यस्य विशेष्यम् इतीति । तच्चाव्ययत्वान्न लिङ्गवाचि । अतः तद्विशेषणत्वात् साध्यमिति नपुंसकलिङ्गक एव प्रयोगः । एवं द्वितीयतृतीयवाक्ययोः धातोर्विशेष्यवाचित्वात् तस्य च लिङ्गावाचकत्वात् समानाधिकरणविशेषणवाचिनः कुटिलग्रीवमृदुपदद्वयस्य प्रयोगः क्लीबे एव । यद्यप्यत्र धात्वर्थविशेषणत्वेनापि नपुंसकता सिद्धा तथापि सामान्यप्रकारान्तरेणापि तद्बोधनं व्युत्पत्त्याधायकमेव ॥ ४६ ॥

विशेष्य वाचक पद यदि लिङ्ग रहित है तो विशेष्यनिघ्न शब्दों का क्लीबलिङ्ग में प्रयोग होता है ।

(६) यदि विशेष्यवाचक पद लिङ्ग का वाचक न हो, जैसे—अव्यय एवं धातु आदि, तो समानाधिकरण विशेषणपरक शब्दों का क्लीबलिङ्ग में ही प्रयोग होता है। जैसे—न बुध्यते इत्यपि बुद्धिसाध्यम्, कुटिलग्रीवं वीक्षते, मृदु पचति, आदि प्रयोग हैं ।

यहाँ बुद्धिसाध्यम् इस पद का विशेष्य 'इति' है । वह अव्यय होने के कारण लिङ्गवाची नहीं है । अतः उसके विशेषण होने से साध्यम् ऐसा नपुंसक लिङ्ग का ही प्रयोग होता है । इसी तरह दूसरे एवं तीसरे वाक्यों में धातु विशेष्यवाची है और वह लिङ्ग का वाचक नहीं है, इसलिए समानाधिकरण विशेषणवाची, कुटिलग्रीव एवं मृदु, दोनों पक्षों का नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग हुआ है । यद्यपि यहाँ धातु के अर्थ का विशेषण होने के कारण भी नपुंसकत्व सिद्ध होता है, तथापि समान रूप वाले दूसरे प्रकार से भी बोध कराना व्युत्पत्ति का धारण करने वाला ही होता है ॥ ४६ ॥

द्रव्योपसर्जनीभूतगुणस्य च विशेषणे ।
प्रयुक्ताः क्लीबलिङ्गाः स्युर्यथात्यन्तं पटुर्भवान् ॥ ४७ ॥

(७) द्रव्योपसर्जनीभूतगुणविशेषणपरत्वेन प्रयुक्ताः अर्थात् पटुत्वमृदुत्वादिगुणविशिष्टबोधकपटुमृद्व्यादिशब्दबाध्यपटुत्वादेः समानाधिकरणविशेषणपराः नपुंसकलिङ्गा एव भवन्ति । यथा—भवानत्यन्तं पटुः । पटोऽयं नितान्तं कोमलः ।

अत्र अत्यन्तपदार्थः पटुत्वेऽभेदन विशेषणं, पटुत्वं च तदाश्रयरूपद्रव्ये इति द्रव्यं प्रत्युपसर्जनं (विशेषण) वर्तते । एवं कोमलत्वमपि स्वाश्रयपटद्रव्यं प्रत्युपसर्जनं तद्विशेषणबोधकात्यन्तशब्दः क्लीबे प्रयुक्तः ।

वस्तुतस्तु व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् पदार्थैकदेशेऽभेदेन विशेषणपरा नपुंसकलिङ्गा एव प्रयोक्तव्या इति व्यवस्था वाच्या सुगमत्वात् ।

नन्वेवं परमः सुन्दरो महान् पण्डित इत्यादयः कथं प्रयोगाः ? अत्र हि परममहदादिपदार्थोऽभेदेन सौन्दर्यपाण्डित्यादिरूपे पदार्थैकदेशे एव विशेषणमिति चेत्—न । पूर्वोक्तनियमस्वीकारेऽप्येतद्दोषसद्भावात् । तस्मात् परमः सुन्दरो महान् पण्डित

इत्यादौ सौन्दर्यपाण्डित्यादिगतोत्कर्षेण तदाश्रयव्यक्तेरप्युत्कृष्टतया सुन्दरपण्डितादिपदार्थे एव परममहदादिपदार्थाभेदान्वयेन पदार्थैकदेशविशेषणत्वाभावान्नोक्तदोषावकाशः । अत एव परमं सुन्दरमानय, महता पण्डितेनोक्तमित्यादौ परमादिपदार्थस्य कर्मत्व-कर्तृत्वाद्युपपत्तिः । न चैवमत्यन्तं पटुरित्यादावपि पदार्थे एवान्वयः शङ्क्यः, पुंलिङ्ग-त्वापत्तेः, अत्यन्तं पटुना साध्यमेतत् इत्यादिप्रयोगानुपपत्तेश्च तस्मादिह पदार्थैकदेशेऽ-त्यन्तादिपदार्थाभेदान्वय आवश्यकः ॥ ४७ ॥

द्रव्य का उपसर्जन अर्थात् विशेषण होने वाले गुण के विशेषणपरक रूप में प्रयुक्त शब्द नपुंसक लिङ्ग में होता है—जैसा 'अत्यन्तं पटुर्भवान्' इस वाक्य में (अत्यन्तं नपुंसक देखा जाता है) ।

(७) द्रव्य के उपसर्जन हुए गुण का विशेषणपरक रूप से प्रयुक्त शब्द (नपुंसक होता हैं) अर्थात् पटुत्व एवं मृदुत्व आदि गुण विशिष्ट के बोध कराने वाले पटु एवं मृदु आदि शब्द से बोध्य पटुत्व आदि के विशेषणपरक शब्द नपुंसकलिङ्ग में ही होते हैं । जैसे—भवानत्यन्तं पटुः, पटोऽयं नितान्तं कोमलः ।

इस वाक्य में अत्यन्त पदार्थ अभेदसम्बन्ध से पटुत्व का विशेषण है और पटुत्व उसके आश्रय रूप द्रव्य का विशेषण है, इस तरह द्रव्य के प्रति उपसर्जन अर्थात् विशेषण पटुत्व है। इसी तरह कोमलत्व भी अपने आश्रय घटद्रव्य के प्रति उपसर्जन है उसका विशेषण बोधक अत्यन्त शब्द नपुंसक में प्रयुक्त है ।

वस्तुतः तो व्युत्पत्ति की विचित्रता से पदार्थ के एकदेश में अभेद सम्बन्ध से विशेषण-परक शब्द नपुंसकलिङ्ग में ही प्रयुक्त होने योग्य है, यह व्यवस्था सुगम होने के कारण करनी चाहिए ।

प्रश्न है कि इस तरह मानने पर परमः सुन्दरः, महान् पण्डितः आदि प्रयोग कैसे होंगे ? क्योंकि यहाँ परम एवं महत् आदि पदार्थ अभेद सम्बन्ध से सौन्दर्य एवं पाण्डित्य आदि रूप पदार्थ के एकदेश में ही विशेषण है (वैसी स्थिति में बनाये नियम के अनुसार नपुंसकलिङ्ग ही होना चाहिए) इस प्रश्न के समाधान में कहा जाता है कि पूर्वोक्त नियम के स्वोकार करने पर भी उस दोष का सद्भाव रहता ही है । इसलिए परमः सुन्दरः, महान् पण्डितः आदि प्रयोगों में सौन्दर्य एवं पाण्डित्य आदि में रहनेवाले उत्कर्ष के साथ उसके आश्रयभूत व्यक्ति की भी उत्कृष्टता होने से सुन्दर एवं पण्डित आदि पदार्थ में ही परम एवं महत् आदि पदार्थों के अभेदान्वय होने से पदार्थ के एकदेश के विशेषण का अभाव है, इसलिए उस दोष का अवकाश नहीं हैं । इसीलिए 'परमं सुन्दरमानय, महता पण्डितेनोक्तम्, आदि प्रयोगों में परम आदि पदार्थों के कर्मत्व एवं कर्तृत्व की उत्पत्ति होती है । इस तरह अत्यन्तं पटुः आदि प्रयोगों में भी पदार्थ में ही अन्वय है, ऐसो शङ्का तो नहीं की जा सकती, क्योंकि वैसा मानने पर पुंलिङ्ग की आपत्ति होगी । साथ ही अत्यन्तं पटुना साध्यमेतत्, आदि प्रयोगों की अनुपपत्ति होगी । इस कारण से इस प्रयोग में पदार्थ के एकदेश में अत्यन्त आदि पदार्थों का अभेदान्वय मानना आवश्यक है ॥ ४७ ॥

येषां क्लीबत्वमत्रोक्तं त एकवचनानुगाः ॥ ४८ ॥

(८) एतत्प्रकरणे येषां शब्दानां नपुंसकत्वं बोधितं ते एकवचनानुगा भवन्ति। तेभ्यः परमेकवचनमेव प्रयुज्यते इति यावत्। यथा—न मे किञ्चन कर्तव्यमस्ति, स्तोकं पचन्ति, अत्यन्तं पटवः ॥ ४८ ॥

इस प्रकरण में जिनके नपुंसकत्व बताये गये हैं, वे एकवचन के अनुगामी होते हैं।

(८) इस प्रकरण में जिन शब्दों के नपुंसकत्व का बोध कराया गया है, वे एकवचन के अनुगामी होते हैं। उनके परवर्ती (शब्द) में एकवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे—न मे किञ्चन कर्त्तव्यमस्ति, स्तोकं पचन्ति एवं अत्यन्तं पटवः आदि ॥ ४८ ॥

न्याय्यं लिङ्गं परित्यज्य श्रयन्ति क्लीबतां क्वचित्।
तथा हि धीरैः सामान्ये नपुंसकमितीरितम् ॥ ४९ ॥

विशेष्यनिघ्नाः 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते' इति न्यायप्राप्तं लिङ्गं परित्यज्य कचित् नपुंसकलिङ्गभाजो भवन्ति। ते प्रदर्श्यन्ते—

(९) बहुव्रीहौ कचित् पूर्वपदं कचिदुत्तरपदं विशेष्यनिघ्नस्वभावविरुद्धनपुंसकलिङ्गभाग् भवति। यथा—

दृढभक्तिः स्त्रीकर्तृकं श्राद्धम्, स्त्रीस्वामिकं धनम्, घटो नेति प्रतीतिसाक्षिकोऽभावः। एष्वाद्ये दृढा भक्तिर्यस्येति विग्रहात् दृढाभक्तिरिति न्यायप्राप्तः प्रयोगः। न चात्र पुंवद्भावः, अप्रियादिष्वित्युक्तत्वात्। तत्र सामान्ये नपुंसकलिङ्गविवक्षायां टाबभावात् दृढभक्तिरिति। स्त्रीत्वविवक्षायान्तु दृढाभक्तिरिति।

द्वितीये स्त्रीकर्तृकमित्यत्र स्त्रीकर्त्रीकमिति प्रयोगः प्राप्तस्तत्र सामान्ये नपुंसकविवक्षया कर्तृशब्दात्स्त्रीप्रत्ययाभावात् स्त्रीकर्तृकमिति। स्त्रीकर्त्रीकमित्यपि भवत्येव।

तृतीये स्त्रीस्वामिकमित्यत्र स्त्रीस्वामिनीकमिति प्रयोगः प्राप्तस्तत्रापि सामान्ये नपुंसकविवक्षया तथा प्रयोगः।

एवं चतुर्थेऽपि प्रतीतिसाक्षिणीक इति यद्यपि न्याय्यं तथापि सामान्ये नपुंसकमिति प्रतीतिसाक्षिकमित्यपि भवति।

(१०) एवं त्वलतादिभावतद्धितप्रकृतेः कचिद्विशेष्यनिघ्नस्वभावविरुद्धनपुंसकलिङ्गबोधकत्वम्। यथा—शरदः कृतार्थता, वनिताया रतिदुःखशीलता, नियतेर्बलवत्त्वम्, स्त्रीणां सुकुमारत्वम्। अत्र तावदौचित्यात् कृतार्थाता इत्यादयः प्रयोगाः प्राप्ताः। तथा हि स्त्रीप्रत्ययतद्धितप्रत्यययोः प्राप्तौ प्रथमं स्त्रीप्रत्यय एव भवतीति वैयाकरणसिद्धान्तः। तथा च कृतार्थादिशब्दानां शरदादिसमानाधिकरणविशेषणसमर्पकत्वेन प्रयोक्तव्यत्वे प्रथमं स्त्रीप्रत्यये सति पश्चात्तलादिप्रत्ययः स्यात्। एवं च कृता-

र्थाता इत्यादिप्रयोगः प्राप्तो न कृतार्थतेत्यादिः । तत्रैतादृशः प्रयोगो नपुंसकत्वविवक्षणाद्भवति ।

"त्वतलोर्गुणवचनस्ये"ति पुंवद्भावेन तु न तत्सिद्धिः, आकडारादितिसूत्रस्य-भाष्यपरिभाषितगुणवचनत्वाभावात् । तत्र हि समास–कृतन्त–तद्धितान्ताव्यय-सर्वनाम-जाति–संख्या–भिन्नमर्थवच्छब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञमिति परिभाषितम् ।

वस्तुतस्तु त्वतलोरिति विषयसप्तमी तस्मात्त्वतलोर्विषये पूर्वमेव पुंवद्भावः प्राप्तः तद्धितान्तपर्युदासान्न भवतीति ।

अत एव 'नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत्' इति माघपद्ये द्वारवतीशब्दस्य तद्धितान्तत्वेनोक्तगुणवचनत्वाभावात् न पुंवद्भावः । यद्यपि द्वारवतीशब्दो न तद्धितान्तः तथापि गुणवचनस्येत्यस्य गुणवचनप्रकृतिकस्त्रीप्रत्ययान्तस्येत्यर्थः करणीयः तथा च द्वारवच्छब्दो न गुणवचनः, तद्धितान्तत्वेन पर्युदस्यमानत्वात् । अतो द्वारवतीशब्दस्य गुणवचनप्रकृतिकस्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावान्न पुवत्त्वम् । किञ्च लिङ्गविशिष्टपरिभाषाबलात् तद्धितान्तपदेन द्वारवतीशब्दस्यापि ग्रहणात् तस्य गुणवचनसंज्ञायां पर्युदासान्न पुंवत्त्वमिति । वस्तुतस्तु त्वतलोरिति विषयसप्तमी अतस्त्वतलोर्विषये पूर्वमेव पुंवद्भावः प्राप्तस्तद्धितान्तपर्युदासान्न भवतीति । एतावता प्रघट्टेन विशेष्यनिघ्नानां प्रयोगवैचित्र्यं प्रभूतमुक्तम् ।

प्रयोगवैचित्र्ये प्रमाणम्

अथैवंविध वैचित्र्ये किं प्रमाणमिति चेत्—उच्यते । तत्रमुख्यंप्रमाणं तथा तथा प्रामाणिकप्रयोगदर्शनमेव लिङ्गानां लौकिकत्वात् । अत एव पाणिनिना "लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य" इत्युक्तम् । प्रामाणिकप्रयोगदर्शनैरेव लिङ्गज्ञानस्य संभवेन अनुगतरूपेण संक्षिप्य लिङ्गोपदेशस्यासंभवेन च तदुपदेशवैयर्थ्यमिति तदाशयः । लिङ्गबोधकशब्दप्रयोगव्यवस्था तु न काचित् शास्त्रकारेण प्रदर्शिता । अभियुक्तैस्तु प्रामाणिकप्रयोगमूला काचन व्यवस्था प्रतिपादिता । सा चेयमेका—

या विशेष्येषु दृश्यन्ते इत्यस्य व्याख्या

"या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिङ्गसंख्याविभक्तयः ।
प्रायस्ता एव कर्तव्याः समानार्थे विशेषणे" ॥

अस्यार्थः—विशेष्ये यल्लिङ्गं या च संख्या प्रतीयते तत्समानाधिकरणविशेषणेऽपि प्रायेण तदेव लिङ्गं सैव च संख्या प्रत्येया । अर्थात् तल्लिङ्गप्रयुक्तमेव लिङ्गनिमित्तकं शास्त्रीयकार्यं तत्संख्याबोधकमेव वचनमपि तादृशविशेषणवाचके कर्त्तव्यम् । एवं विशेष्यबोधकात् या विभक्तिः प्रथमादिरूपा दृश्यते सैव विभक्तिः तत्समानाधिकरणविशेषणबोधकाद्विधेयेति । यथा नीलो घट आनीयतामित्यत्र विशेष्ये घटे पुंस्त्वैकत्वे प्रतीयते, ते एव तत्समानाधिकरणविशेषणे नीलपदार्थेऽपि प्रत्येये । तथा च तत्र पुंस्त्व-

निमित्तकार्याप्रसक्त्या तत्प्रयुक्तशास्त्रीयकार्याभावेऽपि एकत्वसंख्यानिबन्धनमेकवचनमेव तद्बोधकात्। तथा विशेष्यवाचकघटशब्दाद्या प्रथमात्मिका विभक्तिरस्ति सैव नीलरूपविशेषणवाचकादपीति। एतेन नीलं घटः, नीलौ घटः, नीलेन घटः इत्यादीनामसाधुत्वं बोधितं भवति। तेन येषां मते समानाधिकरणविशेषणविभक्तिरभेदार्था तन्मतेऽपि वचनादिव्यवस्था सिद्धा।

प्राय इत्युपादानात् स्वतन्त्रलिङ्गानां नियतवचनानां च व्यावृत्तिः। तेन इदं द्रव्यं पङ्कः इत्यादौ न विशेष्यलिङ्गतानियमः। तथा शतं ब्राह्मणाः, मैथिली रामस्य दाराः इत्यादौ उक्तनियमानाक्रान्त्या विभिन्नवचनत्वेऽपि भिन्नलिङ्गत्वेऽपि च न साधुत्वहानिः।

एवं प्राय इत्यनेन यस्य "भाषितपुस्कं पुंवद्गालवस्य" इति गालवाचार्यमते पुंवद्भावस्तस्यापि व्यावृत्तिरिति 'मृदौ काव्ये' इत्यादिप्रयोगोपपत्तिः। अन्यथा काव्यशब्दस्य नित्यनपुंसकतया 'मृदुनि काव्ये' इत्येव प्रयोगः स्यात्।

इदन्तु बोध्यम्। स्वतन्त्रलिङ्गानां लिङ्गांशे एव स्वातन्त्र्यात् न्यायाप्रवृत्तिः। संख्यांशे विभक्त्यंशे च प्रवृत्तिर्भवत्येव। तेन 'पङ्कं पङ्को वा जलमिश्रिता मृत्' इति विभिन्नलिङ्गप्रयोगेऽपि न विभिन्नवचनता विभिन्नविभक्तिता वा। एवं नियतवचनलिङ्गानां वचनलिङ्गयोरेव नैयत्यादुक्तनियमाप्रवृत्तिः। विभक्त्यंशे तु प्रवृत्तिर्भवत्येव। तेन मैथिली रामस्य दारा इत्यादौ विभिन्नलिङ्गसंख्यकत्वेऽपि न विभिन्नविभक्तिता। अत्र विभक्तिपदेन प्रथमादयः सप्तविभक्तयो बोध्याः, त्रिकं विभक्तिसंज्ञमिति भाष्यात् पस्पशायां भाष्यकृता सप्त सिन्धव इत्यस्य सप्त विभक्तय इति व्याख्याकरणाच्च।

'इक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनमि'तिभाष्यप्रयोगस्तु प्रयोजनत्वस्यैकत्वमभ्युपगम्य तद्गतैकत्वपरतयोपपादनीयः। प्रयोजनगतबहुत्वपरत्वे तु बहुवचनमेव। तथा च भाष्यप्रयोगः। 'इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि' इति।

प्रयोजनत्वगतैकत्वपरत्वे कुतो नोक्तन्यायप्रवृत्तिः? उच्यते। प्राय इत्यनेन एकत्वान्वयित्वेन तात्पर्यविषयस्वार्थतावच्छेदकबोधकस्यापि व्यावृत्तेः। अत एव 'इति हेतुस्तदुद्भवे' इति कारिकाया 'इति त्रयः समुदिता हेतुः' इति काव्यप्रकाशव्याख्याग्रन्थः संगच्छते। अत्र हि हेतुपदं कार्योत्पत्तिप्रयोजतावच्छेदकसमुदायत्वावच्छिन्नपरं तादृशसमुदायत्वान्वितमेकत्वं विवक्षितमिति नोक्तन्यायविषयतेति त्रयो हेतुरिति विभिन्नवचनतोपपत्तिः। एवं च 'या विशेष्येषु दृश्यन्त' इति कारिकायाः अर्थत्रयं विभजनीयम्। तथा हि—(१) यत् अनियतलिङ्गं स्वतन्त्रलिङ्गभिन्नं यल्लिङ्गावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकं तस्य तल्लिङ्गावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्वम् इत्येकोऽर्थः। तेन पुरूरवोमाद्रवसौ विश्वेदेवा इत्यादिप्रयोगोपपत्तिः स्वतन्त्रलिङ्गभिन्नमित्युक्त्या च इदं वस्तु अर्गला इत्यादिप्रयोगा निराबाधाः।

(२) द्वितीयश्चायमर्थः—यत् अनियतवचनमेकत्वान्वयित्वेन तात्पर्याविषयस्वार्थतावच्छेदकबोधकं यत्संख्यावत्त्वेन प्रतीयमानार्थनिष्ठाविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयो-

जकं तस्य तत्संख्यावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्वमेव । तेन घटो द्रव्यमित्यादौ लिङ्गांशे नियमस्य प्रवृत्त्यभावेऽपि वचनांशे प्रवृत्त्या समानवचनत्वमेव ।

(३) तृतीयश्चायमर्थः—समानाधिकरणविशेषणवाचकं विशेष्यवाचकविभक्तिसमानविभक्तिकमेवेति । अत्र नियतलिङ्गभिन्नत्वेन वा नियतवचनभिन्नत्वेन वा संकोचाभावात् पूर्वोक्तनियमविषयेऽप्येतन्नियमप्रवृत्त्या मैथिली दाराः, शतं कलसा, इत्यादौ समानविभक्तिता भवत्येव । अत्रावशिष्टविचारोऽग्रे वचनविचारे द्रष्टव्यः ।

सामान्ये नपुंसकम्

अपरा चेयं लिङ्गव्यवस्था वैयाकरणैरुच्यते सामान्ये नपुंसकमिति । तथा च भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां 'स्त्रियाः पुंवदि'तिसूत्रव्याख्यावसरे प्राह—सामान्ये नपुंसकं दृढं भक्तिर्यस्य स दृढभक्तिरिति ।

तत्र लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टः 'अदाढर्यनिवृत्तिमात्रपरत्वेन लिङ्गविशेषविवक्षा नेति' भावः । तद्विवक्षायां दृढाभक्तिरितिसिध्यर्थं प्रियादिषु तत्पाठ इति व्याख्यत् ।

अत्र लिङ्गविशेषविवक्षा नेत्युक्त्या लिङ्गसामान्यविवक्षेति लभ्यते । अन्यथा लिङ्गविवक्षा नेति वदेत् । लिङ्गविशेषविवक्षा च स्त्रीत्वत्वादिविशेषधर्मपुरस्कारेण विवक्षा । लिङ्गसामान्यविवक्षा तु लिङ्गत्वेन बोधनेच्छेति स्पष्टमेव । न चैवं लिङ्गविशेषाविवक्षया नपुंसकत्वे घटमस्तीति प्रयोगापत्तिरिति वाच्यम्, सामान्ये नपुंसकताया विशेष्यनिघ्नविषयत्वात् प्रामाणिकप्रयोगविषयत्वाच्च । अत एव सामान्ये नपुंसकत्वविवक्षया नीलं घट इत्यादयो न प्रयोगाः, शिष्टव्यवहारेष्वदर्शनात् । एवञ्च दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे, सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्, निरीक्ष्य मेने शरदः कृतार्थता, इत्यादिप्रयोगानुसारेण सामान्ये नपुंसकता ।

अत्रेदं तत्त्वम् । विशेष्यनिघ्नानां पुंस्त्वत्वादिविशेषरूपेण लिङ्गत्वरूपसामान्यधर्मेण च लिङ्गबोधकत्वम् । तत्र पुंस्त्वनिमित्तकं कार्यं पुंस्त्वरूपेण लिङ्गबोधे भवति, एवं स्त्रीत्वनिबन्धनं स्त्रीत्वस्वरूपविशेषधर्मेण बोधे । नपुंसकत्वनिमित्तकं तु नपुंसकत्वस्वरूपविशेषधर्मेण लिङ्गत्वरूपसामान्यधर्मेण वा नपुंसकत्वबोधे सति जायते । एतदेव सामान्ये नपुंसकमित्यनेनोच्यते । तथा च धनं वनमित्यादौ नपुंसकत्वस्य नपुंसकत्वस्वरूपविशेषधर्मेण बोधादमादिकं प्रवर्तते, दृढभक्तिरित्यादौ तु लिङ्गत्वरूपसामान्यधर्मेण बोधात् । स्त्रीत्वत्वरूपविशेषधर्मेण लिङ्गस्य बोधाभावान्न स्त्रीत्वनिमित्तकं टाबादि कार्यम् । तस्यापत्यमित्यत्र नपुंसकत्वमविवक्षितमित्यस्य तु अण्प्रत्ययवाच्यत्वेनाविवक्षितमित्यर्थः । तथा च नपुंसकत्वत्वेन बोधस्याक्षतत्वेन न नपुंसकत्वप्रयुक्तामादेशानुपपत्तिः । तत्र जातः, तत्र भवः, इत्यादावविवक्षया लिङ्गस्य बोध एव नेति नामादेशापत्तिरिति ।

अनुकरणलिङ्गविचारः

अनुकरणमनुकार्यलिङ्गभाग्भवति। तेन गौर्यां गकारः पीताम्बरायां पदद्वयस्य बहुव्रीहिः इत्यादौ गौरीपीताम्बराप्रभृतिशब्दाः स्त्रीलिङ्गाः अनुकरणं प्रकृतिवदिति न्यायाद्। अत एव तत्र ङ्याबन्तप्रयुक्तमपि कार्यम्।

बन्धुनि बहुव्रीहाविति तु सौत्रं नपुंसकत्वम्, सामान्ये नपुंसकताया विशेष्यनिघ्नविषयत्वात्।

यत्तु सिद्धान्तकौमुद्यामुक्तम् क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षयेति, तस्य यदि शब्दस्वरूपे इत्यध्याहारे तात्पर्यं तदापि बन्धुशब्दस्य विशेष्यनिघ्नत्वाभावान्नपुंसकनिर्देशानुपपत्तिरेव। यदि वा बन्धुशब्दस्य बन्धुशब्दस्वरूपे लक्षणेत्याशयः, तदापि पुंस्त्वमेव स्यान्न नपुंसकत्वं, न हि लक्षणायां लिङ्गव्यत्ययः, नदीरत्नं गङ्गेत्यादौ रत्नादिपदस्य रत्नसदृशादिलक्षकस्य लिङ्गव्यत्ययादर्शनात्। शुक्लादिशब्दास्तु गुणिनामपि वाचका एव न लक्षकाः, 'गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वती'त्युक्तत्वात्। न च कोषे लक्ष्योऽर्थो बोध्यते, अपितु शक्य एव। तस्मात् शब्दस्वरूपापेक्षयेति चिन्त्यमेतत्। एवमलिङ्गे युष्मदस्मदी इत्युक्तिरपि चिन्त्या। यदि हि तौ शब्दौ न लिङ्गबोधकौ तर्हि तदनुकरणे युष्मदस्मदी इत्यत्र कुतो नपुंसकता? यदि च लिङ्गबोधकौ तदा अलिङ्गे इति कथनसंगतमिति॥ ४९॥

अपने न्यायोचित प्राप्त लिङ्ग को छोड़कर शब्द कहीं क्लीबत्व का आश्रय लेते हैं। इसी बात को, सामान्यतया नपुंसकलिंग होता है, ऐसा धीरों ने कहा है।

विशेष्यनिघ्न शब्द 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते आदि' अर्थात् जो लिङ्ग वचन एवं विभक्ति विशेष्य में देखे जाँय, वे ही विशेषण में भी प्रयोक्तव्य हैं, इस न्याय से प्राप्त लिङ्ग का परित्याग कर कहीं नपुंसक लिङ्ग के भागी बनते हैं। वे दिखाये जाते हैं।

(१) बहुव्रीहि समास में कहीं पूर्वपद तथा कहीं उत्तरपद विशेष्यनिघ्न शब्द के स्वभाव के विरुद्ध नपुंसकलिङ्ग के भागी होते हैं। जैसे—दृढ़भक्तिः, स्त्रीकर्तृकं श्राद्धम्, स्त्री स्वामिकं धनम्, घटो नेति प्रतीति साक्षिकोऽभावः (ये प्रयोग हैं) इनमें पहले प्रयोग में दृढा॰ भक्तिर्यस्य इस विग्रह में दृढाभक्तिः ऐसा न्याय से प्राप्त प्रयोग होता है। यहाँ स्त्रियाः भाषितपुंस्कात् इस सूत्र से पुंवद्भाव तो नहीं होगा, क्योंकि उसी सूत्र में 'अप्रियादिषु' ऐसा निषेधक कहा गया है। वहाँ सामान्य में नपुंसकलिङ्ग की विवक्षा होने पर टाप् के अभाव से दृढभक्तिः, यह प्रयोग होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा रहने पर तो दृढाभक्तिः यह प्रयोग होता है।

दूसरे "स्त्रीकर्तृकम् इस प्रयोग में स्त्रीकर्त्रीकम् यह प्रयोग प्राप्त था। वहाँ सामान्य में नपुंसक की विवक्षा होने से कर्तृशब्द से स्त्रीप्रत्यय न होने से स्त्रीकर्तृकम् ऐसा प्रयोग होता है। साथ ही स्त्रीकर्त्रीकम्, यह भी होता है।

तीसरे 'स्त्रीस्वामिकम्' इस प्रयोग में स्त्रीस्वमिनीकम् यह प्रयोग प्राप्त था, तथापि सामान्य में नपुंसकत्व की विवक्षा से वैसा प्रयोग होता है।

इसी तरह चतुर्थ के प्रतीति साक्षिणीक, यह प्रयोग यद्यपि न्याय था, तथापि सामान्य में नपुंसक की विवक्षा से प्रतीति साक्षिकम् यह भी होता है।

(१०) इसी तरह त्व एवं तल् आदि भाववाचक तद्धित प्रकृति का कहीं विशेष्यनिघ्न शब्दों के स्वभाव के विरुद्ध नपुंसकलिङ्ग का बोधकत्व होता है। जैसे—शरदः कृतार्थता, वनितायाः रतिदुःखशीलता, नियतेर्बलवत्त्वम्, स्त्रीणां सुकुमारत्वम्, आदि प्रयोग उसमें औचित्य के आधार पर तो कृतार्थता आदि प्रयोग प्राप्त थे। जैसे स्त्रीप्रत्यय एवं तद्धितप्रत्यय दोनों के प्राप्त होने पर पहले स्त्रीप्रत्यय ही होता है, यह वैयाकरणों का सिद्धान्त है। उस तरह कृतार्था आदि शब्दों को शरद् आदि शब्दों के समानाधिकरण विशेषण समर्पकत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए, इसलिए पहले स्त्रीप्रत्यय होने पर पीछे तल् आदि तद्धित प्रत्यय होंगे। इस तरह कृतार्थाता आदि प्रयोग प्राप्त है, न कि कृतार्थता आदि। वहाँ ऐसा प्रयोग नपुंसकत्व की विवक्षा से होता है। "त्वतलोर्गुणवचनस्य" इस वचन से पुंवद्भाव होने से तो उस प्रयोग की सिद्धि न होगी, क्योंकि आकडारात् इस सूत्र के भाष्य से परिभाषित गुणवचनत्व का वहाँ अभाव है। (अतः पुंवद्भाव उससे न होगा)। वहाँ तो समास, कृदन्त, तद्धितान्त, अव्यय, सर्वनाम, जाति एवं संख्या से भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूप गुणवचन संज्ञक होता है, ऐसी परिभाषा की गयी है।

वस्तुतः तो त्वतलोः यहाँ विषय में सप्तमी है, इसलिए त्व एवं तल् के विषय में पहले ही पुंवद्भाव प्राप्त था, किन्तु तद्धितान्त के पर्युदास होने से नहीं होता है।

इसीलिये "नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत्" इस माघकवि के पद्य में द्वारवती शब्द के तद्धितान्त होने के कारण आकडारा सूत्र के भाष्य में उक्त उस गुणवचनत्व के अभाव के कारण पुंवद्भाव नहीं होता है। यद्यपि द्वारवती शब्द तद्धितान्त नहीं है तथापि "गुणवचनस्य" इसका गुणवचनप्रकृति वाले स्त्रीप्रत्ययान्त का यह अर्थ करना चाहिए। उस तरह द्वारवत् शब्द गुणवचन नहीं है क्योंकि तद्धितान्त हाने के कारण पर्युदस्त किया जाएगा। अतः द्वारवती शब्द के गुणवचनप्रकृति स्त्रीप्रत्ययान्तत्व के अभाव से पुंवद्भाव नहीं होता है। दूसरी बात है कि "प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्" इस परिभाषा के बल से तद्धितान्त पद के द्वारा द्वारवती शब्द का भी ग्रहण होने पर उसके गुणवचन संज्ञा में पर्युदस्त होने से पुंवद्भाव नहीं होता है। वस्तुतः "त्वतलोः" यह विषय सप्तमी है, इसलिए त्व एवं तल् के विषय में पहले हो पुंवद्भाव प्राप्त था, किन्तु तद्धितान्तपर्युदास के कारण नहीं होता। इन प्रघटकों के द्वारा विशेष्यनिघ्न शब्दों के दश प्रकार के प्रदर्शन में बहुत वैचित्र्य कहा गया।

विशेष्य निघ्नों के प्रयोग वैचित्र्य के विषय में प्रमाण

अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार के वैचित्त्य में क्या प्रमाण है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है लिङ्गों के लौकिक होने से वैसे-वैसे प्रामाणिकों के प्रयोगों का देखा जाना ही उसमें मुख्य प्रमाण माना जाता है। इसीलिए पाणिनि ने लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य" ऐसा कहा है। प्रामाणिकों के प्रयोगदर्शन से ही लिङ्ग का ज्ञान

सम्भव है तथा संक्षेप में लिङ्ग का उपदेश असम्भव है, इसलिये लिङ्ग का उपदेश व्यर्थ है, यह उस पाणिनि के वचन का आशय है। लिङ्ग के बोधक शब्द के प्रयोग की कोई व्यवस्था शास्त्रकार द्वारा नहीं दिखायी गयी है। प्रामाणिकों द्वारा प्रामाणिक प्रयोगमूलक कोई व्यवस्था बतायी गयी है। वह यह एक है।

याविशेष्येषु दृश्यन्ते, इस उक्ति की व्याख्या

विशेष्यों में जो लिङ्ग, संख्या एवं विभक्तियाँ देखी जाती हैं, समान अर्थ वाले विशेषण में प्रायः उनका ही प्रयोग करना चाहिए।

उसका अर्थ है—विशेष्य में जो लिङ्ग तथा जो संख्या प्रतीत हो, उसके समानाधिकरण विशेषण में भी प्रायः उसी लिङ्ग को तथा उसी संख्या को समझना चाहिए। अर्थात् उस लिङ्ग से प्रयुक्त ही लिङ्गनिमित्तक शास्त्रीयकार्य तथा उस संख्या का बोधक ही वचन भी उस तरह के विशेषणवाचक पद में करना चाहिए। इसी तरह विशेष्य के बोधक शब्द से जो विभक्ति प्रथा आदि रूप दिखायी पड़े, वही विभक्ति उसके समानाधिकरण विशेषण के बोधक पद में भी होनी चाहिए। जैसे—"नीलो घटः आनीयताम्", इस प्रयोग में के घटः इस विशेष्य पद में पुंस्त्व एवं एकत्व प्रतीत होते हैं, वे दोनों ही उसके समानाधिकरण विशेषण नीलपदार्थ में समझे जाय। उस तरह वहाँ पुंस्त्व निमित्त कार्य की प्रसक्ति होने से तत्प्रयुक्त शास्त्रीय कार्य के अभाव रहने पर भी एकत्व संख्या के कारण विशेषण का बोधक उस पद से एकवचन ही हुआ है। उसी तरह विशेष्य के वाचक घटशब्द से जो प्रथमारूप विभक्ति है, वही नीलरूप विशेषणवाचक शब्द से भी हैं। इस कथन से, नीलं घटः नीलौ घटः एवं नीलेन घटः आदि प्रयोगों का असाधुत्व बोधित होता है। इससे जिनके मत में समानाधिकरण विशेषण में रहने वाली विभक्ति अभेदार्थक होती है, उनके मत में भी वचन आदि की व्यवस्था सिद्ध हो जाती है।

श्लोक में प्रायः इस पद को ग्रहण करने से स्वतन्त्र लिङ्ग वालों की तथा नियत वचन वालों की व्यावृत्ति हो जाती है। इससे इदं द्रव्यं पङ्कः आदि प्रयोगों में विशेष्य के लिङ्ग का नियम नहीं रहता है। इसी तरह शतं ब्राह्मणाः, मैथिली रामस्य दाराः आदि प्रयोगों में उक्त नियम की आक्रान्ति प्रभावकारी स्थिति के न होने से विभिन्न वचन होनेपर भी तथा भिन्न लिङ्ग के रहने पर भी साधुत्व की हानि न होती है।

इसी तरह प्रायः इसके रहने से जिसका भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य इस सूत्र से गालवाचार्य के मत से पुंवद्भाव होता है, उसकी भी व्यावृत्ति हुई, जिससे 'मृदौ काव्ये' आदि प्रयोगों की उपपत्ति हुई। अन्यथा कव्यशब्द के नित्यनपुंसक होने से मृदुनि काव्ये ऐसा ही प्रयोग होता।

यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि—स्वतन्त्र लिङ्ग वाले शब्दों का लिङ्ग के अंश में ही स्वतन्त्रता रहती है, जिससे उक्त न्याय की प्रवृत्ति न होती है। संख्यांश एवं विभक्त्यंश में तो प्रवृत्ति होती है। जिससे "पङ्कः, पङ्केन वा जलमिश्रिता मृत्" इस तरह विभिन्न लिङ्गों के

प्रयोग करने पर भी विभिन्न वचनता एवं विभिन्न लिङ्गता नहीं होती है। इसी तरह नियत वचन एवं लिङ्ग वाले शब्दों के वचन एवं लिङ्ग में ही नियतता के रहने से उक्त नियम की प्रवृत्ति नहीं होती। विभक्ति के अंश में तो प्रवृत्ति होती ही है। इसलिए मैथिली रामस्य दाराः आदि प्रयोगों में विभिन्न लिङ्ग एवं विभिन्न संख्यक होने पर भी विभिन्न विभक्तिता नहीं होती। यहाँ विभक्ति पद से प्रथमा आदि सात विभक्तियों को समझना चाहिए। क्योंकि त्रिकं विभक्तिसंज्ञम् ऐसा भाष्य है तथा पस्पशाह्निक में भाष्यकार ने सप्तसिन्धवः का सप्त-विभक्तयः ऐसी व्याख्या भी की है।

रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम् ऐसा विभिन्न विभक्तिता वाला भास्य का प्रयोग का तो प्रयोजनत्व के एकत्व को मानकर उसमें रहने वाले एकत्वपरक होने से, उपपादन करना चाहिए। प्रयोजनगत बहुत्व के रहने पर तो वह वचन हो होता है। उसी आशय से भाष्य का यह प्रयोग – "इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि" उपस्थित किया गया है।

प्रयोजनगत एकत्वपरक रहने पर उस न्याय की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि उक्त श्लोक में "प्रायः" इस शब्द से एकत्व के अन्वयी होने के कारण तात्पर्य विषय स्वार्थता के अवच्छेदक के बोधक शब्दों की भी उस नियम से व्यावृत्ति हो जाती है (इसलिए न्याय की प्रवृत्ति न हुई)। इसीलिए "इति हेतुस्तदुद्भवे" इस कारिका के "इति त्रयः समुदिताः हेतुः" यह काव्यप्रकाश में उल्लिखित व्याख्यान ग्रन्थ संगत होता है। यहाँ हेतु पद कार्य की उत्पत्ति के प्रयोजकतावच्छेदक समुदायत्वावच्छिन्न परक है तथा वैसे समु-दायत्व से अन्वित एकत्व वहाँ विवक्षित है, इसलिये "या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इस न्याय की विषयता के न होने से त्रयो हेतुः इस रूप में विभिन्न वचनता की उपपत्ति हुई। इस तरह "याः विशेष्येषु दृश्यन्ते" इय कारिका के तीन अर्थों को इस तरह विभक्त करना चाहिए। जैसे—(१) जो अनियत लिङ्ग वाला शब्द, स्वतन्त्र लिङ्ग से भिन्न हो तथा जिस लिङ्गावच्छिन्न विशेष्यता से निरूपित एवं अभेद सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता का प्रयोजक हो उसका उसी लिङ्गा-वच्छिन्न प्रकारता का प्रयोजकत्व होता है—यह एक अर्थ है। इसलिए "पुरूरवोमाद्रवसौ विश्वेदेवाः" आदि प्रयोगों की उपपत्ति होती है। स्वतन्त्र लिङ्ग से भिन्न ऐसा कहने से तो "इदं वस्तु अर्गला" आदि प्रयोग बिना बाधा के सिद्ध हो जाते हैं।

(२) दूसरा यह अर्थ है—जो अनियत वचन वाला शब्द एकत्व में अन्वयी के रूप से तात्पर्य के अविषय स्वार्थतावच्छेदक का बोधक तथा जिस संख्यावत्त्व के रूप से प्रतीयमान अर्थ में रहने वाली विशेष्यता से निरूपित प्रकारता का प्रयोजक हो उसका उस संख्यावच्छिन्न प्रकारता का प्रयोजकत्व ही होता है। इसलिए घटो द्रव्यम् आदि वाक्यों में लिङ्ग के अंश में नियम की प्रवृत्ति के अभाव में भी वचन के अंश में प्रवृत्ति होने से समान वचन ही रहा।

(३) तीसरा अर्थ है—समानाधिकरण वाले विशेषण का वाचक पद विशेष्यवाचक के विभक्ति के समान विभक्ति वाला ही होता है। इस अर्थ में नियतलिङ्ग से भिन्नत्वरूप से या नियत वचन के विभिन्नत्व रूप से संकोच न होने के कारण पूर्व में कहे गये नियमों के विषय में

भी इस नियम की प्रवृत्ति होने से मैथिली दाराः, शतं कलसाः, आदि प्रयोगों में समान विभक्तता होती ही है। इस विषय में अवशिष्ट विचार आगे वचन के विचार के क्रम में देखना चाहिए।

सामान्य में नपुंसक लिङ्ग होता है

वैयाकरणों के द्वारा लिङ्ग के सम्बन्ध में एक अन्य व्यवस्था भी की जाती है। वह है—"सामान्ये नपुंसकम्।" भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में स्त्रियाः पुंवत् इस सूत्र की व्याख्या के अवसर पर कहा है—"सामान्य में नपुंसक होता है, इसलिए दृढं भक्तिर्यस्य इस विग्रह में दृढभक्तिः यह प्रयोग बना है।"

उसी सूत्र पर लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट ने कहा है कि दृढ शब्द के आदर्श की निवृत्ति मात्रपरक होने से लिङ्ग विशेष की विवक्षा वहाँ नहीं है। इसलिए सामान्यतः छन्द में नपुंसक लिङ्ग है। आगे स्पष्ट किया गया है कि लिङ्गविशेष की विवक्षा रहने पर तो दृढाभक्तिः इस प्रयोग की सिद्धि के लिए प्रियादि गण में उसका पाठ दिया गया है।

यहाँ लिङ्गविशेष की विवक्षा नहीं है, ऐसा कहने से लिङ्ग सामान्य की विवक्षा है ऐसा समझा जाता है। अन्यथा लिङ्ग की विवक्षा नहीं है, ऐसा कहे होते है। लिङ्गविशेष की विवक्षा का अर्थ है स्त्रीत्व आदि विशेष धर्म को पुरस्कृत कर उसकी विवक्षा। लिङ्ग सामान्य की विवक्षा का अर्थ है लिङ्गत्व रूप से बोध कराने की इच्छा। यह नहीं कह सकते कि इस तरह लिङ्गविशेष की अविवक्षा से नपुंसक होने पर घटमस्ति इस प्रयोग की आपत्ति होगी, क्योंकि सामान्य में नपुंसकता का सिद्धान्त विशेष्यनिघ्न शब्दविषयक होता है और प्रामाणिक प्रयोगविषयक भी होता है। अतः सामान्य में नपुंसकत्व की विवक्षा होने से नीलं घटः आदि प्रयोग नहीं होते। क्योंकि शिष्टों के व्यवहार में वैसे प्रयोग नहीं देखे जाते हैं। इस तरह दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे, सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्, निरीक्ष्य मेने शरदः कृतार्थता आदि प्रामाणिक प्रयोगों के अनुसार सामान्य में नपुंसकत्व की व्यवस्था होती है।

उपर्युक्त कथन का आशय है—विशेष्यनिघ्न शब्दों का पुंस्त्वत्व आदि रूप से तथा लिङ्गत्व रूप सामान्य धर्म से लिङ्ग का बोधकत्व होता है उसमें पुंस्त्वनिमित्तक कार्य, पुंस्त्वत्व रूप से लिङ्ग का बोध होने पर होता है। इसी तरह स्त्रीत्व को निमित्त मानकर होने वाला कार्य स्त्रीत्वत्व रूप से विशेष धर्म का बोध होने पर होता है। नपुंसकत्व को निमित्त मानकर होने वाला कार्य तो नपुंसकत्व रूप विशेष धर्म से या लिङ्गत्वरूप सामान्य धर्म से नपुंसकत्व का बोध होने पर होता है। यही बात सामान्ये नपुंसकम् इस वचन से कही जाती है। वैसा होने से घनं वनम् आदि प्रयोगों में नपुंसकत्वत्व रूप विशेष धर्म से बोध होने के कारण अम् आदि कार्य प्रवृत्त होते हैं। दृढभक्ति आदि प्रयोगों में तो लिङ्गत्वरूप सामान्य धर्म से बोध होने के कारण वैसे कार्य होते हैं। स्त्रीत्वत्व रूप विशेष धर्म से लिङ्ग का बोध न होने से स्त्रीत्व को निमित्त मानकर होने वाले टाप् आदि कार्य वहाँ नहीं होते हैं। तस्यापत्यम् इस सूत्र में नपुंसकत्व अविवक्षित है—इसका अण् प्रत्यय के वाच्यत्व रूप से अविवक्षित है, यह अर्थ है। उस तरह नपुंसकत्व (त्व) रूप से बोध के अक्षत् रहने के कारण नपुंसकत्व प्रयुक्त अमादेश रूप

कार्य की अनुपपत्ति न हुई। तत्र जातः, तत्र भवः आदि स्थलों में अविवक्षा होने से लिङ्ग का बोध ही न हुआ, इसलिए अम् के आदेश की आपत्ति न हुई।

अनुकरणवाले शब्दों के सम्बन्ध में लिङ्ग विचार

अनुकरणवाला शब्द अनुकार्य शब्द के लिङ्ग का भागी होता है। इसलिये 'गौर्यौ गकारः' पीताम्बरायां पदद्वयस्य बहुव्रीहिः आदि प्रयोगों में गौरी एवं पीताम्बरा प्रभृति शब्द स्त्रीलिङ्ग में ही होते हैं। क्योंकि अनुकरणं प्रकृतिवद्भवति ऐसा न्याय है। (अन्यत्र पढ़े गये, गौरी एवं पीताम्बरा शब्द अनुकार्य हैं जिनका अनुकरण कर उन शब्दों को कहा गया है इसलिए वे अनुकरण हैं) इसीलिए वहाँ ङ्याबन्त प्रयुक्त कार्य भी होता है।

बन्धुनि बहुव्रीहौ, में तो सूत्र का प्रयोग होने से (बन्धुनि) नपुंसक है। सामान्य नपुंसकत्व की बात विशेष्य निघ्नशब्द विषयक है।

सिद्धान्तकौमुदी में जो कहा गया है—"क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षयेति" (क्लीवलिङ्ग के द्वारा निर्देश शब्द के स्वरूप की अपेक्षा से किया है) उसका यदि "शब्दस्वरूपे" इसके अध्याहार में तात्पर्य है तब भी बन्धु शब्द के विशेष्यनिघ्न न होने के कारण नपुंसक निर्देश की अनुपपत्ति ही होती है। या यदि बन्धु शब्द का बन्धु शब्द शब्दस्वरूप में लक्षणा है, यह उसका आशय है, तब भी पुंस्त्व ही होगा, नपुंसकत्व नहीं होगा। क्योंकि लक्षणा होने पर लिङ्ग का व्यत्यय नहीं होता है। नदीरत्नं गङ्गा, आदि प्रयोगों में रत्न आदि पद के लक्षण से रत्न सदृश के लक्षक होने पर भी लिङ्ग का व्यत्यय नहीं देखा जाता। शुक्ल आदि शब्द तो गुणी के भी वाचक होते हैं, लक्षक नहीं होते हैं। अमरकोश में कहा गया है कि "गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति" अर्थात् शुक्ल आदि शब्द गुण के वाची होने पर पुंलिङ्ग में होते हैं और गुणवाले गुणी के वाचक होने पर, गुणी के लिङ्ग वाले होते हैं। कोष में लक्ष्य अर्थ का बोध नहीं कराया जाता है, वहाँ शक्य अर्थ का ही बोध कराया जाता है। इसलिये शब्द के स्वरूप की अपेक्षा से वहाँ नपुंसक कहना चिन्त्य है। इसी तरह "अलिङ्गे युष्मदस्मदी" यह उक्ति भी चिन्त्य ही है। क्योंकि यदि वे दोनों शब्द लिङ्ग के बोधक नहीं हैं, तो उनके अनुकरण "युष्मदस्मदी" इस प्रयोग में कहाँ से नपुंसकता आयी ? यदि लिङ्ग के बोधक हैं तो अलिङ्ग है, यह कथन असंगत होता है ॥ ४९ ॥

तच्छब्दलिङ्गवचनविचारः

अथ बुद्धिविषयवाचितच्छब्दस्य लौकिकलिङ्गवाचकत्वासम्भवः, गृहे घटोऽस्ति तमानयेत्यतो बोधानापत्तेः। एवञ्च 'तामानय बलाद्दुष्टा' मिति शुम्भोक्तवाक्यात् स्त्रिया एव कथं बोधः ? स्त्रीप्रत्ययसमभिव्याहृततत्पदात् स्त्रिया एव बोध इति तु वक्तुमशक्यम्। 'शरदागता सा रमणीया, व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेये'त्यादौ व्यभिचारादिति चेत् अत्रोच्यते—

तच्छब्दो यत्पदार्थस्य परामर्शनहेतवे।
प्रयुज्यते स तल्लिङ्गतत्संख्याबोधको भवेत् ॥५०॥

तच्छब्दो हि न स्वतन्त्रलिङ्गसंख्यको नापि विशेष्यनिघ्नः, अपि तु बुद्धिस्थयत्पदार्थपरामर्शाय प्रयुज्यते तत्पदाधीनलिङ्गस्तधीनवचनश्च । एवञ्च 'काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्' इति चण्डमुण्डोक्तवाक्यघटकस्त्रीपदार्थपरामर्शहेतवे प्रयुक्तस्तामितिशब्दः स्त्रियमेव बोधयतीति युक्तमेतत् । स च स्त्रीपदाधीनलिङ्गसंख्यकत्वात् स्त्रीप्रत्ययमेकवचनं च भजति ।

या गृहेऽस्ति तामानयेत्यत्र पुरुष इत्यादेरध्याहारायोगात् स्त्रिया एव बोधः । व्यक्त्यादिपदाध्यारे तु कदाचित्पुंसोऽपि बोधः संभवत्येव ।

प्रसिद्धावाचितच्छब्दस्तु विशेष्यनिघ्न एव । तस्मै कृष्णाय नमः, तामाद्यां प्रणमामीत्यादौ तथा दर्शनात् ॥ ५० ॥

तत् शब्द के लिङ्ग एवं वचन का विचार

बुद्धि के विषय का वाचक तत् शब्द लौकिक लिङ्ग का वाचक नहीं हो सकता, ऐसा मानने पर "गृहे घटोऽस्ति तमानय" इस प्रयोग से उपेक्षित बोध की अनापत्ति होगी । इसी तरह "तामानय बलाद्दुष्टाम्" इस दुर्गासप्तशती में उद्धृत शुम्भ द्वारा कहे गये वाक्य से स्त्री का ही कैसे बोध होगा ? स्त्री प्रत्यय से समभिव्याहृत तत् पद से स्त्री का ही बोध होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि "शरदागता सा रमणीया" तथा 'व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया', आदि श्लोकों में उससे बोध्य ऋतु एवं नल के पुरुष होने से उस कथन में व्यभिचार होने लगेगा । इसके उत्तर में कहा जाता है—

तत् शब्द जिस पद के अर्थ के परामर्शन के लिये प्रयुक्त किया जाता है, वह उस शब्द के लिङ्ग एवं वचन का बोधक होता है ।

तत् शब्द न तो स्वतन्त्र लिङ्ग एवं संख्या का बोधक होता है, और न विशेष्यनिघ्न है, किन्तु बुद्धिस्थ जिस पदार्थ के परामर्श के लिए प्रयुक्त किया जाता है । उसी पद के अनुसार लिङ्ग तथा वचन वाला होता हैं । इस तरह "काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् । तामानय" इस दुर्गासप्तशती में उद्धृत चण्ड-मुण्ड द्वारा कहे गये वाक्य में स्त्री पदार्थ के परामर्श के लिए प्रयुक्तताम् यह शब्द स्त्री का ही बोध कराता है, जो युक्ति संगत है । वह स्त्री पद के अधीन लिङ्ग एवं संख्या वाला होने के कारण स्त्री प्रत्यय एवं एकवचन का भागी बनता है ।

या "गृहेऽस्ति तामानय" इस प्रयोग में पुरुष के अध्याहार के युक्त न होने से स्त्री का ही बोध होता है । व्यक्ति आदि पद के अध्याहार करने पर तो कभी पुरुष का भी बोध होता है ।

प्रसिद्धवाची तत् शब्द तो विशेष्यनिघ्न ही होता है । यथा तस्मै कृष्णाय नमः, तामाद्यां प्रणमामि, आदि प्रयोगों में क्रमशः कृष्ण और आद्या के अनुसार तत् शब्द के लिंग संख्या और विभक्ति देखी जाती है ॥ ५० ॥

अथ 'शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्ये'त्यत्र तच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गता कथम् ? नपुंसकशैत्यशब्दार्थपरामर्शकतया नपुंसकलिङ्गकत्वस्यैवोक्तरीत्यौचित्यात् । अत्रोच्यते—

उद्देश्यप्रतिनिर्देश्याभेदबोधकतत्पदम् ।
तत्तल्लिङ्गमुपादत्ते पर्यायेणेति निर्णयः ॥५१॥

तच्छब्दो यत्किञ्चिच्छब्दबोधितमुद्देश्यमर्थं परामृशन् यद्यभेदसम्बन्धावच्छिन्नविधेयतानिरूपितोद्देश्यताप्रयोजकस्तदा कदाचिदुद्देश्यगतं लिङ्गं बोधयति कदाचिद्विधेयगतम्, शब्दस्वभाववैचित्र्यात् । यथा 'शैत्यं ही'त्यत्र तच्छब्दः शैत्यशब्दबोधिशैत्यरूपमुद्देश्यं परामृशन् प्रकृतिपदार्थनिष्ठाभेदसम्बन्धावच्छिन्नविधेयतानिरूपितामुद्देश्यतां प्रयोजयतीति तस्य विधेयभूतप्रकृतिपदार्थगतस्त्रीत्वबोधकतया स्त्रीप्रत्ययान्तता ।

तत्रैव यदि सेतिपदमपनीय तत् इत्युच्यते तदा तस्योद्देश्यभूतशैत्यपदार्थगतक्लीबत्वबोधकत्वं स्यादित्यैच्छिको द्विविधोऽपि प्रयोगः साधुः । एवं तत्र यो विप्रो दृष्टः तत् देवदत्तस्यापत्यम् स देवदत्तस्यापत्यमिति वा । अत्र यच्छब्दाप्रयोगेऽपि तथैव ।

एषा च लिङ्गव्यवस्था त्यदाद्यन्तर्गतानाम् इदम् एतद् अदस् शब्दानामपि बोध्या उक्तं च पस्पशाष्ये कैयटेन "उद्देश्यप्रतिनिर्देश्ययोरैक्यमापादयत् सर्वनाम पर्यायेण तत्तल्लिङ्गभाग्भवती'ति । अस्यार्थः । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्ययोः उद्देश्यविधेययोः ऐक्यमापादयत् अभेदं बोधयत् सर्वनाम तत्संज्ञकतदेतदादिशब्दः पर्यायेण तत्तल्लिङ्गभाक् कदाचिदुद्देश्यगतस्य कदाचिद्विधेयगतस्य लिङ्गस्य बोधकं भवतीति ॥ ५१ ॥

इसके बाद प्रश्न है कि "शैत्यं हि यत् सा प्रकृतेर्जलस्य" इस वाक्य में तत् शब्द का स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग कैसे हुआ ? क्योंकि नपुंसक लिङ्ग वाले शैत्य पदार्थ के परामर्शक होने के कारण पूर्व में बतायी गयी रीति के अनुसार तत् शब्द को वहाँ नपुंसक लिङ्ग वाला होना उचित था । इसके उत्तर में कहा जाता है ।

वैयाकरणों का यह निर्णय है कि उद्देश्य एवं प्रतिनिर्देश्य (विधेय) में अभेदबोधक तत् पद हो तो वह पर्याय से उनके (उन उन) लिंगों को ग्रहण करता है ।

तत् शब्द किसी अन्य शब्द के द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यभूत अर्थ का बोधक होता हुआ यदि उसमें अभेद सम्बन्धेन विधेय के उद्देश्य के साथ अन्वय बोध का प्रयोजक होता है । अर्थात् विधेयनिष्ठ विधेयता अभेद सम्बन्धावच्छिन्न प्रतीत होती है और उद्देश्यगत उद्देश्यता उस विधेयता के द्वारा निरूपित होकर भाषित होती है तो तत् शब्द विवक्षा के अनुसार कभी विधेयगत लिङ्ग वाला होता है। इस विलक्षण नियम का आधार शब्द-स्वभाव की विचित्रता ही है। उदाहरणार्थ—"शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्य" इस कालिदास प्रयोग में जो तत् शब्द है वह शैत्य शब्द के द्वारा प्रतिपादित शैत्यरूप उद्देश्यभूत अर्थ का परामर्श कराता है और प्रकृति पदार्थ जो विधेयभूत है उसमें अभेद सम्बन्धावच्छिन्न विधेयता को बतलाता हुआ तन्निरूपित उद्देश्यता को समझाने में सहायक होता है । अतएव विधेयभूत प्रकृति पदार्थ (स्वभाव) में जो स्त्रीत्व प्रतिपादित हुआ है उसी का बोधक होकर वह (तत् शब्द) भी स्त्री प्रत्यान्त प्रयुक्त हुआ है । उसमें ही यदि सा पद को हटाकर तत् यह कहते हैं, तब उसका उद्देश्यभूत शैत्य पदार्थ में रहने वाले क्लीबत्व की बोधकता होगी, इस तरह ऐच्छिक रूप से दोनों प्रकार का

प्रयोग साधु होता हैं। इस प्रकार "तत्र यो विप्रो दृष्टः तत् देवदत्तस्यापत्यम्" यह नपुंसकलिङ्ग प्रयोग होगा अथवा स देवदत्तस्यापत्यम् इस रूप में (पुंलिङ्ग) प्रयोग होगा। यहाँ यत् शब्द का प्रयोग न रहने पर भी वैसा ही प्रयोग होता है।

यह लिङ्ग व्यवस्था त्यदादि शब्दों के अन्तर्गत रहनेवाले इदम्, एतद् एवं अदस् शब्दों की भी समझनी चाहिए। कैयट ने पस्पशाह्निक के भाष्य में कहा है—"उद्देश्य एवं प्रतिनिर्देश्य में ऐक्य सम्पादित करता हुआ सर्वनाम संज्ञक शब्द पर्याय से उस लिङ्ग का भागी होता है। इसका अर्थ है कि उद्देश्य एवं प्रतिनिर्देश्य में अर्थात् उद्देश्य एवं विधेय में अभेद का बोध कराता हुआ सर्वनाम (सर्वनाम संज्ञावाले तत् एवं एतत् आदि शब्द) पर्याय से उन उन लिङ्गों का बोधक अर्थात् कभी उद्देश्यगत लिङ्ग का तथा कभी विधेयगत लिङ्ग का बोधक होता हैं ॥ ५१ ॥

शक्यशब्दे लिङ्गवचनविचारः

द्विविधः शक्यशब्दोऽस्ति विशेष्याधीनलिङ्गकः ।
नित्यक्लीबत्वलिङ्गश्च नित्यैकवचनान्तकः ॥५२॥
अन्त्यः प्रायेण तुमन्तक्रियाकर्मणि दृश्यते ।
प्रथमान्तविशेष्यस्य विशेषणसमर्पकः ॥५३॥

यथा गृहशब्दो द्विविधः। पुंलिङ्गत्वे-सति नित्यं बहुवचनान्तः प्रथमः। 'गृहाः पुंसि च भूम्न्येवे'त्यमरोक्तः, द्वितीयस्तु नपुंसकलिङ्गत्वे सत्यनियतवचनः 'गृहं गेहोदवसित'मिति तेनैवोक्तः। यथा वा 'स्त्रियां सुमनसः पुष्पमि'त्यमरः, 'सुमनाः पुष्पमालत्यो'रिति मेदिनी। उभाभ्यां सुमनस्शब्दो द्विविधो लभ्यते नित्यबहुवचनान्तोऽनियतवचनश्च।

तथा शक्यशब्दोऽपि द्विविधः। नित्यप्रथमैकवचनान्तत्वे सति नित्यनपुंसकलिङ्गः प्रथमः। द्वितीयस्तु कृत्यप्रभृतिशब्दवत् त्रिलिङ्गत्वे सति विशेष्यनिघ्नः। तत्र विशेष्यस्य पुंस्त्वे स्त्रीत्वेऽपि वा द्विबहुलत्वेऽपि वा शक्यमिति समानाधिकरणविशेषणपदं सर्वत्र साधु। नित्यनपुंसकत्वेन नित्यैकवचनान्तत्वेन च लिङ्गसंख्याव्यत्ययाभावात्। यथा ग्रामो गन्तुं शक्यम्, भोजनेन क्षुत् प्रतिहन्तुं शक्यम्, वातरोगात् बाहू उत्थापयितुमशक्यम्, वाताः सेवितुं शक्यम्। एषु सर्वत्र अनियतवचनस्य त्रिलिङ्गस्य लिङ्गवचनव्यत्ययेन योजना कर्तुं शक्यते। यथा ग्रामो गन्तुं शक्यः, भोजनेन क्षुत् प्रतिहन्तुं शक्या, बाहू उत्थापयितुं शक्यौ, वाताः सेवितुं शक्यौ, वाताः सेवितुं शक्या इति।

तत्र शक्यशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वे प्रमाणन्तु 'शक्यं चानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तु'मिति पस्पशायां महाभाष्यप्रयोगः। विशेष्यनिघ्नस्यैव शक्यशब्दस्य सत्त्वे तु क्षुच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात् शक्या चानेनेति वदेत्। गोकुलनाथेनाप्युक्तभाष्यप्रयोगाप्रामाण्यात् तथाविधप्रयोगाणां साधुत्वं पदवाक्यरत्नाकरे प्रतिपादितम्।

यत्तु क्षुत्प्रतिहन्तुं शक्यमिति भाष्यप्रयोगस्य सामान्ये नपुंसकत्वेनापि सिद्धया तस्य नित्यनपुंसकत्वाभ्युपगमो व्यर्थ इति तत् न। सामान्ये नपुंसकताया वृत्तिघटकमात्रशब्दविषयत्वात् वृत्तिष्वेव प्रामाणिकतथाविधप्रयोगदर्शनात्। किञ्च सामान्ये नपुंसकमित्यनेन नपुंसकत्वमात्रमुपपादयितुं शक्यं न तु नित्यनपुंसकत्वे सति नित्यैकवचनान्तत्वम्। तस्यास्वीकारे तु 'शक्यमञ्जलिना पातुं वाताः कुसुमगन्धिन' इति रामायणप्रयोगो नोपपद्येत। तस्मात् नित्यैकवचनान्तनपुंसकशक्यशब्दाङ्गीकार आवश्यकः ॥५२–५३॥

इति लिङ्गवचनविचारे लिङ्गनिरूपणं समाप्तम्।

शक्य शब्द में लिङ्ग एवं वचन का विचार

शक्य शब्द के दो प्रकार होते हैं। विशेष्य के अधीन लिङ्ग वाला तथा नित्य क्लीबत्व लिङ्ग वाला, जो नित्य एकवचनान्त होता है। अन्त्यवाला प्रायः तुनन्त क्रिया के कर्म में देखा जाता है। वह प्रथमान्त विशेष्य को विशेषण रूप में समर्पित करने वाला होता है।

जैसे गृह शब्द दो प्रकार का होता है। पुंलिङ्ग होता हुआ नित्य बहुवचनान्त पहला होता है। उदाहरण के रूप में "गृहाः पुंसि च भूम्न्येव" ऐसा अमरकोश में कहा गया है। दूसरा तो नपुंसक लिङ्ग में होता हुआ अनियत वचनवाला होता है। 'गृहं गेहोदवसितम्' इस तरह लिङ्ग भेद अमरसिंह ने ही कहा है। अथवा जैसे—स्त्रियां सुमनसः पुष्पम्, यह अमरकोश का वचन है और सुमनाः पुष्पमालत्योः। यह मेदिनीकोश है। दोनों उद्धरणों से सुमनस् शब्द दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। प्रथम नित्य बहुवचनान्त और द्वितीय अनियत वचनवाला।

उसी तरह शक्य शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो नित्य नपुंसक लिङ्ग वाला है तथा नित्य प्रथमा के एकवचन में ही प्रयुक्त होता है और दूसरा वह जो कृत्य प्रभृति शब्दों के समान तीनों लिङ्गों में प्रयुक्त होने वाला विशेष्यनिघ्न होता है। उसमें विशेष्य के पुंस्त्व या स्त्रीत्व में रहने पर या द्विवचन या बहुवचन में रहने पर शक्यम् यह समानाधिकरण विशेषण वाला पद सब जगह साधु होता है। क्योंकि नित्यनपुंसक एवं नित्य एकवचनान्त होने के कारण उसमें लिङ्ग एवं संख्या के व्यत्यय का अभाव होता है। जैसे—ग्रामो गन्तुं शक्यम्, भोजनेन क्षुत् प्रतिहन्तुं शक्यम्, वातरोगात् बाहू उत्थापयितुमशक्यम्, वाताः सेवितुं शक्यम्, ये प्रयोग हैं। इन सबों में सब जगह अनियतवचन वाले का तथा तीनों लिङ्गों में होने वाले का लिङ्ग एवं वचन में व्यत्यय कर योजना की जा सकती है। जैसे—ग्रामो गन्तुं शक्यः, भोजनेन क्षुत् प्रतिहन्तुं शक्या, बाहू उत्थापयितुं शक्यौ, वाताः सेवितुं शक्याः आदि रूप में व्यत्यय से योजना होगी।

उसमें शक्य शब्द के नित्यनपुंसक होने में प्रमाणस्वरूप पस्पशाह्निक में महाभाष्य का निम्नलिखित प्रयोग माना जा सकता है—"शक्यं चानेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तुम्। यदि विशेष्यनिघ्न शक्य शब्द होता तो यहाँ क्षुत् शब्द के स्त्रीलिङ्ग होने के कारण शक्या ऐसा कहना चाहिए था। गोकुलनाथ ने भी उक्त भाष्य प्रयोग के प्रामाण्य से उस तरह के प्रयोगों के साधुत्व को पदवाक्य रत्नाकर नाम वाले ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है।

जो लोग कहते हैं कि क्षुत् प्रतिहन्तुं शक्यम्, इस भाष्य की सामान्य स्थिति में नपुंसकत्व से भी सिद्धि हो सकती है, उसको नित्यनपुंसक स्वीकार करना व्यर्थ है। वह उनका कथन समुचित नहीं है। क्योंकि वृत्तियों में ही वैसे प्रामाणिक प्रयोग देखे जाते हैं, इसलिए वृत्ति घटकमात्र शब्द विषयक ही सामान्य में नपुंसकता होती है। दूसरी बात है कि सामान्ये नपुंसकम्, इस वचन से नपुंसकत्व मात्र का उपपादन शक्य है, नित्य नपुंसकत्व रहने पर नित्य एकवचनान्तत्व होगा इसका उपपादन नहीं किया जा सकता है। उसके स्वीकार न करने पर तो "शक्यमञ्जलिना पातुं वाताः कुसुमगन्धिनः" यह रामायण का प्रयोग उपपन्न न होगा। इसलिए नित्य एकवचनान्त नपुंसक शक्य शब्द को स्वीकार करना आवश्यक है ॥ ५२–५३ ॥

अथ वचननिरूपणम्

वचनशब्दार्थः

प्रोच्यते वचनं संख्या तथैकवचनादिकम् ।
विचार्यते तदुभयं कुत्र कीदृग् भवेदिति ॥५४॥

यद्यपि वचनशब्द उक्तिपर्यायः प्रसिद्धः "व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वच" इत्यमरकोषात् तथापीह लिङ्गवचनविचारे संख्याबोधकः पाणिनिसंकेतितैकवचनादिबोधकश्च तन्त्रेणाभिमतः।

अस्ति च संख्यापर्यायोऽपि वचनशब्दः "लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने", "प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा" इति पाणिनीयसूत्रयोः संख्यावाचकस्य वचनशब्दस्य दर्शनात्। तथैकवचनद्विवचनबहुवचनानां सामान्येन वाचकोऽपि सः "क्रियासमभिव्याहारे लोट्" इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यां पुरुषवचनसंज्ञे तु नेहातिदिश्येते इत्येकवचनादिवाचकवचनशब्दस्योपादानात्। व्युत्पत्तिवादेऽपि "यत्र विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्याया अविवक्षितत्वं तत्र विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः समानवचनत्वम्" इत्येकवचनादिवाचकस्य वचनशब्दस्योपादानाच्च। 'नामैकदेशो नामग्रहणेन गृह्यते' इति न्यायात् भामादिशब्दे सत्यभामादिबोधकत्ववत् वचनशब्दे एकवचनादिबोधकत्वसंभवाच्च।

तदुभयमपि वचनमिदानीं विचार्यते येन क कतमत् वचनं साधु, का वा संख्या इत्येयेति बालानां निर्णयः स्यात्।

विभक्त्य एकत्वद्वित्वबहुत्वानां बोधिकाः

संख्या चैकत्वादिपरार्धान्ता। तथा त्रित्वादिव्यापकं बहुत्वमपि संख्या, पाणिनिना बहुशब्दस्यान्वर्थसंख्यासंज्ञकत्वेन बोधनात्। तासां मध्ये केवलमेकत्वद्वित्वबहुत्व-

संख्यानां द्योतिका वाचिका वा एकवचनद्विवचनबहुवचनरूपा विभक्तयः सुपस्तिङश्च भवन्ति ।

"द्योतिका वाचिका वा स्युर्द्वित्वादीनां विभक्तयः" इति हरिणोक्तत्वात् । तत्र वैयाकरणानां मते द्योतिकाः । नैयायिकानां मते तु वाचिका इति विवेकः । तत्र शाब्दिक-मते एकत्वादिसंख्याऽपि विभक्तिप्रकृतेरेवार्थः । सा चैकवचनादिसमभिव्याहारात् घटः घटौ गच्छति गच्छत इत्यादौ प्रतीयते । तथा च तदर्थतात्पर्यग्राहकत्वमेव तदर्थ-द्योतकता । तार्किकमते तु संख्या विभक्तेरेवार्थो न प्रकृतेरिति बोध्यम् । तथा च पाणिनिराह "बहुषु बहुवचनम्", "द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने" इति । स्वौजसित्यादौ तिप्तसित्यादौ च एकवचनादिक्रमेण अभिधानम् । अत्र त्ववरोहणक्रमेण बहुवचनद्विव-चनैकवचनानां विधानमिति । आभ्यां च सूत्राभ्यां बहुत्वद्वित्वैकत्वेषु विवक्षितेषु बहु-वचनद्विवचनैकवचनानां साधुत्वं लभ्यते ।

बहुत्वादावेव बहुवचनादि

अपि च "बहुषु बहुवचनम्", "द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने" इति सूत्रद्वयं नियमार्थम् । बहुत्वादौ विवक्षिते एव बहुवचनादि साध्विति । अत एवैकद्विकर्तृके पाके एते पचन्तीति न प्रयोगः । न वैकबहुलकर्तृके इमौ पचत इति ।

नियमार्थता कथमिति चेत् ? इत्थम् । वैयाकरणाः स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकार-काणां नामार्थत्वं, क्रियात्वक्रियाकालसंख्याकारकानां धात्वर्थत्वं मन्यन्ते । तथा च स्वादीनां तिबादीनाञ्च बहुत्वादिकर्मत्वाद्यर्थपुरस्कारेण विधानाभावेऽपि स्वौजसित्या-दिना तिपतसित्यादिना च शास्त्रेण सामान्यतो विधानेनैव 'अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ती'ति न्यायाद्बहुत्वादौ कर्मत्वादौ च सिद्धया बहुषु बहुवचनमित्यादेः कर्मणि द्वितीयेत्यादेः लः कर्मणि चेत्यादेश्च नियमत्वम् । इत्थं नियमार्थता भाष्यकृतैव सिद्धान्तितता ।

एकत्वाबोधेऽपि क्वचिदेकवचनम्

नन्वेवं यदि बहुष्वित्यादिशास्त्रद्वयेन बहुत्वादौ विवक्षिते एव बहुवचनादयो जायन्ते तदाऽव्ययेभ्यः कथं सुबुत्पत्तिः ? तदर्थस्यासत्त्वरूपतया संख्यान्वयायोग्यत्वेन संख्याविवक्षाया असंभवात् । न चाव्ययेभ्यः सुपः श्रवणाभावेन सुपोऽनुत्पत्तावपि का क्षतिरिति वाच्यम्, "अव्ययादाप्सुप" इति सूत्रासंगतेः । किञ्च ततः सुबभावे सुबन्त-त्वाभावेन पदत्वाभावात्, 'उच्चैस्तऽध्ययनं शनैर्मे' इत्यादौ पदात्परत्वाभावेन तेमयाद्या-देशाभावप्रसङ्ग इति चेत्—अत्रोच्यते ।

औत्सर्गिकैकवचनसाधनम्

एकवचनमित्युत्सर्गः कर्तव्यः । तस्य च द्विबहुत्वयोर्द्विवचनबहुवचने बाधके भविष्यत इत्याश्रित्य द्व्येकयोरित्येकग्रहणस्य भाष्यकृता प्रत्याख्यानाद्यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यादौत्सर्गिकस्यैकवचनस्य संख्यानिमित्तकत्वाभावेन एकत्वबोधाभावेऽपि प्रवृत्त्या

अव्ययेभ्यः पचतिरूपादिभ्यश्चैकवचनं जायते । तच्चाव्ययेभ्यो न केवलं प्रथमाया एव अपि तु अव्ययादाप्सुप इतिप्रत्याहारग्रहणसामर्थ्यात्सकलविभक्तीनाम् । तेन "नाव्ययीभावादि"ति सूत्रे पञ्चम्या इति चरितार्थम् । उपकण्ठम् उपकण्ठेन वा इत्यादिवैकल्पिकरूपाणि च सिद्ध्यन्ति तृतीयासप्तम्योर्बहुलमित्युक्तत्वात् । प्रशस्तं पचति पचतिरूपं देवदत्तः, प्रशस्तं पचतः पचतो रूपं देवदत्तभवदत्तौ इत्यादौ तु प्रथमाया एवैकवचनम् । रूपत्वादिप्रत्ययान्तात्तृतीयादेः प्रयोगादर्शनेनानभिधानात् योगविभागादिष्टसिद्धिर्न्नत्वनिष्ठापादनमिति न्यायाच्च । एकग्रहणाकरणे हि एकवचनमिति योगविभागस्यावश्यकत्वात् ।

नन्वेवं बहुषु बहुवचनमित्यादेर्नियमत्वेऽपि स्वादितिबादिविधायकसामान्यशास्त्राभ्यां द्वित्वे बहुवचनं, बहुत्वे द्विवचनं च मा भूत् एतदर्थं बहुत्वद्वित्वयोरेव बहुवचनद्विवचने भवत इति नियमाश्रयणे द्वित्वादावेकवचनापत्तिः । एतदर्थं यदि बहुत्वद्वित्वयोर्बहुवचनद्विवचने एवेति नियम आश्रीयते यदैकस्मिन्बहुवचनद्विवचनयोरापत्तिः । तस्मादेकग्रहणमावश्यकम् । तत्सत्त्वे एकत्वे एवैकवचनमिति नियमस्यापि सिद्ध्या नोक्तदोषावकाशः ।

एवमेव हि "शेषे प्रथम" इति सूत्रे शेषग्रहणमप्यावश्यकं भवति । तथा हि तदभावे यदि श्रूयमाणेऽध्याह्रियमाणे वा युष्मदि सत्येव मध्यम इति तथाभूतेऽस्मदि सत्येवोत्तम इति च नियमः स्वीक्रियते तदा शेषे प्रथम इति सामान्यशास्त्रेण तयोः सतोः प्रथमपुरुषोऽपि स्यात् । यदि च तयोः सतोर्मध्यमोत्तमावेवेति नियमोऽङ्गीक्रियते तदा शेषेऽपि मध्यमोत्तमौ स्याताम् । तस्मात् शेषग्रहणं क्रियते । तथा च शेषे प्रथमपुरुष एवेति नियमान्न तयोः प्रथमपुरुषापत्तिः । एवञ्च तत्र शेषग्रहणवत् अत्रैकग्रहणस्याप्यावश्यकतया तत्प्रत्याख्यानपरं भाष्यमेकदेश्युक्तिर्न्न तु सिद्धान्त्युक्तिरिति चेत्—न ।

एकत्वाविवक्षायामप्येकवचनसिद्ध्यर्थमेकग्रहणप्रत्याख्यानस्यावश्यकत्वात् । उक्तापत्तिस्तु न बहुषु बहुवचनम्, द्वयोर्द्विवचनमित्युभयत्रोभयनियमाश्रयणादिति भाष्याशयात् । तथा हि बहुत्वद्वित्वयोरेव बहुवचनद्विवचने इति नियमात् एकत्वे न बहुवचनद्विवचनयोरापत्तिः । तथा बहुत्वद्वित्वयोर्बहुवचनद्विवचने एवेति नियमात् बहुत्वद्वित्वयोरेकवचनापत्तिरपि नेति प्रत्याख्यायते एकग्रहणम् । एवं हि एकत्वस्याविवक्षणेप्येकवचनमुपपद्यते ।

यद्यप्येतद्रीत्या द्विविधनियमाश्रयणेन शेषग्रहणमपि प्रत्याख्यातुं शक्यते तथाप्यावृत्तिमन्तरेण द्विविधनियमासंभवात् युष्मद्युपपदे इत्यादिसूत्रद्वयावृत्त्यपेक्षया शेषग्रहणकरणे एव लाघवम् । प्रकृते तु एकत्वाभावेऽप्येकवचनसिद्धये एकग्रहणापाकरणावश्यकत्वादावृत्तिप्रयुक्तं गौरवं सह्यमिति भाष्याशयः ।

अत्र घटोऽस्तीत्यत्रैकत्वबोधोपपादनम्

अथैवमेकत्वे एकवचनमित्यर्थाभावे एकवचने एकत्वनिरूपितशक्तिग्राहकाभावात् अत्र घटोऽस्तीत्यादित एकघटबोधः कथमिति चेत्—लोकत इति गृहाण । लोके हि

अत्र घटोऽस्ति न तु घटौ इत्यादिव्यवहारात् एकवचने एकत्ववाचकत्वं गृह्यते । न हि व्याकरणत एव व्याकरणोपदिष्टानां शक्तिग्रह इत्यस्ति नियमः । तृजादेः संख्यायां, दारलाजादेश्च बहुत्वेऽन्यत एव शक्तिग्रहात् ।

तथा चायं निष्कर्षः लोकव्यवहारात् एकवचनस्य गृहीतैकत्वशक्तिकत्वेन यदैकत्व-बोधने वक्तुस्तात्पर्यं तदा तद्बोधो भवति । यदा त्वसंभवात् संभवे वा बोधने प्रयोजन-विरहादेकत्वं न विवक्ष्यते तदैकवचनसत्त्वेऽपि नैकत्वबोधः । यथा भूतले घटोऽस्ति, ब्राह्मणो न हन्तव्यः । द्विवचनबहुवचनयोस्तु विवक्षितद्वित्वबहुत्वयोरेवानुशिष्टत्वात्सा-धुत्वेन तद्विरहेण प्रयोग एव नेति घटौ स्त इत्यादितो नियमेन द्वित्वादिबोध इति ॥५४॥

॥ वचन का निरूपण प्रारम्भ ॥

वचन शब्द का अर्थ

जो कहा (बोला) जाय वह वचन है । एकवचन, द्विवचन आदि संख्या भी उससे समझो जाती है । ये कहाँ और किस तरह (प्रयुक्त) होते हैं उसका विचार किया जा रहा है ।

यद्यपि वचन शब्द उक्ति के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध है । "व्याहारः उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः" इस अमरकोष के उद्धरण से वचन शब्द उक्ति के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध है तथापि यहाँ लिङ्गवचन विचार के क्रम में वह संख्या का बोधक है तथा पाणिनी से संकेतित तन्त्र के द्वारा एकवचन आदि का भी बोधक माना गया है ।

वचन शब्द संख्या का पर्यायवाची भी है । क्योंकि लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने तथा प्राति-पदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इन दोनों पाणिनि के सूत्रों में संख्यावाचक वचन शब्द देखा जाता है । उसी तरह एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचनों का भी सामान्य रूप से वह वाचक भी है, क्योंकि "क्रियासमभिव्याहारे लोट्", इस सूत्र के वर्णन में सिद्धान्तकौमुदी में आचार्य दीक्षित ने कहा है—"पुरुषवचनसंज्ञे तु नेहातिदिश्येते", वहाँ एकवचन आदि के वाचक वचन शब्द का ग्रहण किया गया है । व्युत्पत्तिवाद में भी जहाँ विशेष्य वाचक पद के उत्तर में विभक्ति के तात्पर्यविषयभूत संख्या के विरुद्ध संख्या का अविवक्षितत्व हो वहाँ विशेष्य एवं विशेषणवाचक पदों में समान वचनत्व होता है, ऐसा कहा गया है, उसमें भी एकवचन आदि के वाचक के रूप में वचन शब्द का उपादान किया गया है । (जिससे वह सिद्ध है) नाम का एकदेश नाम के कारण से गृहीत होता है, इस न्याय से जैसे भाम आदि (एकदेश रूप) एक देश शब्द से सत्यभामा आदि की बोधकता है, उसी तरह होती है उसी तरह वचन शब्द में एकवचन, द्विवचन आदि के बोधकत्व के सम्भव होना भी ठीक ही है ।

यहाँ उन दोनों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है जिससे बालकों (छात्रों) को यह निश्चय हो सके कि कहाँ किस वचन का और कहाँ किस लिंग का प्रयोग साधु (समुचित) माना जाएगा ।

विभक्तियाँ एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व का बोध कराने वाली होती हैं।

संख्या एकत्व, द्वित्व आदि के परार्थ तक होती है। उसी प्रकार त्रित्व आदि का व्यापक बहुत्व भी संख्या है। क्योंकि पाणिनि ने "बहुगणवतुडति संख्या" सूत्र से बहु शब्द का अन्वर्थ संख्या संज्ञक के रूप में बताया है। उन (संख्याओं) में केवल एकत्व, द्वित्व एवं बहुत संख्याओं की द्योतिका या वाचिका एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन रूप विभक्तियाँ, सुप् और तिङ् के रूप में होती हैं।

भर्तृहरि ने कहा है—"विभक्तियाँ द्वित्व आदि की द्योतिका या वाचिका होती है। वैयाकरणों के मत में विभक्तियाँ द्योतिका होती हैं पर नैयायिक विभक्तियों को वाचिका मानते हैं, इस तरह दोनों में पार्थक्य है। उसमें शाब्दिकों के मत में एकत्व आदि संख्या भी विभक्ति की प्रकृति के ही अर्थ है। वह भी एकवचन, आदि के साथ उच्चरित घटः, घटौ एवं गच्छति, गच्छतः आदि प्रयोगों में प्रतीत होता है। उस तरह उस अर्थ में तात्पर्य ग्राहकत्व रूप विभक्ति से उस अर्थ की द्योतकता होती है। तार्किक के अनुसार यह समझना चहिए कि संख्या विभक्ति का ही अर्थ है, प्रकृति का नहीं। जैसे —पाणिनि ने बहुषु बहुवचनम्, द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इस सूत्र के रूप में कहा है। स्वौजसमोट् तथा आदि तिप्तस्झि इत्यादि सूत्रों में एकवचन आदि के क्रम से उन्होंने अभिधान (स्पष्ट) किया है। यहाँ तो अवरोहण क्रम से बहुवचन, द्विवचन एवं एकवचन का विधान है। इन दोनों सूत्रों से बहुत्व, द्वित्व एवं एकत्व की विवक्षा रहने पर बहुवचन, द्विवचन एवं एकवचन का साधुत्व प्राप्त होता है।

बहुत आदि के रहने पर ही बहुवचन आदि होते हैं।

बहुषु बहुवचनं तथा द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने, ये दोनों सूत्र नियमार्थक हैं। बहुत्व आदि के विवक्षित रहने पर हीं बहुवचन आदि साधु होते हैं ऐसी मान्यता है। इसीलिए एक एवं दो कर्ता वाले पाक की स्थिति में 'एते पचन्ति' यह प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह एक एवं बहुल (अनेक) कर्ता वाले पाक में इमौ पचतः यह प्रयोग भी नहीं होता है।

उन सूत्रों की नियमार्थता कैसे मानी जाय ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है— "वैयाकरण, स्वार्थ द्रव्यलिङ्ग संख्या एवं कारकों को नाम (प्रतिपदिक) का अर्थ मानते हैं। तथा क्रियात्व काल, संख्या एवं कारकों को धात्वर्थ मानते हैं। उस तरह सुआदि तथा तिप् आदि का बहुत्व आदि तथा कर्मत्व आदि अर्थ को पुरस्कृता कर विधान के अभाव में भो स्वौजस आदि तथा तिप्तस्झि आदि सूत्र द्वारा सामान्य रूप से विधान करने से ही "अनिर्दिष्ट अर्थ वाले प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं" इस न्याय से बहुत्व आदि एवं कर्मत्व में सिद्ध होने से बहुषु बहुवचनम् आदि सूत्र कर्मणि द्वितीया आदि सूत्र एवं लःकर्मणि च आदि सूत्र नियम सूत्र माने गये हैं। इस तरह उनकी नियमार्थता को भाष्यकार ने ही सिद्धान्तित किया है।

एकत्व का बोध न होने पर भी कहीं एकवचन होता है

प्रश्न हैं कि बहुषुवचनम्, एवं द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने' इन दोनों सूत्रों से बहुत्व आदि की विवक्षा रहने पर ही बहुवचन आदि होते हैं तो अव्ययों से कैसे सुप् की उत्पत्ति होती है,

क्योंकि उनके अर्थ के असत्त्व रूप हैं इस तरह संख्या के अन्वय के योग्य न होने से संख्या की विवक्षा वहाँ असम्भव है। यदि कहें कि अव्ययों से सुप् के श्रवण का अभाव होने से सुप् की उत्पत्ति न होने पर भी क्या क्षति है ? तो इसके समाधान में कहा जाता है कि वैसी स्थिति में अव्ययादाप्सुपः इस सूत्र की असंगति होने लगेगी। दूसरी बात है कि अव्यय से सुप् का अभाव होने पर सुबन्तत्व के अभाव से सुप्तिङन्तं पदम् इस सूत्र से पदत्व के अभाव होगा और उच्चैस्तेऽध्ययनं शनैर्मे आदि वाक्यों में पद से परत्वाभाव के कारण "ते मयावेकवचनस्य" इस सूत्र से 'ते' 'मे' आदि आदेश की अप्राप्ति होने लगेगी। इस तरह की शङ्का होने पर कहा जाता है कि—औत्सर्गिक एकवचन का साधन किया जाता है। एकवचनम् यह उत्सर्ग रूप में करना चाहिए, उसके द्वित्व एवं बहुत्व में द्विवचन एवं बहुवचन बाधक होंगे, इस सिद्धान्त का आश्रयण कर द्व्येकयोः इस सूत्र के एक ग्रहण का भाष्यकार द्वारा प्रत्याख्यान किए जाने से एवं "मुनियों की यथोत्तर प्रमाणिकता होती है। इस स्थिति में औत्सर्गिक एकवचन होने पर उसमें संख्या के निमित्तकत्व का अभाव होने से एकत्व के बोध के अभाव में भी एकवचन की प्रवृत्ति होने से अव्ययों से तथा पचति आदि रूपों से एकवचन होता है, किन्तु अव्ययादाप्सुपः इस सूत्र में प्रत्याहार के ग्रहण के सामर्थ्य से सभी विभक्तियों का एकवचन होता है। इसलिए नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः इस सूत्र में अपञ्चम्याः यह चरितार्थ होता है। तथा तृतीया तसम्योर्बहुलम् सूत्र के कथन से उपकण्ठम् उपकण्ठेन आदि वैकल्पिक रूप भी सिद्ध होते हैं, प्रशस्तं पचति इस विग्रह में पचति रूपं देवदत्तः तथा प्रशस्ते पचतः इस विग्रह में पचतो रूपं यज्ञदत्त भवदत्तौ आदि वाक्यों में तो प्रथमा का ही एकवचन होता है। रूपत्व आदि प्रत्ययान्त से तृतीया आदि के प्रयोग के अदर्शन से उनके एकवचन के अनभिहित होने से एवं योगविभाग से इष्ट की सिद्धि की जाती है न कि अनिष्टापादन किया जाता है, इस न्याय से तृतीया आदि का एकवचन वहाँ नहीं होता है। वहाँ एक ग्रहण के न करने पर ही एकवचन की सिद्धि बतानी है, इसलिए योगविभाग आवश्यक है।

प्रश्न है कि इस तरह बहुषु बहुवचनम् आदि सूत्रों के नियमत्व होने पर भी स्वादि एव तिबादि के विधायक सामान्य शास्त्रों से द्वित्व में बहुवचन एवं बहुत्व में द्विवचन न हो, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुत्व एवं द्वित्व में ही बहुवचन एवं द्विवचन होते हैं इस नियम के आश्रयण करने पर द्वित्व आदि में एकवचन की आपत्ति होगी। इसके निराकरण के लिए यदि बहुत्व एवं द्वित्व में बहुवचन एवं द्विवचन ही होते हैं, इस नियम का आश्रयण करते हैं तो एक में भी बहुवचन एवं द्विवचन (उभय) की आपत्ति होगी इसलिए एक ग्रहण आवश्यक है। उसके रहने पर एकत्व में ही एकवचन होता है, इस नियम की भी सिद्धि होने से कहे गये उस दोष का अवसर उपस्थित नहीं होता है।

इसी तरह 'शेषे प्रथमा' इस सूत्र में भी शेष ग्रहण आवश्यक होता है। जैसे—शेष ग्रहण के अभाव में यदि श्रूयमाण या अध्याह्रियमाण युष्मद् के रहने पर ही मध्यम पुरुष होता है, तथा उस तरह के अस्मद् के रहने पर ही उत्तमपुरुष होता है, इस तरह यदि नियम को स्वीकार करते हैं तो "शेषे प्रथमः" इस सामान्य सूत्र से उनके रहते प्रथम पुरुष भी होगा। यदि उनके रहने पर मध्यम एवं उत्तम पुरुष ही होते हैं, इस नियम को अङ्गीकार करते हैं

तब शेष में भी मध्यम एवं उत्तम पुरुष होंगे। इसलिए शेष ग्रहण किया जाता है। वैसा करने पर शेष में प्रथम पुरुष ही होता है। इस नियम से उन दोनों के रहने पर प्रथम पुरुष की आपत्ति नहीं होती। इस तरह वहाँ शेष ग्रहण के समान एकवचन से एक ग्रहण की भी आवश्यकता होने से उसका प्रत्याख्यान परक भाष्य एक देशी की उक्ति है, सिद्धान्ती की उक्ति तो नहीं है, ऐसा कहना उचित न होगा।

क्योंकि एकत्व की अविवक्षा में भी एकवचन की सिद्धि के लिए एक ग्रहण का प्रत्याख्यान आवश्यक है। एक ग्रहण के रहने पर कही गयी आपत्ति तो न होगी, क्योंकि बहुषु बहुवचनम् द्वयोर्द्विवचनम्, इन दोनों सूत्रों में दोनों नियमों का आक्रमण किया जायेगा ऐसा भाष्य का आशय है। जैसे—बहुत्व एवं द्वित्व में ही बहुवचन एवं द्विवचन होते हैं, इस नियम से एकत्व में बहुवचन एवं द्विवचन की आपत्ति न होगी। उसी तरह बहुत्व एवं द्वित्व में बहुवचन एवं द्विवचन ही होते हैं, ऐसे नियम से बहुत्व एवं द्वित्व में एकवचन की आपत्ति न होगी, इसलिए एक ग्रहण का प्रत्याख्यान किया जाता है। इस तरह एकत्व की अविवक्षा में भी एकवचन उपपन्न होता है।

यद्यपि इस रीति से दो प्रकार के नियमों के आक्रमण करने से शेष ग्रहण भी प्रत्याख्यात कर सकते हैं, तथापि आवृत्ति के विना दो प्रकार के नियम के असम्भव होने के कारण "युष्मद्युपपदे एवं अस्मद्युत्तमः इन दोनों सूत्रों की आवृत्ति की अपेक्षा शेष ग्रहण कर लेना ही लाघव है। यहाँ तो एकत्व के अभाव में भी एकवचन की सिद्धि के लिए एक ग्रहण का हटाना आवश्यक है, इसलिए आवृत्ति प्रयुक्त गौरव सह्य है, ऐसा भाष्य का आशय है।

यहाँ घटोऽस्ति इस वाक्य में एकत्व के बोध का कथन

प्रश्न है कि एकत्व में एकवचन होता है, ऐसे अर्थ के अभाव में एकवचन में एकत्व निरूपित शक्ति के ग्राहके अभाव में वहाँ घटोऽस्ति आदि वाक्यों से एक घट का बोध कैसे होगा। इसके उत्तर में कहा जाता है कि लोक से होगा। क्योंकि लोक में 'अत्र घटोऽस्ति, न तु घटौ' आदि व्यवहार से एकवचन में एकत्व के वाचकत्व को ग्रहण किया जाता है। व्याकरण से ही व्याकरण से उपदिष्ट शब्दों का शक्तिग्रह होता है, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि तृच् आदि की संख्या में तथा दार एवं लाज आदि के बहुत्व में दूसरे से ही शक्तिग्रह होता है।

इस तरह निष्कर्ष यह है कि लोकव्यवहार से एकवचन का एकत्वशक्ति सम्पन्न होने के कारण जब एकत्व का बोध कराने में वक्ता का तात्पर्य होता है, तब उससे उसका बोध होता है। जब असम्भव की स्थिति में सम्भव होने पर भी एकत्व का बोध का प्रयोजन न रहने से एकत्व की विवक्षा नहीं की जाती, तब एकवचन के रहने पर भी एकत्व का बोध नहीं होता है। जैसे—भूतले घटोऽस्ति, ब्राह्मणो न हन्तव्यः, आदि प्रयोगों में है। द्विवचन एवं बहुवचन का तो विवक्षित द्वित्व एवं बहुत्व में अनुशिष्ट होने के कारण साधु होने से उसके सम्भव में प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए घटौ स्तः आदि प्रयोगों से नियमतः द्वित्व आदि का बोध होता है ॥ ५४ ॥

औत्सर्गिकमेकवचनं सत्येव गमके इति नागेशभट्टमतम्

औत्सर्गिकैकवचनं सत्येव गमके भवेत् ।
यथाव्ययात्तदुत्पत्तौ लुग्विधिर्गमकः स्थितः ।
इति नागेशभट्टेन सिद्धान्तः शेखरे कृतः ॥ ५५ ॥

औत्सर्गिकैकवचनविषये नागेशभट्ट आह—एकग्रहणप्रत्याख्यानेऽप्येकवचनमिति महासंज्ञाकरणात् प्रायेणैकत्वे एकैकवचनं जायते। एकग्रहणप्रत्याख्यानपरभाष्यात्तु यत्र किञ्चिद्गमकं तत्रैवैकत्वाविवक्षायां तदुत्पत्तिः। यथाव्ययादुत्पत्तौ अव्ययादाप्सुप इति गमकम्। एवं पचति रूपं चैत्रः, पचतो रूपं चैत्रमैत्रौ, पचन्ति रूपं चैत्रमैत्रजैत्राः इत्यादौ (प्रशस्तं पचतीत्याद्यर्थके) "प्रशंसायां रूपप्" इतिसूत्रविहितरूपप्प्रत्ययान्तादेकवचनोत्पत्तौ तत्सूत्रस्थभाष्यप्रयोग एव गमकः। गमकाभावे तु नैवौत्सर्गिकमेकवचनमिति। भूतले घटोऽस्ति पटोऽस्तीत्यादिप्रयोगास्तु घटत्वपटत्वादिजातिगतैकत्वपरतयोपपादनीया इति तदाशयः ॥ ५५ ॥

गमक (प्रमाण) रहने पर ही औत्सर्गिक एकवचन होता है, यह नागेशभट्ट का विचार है

औत्सर्गिक एकवचन प्रमाण (गमक) के रहने पर ही होता है। जैसे अव्यय से विभक्ति की उत्पत्ति में "अव्ययादाप्सुपः" यह सुप् का लुक् विधायक सूत्र गमक होता है। लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट ने यह सिद्धान्त स्थापित किया है।

औत्सर्गिक एकवचन के विषय में नागेशभट्ट ने कहा है कि—भाष्यकार द्वारा एकवचन के एक ग्रहण का प्रत्याख्यान करने पर भी एकवचन इस महा संज्ञा के करने से (अन्वर्थक होने से) प्रायः एकत्व के रहने पर ही एकवचन होता है। एक ग्रहण के प्रत्याख्यान परक भाष्य से तो यहाँ कुछ गमक हो वहीं एकत्व की अविवक्षा रहने पर भी एकवचन की उत्पत्ति होती है। जैसे अव्यय से एकवचन की उत्पत्ति में अव्ययादाप्सुपः यह सूत्र गमक होता है। इसी तरह पचति रूपं चैत्रः पचतो रूपं चैत्रमैत्रो, पचन्ति रूपं चैत मैत्र जैत्राः इत्यादि प्रयोगों में (प्रशस्तं पचति आदि अर्थ वालों में) 'प्रशंसायां रूपप्' इस सूत्र से विहित रूपप् प्रत्ययान्तों से एकवचन की उत्पत्ति में उस सूत्र पर रहने वाला भाष्य का प्रयोग ही गमक है। गमक के अभाव में तो औत्सर्गिक एकवचन हो ही नहीं सकता। 'भूतले घटोऽस्ति पटोऽस्ति' आदि प्रयोगों का तो घटत्व एवं पटत्व आदि के जातिगत एकत्व को लेकर समर्थन करना चाहिए। यही नागेश के कथन का आशय है ॥ ५५ ॥

औत्सर्गिकमेकवचनं सार्वत्रिकमिति दीक्षितादिमतम्

औत्सर्गिकैकवचनं सर्वत्र स्वेच्छया भवेत् ।
एकेत्यपाकृतं यस्मादित्याहुर्दीक्षितादयः ॥ ५६ ॥

प्राचीनैर्भट्टोजिदीक्षितादिभिस्तु औत्सर्गिकैकवचनस्य सार्वत्रिकत्वमङ्गीकृतम्। एतदनुसारेण भूतले घटोऽस्तीत्यादावेकत्वबोधने तात्पर्याभावादौत्सर्गिकमेकवचनमिति

वक्तुं शक्यते। अत्रेदं प्रतिभाति—प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानामित्यस्ति व्युत्पत्तिः। तत्रार्थशब्देन मुख्य एवार्थः परिगृह्यते। अन्यथा सति तात्पर्ये दण्डीत्यादौ दण्डादावेकत्वान्वयापत्तेः। तस्मात् प्रकृतिमुख्यार्थ एव प्रत्यार्थान्वयो न तु प्रकृत्यर्थताव-च्छेदके। एवञ्च घट इत्यादौ जातिगतैकत्वपरत्वमेकवचनस्य न युक्तम्। अतस्तत्रैकत्व-मविवक्षितमित्येव सम्यक्। एकवचनं त्वेकत्वबोधाभावेऽपि भवत्येव, एकग्रहणस्य प्रत्याख्यानात्। एकवचनमित्यन्वर्थसंज्ञाबलात्तु नैकत्वे एकवचनम् भाष्यानुक्तेः। बहुवचनमित्यादौ बहुष्वित्यादेर्वैयर्थ्यप्रसङ्गात् एकग्रहणप्रत्याख्यानयत्नस्य वैयर्थ्या-पाताच्चेति ॥५६॥

औत्सर्गिक एकवचन सार्वत्रिक है यह दीक्षित आदि विद्वानों का मत है

दीक्षित आदि विद्वानों की राय है कि एकवचन के एक शब्द का भाष्यकार द्वारा अपाकरण किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि औत्सर्गिक एकवचन सर्वत्र स्वेच्छा से (स्वीकृत) होगा।

भट्टोजिदीक्षित आदि प्राचीनाचार्यों ने तो औत्सर्गिक एकवचन को सार्वत्रिक रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार भूतले घटोऽस्ति आदि प्रयोगों में एकत्व का बोध कराने में तात्पर्य के अभाव के कारण औत्सर्गिक एकवचन को स्वीकार किया जा सकता है। इस कथन में यह प्रतिभासित होता है कि प्रकृति के अर्थ से अन्वित स्वार्थ की बोधकता प्रत्ययों की होती है, ऐसी व्युत्पत्ति मानी जाती है। वहाँ अर्थ शब्द से मुख्य अर्थ ही लिया जाता है। अन्यथा तात्पर्य रहने पर दण्डी आदि प्रयोगों में दण्ड इत्यादि में एकत्व के अन्वय की आपत्ति होगी। इसलिए प्रकृति के मुख्य अर्थ में ही प्रत्यय के अर्थ का अन्वय होता है। प्रकृत्यर्थतावच्छेदक में अन्वय नहीं होता है। इस तरह घटः आदि प्रयोगों में जातिगत एकत्व परक एकवचन युक्ति युक्त नहीं है। इसलिए वहाँ एकत्व अविवक्षित है, ऐसा कहना ही ठीक है। एकवचन तो एकत्व बोध के अभाव में भी होता ही है। क्योंकि एक ग्रहण का प्रत्याख्यान किया गया है। एकवचन इस अन्वर्थसंज्ञा के बल से तो एकत्व में एकवचन नहीं होगा, क्योंकि भाष्य में नहीं कहा गया है। 'बहुवचनम्' आदि में बहुषु बहुवचनम् इस सूत्र के बहुषु आदि पदों के वैयर्थ्य का प्रसङ्ग होने लगेगा—इसलिए एकग्रहणम् के प्रत्याख्यान का यत्न व्यर्थ होने लगेगा, (इस कारण से भी वैसा कहना युक्त नहीं है) ॥ ५६ ॥

मैथिली दाराः इत्यादि बहुवचनोपपादनम्

नन्वेवमेकत्वाविवक्षायामेकवचनस्य साधुत्वेऽपि बहुत्वाविवक्षायां बहुवचनस्य न साधुत्वम्, बहुत्वे एव बहुवचनमिति नियमस्योक्तत्वात्। एवञ्च—

"नमयति धनुरैशं यस्तदारोपणेन
त्रिभुवनजयलक्ष्मीर्मैथिली तस्य दाराः ॥"

इति जनकप्रतिज्ञावाक्ये दारशब्दात् कथं बहुवचनम्? एकव्यक्तौ बहुत्वाभावेन तद्विवक्षाया संभवादिति चेत्—अत्रोच्यते—

दाराः पुंसि च भूम्न्येवेत्यादिकोषानुसारतः ।
आश्रित्यारोपितां दारप्रभृतौ बहुतां बहोः ।
वचनं साधु भवति दारप्रभृतिशब्दतः ॥ ५७ ॥

'दाराः पुंसि च भूम्न्येवे'त्यादिकोषस्य बहुत्ववाचकत्वबोधनद्वारा दारादिशब्दस्य नित्यबहुवचनान्तत्वे एव तात्पर्यात् मैथिली दारा इत्याद्यवयवगतबहुत्वस्यारोपाद्बहुवचनमुपपद्यते । तथा चोक्तं तदशिष्यमितिसूत्रभाष्यप्रदीपे कैयटेन "सर्वेषां लिङ्गानां सर्वत्र भावात्" केनचिच्छब्देन प्रत्याय्यमानं वस्तु कस्यलिलङ्गस्य व्यञ्जकमिति दारादिषु नियतपुंलिङ्गवचनता सिद्धा । बहुत्वमप्यवयवगतं शक्तिगतं चारोप्यते इति संख्यायोगोऽपि सिद्ध इति ।

आरोपे आरोपितस्यापि बहुत्वादेः बहुवचनादिनिमितत्त्वे वा मानन्तु तथा तथा प्रामाणिकप्रयोगाः कोषरूपानुशासनञ्च । तेन बहुत्वारोपाद्दारलाजादिभ्य एव बहुवचनं न तु घटपटादिभ्योऽपीति नातिप्रसङ्गः ।

अपि च वास्तविकेऽनादिकालप्रवृत्तारोपविषये वा बहुत्वे बहुवचनं तथाभूते द्वित्वे द्विवचनमिति भगवतः पाणिनेस्तात्पर्यात् मैथिली दारा इत्यादौ बहुवचनं सिद्धयति । 'दाराः पुंसि च भूम्न्येवे'त्यादिकोषाणां दारादिपदार्थे बहुत्वारोपस्यानादिकालप्रवृत्तत्वज्ञापने तात्पर्यात् ।

अथ तादृशारोपविषयमपि बहुत्वादिकमाश्रित्य बहुष्वित्यादिशास्त्रप्रवृत्तौ पाणिनेस्तात्पर्यं कथमवगम्यत इति जिज्ञासा चेत्—उच्यते । "लुबविशेषे" इति स्वकृतसूत्रप्रत्याख्यायकं "लुब् योगाप्रत्याख्यानात्" इति पाणिनेः सूत्रमेव तथा तात्पर्यमभिव्यनक्ति । तथा हि लुप्शास्त्रप्रत्याख्याने "लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने" इति सूत्रस्याप्युद्देश्याप्रसिद्ध्या प्रत्याख्येयतयाङ्गवङ्गकलिङ्गादीनां बहुवचनान्तानामुपपत्तये आरोपितमपि बहुत्वाद्याश्रित्य बहुष्वित्यादिशास्त्रप्रवृत्तौ तथा गोदादीनां नित्यद्विवचनान्तानां सिद्धये आरोपितमपि द्वित्वमाश्रित्य द्वयोर्द्विवचनमिति शास्त्रप्रवृत्तौ च पाणिनेस्तात्पर्यमवश्यकल्पनीयमितरथारम्भप्रत्याख्यानपक्षयोः फलभेदेन प्रत्याख्यानासंगतेः लुपि युक्तवदितिसूत्रसद्भावे लुबन्तेष्वेव लिङ्गवचनयोः सिद्धिः तत्प्रत्याख्याने तु दारलाजादिस्वपीति पाणिनेरभिप्रायः ॥ ५७ ॥

मैथिल दाराः आदि प्रयोगों में बहुवचन का उपपादन

प्रश्न है कि इस तरह एकत्व की अविवक्षा में एकवचन के साधुत्व होने पर भी बहुत्व की अविवक्षा रहने पर बहुवचन साधु न होगा, क्योंकि बहुत्व में भी बहुवचन होता है, ऐसा नियम कहा गया है । ऐसी स्थिति में जो शिव के धनुष को चढ़ाने के द्वारा नवा देगा, उसकी त्रिभुवन की जयलक्ष्मी मैथिली दारा होगी—इस रामायण के जनक की प्रतिज्ञा वाले वाक्य में दार शब्द से बहुवचन कैसे हुआ ? क्योंकि एक व्यक्ति में बहुत्व के अभाव के कारण बहुत्व की विवक्षा असंभव है । यह प्रश्न है । इसके उत्तर में कहा जाता है—

"दाराः यह पुंलिङ्ग में और बहुवचन में ही होता है" कोष के इस वचन के अनुसार दार आदि शब्दों में आरोपित बहुत्व का आश्रयणकर दार प्रभृति शब्दों से बहुवचन साधु होता है।

दाराः 'पुंसि च भूम्न्येव' आदि कोष के वचन से बहुत्व के वाचकत्व का बोध कराने के द्वारा दार आदि शब्द के नित्यबहुवचनान्त होने में तात्पर्य होने से मैथिली दाराः आदि प्रयोगों में अवयवगमनबहुत्व के आरोप से बहुवचन उपपन्न होता है। वैसा तद-शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इस सूत्र के भाष्य की प्रदीप टीका में कैयट ने कहा है कि—सब लिङ्गों के सब जगह होने से किसी शब्द से प्रतीत करायी जा रही वस्तु किसी लिङ्ग का व्यञ्जक होती है इसलिए दारा आदि शब्दों में नियत पुंलिङ्ग की वचनता सिद्ध होती है। बहुत्व भी अवयवगत और व्यक्तिगत आरोपित किया जाता है, इसलिए संख्या का योग भी सिद्ध होता है।

आरोप में आरोपित भी बहुत्व आदि बहुवचन आदि में निमित्त होते हैं इसमें प्रमाण तो वैसे प्रामाणिको के प्रयोग होते हैं तथा कोष रूप अनुशासन मान होता है, यही कारण है कि बहुत्व के आरोप से दार एवं लाजा आदि शब्दों से ही बहुवचन होता है, घट पट आदि शब्दों से नहीं होता इसलिए कहीं सतित्वसङ्ग की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और यह बात है कि वास्तविक बहुत्व रहने पर या अनादिकाल से प्रवृत्त आरोप विषयक बहुत्व के रहने पर बहुवचन होता है, तथा वैसे द्वित्व के रहने पर द्विवचन होता है, भगवान् पाणिनि के इस तात्पर्य से 'मैथिली दाराः' आदि प्रयोगों में बहुवचन सिद्ध होता है। "दाराः पुंसि च भूम्न्येव" आदि रूप से स्थित कोषों का दार आदि पदार्थों में बहुत्व के आरोप के अनादिकाल से प्रवृत्तत्व के ज्ञापन में तात्पर्य रहने से वैसे प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसके बाद वैसे आरोप के विषय बहुत्व आदि का आश्रयण कर 'बहुषु बहुवचनम्' आदि सूत्रों की प्रवृत्ति में पाणिनि के तात्पर्य को कैसे समझा जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि 'लुबविशेषे' इस अपने किये सूत्र का प्रत्याख्यान करने वाला "लुब् योगा प्रत्याख्यानात्" यह पाणिनि का सूत्र ही वैसे तात्पर्य को अभिव्यक्त करता है। जैसे 'लुबविशेषे' इस लुप् करने वाले शास्त्र के प्रत्याख्यान में "लुपि युक्तवद्व्यक्ति वचने" इस सूत्र के भी उद्देश्य की प्रसिद्धि न होने से प्रत्याख्येय रूप में स्थित अङ्ग वङ्ग एवं कलिङ्ग आदि शब्दों के बहुवचनान्तों की सिद्धि के लिए आरोपित भी बहुत्व आदि का आश्रयणकर 'बहुषु बहुवचनम्' इस सूत्र की प्रवृत्ति में तथा गोदा आदि के नित्यद्विवचनान्त आदि की सिद्धि के लिए आरोपित भी द्वित्व को आश्रयण कर 'द्वयोर्द्विवचनम्' इस सूत्र की प्रवृत्ति में पाणिनि के तात्पर्य की अवश्य कल्पना करनी चाहिए, अन्यथा आरम्भ एवं प्रत्याख्यान दोनों पक्षों में फल भेद होने से प्रत्याख्यान की असङ्गति होने लगेगी। लुपि युक्तवत् इस सूत्र के रहने पर लुबन्तो में हो लिङ्ग एवं वचन की सिद्धि होगी, तथा उस सूत्र के प्रत्याख्यान करने पर तो दार एवं लाज आदि शब्दों में भी लिङ्ग एवं वचन आदि की सिद्धि होगी यह पाणिनि का अभिप्राय है ॥ ५७ ॥

नैयायिकमते मैथिली दारा इत्यादौ बहुवचनोपपादनम्

आहुर्नैयायिका दारा भून्मीत्याद्यनुशासनात् ।
रामस्य दारा इत्यादेः साधुत्वं न बहुत्वधीः ॥ ५८ ॥

तार्किकास्त्वाहुः मैथिली रामस्य दारा इत्यादौ "दारा पुंसि च भूम्न्येवे"-त्यादिनामलिङ्गवचनानुशासनाद्बहुवचनस्य साधुत्वं न तु ततो बहुत्वप्रतीतिर्बाधितत्वात् । बहुवचनाद्बहुत्वबोधो नियत इति तु न वाच्यं, नीला घटा इत्यादौ नीलादिपदोत्तरविभक्त्या संख्याया अप्रत्यायनात् ॥ ५८ ॥

तार्किकों के मत में मैथिली दारा आदि प्रयोगों में बहुवचन का उपपादन

नैयायिक कहते हैं—"दाराः पुंसि च भूम्न्येव" इस कोष के अनुशासन से रामस्य दाराः आदि प्रयोगों का साधुत्व माना जाता है किन्तु बहुत्व की बुद्धि वहाँ नहीं होती ।

नैयायिकों का कहना है कि मैथिली रामस्य दाराः, आदि प्रयोगों में "दाराः पुंसि च भूम्न्येव" आदि नाम लिङ्गानुशासन से बहुवचन का साधुत्व होता है, वहाँ बहुत्व की प्रतीति बाधित होने के कारण नहीं होती । बहुवचन से बहुत्व का बोध नियत है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि नीलाः घटाः आदि वाक्यों में नील आदि पदों के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से संख्या का बोध नहीं होता है । ॥ ५८ ॥

विशेष्यवाचिपदतः परवर्त्तिविभक्तिभिः ।
प्रत्याय्यमाना संख्या हि विशेषणविभक्तिभिः ।
न बोध्यते परं तासां प्रयोगः साधुताफलः ॥ ५९ ॥

या हि संख्या विशेष्यवाचकपदोत्तरवर्तिविभक्त्या बोध्यते सा संख्या समानाधिकरणविशेषणवाचकपदोत्तरवर्तिविभक्त्या न प्रत्याय्यते । तदर्थकपदोत्तरविभक्त्या संख्या बोधनेऽभेदसम्बन्धावच्छिन्नविषयताभिन्नतदर्थनिष्ठविषयताशालिशाब्दबोधसामग्र्या अपेक्षणीयत्वात् । न चैवं विशेषणविभक्तेरनर्थकत्वात् किमर्थः प्रयोग इति वाच्यम्, तदसत्त्वे असाधुत्वापत्तिधारणाय तत्प्रयोगस्यावश्यकत्वात् पाक इत्यादौ घञादिवत् पचतीत्यादौ शबादिवच्च । न च रामस्य दारा मैथिलीत्यादौ बहुत्वाबोधे बहुषु बहुवचनमितिशास्त्रविरोधः, तेन हि शास्त्रेण बहुवचनस्य बहुत्वे शक्तिर्बोध्यते 'शक्तिग्रहं व्याकरणोपमाने'त्याद्युक्तत्वात्, न तु नियमेन बहुत्वबोधकत्वमपि बोधस्य योग्यतातात्पर्यज्ञानादिभिर्नियन्त्रितत्वात् । न च बहुत्वाबोधेऽपि बहुवचनस्य साधुत्वे एकस्मिन्नपि घटे सति अत्र घटाः सन्तीति प्रयोगापत्तिरिति वाच्यम्, न ह्येकस्मिन् घटे सति तादृशप्रयोगाभावे बहुवचनासाधुत्वं बीजम्, किन्तु घटा इत्यतो बहूनामेव घटानां लोके बोधोदयेन घटा इत्यादित एकद्विघटबोधाजननम् ।

अथैवं नीलो नीलौ वा घटा इत्यादिप्रयोगाणां बोधाजनकतयैवाप्रसक्त्या तदभावाय समानवचनत्वनियमकथनं व्यर्थमिति वाच्यम्, वेदाः प्रमाणं, शतं ब्राह्मणा इत्यादौ क्वचिदसमानवचनत्वेऽपि बोधदर्शनेन नीलो घटा इत्यादितो बोध उदयते न वेति संशयनिवर्तनायैव समानवचनत्वनियमकथनस्योपयोगात् ॥ ५९ ॥

विशेषणवाची पद से पर में रहने वाली विभक्ति के द्वारा प्रतीत करायी जाने वाली संख्या का विशेषण विभक्ति से बोध नहीं होता बल्कि उनका प्रयोग साधुत्वबोध रूपी फल के लिए ही होता है।

जो संख्या, विशेष्यवाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति में बोधित होती है, वह संख्या, साधानाधिकरण विशेषणवाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से बोधित नहीं करायी जाती है, क्योंकि सामानाधिकरण विशेषण पद के उत्तरवर्त्ती विभक्ति से संख्या के बोध कराने पर अभेदसम्बन्धावच्छिन्न विषयता के भिन्न उस अर्थ में रहने वाली विषयता वाली शाब्दबोध की सामग्री की अपेक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में विशेषण की विभक्ति के अनर्थक होने से उसका प्रयोग किस लिए है ? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस विभक्ति के न रहने पर उस प्रयोग के असाधुत्व की आपत्ति होगी, जिसके निराकरण के लिए उस विभक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है। जैसे पाक में घञ् तथा पचति में शप् आदि का प्रयोग साधुत्व के लिए होता है। रामस्य दाराः मैथिली आदि प्रयोगों में बहुत्व के बोध के न रहने पर 'बहुषु बहुवचनम्' इस शास्त्र से विरोध होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि उस सूत्र से बहुत्व में बहुवचन की शक्ति का बोध कराया जाता है, "शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान" आदि नियम से वैसा होता है, नियमतः बहुत्व का बोधकत्व नहीं बताया जाता है, क्योंकि योग्यता एवं तात्पर्यज्ञान आदि से वह नियन्त्रित होता है। बहुत्व के बोध न होने पर भी वहुवचन का साधुत्व मानने पर, एक घट के रहने पर भी "अत्र घटाः सन्ति" ऐसे प्रयोग की आपत्ति होगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक घट के रहने पर घटाः सन्ति इस प्रयोग से न होने में बहुवचन का असाधुत्व कारण नहीं है, अपि तु घटाः इस प्रयोग से लोक में अनेक घटों के बोध का उदय होने से घटा आदि प्रयोगों से एक या दो घट के बोध के न होने से वैसा प्रयोग नहीं होता है।

इस तरह "नीलो घटः" तथा "नीलौ घटा" आदि प्रयोगों की बोधजानकता न होने के कारण अप्रसक्ति होने से, वैसे प्रयोगों के अभाव के लिए विशेष्य एवं विशेषण में समान वचन होता है, इस नियम का कथन व्यर्थ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वेदाः प्रमाणम्, शतं ब्राह्मणाः, आदि प्रयोगों में कहीं असमान वचन रहने पर भी बोध देखने में आता है; नीलो घटः आदि वाक्यों से बोध होता है, या नहीं, ऐसे संशय की निवृत्ति कराने के लिए ही समान वचन सम्बन्धी नियम के कहने का उपयोग होता है ॥ ५९ ॥

नैयायिकमते समानवचनतानियमविचारः

अथ यदि समानाधिकरणविशेषणवाचकोत्तरवर्तिनी विभक्तिः साधुत्वार्था न संख्याबोधनार्था तदा नीलो घटा, नीलौ घटा इत्यादयोऽपि प्रयोगाः स्युः। नैष दोषः।

तासां विशेष्यवचनतुल्यानामेव साधुता ।
अतश्च न घटा नील इत्यादेः साधुता मता ॥ ६० ॥

समानाधिकरणविशेषणवाचकोत्तरवर्त्तिविभक्तीनां हि विशेष्यवाचकपदोत्तर-विभक्तितुल्यत्वे सत्येव साधुत्वमिति नीलो घटा इत्यादौ नीलपदोत्तरविभक्तेर्घटादिपदो-त्तरविभक्तितुल्यत्वाभावेन न साधुत्वम् ॥ ६० ॥

नैयायिक के मत में समान वचन सम्बन्धी नियम के विषय में विचार

अब यदि यह कहें कि समानाधिकरण, विशेषण के वाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति साधुत्व के लिए हैं, संख्या का बोध कराने के लिए नहीं है, तो नीलो घटाः एवं नीलौ घटाः आदि प्रयोग भी होंगे और वैसा मानने पर कोई दोष नहीं होगा । क्योंकि—समानाधिकरण विशेषण के उत्तर में रहने वाली विभक्तियों का, एवं विशेष्य के वचन के तुल्यों का ही साधुत्व होता है, इसलिए घटाः नीलः आदि प्रयोगों का साधुत्व नहीं माना गया है ।

समानाधिकरण विशेषण के वाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्तियों का विशेष्य के वाचक पद के उत्तर वाली विभक्ति के तुल्य रहने पर ही साधुत्व होता है । इसलिए नीलो घटाः आदि प्रयोगों में नीलपद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति की घट आदि पदों के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से समानता (तुल्यता) के न रहने से साधुत्व नहीं होता ॥ ६० ॥

नन्वेवं वेदाः प्रमाणं, कलसाः शतमित्यादौ विषमविभक्तीनां कथं प्रयोगः इति चेत् ? तत्राह—

प्रमाणत्वशतत्वादिगतैकत्वस्य बोधकाः ।
वेदाः प्रमाणं कलसाः शतमित्यादयो मताः ॥ ६१ ॥

विशेषणवाचकोत्तरविभक्त्या संख्याया अविवक्षितत्वे विशेषणवाचकविशेष्य-वाचकयोः समानवचनत्वमेवेति नियमः यत्र च विशेषणवाचकोत्तरविभक्त्यापि संख्या विवक्षिताऽस्ति तत्र वेदाः प्रमाणं शतं कलसा इत्यादावसमानवचनत्वेऽपि नोक्तनियम-भङ्गः । अत्र हि विशेषणवाचकप्रमाणशताद्युत्तरवर्तिविभक्त्यापि प्रमितिकरणत्वशत-त्वादिगतैकत्वसंख्या विवक्षितैवास्तीति ।

अत्रेदं तत्त्वम्—विभक्त्यर्थसंख्या प्रायेण प्रकृत्यर्थेऽन्वेति । क्वचित् प्रकृत्यर्थता-वच्छेदके, यत्र प्रकृत्यर्थेऽन्वयासंभवः । यथा संपन्नो व्रीहिरित्यत्र व्रीहेर्बहुत्वात् तत्रैकत्वा-न्वयायोगात् व्रीहित्वे विभक्त्यर्थैकत्वान्वयः । एवं शतं ब्राह्मणा इत्यत्र शतशब्दार्थस्य बहुत्वात् तत्रैकत्वान्वयासंभवात् शतपदार्थतावच्छेदके शतत्वे एव तदन्वयः । नीलो घट इत्यादौ च विशेष्यविभक्त्या संख्यायाः कर्मत्वादेश्च बोधितत्वात् विशेषणविभक्त्या संख्या नैव बोध्यते, नापि कर्मत्वादिकम्, प्रयोजनविरहात् । अतोऽत्रैव समान-वचनत्वमपेक्ष्यते । शतं कलसा इत्यादौ त्वेकशतत्वावच्छिन्नबोधाय शतत्वादावेकत्वा-न्वयः । तत्र च न विशेष्यविशेषणपदयोः समानवचनत्वमपेक्षितम् । तस्मात् साधुता-

मात्रफलकविभक्त्यन्तस्यैव विशेषणवाचकस्य विशेष्यवाचकोत्तरवचनसमानवचनत्वमावश्यकमिति।

मीमांसकवैयाकरणयोर्मते तु कारकाणां क्रियायामेवान्वय इति सिद्धान्तात् 'नीलं घटमाहर'त्यादावेकनीलकर्मकमेकघटकर्मकं चानयनमिति बोधः। घटे नीलतादात्म्यप्रत्ययस्तु पाश्चात्यो मानसः। नीलो घट इत्यत्रापि अस्तीत्यस्याध्याहारात् नीलपदार्थस्य च सत्ताक्रियां प्रति कर्तृकारकत्वेनैकनीलकर्तृकैकघटकर्तृका च सत्तेति शाब्दबोधान्तरं नीलाभिन्नघटज्ञानं मानसं जायते। तस्माद्विशेषणविभक्तिरपि संख्यादर्थबोधिकेत्यलम्।

अथ प्रकृतं तार्किकमतं प्रदर्शयामः—

समानवचनत्वनियमः

यत्र विशेषानुशासनं नास्ति तत्र समानाधिकरणविशेषणविशेष्यवाचकयोः समानवचनत्वम्। तेन नीलौ घटः, नीलो घट इत्यादिप्रयोगाः न साधवः, अपि तु नीलो घटः, नीलौ घटावित्यादय एव। शतं ब्राह्मणा इत्यत्र तु 'विंशत्याद्याः सदैकत्वे' इति कोषरूपविशेषानुशासनबलादसमवचनत्वेऽपि साधुत्वम्।

नन्वेवं वेदाः प्रमाणमित्यादयः कथं प्रयोगाः? तत्र विशेषानुशासनाभावेन समानवचनत्वावश्यकत्वादिति चेत्—

उच्यते। यत्र विशेषणविभक्त्या संख्या न विवक्ष्यते तत्रैव समानवचनत्वम्। तत्र च समानवचनत्वमेवेत्युभावपि नियमौ। तेन नीलौ घटः इत्यादेर्न साधुत्वं, समानवचनत्वाभावात्। वेदाः प्रमाणमित्यत्र तु विशेषणविभक्त्या प्रमितिकरणत्वगतमेकत्वं विवक्षितमिति हेतोस्तत्र न समानवचनत्वम्। अथ नीलो घटो नीलौ घटावित्यादौ विशेषणवाचकोत्तरविभक्त्या स्वप्रकृत्यर्थगतैकत्वद्वित्वादिसंख्या कुतो न विवक्ष्यते इति चेत्—विशेष्यवाचकोत्तरविभक्त्या तस्याः प्रतीत्या पुनर्द्वेधा प्रतीतौ फलाभावात्। विशेष्यपदोत्तरविभक्त्या अप्रतीयमाना संख्या तु प्रयोजनवशात् क्वचित् विशेषणवाचकोत्तरविभत्यापि विवक्ष्यत एव, यथा वेदाः प्रमाणमित्यत्र।

नन्वेतावताऽभेदान्वयस्थले विशेषणवाचकनिष्ठयोरविवक्षितसंख्याकविभक्तिकत्वविशेष्यवाचकसमवचनत्वयोः समनियतत्वं साधुत्वप्रयोजकमित्युक्तं भवति। तथा च पितरो देवता इत्यत्र समानवचनत्वसत्त्वेऽपि अविवक्षितसंख्याकविभक्तिकत्वाभावादविवक्षितसंख्याकविभक्तिकत्वस्य समानवचनत्वव्यापकत्वं दुर्वचनमिति चेत्—न। विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्यापरत्वाभाववद्विभक्तिकत्वविशेष्यवाचकपदोत्तरवचनसजातीयवचनत्वयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावनैयत्यमित्यर्थस्य विवक्षितत्वात्। एवञ्चाविवक्षितसंख्याकविभक्तिकत्वस्य समानवचनत्वाव्यापकत्वेऽपि विरुद्धसंख्यापरत्वाभावद्विभक्तिकत्वस्य समानवचनत्वव्यापकत्वमक्षतमेव। विरुद्धत्वं हि स्वावृत्तिसंख्यात्वव्याप्यधर्मवत्त्वमिति भिन्नमपि बहुत्वं न बहुत्वविरुद्धम्, अपि तु द्वित्वादिकमेव, तस्य बहुत्वावृत्तिसंख्यात्वव्याप्य-

द्वित्वत्वादिजातिमत्त्वात्, एवञ्च पितरो देवता इत्यत्र समानविभक्तिकत्वाधिकरणे देवतापदे विशेष्यवाचकपितृपदोत्तरजस्विभक्तितात्पर्यविषयबहुत्वसंख्याविरुद्धद्वित्वादि संख्यापरत्वाभाववद्विभक्तिकत्वस्यापि सत्त्वात्तस्य समानवचनत्वव्यापकत्वमव्याहतमेव। तथा चोक्तं व्युत्पत्तिवादे "यत्र विशेषणवाचकोत्तरविभक्त्या विशेष्यवाचकोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्याया अविवक्षितत्वं तत्र विशेष्यवाचकोत्तरवचनसमानवचनत्वमि"ति। अत्र हि विरुद्धान्तविशेषणोपादानात् अविवक्षितसंख्याकविभक्तिकत्वधर्मेऽपि समानवचनत्वव्यापकत्वमभिमतम्। समानवचनत्वमात्रस्य व्यापकत्वाभिप्राये तु विरुद्धान्तविशेषणस्य वैयर्थ्यापत्तेः। व्याख्यातं चैवमेव व्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोके सर्वतन्त्रस्वतन्त्रमैथिलधर्मदत्तेन।

नन्वेवमपि समानवचनत्वस्याविवक्षितविरुद्धसंख्याकविभक्तिकत्वव्यापकत्वं नास्ति रामस्य मैथिली दारा इति दारशब्दे तादृशविभक्तिकत्वाधिकरणे समानवचनत्वाभावादिति चेत्—एवन्तर्हि तादृशिविभक्तिकत्वव्यापकत्वघटकाधिकरणे नियतवचनभिन्नत्वं निवेशनीयम्। तथा चाविवक्षितविरुद्धसंख्याकविभक्तिकत्वनिष्ठाधेयतानिरूपितानियतवचनकनिष्ठाधिकरणतावद्वृत्त्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमेव तादृशविभक्तिकत्वव्यापकत्वं समानवचनत्वस्येति न व्यापकत्वभङ्गः। एवं तत्रैव क्रियाविशेषणबोधकातिरिक्तत्वमपि निवेश्यमिति स्तोकं पचत्विति क्रियाविशेषणवाचकस्तोकादिपदमादाय न व्यापकत्वभङ्गः। अत्र समानवचनत्वनियमाप्रवृत्त्या द्विवचनबहुवचनयोरापत्तिस्तु न क्रियाविशेषणस्य कर्मत्वे तद्वाचकस्यैकवचनान्ततैवेति नियमात्।

नन्वेवं सुन्दरो दारा इत्यस्य साधुत्वापत्तिः, न्यायनये अप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावानभ्युपगमेनोक्तनियमाविषयत्वात्। तथा हि तत्र विशेष्यबोधकं दारपदं तदुत्तरवर्त्तिजस्विभक्तेः साधुत्वमात्रार्थतया तत्तात्पर्यविषयसंख्याया अभावेन तद्विरुद्धसंख्यात्वपरत्वाभाववद्विभक्तिकत्वस्य विशेषणवाचकसुन्दरशब्दे सुतरां वक्तुमशक्यत्वादिति चेत्—न। यत्र विशेषणबोधके विशेष्यबोधकोत्तरविभक्त्यभावस्तत्र विशेष्यवाचकपदोत्तरवचनसमानवचनत्वमित्येवं नियमस्य वाच्यत्वात्, अभावीयप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्य स्वतात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्यापरविभक्तिप्रकृतित्वरूपस्योपादीयमानत्वात्। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्य यत्र कुत्रचित् प्रसिद्ध्यपेक्षणात्। उक्तप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्य नीलो घटः इत्यादौ प्रसिद्ध्या तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विशेष्यवाचकदारपदोत्तरविभक्त्यभावस्य विशेषवाचकसुन्दरपदे सत्त्वादुक्तनियमाक्रान्तत्वेन नोक्तापत्तिः। तत्र समानवचनत्वमित्यस्य समानवचनत्वे सत्येव साधुत्वमन्यथात्वसाधुत्वमित्यर्थपर्यवसानात् सुन्दरा दाराः, नीलो घटः, पितरो देवताः, शतं ब्राह्मणाः, वेदाः प्रमाणमित्यादिप्रयोगाणां साधुत्वम्, नीलो घटाः, सुन्दरो दारा इत्यादेरसाधुत्वं च लभ्यते।

वस्तुतस्तु समानवचनत्वनियमे संख्यायां विशेष्यवाचकोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविद्धत्वविशेषणं न देयं फलाभावात्। किन्तु यस्माद्विशेषणवाचकात्परया विभक्त्या

संख्या न विवक्ष्यते तत्र विशेष्यवाचकोत्तरवचनसमानवचनत्वमित्येव नियमो वाच्यः। वेदाः प्रमाणं, शतं ब्राह्मण इत्यादौ विशेषणवाचकोत्तरसुविभक्त्या प्रमाणत्वशतत्वादिगतैकत्वसंख्या विवक्षितेति नियमाविषयतया तत्र समानवचनत्वाभावेऽपि नासाधुता नीलो घटः, सुन्दरा दारा इत्यादौ तु नियमाक्रान्त्या समानवचनमेव। नियमाकारस्तु यस्माद्विशेषणवाचकात्परया विभक्त्या संख्या न विवक्ष्यते तत्र विशेषणवाचके समानवचनतैवेति न तु तत्रैव समानवचनतेति। तेन पितरो देवता इत्यत्र विशेषणवाचकदेवतापदोत्तरजस्विभक्त्या संख्याया विवक्षितत्वेऽपि समानवचनता न नियमविरुद्धा। अत्र संख्यापरत्वशून्यविभक्तिकत्वं व्याप्यं समानवचनत्वं च व्यापकमिति लभ्यते, व्यापकाभावस्य च व्याप्याभावप्रयोजकतया नीला घट इत्यत्र नीलपदे समानवचनत्वरूपव्यापकधर्माभावेन संख्यापरत्वशून्यविभक्तिकत्वरूपव्याप्यधर्माभावनिश्चयात् संख्यापरविभक्तकत्वावगत्या एकस्मिन् घटे बहुत्वाभावेन तद्विवक्षाया असंभवात् नीला घट इति न प्रयोगः। न चैवं मैथिली दारा इत्यादौ नियमभङ्ग इति वाच्यम्, गदाधरोक्तनियमेऽपि तुल्यत्वात्। यदि च तदुक्तनियमवाक्ये विशेषणवाचके नियतवचनभिन्नत्वनिवेशान्न दोष इत्युच्यते, तर्हि मदुक्तनियमवाक्येऽपि तथा निवेशाद्दोषाभावस्तुल्य एव। तत्र समानवचनत्वमित्यस्य तत्र समानवचनत्वे सत्येव प्रामाण्यमन्यथात्वप्रामाण्यमित्यर्थपर्यवसानात् नीला घट इत्यादयो न प्रयोगाः इति।

अथ विवक्षाविवक्षयोर्वक्त्रधीनतया सुन्दरशब्दोत्तरसुविभक्त्या एकत्वविवक्षायामेकस्यां योषिति सुन्दरो दारा इति प्रयोगापत्तिः, नैष दोषः। विवक्षा हि तात्पर्यापरपर्याया क्वचिद्वक्तुः स्वतन्त्रता, क्वचित्तु नियन्त्रिता। यथा हि विशेष्यवाचकोत्तरविभक्त्या स्वप्रकृत्यर्थगतसंख्याविवक्षा विशेषवाचकोत्तराविभक्त्या तदर्थगतसंख्याविवक्षां नियच्छति। तथा विशेष्यवाचकोत्तरविभक्त्या संख्याविवक्षाविरहोऽपि विशेषणबोधकोत्तरविभक्त्या संख्याविवक्षामवरुणद्धि। तथा च सुन्दरा दारा इत्यत्र विशेष्यसमर्पकदारशब्दात् परया जस्विभक्त्या संख्याविवक्षाभावात् सुन्दरशब्दोत्तरविभक्त्यापि संख्याया अविवक्षैवेति सुन्दरा दारा इत्यस्यैव साधुत्वम्, न तु सुन्दरो दारा इत्यस्य प्रागुक्तनियमविरोधात्।

नियमान्तरकथनम्

अथैवमपि विशेष्यवाचकघटादिपदोत्तरसुविभक्तेर्घटत्वादिजातिगतैकत्वपरत्वे विशेषणवाचकनीलादिपदोत्तरजस्विभक्तेश्च नीलव्यक्तिगबहुत्वपरत्वे नीला घट इत्यादिवाक्यानां साधुत्वापत्तिः उक्तसमानवचनत्वनियमानाक्रान्तत्वादिति चेत्—न विशेष्यवाचकोत्तरविभक्तेर्जात्येकत्वपरत्वे विशेषणवाचकस्याप्येकवचनान्ततैवेति नियमान्तरस्यापि स्वीकरणीयत्वात्। एतेन वेदत्वगतैकत्वविवक्षायां वेदः प्रमाणानीति प्रयोगापत्तिरपि निरस्ता ॥ ६१ ॥

प्रश्न है कि वेदाः प्रमाणम्, कलसाः शतम् आदि प्रयोगों में विषमविभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है ? इसके उत्तर में वहाँ कहा जाता है कि—

वेदाः प्रमाणम् प्रमाणत्व में रहने वाले एकत्व का तथा कलसाः शतम् शतत्व में रहने वाले एकत्व का बोधक होने से एकवचन में वैसा प्रयोग माना गया है।

विशेषण वाचक पद के उत्तर वाली विभक्ति से संख्या के अविवक्षित रहने पर विशेषण वाचक एवं विशेष्य वाचकों में समान वचन ही होता है। ऐसा नियम है। जहाँ विशेषण वाचक के उत्तर वाली विभक्ति से भी संख्या विवक्षित है, वहाँ 'वेदाः प्रमाणम्' तथा 'शतं कलसाः' आदि प्रयोगों में असमान वचन के रहने पर भी उक्त नियम का भङ्ग नहीं होता है। इन प्रयोगों में विशेषणवाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभिक्ति से भी प्रमितिकरणत्व एवं शतत्व में रहने वाली एकत्व संख्या विवक्षित ही है।

यहाँ सारांश है—विभक्ति के अर्थरूप संख्या प्रायः प्रकृति के अर्थ में अन्वित होती है। जहाँ कहीं प्रवृत्यर्थ में अन्वय असम्भव होता है वहाँ प्रकृत्यर्थतावच्छेदक में अन्वित होती है। जैसे—सम्पन्नो व्रीहिः इस प्रयोगों में व्रीहि के बहुत होने से वहाँ एकत्व के अन्वय का योग नहीं रहने से व्रीहित्व में विभक्ति के अर्थ वाले एकत्व का अन्वय होता है। इसी तरह शतं ब्राह्मणाः इस प्रयोग में शतशब्द के अर्थ के बहुत्व होने के कारण एकत्व का अन्वय असम्भव होता है, इसलिए शत के पदार्थतावच्छेदक शतत्व में ही वहाँ अन्वय होता है। नीलो घटः आदि प्रयोगों में भी विशेष्य में रहने वाली विभक्ति से संख्या की तथा कर्मत्व आदि का बोध होने के कारण विशेषण की विभक्ति से न संख्या का बोध कराया जाता है और न कर्मत्व आदि का बोध कराया जाता है। क्योंकि (वहाँ) प्रयोजन का विरह रहता है। इसलिए यहाँ ही समान वचनत्व की अपेक्षा रहती है। शतं कलसाः आदि प्रयोगों में तो एकशतत्वावच्छिन्न के बोध के लिए शतत्व आदि में एकत्व का अन्वय होता है। वहाँ तो विशेष्य एवं विशेषणरूपी पदों में समान वचनत्व अपेक्षित नहीं होता। इसलिए साधुता मात्र फल वाली विभक्ति जिसके अन्त में हो वैसे विशेषण वाचक पद के उत्तर का वचन, समान वचन होना आवश्यक है।

मीमांसक एवं वैयाकरणों के मत में तो कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने से "नीलं घटमाहर" आदि प्रयोगों में एक नील कर्मक एवं एकघट कर्मक आनयन का बोध होता है। घट में नील के तादात्म्य का बोध तो पीछे चलकर मन में होता है। नीलो घटः इस प्रयोग में भी अस्ति इस पद के अध्याहार से तथा नीलपदार्थ के सत्ता क्रिया के प्रति कर्तृकारक होने से एक नील कर्तृक एवं एकघट कर्तृक सत्ता के रूप में शाब्दबोध होने के बाद नीलाभिन्न घट का मानसज्ञान होता है। इसलिए विशेषण की विभक्ति भी संख्या आदि अर्थ का बोध कराने वाली होती है।

इसके बाद प्रकृत तार्किक का मत दिखाया जा रहा है—

समानवचनत्व का नियम

जहाँ विशेष का अनुशासन नहीं है, वहाँ समानाधिकरण विशेषण एवं विशेष्य के वाचक पदों में समानवचनत्व का नियम है। इसलिए नीलो घटः तथा नीलौ घटा आदि प्रयोग साधु नहीं होते हैं। किन्तु नीलो घटः तथा नीलौ घटौ आदि प्रयोग साधु होते हैं।

शतं ब्राह्मणाः इस प्रयोग में तो "विंशत्याद्याः सदैकत्वे, अर्थात् विंशतिः आदि शब्द सदा एकत्व में ही होते हैं, इस कोषरूपी विशेष अनुशासन के बल से असमान वचन के रहने पर भी साधुत्व होता है।

प्रश्न है कि इस तरह 'वेदाः प्रमाणम्' आदि प्रयोग कैसे होते हैं ? क्योंकि वहाँ विशेषानुशासन के न रहने से समानवचनत्व आवश्यक होता है ? उसके उत्तर में कहा जाता है कि जहाँ विशेषण की विभक्ति से संख्या की विवक्षा नहीं की जाती है, वहीं के लिए समानवचनत्व का नियम है। वहाँ तो समानवचन ही होता है। इस तरह दोनों नियम हैं। इसलिए नीलौ घटः आदि प्रयोगों की साधुता नहीं होती है—क्योंकि समानवचनत्व नहीं है। वेदाः प्रमाणम्, इस प्रयोग में तो विशेष की विभक्ति से प्रमितिकरणत्व में रहने वाला एकत्व विवक्षित रहता है, इस कारण से वहाँ समानवचनत्व की बात नहीं रहती। नीलो घटः नीलौ घटौ आदि प्रयोगों में विशेषण के वाचक शब्द के उत्तर वाली विभक्ति से अपने प्रवृत्यर्थ में रहने वाली एकत्व एवं द्वित्व आदि विभक्ति क्यों न विवक्षित होती हैं। इस सन्देह के निराकरण हेतु कहा जाता है कि विशेष्य के वाचक की उत्तरवर्तिनी विभक्ति से ही उसकी प्रतीति होने से फिर दो प्रकार से प्रतीतियों में फल का अभाव रहने से विशेषण वाली विभक्ति से वे विवक्षित नहीं होती हैं। विशेष्य पद उत्तर में रहने वाली विभक्ति से प्रतीत न होने वाली संख्या तो प्रयोजनवश कहीं विशेषण वाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से भी विवक्षित होती ही है। जैसे वेदाः प्रमाणम् में विवक्षित होती है।

प्रश्न है कि इतने निर्णय से अभेदान्वय वाले स्थल में विशेषणवाचक पद में रहने वाले अविवक्षित संख्या वालो विभक्ति से युक्तता तथा विशेष्यवाचक पद की समानवचनता में समान रूप से नियत है साधुत्वप्रयोजत्व, यह कहना सिद्ध होता है। कैसी स्थिति में पितरो देवता, इस वाक्य में समानवचनत्व के रहने पर भी अविवक्षित संख्या वाली विभक्ति की युक्तता का अभाव होने के कारण अविवक्षित संख्याकविभक्तिमत्व का समानवचनत्व का व्यापकत्व कहना कठिन है ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विशेष्यवाचक पद के उत्तर वाली विभक्ति का तात्पर्य विषयभूत संख्या के विरुद्ध संख्या के परत्व के अभाव वाली विभक्ति की युक्तता एवं विशेष्यवाचक पद के उत्तर वाले वचन के सजातीय वचनता में परस्पर व्याप्यव्यापक नियत रहता है, यही अर्थ विवक्षित है। इस तरह अविविक्षत संख्याक-विभक्तिकत्व को समानवचनत्व के अव्यापक होने पर भी विरुद्ध संख्या के परत्वाभाव वाली विभक्ति से युक्तता का समानवचत्व की व्यापकता अक्षत ही है। अपने में न रहने वाले संख्यात्त्व से व्याप्य धर्मवत्त्व, विरुद्धत्व कहा जाता है। इसलिए भिन्न भी बहुत्व, बहुत्व के विरुद्ध नहीं होता; किन्तु द्वित्व आदि ही उसके विरुद्ध होते हैं क्योंकि बहुत्व में न रहने वाले संख्यात्व व्याप्य द्वित्वत्व आदि जातिमत्त्व रूप विरुद्धत्व उनका होता है। इस तरह पितरो देवता इस प्रयोग में समान विभक्तिकत्व के अधिकरण देवता पद में विशेष्य के वाचक पितृ पद के उत्तर में रहगे वाली जस्‌विभक्ति के तात्पर्य के विषय बहुत्व संख्या के विरुद्ध द्वित्व आदि संख्या के परत्व के अभाव वाली विभक्ति वाले पदत्व के भी रहने से उसका

समानवचनत्व का व्यापकत्व अखण्डित रहता है। व्युत्पत्तिवाद में कहा गया है—"जहाँ विशेषणवाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से विशेष्यवाचक पद के उत्तर वाली विभक्ति के तात्पर्य विषय संख्या की अविवक्षा हो वहाँ विशेष्यवाचक पद के उत्तर वाला वचन समान वचन होता है।" यहाँ विरुद्धान्त विशेषण के उपादान से अविवक्षित संख्यावाली विभक्ति के धर्म में भी समानवचनत्व का व्यापकत्व उससे कहा गया। समानवचनत्व मात्र के व्यापकत्व का अभिप्राय रहने पर तो विरुद्धान्त विशेषण के वैयर्थ्य की आपत्ति होती। इसी तरह व्युत्पत्तिवाद के गूढार्थतत्त्वालोक नामक व्याख्या में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र मैथिल आचार्य धर्मदत्त ने उसकी व्याख्या की है।

प्रश्न है कि ऐसा होने पर भी समानवचनत्व का अविवक्षित विरुद्ध संख्या वाली विभक्ति वाले पद की व्यापकता नहीं है, क्योंकि रामस्य मैथिली दारा इस प्रयोग के दार शब्द में तादृश विभक्तिकत्व के अधिकरण में समान वचनत्व का अभाव है। ऐसा यदि कहा जाता है तो तादृशविभक्तिकत्व के व्यापकत्व घटक अधिकरण में नियतवचन भिन्नत्वम् का निवेश करना चाहिए। वैसा निवेश करने पर अविवक्षित विरुद्ध संख्या वाली विभक्तियुक्त पद में रहने वाली आधेयता से निरूपित अनियतवचन में रहने वाली अधिकरणता वाले पद में रहने वाले अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगित्व ही तादृश विभक्तिवाले का व्यापकत्व समानवचनत्व होगा, इसलिए व्यापकत्व का भङ्ग न होगा। इसी तरह वही क्रिया-विशेषण के बोधक से अतिरिक्तत्व का भी निवेश करना चाहिए। इससे स्तोकं पचतु इस प्रयोग के क्रिया-विशेषण के वाचक स्तोक आदि पद को लेकर व्यापकत्व का भङ्ग न होगा। यहाँ समानवचनत्व वाले नियम की प्रवृत्ति न होने से द्विवचन एवं बहुवचन की आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि क्रिया-विशेषण के कर्मत्व होने पर उसके वाचक में एकवचनान्तकत्व ही होता है ऐसा नियम है।

प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में 'सुन्दरो दाराः' इस प्रयोग के साधुत्व की आपत्ति होने लगेगी, क्योंकि न्याय के मत मे अप्रसिद्ध प्रतियोगी वाला अभाव नहीं माना जाता है, इसलिए उक्त नियम का वह विषय नहीं होता। जैसे वहाँ विशेष्य का बोधक दार पद हुआ, उसके उत्तर में रहने वाली जस् विभक्ति का साधुत्व मात्र प्रयोजन के लिए होने से विभक्ति के तात्पर्य का विषयभूत संख्या का अभाव होने से उसके विरुद्ध संख्यात्व के परत्वाभाव वाली विभक्ति वाला पदत्व विशेषणवाचक सुन्दर शब्द में अपने ही कहना अशक्य हो जाता है इसलिए उस वाक्य के साधुत्व की आपत्ति होगी ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ विशेषण बोधक पद में विशेष्यबोधक पद के उत्तर मे रहने वाली विभक्ति का अभाव हो वहाँ विशेष्यवाचक पद के उत्तर मे रहने वाले वचन के समान वचनत्व होता है इस रूप में वह नियम वाच्य होता है। अभाव सम्बन्धी प्रतियोगिता के अवच्छेदक सम्बन्ध अपने तात्पर्य विषय संख्या के विरुद्ध संख्या परक विभक्ति के प्रकृतित्वरूप में वहाँ ग्रहण करने योग्य होता है। प्रतियोगितावच्छेक सम्बन्ध की जहाँ कहीं प्रसिद्धि अपेक्षित होती है। कहा गया प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध की नीलो घटः इस प्रयोग में प्रसिद्धि होने से उस उक्त प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध से अविच्छिन्न प्रतियोगिता वाले विशेष्यवाचक दार पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति के अभाव को विशेषणवाचक

सुन्दर पद में रहने से उस प्रयोग को कहे गये नियम से आक्रान्त होने के कारण उसे साधुत्व की आपत्ति नहीं होगी। वहाँ समानवचनत्व इसका समान वचन के रहने पर ही साधुत्व होता है। अन्यथा तो असाधुत्व होता है। इस रूप में अर्थ का अन्त होता। सुन्दराः दाराः, नीलो घटः, पितरो देवताः, शतं ब्राह्मणाः, वेदाः प्रमाणम् आदि प्रयोगों का साधुत्व तथा नीलो घटाः, सुन्दरो दाराः आदि प्रयोगों का असाधुत्व है, ऐसा उस नियम से प्राप्त होता है।

वस्तुतः समानवचनत्वम् इस नियम में संख्या में विशेष्यवाचक पद के उत्तर में रहने वाली विभक्ति का तात्पर्य विषयभूत संख्या के विरुद्धत्व, ऐसा विशेषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फल नहीं है। किन्तु जिस विशेषणावाचक से पर में रहने वाली विभक्ति से संख्या विवक्षित न होती है, वहाँ विशेष्यवाचक से उत्तर वाले वचन के समानवचनत्व होता है, यही नियम का स्वरूप कहना चाहिए। वेदाः प्रमाणम्, शतं ब्राह्मणाः आदि प्रयोगों में विशेषणबाचक पद के उत्तर में रहने वाली सुविभक्ति से प्रमाणत्व एवं शतत्व में रहने वाली एकत्व संख्या विवक्षित है, अतः नियम के विषय नहीं। इसलिए समानवचनत्व के अभाव में भी वहाँ असाधुता नहीं है, और नीलो घटः, सुन्दराः दाराः आदि प्रयोगों में तो नियम की आक्रान्ति होने से समानवचनत्व रहता है। उक्त नियम के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जिस विशेषणवाचक के पर वाली विभक्ति से संख्या विवक्षित न होती यहाँ विशेषणवाचक से समानवचनता ही होती है। यह नहीं समझना चाहिए कि वहीं समानवचनता होती है। इसलिए पितरो देवताः, इसमें विशेषणवाचक देवता पद के उत्तर में रहने वाली जस् विभक्ति से संख्या के विवक्षित रहने पर भी समानवचनता नियम के विरुद्ध नहीं है। यहाँ संख्यापरक होने से शून्य विभक्तिकत्व व्याप्य होता है तथा समानवचनत्वव्यापक है, ऐसा यहाँ प्राप्त होता है व्यापक के अभाव के, व्याप्य के अभाव का प्रयोजक होने के कारण नीलाः घटः इस प्रयोग में, नीलपद में समानवचनत्वरूप व्यापक के धर्म का अभाव का निश्चय होने से संख्यापरक विभक्तिकत्व की अवगति होने से एकघट में बहुत्व के अभाव से उसकी विवक्षा के असम्भव होने से नीलाः घटः ऐसा प्रयोग नहीं होता है। इस तरह के नियम का मैथिली दाराः आदि प्रयोगों में भङ्ग होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गदाधर के उक्त नियम में भी उनके समान आपत्ति होगी। यदि उनके नियम वाक्य में, "विशेषणवाचक में नियतवचन से भिन्नत्व" के निवेश से दोष नहीं होता है, ऐसा कहते हैं, तो मेरे कहे गये नियम वाक्य में भी वैसा निवेश करने से समान रूप से दोषाभाव है। वहाँ समान वचनत्व इसके अर्थ का वहाँ समानवचनत्व के रहने पर ही प्रामाण्य है, अन्यथा अप्रामाण्य है इस रूप में पर्यवसान होने से नीलाः घटः आदि प्रयोग नहीं होते हैं।

इसके बाद भी यह कहें कि विवक्षा तथा अविवक्षा वक्ता के आधीन होने के कारण सुन्दर शब्द के उत्तर वाली सु विभक्ति में एकत्व की विवक्षा होने पर एक स्त्री में सुन्दरो दाराः इस प्रयोग की आपत्ति होगी तो यह दोष नहीं है, क्योंकि विवक्षा, तात्पर्य का दूसरा पर्याय है, उसमें कहीं वक्ता की स्वतन्त्रता होती है तथा कहीं वह स्वतन्त्रता नियन्त्रित होती है। जैसे कि विशेष्यवाचक के उत्तरवाली विभक्ति से अपने प्रकृत्यर्थ में रहने वाली संख्या की

विवक्षा विशेषणवाचक उत्तर में रहने वाली विभक्ति से उस अर्थगत संख्या की विवक्षा को नियन्त्रित करती है। उसी तरह विशेष्यवाचक के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से संख्या की विवक्षा का विरह भी विशेषणबोधक के उत्तर में रहनेवाली विभक्ति से संख्या की विवक्षा का अवरोध करता है। जैसे सुन्दराः दाराः इस प्रयोग में विशेष्य समर्पक दार शब्द से परवर्तिनी जस् विभक्ति से संख्या की विवक्षा के अभाव से सुन्दर शब्द के उत्तर में रहने वाली विभक्ति से भी संख्या की अविवक्षा ही रहती है। जिससे सुन्दराः दाराः इस प्रयोग का ही साधुत्व रहता है, सुन्दरो दाराः इस प्रयोग का साधुत्व नहीं होता है। वैसे प्रयोग के होने से पहले कहे गये नियम का विरोध होता है।

दूसरे नियम का कथन

इस तरह नियम करने पर भी विशेष्य वाचक घट आदि पदों के उत्तर में रहनेवाली सुविभक्ति घटत्व आदि जाति में रहनेवाले एकत्व परक रहने पर तथा विशेषण वाचक नील आदि पदों के उत्तर में रहनेवाली जस् विभक्ति के नील व्यक्ति में रहनेवाले बहुत्व परक होने पर नीलाः घटः आदि वाक्यों के भी साधुत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि कहे गये समान वचनत्व के नियम से वह अक्रान्त नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष्य वाचक के उत्तर में रहनेवाली विभक्ति के जातिगत एकत्व परक होने पर विशेषण वाचक की भी एकवचनान्तता ही होती है, इस रूप में दूसरा नियम भी स्वीकरणीय है। उसके स्वीकार करने पर वेदत्वगत एकत्व की विवक्षा करने पर वेदः प्रमाणानि इस प्रयोग के आपत्ति का दोष भी खण्डित हुआ ॥ ६१ ॥

गावो धनमित्याद्येकवचनोपपत्तिः

अथैवमुक्तनियमविरोधात्

"या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिङ्गसंख्याविभक्तयः।
प्रायस्ता एव कर्तव्याः समानार्थे विशेषणे" ॥

इत्यभियुक्तोक्तिविरोधाच्च "पञ्च गावो धनं यस्य स पञ्चगवधनः" इति कौमुदीप्रयोगासंगतिः। धनशब्दस्य नित्यनपुंसकतया विशेष्यलिङ्गभाक्त्वाभावेऽपि विशेष्यगतबहुत्वसंख्याबोधकबहुवचनविभक्तिकत्वावश्यकत्वादिति चेत्—अत्रोच्यते—

विशेष्यवाचके द्वित्वबहुत्वार्थविभक्तिके।
विशेष्यवाचितो भिन्नलिङ्गाज्जातेरवाचकम् ॥ ६२ ॥
विशेषणपराच्छब्दात्परत्र समवस्थितम्।
औत्सर्गिकैकवचनमपि साधु मतं विदाम् ॥ ६३ ॥

अयमर्थः। विशेष्यवाचके द्वित्वसंख्यावाचिविभक्तिके बहुत्ववाचिविभक्तिके वा सति विशेष्यवाचकतो भिन्नलिङ्गात् जातेरवाचकत्वाच्च विशेषणवाचकशब्दात् परत्राग्रे

स्थितम् औत्सर्गिकमेकवचनमपि विदां विदुषां महाभाष्यकारादीनां साधुत्वेन संमतम् । एवञ्च या विशेष्येषु दृश्यन्ते इति न्यायस्य चैतदतिरिक्तविषयकत्वेन संकोचनीयतया पञ्च गावो धनमिति प्रयोगोऽपि साधुः । बहुत्वविवक्षायान्तु पञ्च गावो धनानीत्यपि साधुरेव ।

अत्र मानन्तु "रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्" "इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि" "अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं लुग्मुखस्वरोपचाराः" "नेमौ रहौ कार्यिणौ किन्तर्हि निमित्तमिमौ द्विर्वचनस्य" 'न चास्ति सप्तमी ईदूतौ, इत्यादिमहाभाष्यप्रयोगाः "भिन्नाः क्रियाः संकलनाबुद्ध्यानुसंह्रियमाणाश्चिरक्षिप्रादिव्यपदेशस्य निमित्तं भवन्ती"ति हेलाराजप्रयोगश्च—

"उपकर्त्रारिणा सन्धिर्न मित्रेणापकारिणा ।
उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः" ॥
"प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि ।
तौ हि मूलमुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसंपदः" ॥

इत्यादयो महाकविप्रयोगाश्च । एवञ्च तौमूलम्, उपकारापकारौलक्षणमित्यादिष्विव पञ्च गावो धनमित्यत्र विशेषणवाचकधनपदस्य विशेष्यवाचकगोपदात् भिन्नलिङ्गकत्वेन जातिवाचकभिन्नत्वेन चैकवचनान्तता नासंगता । "घटपटौ पदार्थः" घटपटौ पृथिवीत्यादिप्रयोगाणां साधुत्ववारणाय भेदघटितविशेषणद्वयोपादानम् ।

या विशेष्येषु दृश्यन्ते इत्यस्यावशिष्टं व्याख्यानम्

एवञ्च या विशेष्येषु दृश्यन्ते इत्यत्र विशेषणपदे विशेष्यलिङ्गभिन्नलिङ्गकत्वजातिवाचकेतरत्वैतदुभयधर्मवद्भिन्नत्वेन संकोचः प्रायोग्रहणात् । इत्थं च अमात्याः प्रधानम्, वेदाः प्रमाणम्, स्वौजसः प्रथमा विभक्तिः, इत्यादयोऽपि प्रयोगाः । अथ च अमात्याः प्रधानानि, वेदाः प्रमाणानि, स्वौजसः प्रथमा विभक्तय, इत्यादयोऽपि । एवं काशीवासे धर्मावाप्तिविद्वत्संगतिचित्तप्रसादाः प्रयोजनं प्रयोजनानि वा इत्युभयं साधु । एतेनोक्तप्रयोगा आर्षा इत्यपास्तम् । कादम्बर्यां 'तत्र भवन्तः प्रमाणम्, मालविकाग्निमित्रे 'आर्यमिश्राः प्रमाण'मित्यादिप्रयोगदर्शनेन तथाविधप्रयोगाणामनार्षसाधारणत्वात् । एवं जगन्नाथकृतभामिनीविलासेऽपि तथा प्रयोगो दृश्यते —

"दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलु मृगाः ।
इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन् मृगपतिः" ॥

एवमन्येऽपि तादृशनियमानुसारिणो बहवः प्रयोगाः । न चास्माभिस्तादृशतादृशमहाभाष्योदीरितप्रयोगबलादेव तादृशनियमः स्वीकर्तव्य इत्युच्यते, अपि तु हेलाराज-

कालिदासमाघजगन्नाथादिविद्वत्प्रकाण्डप्रयोगबलादपि । न च हेलाराजादिप्रयोगाणामार्षत्वं वक्तुं शक्यम्, नाप्यसाधुत्वमेव । महाभाष्येपि तथा प्रचुरप्रयोगदर्शनात् ।

किञ्च आर्षत्वात् साधुत्वं साध्वनुशासनानभियुक्तव्यासादिमुनिकृतप्रयोगेष्वेव वाच्यम्, न तु शब्दशास्त्रप्रवृत्तमुनिकृतप्रयोगेषु । यतस्तत्कृतप्रयोगबलात् तदनुसारिप्रयोगाणां सर्वत्र साधुत्वमिष्यत एव । 'यथा अपरस्पराः क्रियासातत्ये' इति पाणिनिना प्रयुक्तत्वात् सततशब्दस्य सर्वत्र साधुता । समर्थसूत्रे महाभाष्यकृतोद्गतार इति प्रयुक्तत्वात् उद्गतारावुद्गातार इत्यादेः साधुत्वम् ।

न चैव'मूकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुत' इति पाणिनिकृतस्य समाहारे पुंलिङ्गप्रयोगस्य बलात् अन्यत्रापि समाहारद्वन्द्वे पुंलिङ्गत्वापत्तिरिति वाच्यम्, "स नपुंसक"मिति शास्त्रेण साक्षात्तस्य नपुंसकत्वकथनेन तद्विरोधात् । तत्र सौत्रं पुंस्त्वमित्येव वक्तुं युक्तत्वात् ।

न च "बन्धुनि बहुव्रीहा"विति नपुंसके पाणिनिना बन्धुशब्दस्य प्रयुक्तत्वात् चैत्रो मम बन्धु इत्यस्यापि साधुत्वं स्यादिति वाच्यम्, न हि तत्र बान्धवपरत्वेन बन्धुशब्दः प्रयुक्तः, अपि तु बन्धुशब्दपरत्वेनेति विभेदादित्यलम् ।

रामस्य सुन्दरा दारा इत्यादौ सुन्दरादिपदात् बहुवचनोपपत्तिः

अथ—"रामस्य सुन्दरा दारा भीषणान् दण्डकान् ययुः" इत्यादौ दाराः दण्डकान् इत्यादिबहुवचनस्य "दाराः पुंसि च भूम्न्येवे"त्यादि कोषरूपानुशासनादारोपितबहुत्वमाश्रित्य साधुत्वेऽपि तत्र सुन्दराः भीषणान् इत्यादि बहुवचनस्य कथं साधुत्वम् ? तत्रारोपितं बहुत्वमाश्रित्य "बहुषु बहुवचन"मिति शास्त्रप्रवृत्तौ मानाभावात्, अन्यथैकघटवद्देशेऽपि अत्र घटाः सन्तीति प्रयोगापत्तेः । न च

"या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिङ्गसंख्याविभक्तयः ।
प्रायस्ता एव कर्तव्याः समानार्थे विशेषणे ॥

इत्युक्तत्वात् तस्य साधुत्वमिति वाच्यम्, अस्य श्लोकस्य शास्त्रत्वाभावेन साधुत्वव्यवस्थापकत्वे मानाभावात् । किञ्चैवमपि तत्र "ययु"रिति बहुवचनस्य साधीयस्त्वमनुपपन्नमेव । एवं "दण्डकाः पुरा मुनिभिरध्यासां चक्रिरे" इत्यादिकर्मतिङ्बहुवचनस्याप्यनुपपत्तिः । वैयाकरणमते तिङर्थकर्तृकर्मणोः क्रियायां साक्षाद्विशेषणत्वेन दारदण्डकादिकं प्रति विशेषणत्वाभावाद्या'विशेष्येषु दृश्यन्ते' इत्यस्याप्यविषयत्वात् । अत्रोच्यते—स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारकाणां नामार्थत्वं सिद्धान्तयित्वा "बहुषु बहुवचन"-मित्यादिशास्त्राणां बहुत्वादिद्योतकानि बहुवचनादीनि भवन्ति तानि च साधूनीत्यर्थः स्वीक्रियते शाब्दिकैः । तदर्थद्योतकत्वं च तदर्थविषयकतात्पर्यग्राहकत्वम् । अर्थशब्देन च द्योत्योऽप्यर्थः परिगृह्यते इति बहुत्वादावर्थे बहुवचनादीनि व्यवहारो नासंगतः । एवञ्च यथा द्वौ ब्राह्मणावित्यत्र द्वित्वस्य सकृदेव भानं, द्विपदार्थब्राह्मणपदार्थयोरैक्येन द्विपदार्थगतद्वित्वस्य द्वाभ्यामपि द्विवचनाभ्यां द्योतनात् प्रकरणसाहचर्यादीनां प्रत्येकं

यथासंभवमिलितानां च तात्पर्यग्राहकत्वदर्शनात् । तथा सुन्दरा दारा इत्यत्र दारा इति विशेष्य पदे शास्त्रसिद्धबहुत्वद्योतकबहुवचनस्यावश्यकत्वेन तत्प्रकृत्यर्थे आरोपितबहुत्वमाने नियते सुन्दरादिपदोत्तरविभक्तेरपि तादृशबहुत्वद्योतिकाया एव प्रवृत्तेः, अपदस्य प्रयोगानर्हत्वात् । एवं दारा ययुरित्यत्र दारपदार्थरूपे कर्तरि लकारविधानेन कर्तृपदे बहुत्वद्योतकबहुवचनस्यावश्यकतया लकारस्थानेऽपि तद्बहुत्वद्योतकबहुवचनस्य प्रवृत्तेः तिङ्सुब्बहुवचनाभ्यामेकस्यैव बहुत्वस्य द्योतनात् । एवं दण्डका अध्यासांचक्रिरे इत्यादावपि बोध्यम् ।

तदेतत्सकलमभिप्रेत्यैव "या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इति पद्यमुक्तमभियुक्तैः । अस्य व्याख्यानं तु लिङ्गविचारप्रकरणे एव कृतं द्रष्टव्यम् । तत्रानुक्तमिदानीमुच्यते ।

चैत्रो मैत्रश्च गच्छत इति विभिन्नवचनतोपपत्तिः

"या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इत्यादिनियमे चैत्रो मैत्रश्च गतौ, चैत्रमैत्रौ भवदत्तश्च गतवन्त इत्यादिषु व्यभिचारः । तद्वारणाय यत्रैकमेव विशेष्यसमर्पकपदं तत्रैवोक्तनियम इति व्याख्येयम् । तथा च नियमवाक्यघटकविशेषणपदे विशेष्यवाचकविशिष्टत्वं निवेश्यम् । वैशिष्ट्यं च स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वस्येतरपदप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारत्वाप्रयोजकत्वोभयसम्बन्धेन । चैत्रो मैत्रश्च गतावित्यत्र विशेष्यवाचकं चैत्र इति मैत्र इति च तयोः किमप्येकमादाय तद्विशिष्टं गताविति विशेषणं न भवति, वैशिष्ट्यनियामकप्रथमसम्बन्धसत्त्वेऽपि द्वितीयसम्बन्धविरहात् ।

तिङन्तेऽपि समानवचनता

अपि च "या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इति नियमो न केवलं सुबन्तार्थस्य विशेष्यत्वे एव, अपि तु आख्यातार्थस्य विशेष्यत्वेऽपि । अत एव सुप्तिङ्साधारणवाचकं विभक्तिपदमुपात्तम् । तत्राख्यातवाच्यकर्तृकर्मणोर्लिङ्गयोगाभावात् लिङ्गांशे उक्तन्यायाप्रवृतावपि संख्यांशे प्रवृत्त्या ब्राह्मणः पचति, ब्राह्मणौ पचतः, ब्राह्मणाः पचन्ति । तण्डुलः पच्यते, सूपतण्डुलौ पच्येते, सूपतण्डुलव्यञ्जनानि पच्यन्ते इत्यादिषु समानवचनता । एतन्नियमवशात् "ब्राह्मणः पचन्तो"त्यादिप्रयोगाणामसाधुत्वं लभ्यते । अन्यथा नामार्थब्राह्मणादौ संख्याया अविवक्षयौत्सर्गिकैकवचनशालिनस्तादृशप्रयोगा आपद्येरन् ।

एष च नियमः आख्यातविषये यत्रैकमेव समानाधिकरणविशेषणवाचकं तत्रैव । तेन चैत्रो मैत्रश्च पचतः, चैत्रमैत्रौ जैत्रश्च पचन्ति इत्यादौ नियमानाक्रान्तत्वेन समानवचनत्वाभावेऽपि न क्षतिः ।

नन्वेवं ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च पचतीत्यादिप्रयोगापत्तिः, विशेषणवाचकानेकत्वेनोक्तन्यायाविषयत्वात् । तिङेकवचनस्य चौत्सर्गिकत्वेन साधुत्वादिति चेत्, एवं तर्हि समानाधिकरणानेकविशेषणवाचके सति धातोः परमौत्सर्गिकैकवचनं नैव प्रयोज्यमिति नियमान्तरमपि स्वीकरणीयमिति ।

इदन्तु बोध्यम्—शाब्दिकमते कर्ता कर्म च तिङर्थः। तत्राभेदेन ब्राह्मणतण्डुलादेर्विशेषणता। कर्तृकर्मणोश्च यथायथं क्रियायामन्वयः। सा च शाब्दबोधे मुख्यविशेष्या। तथा च ब्राह्मणः पचतीत्यत एकब्राह्मणाभिन्नैककर्तृनिष्ठा वर्तमाना पाकक्रियेतिबोधः। एवं पच्यते तण्डुल इत्यतः एकतण्डुलाभिन्नैककर्मवर्तिनी क्रियाजन्या विक्लित्तिरितिबोधः। एतन्मतानुसारेण चैत्रतण्डुलादीनां तिङन्तार्थसमानाधिकरणविशेषणत्वमिति तन्मतानुसारिण्येवोक्तव्यवस्था बोध्या। नैयायिकास्तु प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकं बोधं मन्यन्ते। तन्मतानुसारेण चैत्रः पचतीत्यादितः विक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमांश्चैत्रश्च इत्यादिर्बोधः तथा च तेषां मते चैत्रादेः समानाधिकरणविशेषणत्वाभावात् तिङन्ते "या विशेष्येषु" इति नियमानाक्रान्त्या नियमान्तरं वाच्यम्। तद्यथा मुख्यविशेष्यवाचक यद्वचनकं तत्समानवचनकमेवाख्यातमिति। एतदपि यत्रैकमेव मुख्यविशेष्यवाचकं तत्रैव। तेन चैत्रो मैत्र गच्छत इत्यादौ विभिन्नवचनस्यापि तिङन्तस्य साधुत्वमिति दिक्॥ ६२-६३॥

गावोधनम् इस प्रयोग के एकवचन की युक्तता

यहाँ शङ्का है कि उक्त नियम के विरोध से तथा "जो लिङ्ग संख्या एवं विभक्तियाँ विशेष्य में देखी जाती हैं, प्रायः वे ही समान अर्थ वाले विशेषण में करनी चाहिए।"

इस अभियुक्तों की उक्ति के विरोध से "पञ्च गावो धनं यस्य" इस सिद्धान्तकौमुदी के प्रयोग की असंगति होगी। धन शब्द के नित्य नपुंसक होने से विशेष्य के लिङ्ग के भागी न होने पर भी विशेष्यगत बहुत्व संख्या के बोधक बहुवचन विभक्ति वाला होना आवश्यक होने के कारण उसकी असंगति होगी, इसके उत्तर में कहा जाता है—"द्वित्व संख्यावाची विभक्ति वाले तथा बहुत्व संख्यावाची विभक्तिवाले विशेष्य वाचक शब्द के रहने पर विशेष्यवाची से भिन्न लिङ्ग तथा जाति के अवाचक विशेषण परक शब्द से पर में रहनेवाला औत्सर्गिक एक वचन भी साधु होता है—ऐसा विद्वानों का मत है।

इसका अर्थ है—विशेष्य वाचक शब्द के द्वित्व संख्यावाची विभक्ति वाला या बहुत्व संख्यावाची विभक्ति वाला होने पर विशेष्यवाचक से भिन्न लिङ्ग वाले तथा जाति के अवाचक विशेषण वाचक शब्द से परत्र अर्थात् आगे अवस्थित औत्सर्गिक एकवचन भी विदां अर्थात् महाभाष्यकार आदि विद्वानों के द्वारा साधु माना गया है। नसलिए "विशेष्येषु दृश्यन्ते" इस न्याय को इसके अतिरिक्त विषयकत्व रूप से सङ्कोचनीय होने के कारण "पञ्च गावो धनम्" ऐसा प्रयोग भी साधु है। बहुत्व की विवक्षा रहने पर तो पञ्च गावो धनानि यह प्रयोग भी साधु ही है।

इसमें "रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्, इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि", अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं लुग्मुखस्वरोपचाराः", "नेमौ रहौ कार्यिणौ, किन्तर्हि निमित्तमिमौ द्विर्वचनस्य", "न चास्ति सप्तमी ईदूतौ, ये सब महाभाष्य के प्रयोग भिन्नाः क्रियाः संकलनाबुद्ध्यानुसंह्रियमाणाश्चिरक्षिप्रादिव्यपदेशस्य निमित्तं भवन्ति" यह हेलाराज का प्रयोग है (वैसे प्रयोगों के होने में) प्रमाण हैं।

अर्थात् (उपकार करने वाले शत्रु से सन्धि होती है किन्तु अपकार करने वाले मित्र से नहीं होती। क्योंकि मित्र एवं शत्रु के उपकार एवं अपकार ही मित्र और शत्रु के लक्ष्य तथा लक्षण हैं)।

इसलिए स्वामी अपने में प्रज्ञा एवं उत्साह का आधान करने के लिए यत्न करें। क्योंकि वे ही जिगीषु की उन्नत होने वाली आत्मसम्पत्ति मूल हैं। महाकवि माघ के उपर्युक्त प्रयोग भी इसमें प्रमाण है। इस तरह "तौ मूलम्", तथा "उपकारापकारौ लक्षणम्", इत्यादि वाक्यों में एकवचनान्तता के समान पञ्चगावो धनम् इस वाक्य में विशेषण वाचक धन पद का विशेष्यवाचक गोपद से भिन्न लिङ्ग के रूप में तथा जातिवाचक से भिन्न रूप में रहने वाली एकवचनान्तता असंगत नहीं है। "घटपटौ पदार्थः" एवं 'घटपटौ पृथिवी" आदि प्रयोगों के साधुत्व के वारण के लिए भेदघटित दो विशेषणों का उपादान किया गया है।

या विशेष्येषु दृश्यन्ते इस कारिका के अवशिष्ट अंश का व्याख्यान

इस तरह या विशेष्येषु दृश्यन्ते, इस वचन में प्रायः के ग्रहण से विशेषणपद में विशेष्य के लिङ्ग से भिन्न लिङ्ग वाले का धर्म एवं जातिवाचक से इतरत्व इन दोनों धर्म वालों से भिन्नत्व रूप से संकोच किया जाता है। इस प्रकार से "अमात्या प्रधानम्", "वेदाः प्रमाणम्", स्वौजसः प्रथमा विभक्तिः, आदि प्रयोग भी होते हैं। इसी तरह काशीवासे, धर्मवित्ति-विद्वत्सङ्गतिचित्तप्रसादाः प्रयोजनानि ये दोनों प्रयोग साधु हैं। इससे कुछ लोगों का यह कहना कि उक्त प्रयोग आर्ष है, यह भी खण्डित हुआ। कादम्बरी में तत्रभवन्तः तथा मालविकाग्निमित्र में आर्यमिश्राः प्रमाणम्" आदिप्रयोगों के देखने से वैसे प्रयोग अनार्ष हैं, ऐसा समझा जाता है। इसी तरह जगन्नाथ रचित भामिनीविलास में भी वैसा प्रयोग देखा जाता है। अर्थात् दिशाओं के अवसान में मद से मलिन गण्ड वाले गज सुने जाते हैं, हथिनियाँ कारुण्य के स्थान हैं तथा मृग, समान शील वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समय यह सिंह अपने तुनान्तरहित शिखावाले नखों का पाण्डित्य किस पर प्रकट करे। पण्डितराज जगन्नाथ की यह अन्योक्ति है—मृगपति के समान अपना पाण्डित्य कहाँ करूँ, यह तात्पर्य है।

दूसरे भी उस तरह के नियम के अनुसरण करने वाले बहुत से दूसरे भी प्रयोग हैं। महाभाष्य में पढ़े गये वैसे प्रयोगों के आधार पर ही हम लोगों को वैसा नियम मानना चाहिए यह बात नहीं, बल्कि वैसा नियम हेलाराज, कालिदास, माघ एवं जगन्नाथ आदि मूर्द्धन्य विद्वानों के प्रयोगों के आधार पर भी नियम को माना जा सकता है। हेलाराज आदि के प्रयोगों को आर्य नहीं कह सकते न असाधु ही कह सकते हैं। क्योंकि महाभाष्य में भी वैसे बहुत प्रयोग देखे जाते हैं।

दूसरी बात है कि आर्य होने के कारण साधुत्व, साधु के अनुशासन से अभियुक्त न रहने वाले व्यास आदि मुनियों से किये गये प्रयोगों में ही कहना चाहिए। शब्दशास्त्र के बनाने में प्रवृत्त मुनियों के प्रयोगों में नहीं कहना चाहिए। क्योंकि उनसे किये गये प्रयोगों के बल से उसके अनुसार होने वाले प्रयोगों का साधुत्व सब जगह इष्ट ही होता है। जैसे—

अपरस्पराः क्रियासातत्ये इस रूप में सूत्र में पाणिनि से प्रयुक्त होने के कारण सतत् शब्द की सब जगह साधुता होती है। तथा समर्थः पदविधिः इस सूत्र में महाभाष्यकार के उद्गातारः ऐसा प्रयोग करने से उद्गातारौ, उद्गातारः आदि प्रयोगों का साधुत्व होता है।

इस तरह ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः, इस सूत्र में पाणिनि से किये गये समाहार के पुंलिङ्गप्रयोग के बल से दूसरी जगह भी समाहारद्वन्द्व में पुंलिङ्गत्व की आपत्ति होगी, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स नपुंसकम् इस सूत्र से साक्षात् समाहार द्वन्द्व को नपुंसकत्व कहे जाने से उसके विरोध से अन्यत्र पुंलिङ्ग नहीं हो सकता। वैसे स्थल में सौत्रपुंस्त्व है ऐसा कहना ही युक्त है।

बन्धुनि बहुव्रीहौ इस सूत्र में नपुंसक में पाणिनि से बन्धु शब्द प्रयुक्त होने से चैत्रो मम बन्धु इस प्रयोग की साधुता होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सूत्र में बान्धवपरक रूप में बन्धु शब्द प्रयुक्त नहीं है, किन्तु बन्धुशब्दपरक रूप में प्रयुक्त है, अतः दोनों में भेद है। इस सम्बन्ध में इतना कथन पर्याप्त है।

रामस्य सुन्दराः दाराः आदि प्रयोगों में सुन्दर आदि पदों से बहुवचन की उपपत्ति

रामस्य सुन्दराः दाराः भीषणान् दण्डकान् ययुः, इस रामायण के वाक्य में दाराः दण्डकान् आदि रूप में बहुवचन के "दाराः पुंसि च भूम्न्येव आदि रूप में कोषरूप अनुशासन के कारण आरोपित बहुत्व का आश्रयण कर साधुत्व होने पर भी उस श्लोक में सुन्दराः भीषणान् आदि के बहुवचन का कैसे साधुत्व होगा? क्योंकि वहाँ आरोपित बहुत्व का आश्रयण कर बहुषु बहुवचनम्, इस सूत्र की प्रवृत्ति में कोई भाव नहीं है। अन्यथा एकघट वाले देश में भी अत्र घटाः सन्ति, इस प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी। यहाँ यह नहीं कह सकते कि जो लिङ्गवचन एवं विभक्ति विशेष्य में देखी जाती हैं समानार्थ विशेषण में प्रायः उनको ही करना चाहिए।

इस तरह कहा गया है, इसलिए उस प्रयोग का साधुत्व है, क्योंकि उस श्लोक के शास्त्रत्वाभाव होने के कारण साधुत्व के व्यवस्थापक होने में प्रमाण का अभाव है। दूसरी बात है कि ऐसे भी उस श्लोक में ययुः इस रूप में प्रयुक्त बहुवचन का साधुत्व अनुपपन्न ही है। इसी तरह 'दण्डकाः पुरा मुनिभिरध्यासां चक्रिरे' अर्थात् पहले मुनियों से दण्डका वन ठहरने के स्थान बनाये गये। इस वाक्य के कर्म में लिङ्ग के बहुवचन अनुपपन्न है, 'इस तरह के दूसरे बहुवचनों की भी यही स्थिति है' क्योंकि वैयाकरणों के मत में लिङ्ग के अर्थकर्त्ता एवं कर्म को क्रिया में साक्षात् विशेषण होने से दार तथा दण्डक आदि के प्रति विशेषणत्व के अभाव होने से या विशेष्येषु दृश्यन्ते इस नियम के भी वे विषय न होते हैं, (ऐसी स्थिति में वहाँ बहुवचन अनुपपन्न ही है) इस तरह की शङ्का के समाधान में कहा जाता है। स्वार्थ द्रव्य, लिङ्ग, संख्या एवं कारक नाम के अर्थ हैं, इस तरह का सिद्धान्त स्थिर करने पर बहुषुबहुवचनम् आदि सूत्रों के बहुवचन आदि बहुत्व आदि के द्योतक होते हैं और वे साधु होते हैं, ऐसा अर्थ वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत हैं। उस अर्थ के द्योतकत्व का अर्थ

है उस अर्थविषयक तात्पर्य का ग्राहकत्व। अर्थ शब्द से द्योत्य अर्थ भी गृहीत है, इसलिए बहुत्व आदि में बहुवचन आदि होते हैं ऐसा व्यवहार असंगत नहीं होता है। इस तरह जैसे द्वौ ब्राह्मणौ इस प्रयोग में द्वित्व का एक ही बार भान होता है—वहाँ द्वि पद के अर्थ एवं ब्राह्मण पद के अर्थ में ऐक्य होने से द्विपदार्थ में रहने वाले द्वित्व का दोनों ही द्विवचनों से द्योतित होने से वैसा एक ही बार भान होता है। प्रकरण एवं साहचर्य आदि के यथासम्भव प्रत्येक के मिलित रूप में ही तात्पर्यग्राहकत्व को देखा जाता है। उसी तरह सुन्दराः दाराः यहाँ विशेष्य पद में सूत्र से सिद्ध बहुत्व के द्योतक बहुवचन के आवश्यक होने से उसके प्रकृति के अर्थ में आरोपित बहुत्व का भान निश्चित रहने पर सुन्दर आदि पदों के उत्तर में रहने वाली विभक्ति की भी उस तरह के बहुत्व को द्योतित करने वाली ही प्रवृत्ति होगी। अपद (पदत्व रहित) तो प्रयोग के योग्य नहीं होता। इसी तरह दाराः ययुः इस प्रयोग में दार पदार्थरूप कर्त्ता में लकार का विधान हुआ है—इसलिए कर्तृपद में बहुत्व के द्योतक बहुवचन की आवश्यकता होने से लकार के स्थान में भी उस बहुत्व के द्योतक बहुवचन की प्रवृत्ति के होने से तिङ् एवं सुप् के बहुवचनों से एक ही बहुत्व के द्योतित होने से वह प्रयोग युक्त होता है। इसी तरह की व्यवस्था दण्डकाः अध्यासां चक्रिरे आदि प्रयोगों में भी समझना चहिए। इन विषयों को मान कर ही अभियुक्तों ने 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते' इस पद्य को कहा है। उसका व्याख्यान लिङ्ग विचार के कम में किया गया है, जो वहाँ देखा जा सकता है, वहाँ जो अनुक्त है, (कहने को शेष रह गया है) वह इस समय कहा जा रहा है—

चैत्रो मैत्रश्च गच्छतः इस रूप से विभिन्न वचनता की उपपत्ति 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते' आदि नियम के रहने पर चैत्रो मैत्रश्च गतौ तथा चैत्रमैत्रौ भवदत्तश्च आदि प्रयोग में विभिन्न वचन होने के कारण व्यभिचार होगा। उस व्यभिचार का वारण करने के लिए जहाँ एक ही विशेष्य समर्पक पद हो वही विशेष्य एवं विशेषण में समान वचन होता है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। वैसी स्थिति में नियम वाक्य में रहने वाले विशेषण पद में विशेष्यवाचक विशिष्टत्वम्, ऐसा निवेश करना चाहिये। उसमें वैशिष्ट्य भी अपने से प्रयोज्य जो विशेष्यता, उससे निरूपित प्रकारता का प्रयोजकत्वरूप सम्बन्ध तथा अपने से इतर पद से प्रयोज्य जो विशेष्यता, उससे निरूपित प्रकारता का अप्रयोजकत्व रूप सम्बन्ध, इन दोनों सम्बन्धों से होगा। चैत्रो मैत्रश्च गतौ इस प्रयोग में विशेष्यवाचक चैत्र है तथा मैत्र है, उन दोनों से किसी एक को लेकर उससे विशिष्ट गतौ यह विशेषण नहीं होगा क्योंकि वैशिष्य के नियामक प्रथम सम्बन्ध के रहने पर भी दूसरे प्रतिपादित सम्बन्ध का वहाँ अभाव रहेगा।

तिङन्त में भी समान वचनता होती है, दूसरी बात है कि या विशेष्येषु दृश्यन्ते, यह नियम का प्रयोग न केवल सुबन्त के अर्थ के विशेष्य रहने पर ही होता है अपि तु आख्यात के अर्थ के विशेष्यत्व में भी होता है। इसलिए उस नियम में सुप् एवं तिङ् के साधारण रूप से वाचक विभक्ति पद का उपादान किया गया है। वहाँ आख्यात के वाक्य कर्त्ता एवं कर्म में लिङ्ग के योग का अभाव होने से लिङ्ग के अंश में कहे गये समान लिङ्गता सम्बन्धी न्याय की प्रवृत्ति न होने पर भी संख्या के अंश में प्रवृत्त होने से ब्राह्मणः पचति ब्राह्मणौ पचतः एवं

ब्राह्मणाः पचन्ति, इस रूप में समान वचनता रहती है। इसी तरह तण्डुलः पच्यते, सूपतण्डुलौ पच्येते, सूपतण्डुलव्यञ्जनानि पच्यन्ते इन वाक्यों में समानवचनता रहती है। इसी नियम के अनुसार ब्राह्मणः पचन्ति आदि प्रयोगों का असाधुत्व प्राप्त होता है। अन्यथा नामार्थ ब्राह्मणः आदि में संख्या की अविवक्षा से औत्सर्गिक एकवचनवाले वैसे प्रयोग उत्पन्न होने लगेंगे।

यह नियम आख्यात के विषय में जहाँ एक ही सामानाधिकरण विशेषणवाचक पद रहता है, वही प्रयुक्त होता है। उससे चैत्रो मैत्रश्च पचतः, चैत्रमैत्रौ जैत्रश्च पचन्ति आदि वाक्यों में नियम से आक्रान्त न होने से समान वचनत्व के अभाव रहने पर भी क्षति नहीं है। इस तरह नियम के निवेश रहने पर ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च पचति आदि प्रयोगों की आपत्ति होगी, क्योंकि विशेषणवाचक के अनेक होने से उक्त न्याय का यह विषय नहीं रहता है तथा तिङ् के एकवचन का औत्सर्गिक होने से साधुत्व है। ऐसी आपत्ति यदि हो तो समानाधिकरण अनेक विशेषण के वाचक के रहने पर धातु के पर में औत्सर्गिक एकवचन प्रयोज्य नहीं होता है, इस दूसरे नियम को स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि शाब्दिकों के मत में कर्त्ता एवं कर्म तिङ् के अर्थ होते हैं। वहाँ अभेद सम्बन्ध से ब्राह्मण एवं तण्डुल आदि की विशेषणता होती है। कर्ता एवं कर्म का, जो जैसा है उसी रूप में क्रिया में अन्वय होता है। क्रिया ही उनके मत में शाब्दबोध में मुख्य विशेष्य होती है। उस तरह उनके मत में ब्राह्मणाः पचति इस वाक्य से एक ब्राह्मण से अभिन्न जो एक कर्त्ता, उसमें रहने वाली वर्त्तमान काल की पाक क्रिया, यह बोध होता है। इसी तरह पच्यते तण्डुलः इस वाक्य से। एक तण्डुल से अभिन्न एक कर्म में रहने वाली क्रियाजन्य विक्लिति, यह बोध होता है। इनके मत के अनुसार चैत्र एवं तण्डुल आदि तिङन्त के अर्थ के समानाधिकरण विशेषण होते हैं इसलिए उक्त व्यवस्था उनके मत का अनुसरण करने वाली है, यह समझना चाहिए। नैयायिक तो प्रथमान्तार्थमुख्य विशेष्यक बोध होता है ऐसा मानते हैं। उनके अनुसार चैत्रः पचति आदि वाक्यों से विक्लिति के अनुकूल व्यापार के अनुकूल कृति वाला चैत्र इत्यादि रूप से बोध होता है। उस तरह उनके मत में चैत्र आदि के समानाधिकरणत्व न रहने से तिङन्त में या विशेष्येषु दृश्यन्ते इस नियम से आक्रान्त न होने के कारण दूसरे नियम को कहना चाहिए। जैसे—मुख्य विशेष्य का वाचक जिस वचन वाला हो उसके समान वचन वाला ही आख्यात होता है। (दूसरा नियम कहना चाहिए)। यह भी जहाँ एक ही मुख्य विशेष्य का वाचक हो वही समान वचन सम्बन्धी नियम है। इसलिए चैत्रमैत्रश्च गच्छतः आदि वाक्यों में विभिन्न वचन वाले तिङन्त का साधुत्व ही है। इस तरह विचारने की दिशा का निर्देश किया गया ॥६२–६३॥

नीलं घट इति प्रयोगाभावे हेतुः

अथैवमपि नीलत्वावच्छिन्नस्य विशेष्यत्वे नीलं घट इति प्रयोगापत्तिः। "या विशेष्येषु दृश्यन्ते" इति नियमस्य विशेष्यनिघ्नविशेषणवाचकविषयत्वात् घटपदस्य च विशेष्यनिघ्नत्वाभावादिति चेत्—अत्रोच्यते—

विशेषणमभेदेन नील एव घटे भवेत्।
न तु नीलं प्रति घटः कदापि स्याद्विशेषणम् ॥ ६४ ॥

तस्मान्नीलपदार्थस्य घटं मत्वा विशेषणम् ।
न नीलं घट इत्यादिः प्रयोगः साधुरिष्यते ॥ ६५ ॥

घटादिपदार्थं प्रति नीलादिपदार्थस्य विशेषणत्वमेवेति सिद्धान्तात् विपरीत-विशेष्यविशेषणभावस्यासंभवात् न नीलं घट इत्याद्यापत्तिः । अत एव नीलघट इत्यादय एव समासाः, न तु घटनील इत्यादयः । अन्यथा "विशेषणं विशेष्येणे"ति शास्त्रेण कदाचित् घटनील इत्यादिरपि समासः स्यात् । उक्तं चैतत् पूर्वमपि ॥ ६४-६५ ॥

नीलं घटः इस प्रयोग के न होने का कारण

इसके बाद ऐसा मानने पर भी नीलत्वावच्छिन्न के विशेष्यत्व होने पर नीलं घटः इस प्रयोग की आपत्ति होगी क्योंकि 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते' इस नियम के विशेष्यनिघ्न विशेषण-वाचक विषयक होने से घट पद के विशेष्यनिघ्न न होने से उस नियम की वहाँ प्राप्ति नहीं होगी, इस तरह की शङ्का होने पर, उसके समाधान में कहा जाता है :—

नील ही अभेद सम्बन्ध से घट में विशेषण होगा। नील के प्रति घट कभी विशेषण न होगा।

इसलिए घट को नील पदार्थ का विशेषण मानकर नीलं घटः आदि प्रयोग साधु नहीं माना जाता है।

घट आदि पदार्थ के प्रति नीलादि पदार्थ का विशेषणत्व ही होता है, इस सिद्धान्त के कारण विपरीत विशेष्य विशेषण भाव के असम्भव होने से नलं घटः इत्यादि प्रयोग की आपत्ति न होगी, इसीलिए समास में नीलघटः आदि ही होते हैं, घटनीलः इत्यादि नहीं होते। ऐसे सिद्धान्त के न होने पर विशेषणं विशेष्येण, इस सूत्र से कभी घटनीलः आदि समास भी होता। यह पहले भी कहा गया है ॥ ६४–६५ ॥

विशेष्यविशेषणभावनियमः

विशेष्ये जातिसंज्ञे द्वे क्रियायाश्च गुणस्य च ।
विशेष्या व्यापिका जातिर्व्याप्यजातिविशेषणम् ॥ ६६ ॥
विशेषणविशेष्यत्वे ऐच्छिके क्रियायोर्द्वयोः ।
गुणयोश्च तथा स्यतां क्रियायाश्च गुणस्य च ॥ ६७ ॥

तदुक्तं "विशेषणं विशेष्येणे"ति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे—

(१) जातिसंज्ञयोर्गुणक्रियासमभिव्याहारे विशेष्यतैव ।
(२) गुणयोः क्रिययोर्गुणक्रिययोश्चानियम एव ।
(३) व्याप्यव्यापकभावानापन्नजात्योरप्येवं यथा भूतमूर्तयोः ।
(४) तद्भावापन्नयोस्तु व्यापकस्य विशेष्यतैव, यथा शिंशपावृक्ष इति ।

अत्रायमाशयः—यद्यपि नीलमुत्पलमित्यत्र यथा नीलमनीलादुत्पलाद्व्यावर्तयति तथोत्पलमप्यनुत्पलान्नीलाद्व्यावर्तयतीति व्यावर्तकत्वरूपं विशेषणत्वमुभयोः संभवति तथापि शब्दस्वभावात् जातिशब्दः संज्ञाशब्दश्च गुणक्रियाशब्दसभमिव्याहारे विशेष्य-समर्पक एव भवति। विशेष्यता च बोधीयसम्बन्धानुयोगितासमानाधिकरणधर्मविशेषः। तेन नीलोत्पलं, पाचकब्राह्मणः, पटुदेवदत्तः, पाचकदेवदत्तः, एवमेव समासो भवति न तु तद्विपरीतः।

गुणयोस्तु विशेष्यविशेषणभावो न नियतः, अपि त्वैच्छिकः। तेन कुब्जखञ्जः खञ्जकुब्ज इत्युभयं भवति।

एवं क्रिययोरपि विशेषणविशेष्यभावो न नियतः। तेन पाचकश्चासौ पाठकश्चेति विग्रहे पाचकपाठकः पाठकपाचक इत्युभयमपि साधु।

एवं गुणशब्दक्रियाशब्दार्थयोरपि न स नियत इति खञ्जपाचकः पाचकखञ्ज इति द्विविधोऽपि इच्छया प्रयोगः।

तथा ययोर्जात्योर्न्न व्याप्यव्यापकभावः अर्थात् क्वचित् सामानाधिकरण्यं क्वचि-द्वैयधिकरण्यं च तादृशजातिवाचकवाच्ययोरपि न स नियत इति भूतमूर्तो मूर्तभूत इत्युभयं भवति। सांकर्यस्य जातित्वबाधकत्वानुपगमेन भूतत्वमूर्त्तत्वयोरपि जातित्वात्। नैयायिकैस्तु तस्य जातिबाधकत्वस्वीकारात्। तन्मतानुसारेण संकीर्णधर्मावच्छिन्न-वाचकवाच्योर्न्न स नियत इति वाच्यम्। अथ वा तथाभूतो गुणशब्द एवेति पार्थक्येन वाच्यमेव न, गुणशब्देन जातिक्रियाभिन्नधर्ममात्रग्रहणात्।

व्याप्यव्यापकभावापन्नजातिवाचकवाच्ययोस्तु व्यापकजातिवाचकवाच्यस्य विशेष्यत्वं 'तेन शिंशपावृक्षः, मसूरिकान्नम्', इत्यादिरेव प्रयोगः नतु वृक्षशिंशपा, अन्न-मसूरिकेत्यादिरिति ॥६६–६७॥

विशेष्यविशेषण भाव का नियम

क्रिया के तथा गुण के जाति शब्द एवं संज्ञा शब्द दोनों विशेष्य ही होते हैं तथा व्यापक जाति विशेष्य होता है और व्याप्य जाति विशेषण होता है।

दो क्रियाओं में विशेषण विशेष्य ऐच्छिक होते हैं। दो गुणों में, दो क्रियाओं में एवं गुण और क्रिया में भी ऐच्छिक होता है।

विशेषणं विशेष्येण इस सूत्र के लघुशब्देन्दुशेखर में कहा गया है :—

(१) जाति एवं संज्ञा शब्द की गुण एवं क्रिया शब्दों के साथ समभिहार रहने पर विशेष्यता ही होती है।

(२) दो गुणों में, दो क्रियाओं में तथा गुण एवं क्रिया में कोई नियम नहीं होता है।

(३) व्याप्य एवं व्यापक भाव से अनापन्न दो जाति शब्दों में भी नियम नहीं है—जैसे भूत एवं मूर्त में ऐच्छिक विशेष्यविशेषभाव होता है।

(४) व्याप्य एवं व्यापक भाव से अपन्तों में तो व्यापक की विशेष्यता ही होती है—जैसे—शिशपावृक्षः इस प्रयोग में है ।

यहाँ यह आशय है कि यद्यपि नीलमुत्पलम् इसमें जैसे नील पर अनील उत्पन्न से उत्पल को व्यावृत्त करता है, उसी तरह उत्पल की अनुत्पल से नील को व्यावृत्त कराता है इसलिए व्यावर्त्तकत्व रूप विशेषणत्व दोनों में होता है, तथापि शब्द के स्वभाव से जातिशब्द एवं संज्ञाशब्द गुणशब्द एवं क्रियाशब्द के समभिहार रहने पर विशेष्य समर्थक ही होता है। विशेष्यता होती है बोध में रहने वाले सम्बन्ध की अनुयोगिता के समानाधिकरण धर्मविशेष वाली । इसलिए नीलोत्पलम्, पाचकब्राह्मणः, पटुदेवदत्तः इसीरूप में समास होता है, उसके विपरीत नहीं होता है ।

दो गुणों में विशेष्यविशेषणभाव नियत नहीं है, वह ऐच्छिक होता है । इसलिए कुब्ज-खञ्ज तथा खञ्जकुब्जः दोनों प्रयोग होते हैं ।

इसी तरह दो क्रियाओं में भी विशेष्यविशेषण भाव नियत नहीं होता है । इसलिए पाचकश्चासौ पाठकश्च इस विग्रह में पाचकपाठकः एव पाठक-पाचकः ये दोनों प्रयोग साधु हैं ।

इसी तरह गुणशब्द एवं क्रियाशब्दार्थ में भी विशेष्य-विशेषण भाव अनियत होता है । इसलिए खञ्जपाचकः तथा पाचकखञ्जः ये दो प्रकार के प्रयोग इच्छानुसार किये जाते हैं ।

उसी तरह जिन जाति शब्दों में व्याप्य व्यापकभाव नहीं हो अर्थात् कहीं सामानाधिकरण्य हो तथा कही वैयधिकरण्य हो, वैसे जातिवाचक एवं जातिवाच्यों में भी विशेष्यविशेषण भाव नियत नहीं होता । इसलिए भूतमूर्त्तो तथा मूर्त्तभूतः ये दोनों प्रयोग होते है । सांकर्य को जातिबाधकत्व के रूप में न माना गया है इसलिए भूतत्व एवं मूर्तत्व में भी जातित्व रहता है । नैयायिक लोग तो सांकर्य को जातिवाचक ही स्वीकर करते हैं । इसलिए उनके मत के अनुसार संकीर्णधर्मविच्छिन्न के वाचक एवं वाच्य में विशेष्य विशेषणभाव नियत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए । या वैसे वे गुणशब्द ही है इसलिए पार्थक्य के कारण वाच्य ही नहीं हैं, क्योंकि गुण-शब्द से जाति एवं क्रिया से भिन्न धर्ममात्र का ग्रहण होता है । व्याप्य-व्यापक भावापन्न जाति-वाचक वाच्यों में तो व्यापकजाति के वाचक वाच्य की विशेष्यता होती हैं । इसलिए शिशपा-वृक्षः मसूरिकान्नम्, आदि ही प्रयोग होते हैं । वृक्षशिशपाः, अन्नमसूरिका आदि प्रयोग नहीं होते हैं ॥ ६६-६७ ॥

इदं घट इत्यादि प्रयोगाः कुतो न ?

अथ इदमाद्यर्थस्य विशेष्यत्वात् इदं घटः, एतत्पटः, इदमाप इत्यादयः प्रयोगाः कुतो न ? घटादेः स्वतन्त्रलिङ्गतया 'या विशेष्येषु' इतिन्यायविषयाभावात् । न चाभेदान्वयस्थले त्यदाद्यर्थस्य विशेषणत्वमेव । अत एव तद्घटमानय, एतद्घटोपनी-यतामित्येव प्रयोगो न तु घटतमानय, घटैषोपनीयतामिति वाच्यम्, परमसः परमयूय-मित्यादिप्रयोगाणां साधुत्वस्य वैयाकरणैः स्वीकृततया त्यदाद्यर्थस्य विशेषणतैवेति नियमस्य वक्तुमशक्यत्वादिति चेत्—अत्रोच्यते—

त्यदादयो विशेष्यार्थपरा ये वाक्यवर्त्तिनः ।
विशेषणस्य लिङ्गं च वचनं च भजन्ति ते ॥६८॥

त्यदादिकिमन्ताः सर्वनामशब्दा यदि समानाधिकरणविशेष्यपरत्वेन प्रयुज्यन्ते तदा विशेषणस्य लिङ्गं वचनं चाश्रयन्ति शब्दस्वभाववैचित्र्यात् । अतः अयं घटः, इदं वसनम्, इमा आप इत्यादय एव प्रयोगाः सम्मता, न तु इदं घट इत्यादयः । अत एव "भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे" इति स्वरं प्रति रामवाक्ये इमे इति संगच्छते । संगच्छन्ते च "इमा आपो मया भक्त्या तव पादतलेऽर्पिता" इत्यादाविमा इत्यादयः ॥६८॥

इदं घटः आदि प्रयोग क्यों नहीं होते ?

इदम् आदि के अर्थ के विशेष्य होने से इदं घटः, एतत्पटः, इदमापः आदि प्रयोग क्यों नहीं होते हैं ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि यहाँ 'या विशेष्येषु दृश्यन्ते' इस न्याय की प्रवृत्ति भी नहीं होती क्योंकि घट आदि शब्दों के स्वतन्त्रलिङ्ग होने से या विशेष्येषु दृश्यन्ये इस न्याय के विषय का अभाव रहता है । अभेद से अन्वय के स्थल में त्यदादि के अर्थ में विशेषणत्व ही होता है, अतएव तद्घटमानय एतद्घटोपनीयताम्, यही प्रयोग होता है, घटतमानय, घटैषोपनीयताम् ऐसा प्रयोग नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि परमसः, परमयूयम् आदि प्रयोगों के साधुत्व को वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत होने से त्यदादि के अर्थ की विशेषणता ही है । इस प्रकार के नियम को नहीं कहा जा सकता, तब ऐसी स्थिति में वे प्रयोग क्यों न होंगे ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है—

वाक्य में रहने वाले जो त्यद् आदि शब्द विशेष्यार्थ परक रूप से प्रयुक्त होते हैं—वे विशेषण के लिङ्ग एवं वचन का आश्रयण करते हैं ।

त्यद् से किम् पर्यन्त सर्वनामसंज्ञक शब्द यदि समानाधिकरण विशेष्य परक रूप से प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द के स्वभाव की विचित्रता के कारण विशेषण के लिङ्ग एवं वचन का आश्रयण करते हैं । इसलिए अयं घटः, इदं वसनम्, इमाः आपः आदि ही प्रयोग सम्मत हैं, इदं घटः आदि प्रयोग मान्य नहीं हैं । इसी से भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे, अर्थात् ये दण्डक (वन) शरण चाहने वालों के शरण्य होंगे । इस स्वर के प्रति राम के वाल्मीकि रामायण के वाक्य में इमे यह प्रयोग संगत होता है, तथा इमा आपो मया भक्त्या तव पादतलेऽर्पिताः, अर्थात् यह जल मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में अर्पित हैं, इत्यादि वाक्यों में इमाः आदि प्रयोग संगत होते हैं ॥ ६८ ॥

नारीणां स्तनावित्यादौ द्विवचनोपपत्तिः

"मृदौ काव्ये कश्चिद्भजति यदि भागः कठिनतां
न वैरस्याय स्यादपि तु परितोषाय विदुषाम् ।
शरीरे नारीणां परमसुकुमारत्वभरिते
कठोरौ वक्षोजौ तरुणजनचेतांसि हरतः" ।

इति मदीये रसिकमनोरञ्जिनीपद्ये वक्षोजाविति द्विवचनस्य कथं साधुत्वम् ? नारीणां बहुत्वेन तदीयशरीरबाहुल्यात्तत्र स्थितानां वक्षोजानामपि बहुत्वेन द्वित्वाभावात् । शरीरे इत्येकवचनं तु औत्सर्गिकत्वेन संख्यानपेक्षणात् शरीरत्वगतैकत्वपरत्वाद्वोपपद्यते । एवम्—

"प्रकाशकार्कश्यगुणौ दधानाः स्तनौ तरुण्यः परिवव्रुरेनम्" ॥

इति माघपद्येऽपि स्तनाविति द्विवचनानुपपत्तिः । न च द्विवचनोपस्थापितनानाद्वित्वानां नानावक्षोजान्वयितया द्विवचनोपपत्तिरिति वाच्यम्, एवं हि चतुर्षु ब्राह्मणेषु मुञ्जानेषु ब्राह्मणौ भुञ्जाते इति प्रयोगापत्तेरिति चेत्—अत्रोच्यते—

वक्षोजनयनादीनि नित्यद्विवचनान्यपि ।
अतः प्रायो बहुत्वेऽपि तेषां द्विवचनान्तता ॥६९॥

वक्षोजनयनस्तनलोचनादिशब्दा द्विविधाः—केवलवक्षोजादिवाचकाः वामदक्षिणोभयवक्षोजादिवाचकाश्च । तत्राद्या अनियतवचनाः । अन्त्यास्तु नित्यद्विवचनान्ताः पुष्पवन्तशब्दवत् । तत्र द्विवचनोपात्तद्वित्वस्य प्रकृत्यर्थैकदेशवामत्वदक्षिणत्वजात्योरेवान्वयो व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् । वामत्वदक्षिणत्वे च वक्षोजनयनकपोलश्रवणकरचरणादिगते अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्ये जाती तटत्वादिजातिवत् । एतेन—

"श्रवसोः कुवलयमक्ष्णो रञ्जनमुरसो महेन्द्रमणिदाम ।
वृन्दावनतरुणीनां मण्डनमखिलं हरिर्जयति" ॥

इत्यादौ श्रवसोरक्ष्णोरित्यादिद्विवचनमपि व्याख्यातम् । यदि तु वामत्वादिर्न जातिरपि तु वामभागवस्थितत्वमित्युच्यते तदा वक्षोजनयनादिशब्दा वामत्वदक्षिणत्वोपलक्षितजातिविशेषद्वयविशिष्टवाचका अपीतिजातिद्वयगतद्वित्वेन द्विवचनान्तत्वोपपत्तिः । यदाह वामनः "स्तनादीनां द्वित्वविशिष्टा जातिः प्रायेणे"ति ॥ ६९ ॥

नारीणां स्तनौ आदि प्रयोगों में द्विवचन की उपपत्ति

मृदु काव्य में यदि कोई भाग कठिनता को धारण करता है तो वह विरसता के लिए नहीं होगा, किन्तु विद्वानों के परितोष के लिए होगा । परम सुकुमारता से भरे नारी के शरीर में कठोर स्तन दोनों तरुणजन के चित्त को हरण करते हैं ।

इस मेरे रसिकमनोरञ्जिनी के पद्य में वक्षोज इस द्विवचन का साधुत्व कैसे होगा ? क्योंकि नारियों के बहुत होने से उनके शरीर के बाहुल्य से उनमें रहने वाले स्तनों को भी बहुसंख्यक होने से द्वित्व का भाव रहेगा । शरीरे यह एकवचन तो औत्सर्गिक होने के कारण संख्या की अपेक्षा न करने से या शरीरत्व गत एकत्वपरक होने से हुआ है । इसी तरह—

"प्रकाश में कर्कशता गुण वाले स्तनों को धारण करने वाली तरुणियों ने कृष्ण का आलिङ्गन किया" ।

इस माघ कवि के पद्य में भी स्तनौ इस द्विवचन की उपपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि द्विवचन से उपस्थित किये गये अनेक द्वित्वों का नाना वक्षोज से अन्वयी होने के कारण द्विवचन की उपपत्ति होगी, क्योंकि ऐसा मानने पर चार ब्राह्मणों के खाते रहने पर ब्राह्मणौ भुञ्जाते, इस प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी। इसलिए द्विवचन का साधुत्व कैसे है। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि—

वक्षोज एवं नयन आदि शब्द नित्य द्विवचन भी होते हैं। अतः बहुत्व के होने पर भी प्रायः उनकी द्विचनान्तता होती है।

वक्षोज, नयन, स्तन एवं लोचन आदि शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रथम केवल वक्षोज आदि के वाचक और दूसरा वाम एवं दक्षिण दोनों वक्षों आदि का वाचक होता है। उसमें पहला अनियतवचन वाला होता है। दूसरा तो नित्य द्विवचनान्त होता है—जैसे पुष्पवन्त शब्द नित्य द्विवचनान्त होता है। उसमें द्विवचन से उच्चरित द्वित्व का प्रकृति के अर्थ के एक देशभूत वामत्व एवं दक्षिणत्व जातियों में ही अन्वय होता है, व्युत्पत्ति की विचित्रता होने के कारण वैसा होता है। वामत्व एवं दक्षिणत्व, वक्षोज, नयन, कपोल, श्रवण, कर एवं चरण आदि में होने वाले अनुगत संस्थान से व्यङ्ग्य होने के कारण जाति होते हैं तटत्व आदि जाति की तरह वे भी जाति है। इससे—

"दोनों कानों के कुवलया, दोनों आंखों के अञ्जन तथा उर के इन्द्रनीलमणि का हार रूप हरि वृन्दावन को तरुणियों के लिए पूर्ण मण्डन रूप होकर (सबों से उत्कृष्ट रूप में) विराजते हैं।"

इस पद्य में श्रवसोः अक्ष्णोः आदि के द्विवचन की भी व्याख्या हुई है। यदि वामत्व आदि जाति नहीं है, किन्तु वामभागावस्थितत्व मात्र परक है ऐसा कहते हैं, तो वक्षोजनयन आदि शब्द वामत्व एवं दक्षिणत्व से उपलक्षित जातिविशेषद्वय से विशिष्ट के वाचक भी है ऐसा कहने पर दोनों जाति में रहने वाले वहाँ द्विवचनान्तत्व की उपपत्ति है। जैसे वामन ने कहा है कि स्तन आदि शब्दों का प्रायः द्वित्व विशिष्ट जातिवाच्य होता है ॥ ६९ ॥

शब्दाः केचिन्नित्यबहुवचनान्तास्तथा पुनः ।
केचिन्नित्यद्विवचना नित्यैकवचना अपि ॥७०॥

अथाधुना नित्यबहुबचनान्तादीनां लक्षणान्युच्यन्ते। यत्र तावन्नित्यबहुवचनान्तत्वं नाम बहुवचनमात्रप्रकृतित्वम्। मात्रशब्देन द्विवचनैकवचनयोर्व्यवच्छेदः। दारशब्दो नित्यबहुवचनान्त इति व्यवहारः। तत्रान्तशब्दः परसमीपवर्तिनि लाक्षणिकः। नित्यं सर्वदा (सकलप्रयोगे) स्वप्रकृतिकं बहुवचनमन्तः परसमीपवर्ती यस्य स नित्यबहुवचनान्तः। परसमीपवर्त्तिता च परत्र श्रूयमाणत्वं लोपप्रतियोगित्वं वा। तथा च बहुवचनमात्रप्रकृतित्वं नाम बहुवचननिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यत्वे सति द्विवचनैकवचननिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यत्वानाश्रयत्वम्। अयं सुन्दरदार इत्यत्र

सुन्दर जस् दार जस् इत्यलौकिकविग्रहे बहुव्रीहिविधानात् दारशब्दस्य बहुवचनमात्रप्रकृतित्वमस्त्येवेति नाव्याप्तिः।

'न च प्रत्युच्चारणं शब्दानां भेद' इति मते रामा इत्यत्र रामशब्देऽपि बहुवचनमात्रप्रकृतितयातिव्याप्तिरिति वाच्यम्, बहुवचनप्रकृतित्वे सति अन्यवचनप्रकृतिवृत्त्यानुपूर्वीरहितत्वं नित्यबहुवचनान्तत्वमिति विवक्षितत्वात्।

न चैवमपि दारयतेर्भावघञन्तदारणार्थकदारशब्दस्यैकवचनप्रकृतितया तद्वृत्त्यानुपूर्व्या दारत्वरूपायाः स्त्रीबोधकदारशब्दे सत्त्वेनाव्याप्तिस्तदवस्थेति वाच्यम्, बहुवचनविशिष्टत्वं नित्यबहुवचनान्तत्वमिति परिष्कारेणादोषात्। वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रकृतित्वविशिष्टवृत्त्यानुपूर्व्यभाववत्त्वोभयसम्बन्धेन। सम्बन्धघटकत्ववैशिष्ट्यञ्च स्वासजातीयवचनप्रकृतित्वस्वप्रकृतिबोध्यार्थपरत्वोभयसम्बन्धेन। रामस्य दारा इत्यादिबहुवचनं परिगृह्य तत्प्रकृतिभूतदारशब्दे लक्षणसमन्वयः कार्यः। तथा हि दारा इति असूरूपबहुवचनस्य स्वप्रकृतित्वरूपः प्रथमसम्बन्धो दारशब्दे वर्तते, तथा स्वासजातीयवचनप्रकृतित्वादिसम्बन्धद्वयेन तद्विशिष्टो न स्त्रीवाची दारशब्दो न वा दारणार्थवाची। आद्ये प्रथमसम्बन्धविरहात् द्वितीये स्वप्रकृतिबोध्यार्थपरत्वरूपद्वितीयसम्बन्धविरहात्। एवञ्च स्वविशिष्टस्याप्रसिद्धौ तद्वृत्त्यानुपूर्व्या अप्यप्रसिद्धत्वात् अप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावस्य च शाब्दिकैः स्वीकारेण तादृशानुपूर्व्यभाववत्त्वरूपद्वितीयसम्बन्धोप्यस्तीति तादृशबहुवचनविशिष्टत्वरूपं नित्यबहुवचनान्तलक्षणं समन्वेति। एवं लाजादिशब्देष्वपि लक्षणसमन्वय ऊहनीयः। एतच्च लक्षणमलक्ष्येषु घटादिशब्देषु नास्तीति नातिव्याप्तिरपि।

अत्र लक्षणे स्वप्रकृतित्वरूपप्रथमसम्बन्धनिवेशो विफल इति न मन्तव्यम्। यतः तत्सम्बन्धानुपादाने बहुवचनविशिष्टवृत्त्यानुपूर्व्यभाववत्त्वं नित्यबहुवचनान्तत्वमितिनिरुक्तिपर्यवसाने मैथिली दारा इत्यत्राव्याप्तिर्न्न परिहृता स्यात्। तथा हि कुठारेण वृक्षस्य दाराः (दारणानि) इति बहुवचनमादाय स्वविशिष्टो वृक्षस्य दारः (दारणम्) इति वाक्यघटको दारशब्दः तत्र स्वासजातीयप्रथमैकवचनप्रकृतित्वरूपप्रथमसम्बन्धस्य स्वप्रकृतिबोध्यदारणार्थपरत्वरूपद्वितीयसम्बन्धस्य च सत्त्वात् तद्वृत्त्यानुपूर्वीमत्त्वसद्भावेन तदभाववत्त्वरूपस्य नित्यबहुवचनान्तलक्षणस्य तत्रागमनात्। तत्सबन्धोपादाने तु वृक्षस्य दारा इति बहुवचनमादाय लक्षणासमन्वयेऽपि रामस्य दारा इति बहुवचनं परिगृह्य लक्षणसमन्वयान्नाव्याप्तिः।

नैयायिकैरप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावानभ्युपगमेनोक्तलक्षणस्य क्वापि समन्वयाभावेनासम्भवदोषपातात् तन्मतानुसारेण स्वविशिष्टवृत्त्यानुपूर्व्यभाववत्त्वरूपद्वितीयसम्बन्धमनुक्त्वा तत्स्थाने स्वाभाववत्त्वरूपः सम्बन्धो वाच्यः। अभावीयप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वविशिष्टवृत्त्यानुपूर्वीमत्त्वं वक्तव्यः। अत्र सम्बन्धद्वयं प्रागुक्तमेव। स्वासजातीयेत्यत्र साजात्यं च स्ववृत्तिबहुवचनत्वद्विवचनत्वैकवचनत्वान्यतमत्त्वमिति दिक्।

एवमुक्तसम्बन्धद्वयेन द्विवचनविशिष्टत्वं नित्यद्विवचनान्तत्वम्। एकवचनविशिष्टत्वं नित्यैकवचनान्तत्वम्। वचनविशिष्टत्वं च नियतवचनत्वं नित्यबहुवचनादित्रितयसाधारणं बोध्यम्। इममर्थमभिप्रेत्यैव एकशब्दः संख्यायां नित्यैकवचनान्तः। उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्त इत्यादिः शाब्दिकानां व्यवहारः ॥ ७० ॥

कुछ शब्द नित्य बहुवचनान्त, कुछ नित्य द्विवचनान्त तथा कुछ नित्य एकवचनान्त भी होते हैं।

अब नित्य बहुवचनान्त आदि के लक्षण कहे जाते हैं। उसमें नित्यबहुवचनान्तत्व का लक्षण है—बहुवचनमात्रप्रकृतित्वम् अर्थात् बहुवचनमात्र में रहना जिसकी प्रवृत्ति हो। लक्षण में मात्र शब्द के देने से द्विवचन एवं एकवचन का व्यवच्छेद होता है। दार शब्द नित्यबहुवचनान्त है, ऐसा लोक में व्यवहार होता है। बहुवचनान्त में अन्तशब्द पर समीपवर्त्ती अर्थ में लाक्षणिक है। नित्यं अर्थात् सर्वदा सब प्रयोगों में अपनी प्रकृति वाला बहुवचन अन्त में अर्थात् परसमीपवर्त्ती है, जिसके वह नित्यबहुवचनान्त कहा जाता है, (इस विग्रह में शब्द बना है)। पर समीपवर्त्तिता अर्थ है, प्रकृति के परत्र श्रूयमाणत्वं या लोप का प्रतियोगित्व। उस तरह बहुवचनमात्र प्रकृतित्व का विवृत्त रूप हुआ कि बहुवचन में रहने वाली विधेयता से निरूपित उद्देश्यत्व के रहते द्विवचन एवं एकवचन में रहनेवाली विधेयता से निरूपित उद्देश्यता का अनाश्रयत्व। इस तरह लक्षण के रूप के होने से सुन्दरदार शब्द में सुन्दर-जस्, दार+जस् इस अलौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास का विधान किया गया है। उसमें दार शब्द का बहुवचन मात्र प्रकृतित्व है, इसलिए लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है। हर एक उच्चारण में शब्दों का भेद होता है, इस मत में रामा इस प्रयोग में राम शब्द में भी बहुवचनमात्र प्रकृतित्व के होने से लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ बहुवचन के प्रकृतित्व के अन्यवचन की प्रकृति की अनुपूर्वी से रहितत्व रूप नित्यबहुवचनान्तत्व विवक्षित है।

इस रूप से विवक्षित होने पर भी ण्यन्त दारयति से भाव में घञ् प्रत्यय से निष्पन्न दारण अर्थ वाला दार शब्द भी एकवचन का प्रकृति होता हैं, इससे उसमें रहने वाली दार रूप आनुपूर्वी का स्त्रीवाचक दार शब्द में रहने से अयाति दोष वहाँ तदवस्थ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नित्य बहुवचनान्तत्व का बहुवचन विशिष्टत्वम् ऐसा परिष्कार करने से दोष नहीं होता। वही वैशिष्ट्य तो स्वप्रकृतत्व एवं प्रकृतित्व विशिष्ट प्रकृति में रहने वाली अनुपूर्वी के अभाववत्व इन दोनों सम्बन्धों से लिया जायेगा। सम्बन्ध में रहने वाले वैशिष्ट्य तो अपने असजातीय वचव का प्रकृतित्व एवं अपनी प्रकृति के बोध्य अर्थपरत्व इन दोनों सम्बन्धों से लिया जायेगा। रामस्य दाराः इन प्रयोगों के बहुवचन को लेकर उसके प्रकृतिभूत दार शब्द में लक्षण का समन्वय करना चाहिये। जैसे—दाराः इसके जस् रूप बहुवचन का स्वप्रकृतित्व रूप प्रथम सम्बन्ध दार शब्द में है। उसी प्रकार अपने असजातीय वचन का प्रकृतित्व एवं स्वप्रकृति बोध्यार्थपरत्व रूप दोनों सम्बन्धों से विशिष्ट न स्त्रीवाची दार शब्द है न दारणार्थवाची दार शब्द है। क्योंकि स्त्रीवाची दार शब्द में प्रथम सम्बन्ध का अभाव है और दारणार्थक दार शब्द में स्वप्रकृतिबोध्यार्थपरत्व रूप द्वितीय सम्बन्ध का अभाव है। इस तरह स्वविशिष्ट की अप्रसिद्धि

होने से उसमें रहने वाली आनुपूर्वी भी अप्रसिद्धि है, अप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव को वैयाकरण लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए दार में तादृश आनुपूर्वी के अभाववत्व रूप द्वितीय सम्बन्ध भी है, अतः वैसा बहुवचन विशिष्टत्व रूप नित्य बहुवचनान्त का लक्षण समन्वित होता है। इसी तरह लाजाः आदि शब्दों में भी लक्षण के समन्वय का तर्क करना चाहिए। यह लक्षण अलक्ष्य रूप घट आदि शब्दों में नहीं है—इससे इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है।

इस लक्षण में स्वप्रकृतित्व रूप प्रथम सम्बन्ध का निवेश निष्फल है, ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि उस सम्बन्ध के न देने पर बहुवचन विशिष्ट में रहने वाली आनुपूर्वी का अभाववत्व नित्य बहुवचनान्तत्व है, ऐसे निर्वचन में अन्त होने पर मैथिली दाराः इस प्रयोग में होने वाली अव्याप्ति हटायी नहीं जा सकेगी। जैसे कुठारेण वृक्षस्य दाराः (दारणानि) इस पद के बहुवचन को लेकर स्वविशिष्ट हुआ वृक्षस्य दाराः इस वाक्य में रहने वाला दार शब्द, उसमें सजातीय है प्रथमा का एकवचन उसके प्रकृतित्वरूप प्रथम सम्बन्ध के, तथा स्वप्रकृति से बोध्य दारणार्थ परत्व रूप द्वितीय सम्बन्ध के रहने से उसमें रहने वाली आनुपूर्वी के सद्भाव से तदभाववत्त्व रूप नित्य बहुवचनान्त के लक्षण के वहाँ न जाने से अव्याप्ति होगी ही। उस सम्बन्ध को देने पर तो वृक्षस्य दाराः इसके बहुवचन को लेकर लक्षण के समन्वय न होने पर पर भी रामस्य दाराः इसके बहुवचन को लेकर लक्षण के समन्वय होने से अव्याप्ति नहीं होती।

नैयायिकों द्वारा अप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव को स्वीकार न करने से उनके मन में उस लक्षण का कहीं भी समन्वय न होगा, इसलिए लक्षण में असम्भव दोष की आपत्ति होगी। अतः उनके मतानुसार स्वविशिष्टवृत्त्यानुपूर्वभाववत्व रूप द्वितीय सम्बन्ध को न कहकर उसके स्थान में स्वाभाववत्त्वरूप सम्बन्ध कहना चाहिए। अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध तो स्वविशिष्टवृत्यानुपूर्वीवत्व कहना चाहिए। इस वैशिष्ट्य को पहले कहे गये दोनों सम्बन्धों से ही लेना चाहिए। स्वासजातीय इसमें साजात्य तो स्ववृत्ति बहुवचनत्व द्विवचनत्वैकवचनत्वान्यत-मत्व रूप वाला मानना चाहिये। इस तरह दिशा का निर्देश दिया जाय।

इसी तरह बताये गये दोनों सम्बन्धों से द्वित्व विशिष्टत्व नित्यद्विवचनान्तत्व होता है तथा एकवचन विशिष्टत्व, नित्य एकवचनान्त होता है। वचनविशिष्टत्व रूप नियतवचनत्व रूप लक्षण नित्य बहुवचन आदि तीनों के लिए साधारण रूप से है ऐसा समझना चाहिए। इस अर्थ को मानकर ही एक शब्द संख्या अर्थ में एकवचनान्त होता है। उस शब्द नित्य द्विवचनान्त है आदि रूप से शाब्दिकों का व्यवहार होता है ॥ ७० ॥

विंशत्यादिशब्दविचारः

विंशत्याद्याः परार्धान्तास्त्रिविधा अर्थभेदतः ॥७१॥

ये विंशतित्वादिसंख्यायुक्तसंख्येयवाचकाः।
नित्यैकवचनान्तास्ते भवन्तीति विनिर्णयः ॥७२॥

विंशत्याद्याः परार्धान्ता ये संख्यावाचकाः शब्दाः ते अर्थत्रैविध्यात् त्रिविधाः अर्थत्रितयशक्ता इति यावत्। तथा हि (१) विंशतित्वादिसंख्याविशिष्टसंख्येये, (२) विंशतित्वादिसंख्यामात्रे, (३) विंशतित्वादिसंख्याविशिष्टसंख्येयसमूहे च शक्ताः।

तत्र ये विंशतित्वादिविशिष्टसंख्येयपरास्ते नित्यैकवचनान्ताः। उदाहरणम्—विंशतिर्घटाः, विंशतिं घटानानय, विंशत्या घटैर्जलमानीतम्, शताय ब्राह्मणेभ्यो गावो दत्ताः।

एवञ्च विंशतिद्वयतात्पर्येण विंशती घटा इत्यादयो नैव प्रयोगः, नापि बहुविंशतितात्पर्येण विंशतयो घटा इत्यादयः। तथा सति नित्यैकवचनान्तत्वभङ्गापत्तेः। तदाह-'नित्यैकवचनान्तास्ते भवन्तीति विनिर्णय' इति ते संख्यावच्छिन्नसंख्येयपरा विंशत्यादयो नित्यैकवचनान्ता भवन्तीति विदुषां निर्णय इत्यर्थः। तथा चामरसिंहः—

"विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः"। अस्यार्थः ये विंशत्याद्याः संख्येयसंख्ययोः अर्थात् विंशतित्वादिसंख्याविशिष्टसंख्येये प्रयुज्यन्ते ते सर्वे सदा एकत्वे एकत्वशक्ता एव, नित्यैकवचनान्ता इति यावत्। द्वे शते त्रीणि शतानीत्यादयः प्रयोगास्तु संख्येयसमुदायार्थपराणां न तु संख्येयमात्रपराणामिति वक्ष्यते ॥७१–७२॥

विंशति आदि शब्दों के वचन के सम्बन्ध में विचार

विंशति से लेकर परार्ध तक के संख्यावाची शब्द अर्थ के भेद से तीन प्रकार के होते हैं।

जो विंशतित्व आदि संख्या से विशिष्ट संख्येय के वाचक होते हैं, वे नित्य एकवचान्त होते हैं ऐसा निर्णय है।

विंशति आदि परार्ध पर्यन्त जो संख्यावाचक शब्द हैं, वे अर्थ की त्रिविधता के कारण तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात् तीन अर्थों में वे शक्त होते हैं। जैसे (१) प्रथम विंशतित्व आदि संख्या विशिष्टसंख्येय अर्थ में। (२) विंशतित्व आदि संख्या मात्र अर्थ में और (३) तृतीय विंशतित्व आदि संख्याविशिष्ट संख्येय समूह अर्थ में शक्त होते हैं।

उसमें जो विंशतित्व आदि से विशिष्ट संख्येयपरक होते हैं वे नित्य एकवचनान्त होते हैं। जैसे—विंशतिर्घटाः, विंशति घटानानय, विंशत्या घटैर्जलमानीतम्' शताय ब्रह्मणेभ्यो गावो दत्ताः ऐसी स्थिति में दो विंशति के तात्पर्य से न तो विंशति घटाः आदि प्रयोग होते हैं और बहु विंशति के तात्पर्य से विंशतयो घटाः आदि प्रयोग होते हैं, क्योंकि वैसा होने पर नित्य एकवचान्तत्व सिद्धान्त के भङ्ग की आपत्ति होगी, अभियुक्तों द्वारा कहा गया है—"नित्यैकवचनान्तास्ते भवन्तीति विनिर्णयः"। इस तरह वे संख्यावच्छिन्न संख्येयपरक विंशति आदि शब्द नित्य एकवचनान्त होते हैं, ऐसा विद्वानों का निर्णय है, यह अर्थ हुआ। अमरसिंह ने भी कहा है कि—जो विंशति आदि शब्द, संख्येय एवं संख्या अर्थों में हैं वे सब सदा एकत्व अर्थ शक्त है। दूसरा अर्थ है कि जो विंशति अदि शब्द, संख्येयसंख्ययोः अर्थात् विंशतित्व आदि संख्याविशिष्ट संख्येय अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे सब सदा एकत्व से शक्त ही है अर्थात् नित्य

एकवचनान्त ही होते हैं। द्वे शते, त्रीणि शतानि आदि प्रयोग तो संख्येय समुदाय अर्थपरक रहने वालों का ही होता है, संख्येय मात्र अर्थपरकों का नहीं होता है, यह आगे कहा जाएगा ॥७१–७२॥

ते च संख्येयवस्तूनां विशेषणपरा परम्।
न चैषामेकशेषो वा द्वन्द्वो वानभिधानतः ॥७३॥

अपरश्चायं विशेषः। ये विंशतित्वाद्यवच्छिन्नसंख्येयपरास्ते संख्येयवस्तूनां घटादीनां विशेषणसमर्पका एव भवन्ति न विशेष्यसमर्पकाः। घटानां विंशतिः, गवां शतमित्येवं विशेष्यसमर्पकत्वेन प्रयोगास्तु संख्यामात्रपराणां संख्येयसमूहार्थपराणां वेत्यग्रे स्पष्टीभविष्यति।

अत्रान्यमपि विशेषमाह—'न चैषामेकशेषोस्ती'ति। एषां विंशतित्वाद्यवच्छिन्नबोधकविंशत्यादिशब्दानामेकशेषो न भवति, नापि द्वन्द्वसमासः। कुतः ? अनभिधानात्। विंशति घटा इत्यादितश्चत्वारिंशद्घटादेरप्रतीतेः नित्यैकवनान्तत्वानुपपत्तेश्च। विंशत्यादितोऽधिकसंख्यकसंख्येयार्थविवक्षायान्तु घटानां विंशती विंशतयो वेत्येवमेव प्रयोक्तव्यं भवति। एवम् विंशतिश्चैकविंशतिश्च विंशत्येकविंशती इत्यादेरपि नास्ति बोधकता। यथा एकादिदशान्तानामेकशेषद्वन्द्वावनभिधानान्न भवतस्तथा संख्येयपराणां विंशत्यादीनामपि तौ न भवतः।

यद्यपि शब्देन्दुशेखरकृता नागेशभट्टेन एकादिदशान्तसंख्यावाचिनामेकशेषद्वन्द्वावनभिधानान्न स्त एत्येवोक्तं तथापि संख्येयमात्रवाचिनामुपलक्षणं तत् ॥७३॥

और वे शब्द संख्येय वस्तु के विशेषणपरक ही होते हैं। दूसरी इनकी विशेषता यह होती है कि न इनका एकशेष होता है, न द्वन्द्वसमास ही होता है, क्योंकि वैसे प्रयोगों का अभिधान नहीं है

दूसरा इनमें यह विशेषण है। जो विंशतित्व आदि से अवच्छिन्न संख्येयपरक शब्द हैं वे संख्येय वस्तु घट आदि के विशेषण समर्पक ही होते हैं, विशेष्य समर्पक नहीं होते। घटानां विंशति गवां शतम् आदि रूप में विशेष्य समर्पकत्व रूप से प्रयोग तो संख्यामात्र परक रहने वाले तथा संख्येय समूह अर्थपरक इन शब्दों का ही होता है यह आगे स्पष्ट होगा।

इसमें दूसरा विशेष भी उपर्युक्त पद्य में कहा गया है कि "न चैषामेकशेषोऽपि"। इन विंशतित्वावच्छिन्न के बोधक विंशति आदि शब्दों का एकशेष भी न होता है, न द्वन्द्व समास ही होता है। क्यों नहीं होता है ? इस प्रश्न का श्लोक में अनभिधानात् यह उत्तर दिया गया है तथा विंशति घटा आदि प्रयोगों से चालीस घट आदि की प्रतीति न होने से तथा नित्य एकवचनत्व की अनुपपत्ति होने से भी वैसा प्रयोग नहीं होता है। विंशति आदि से अधिक संख्यकसंख्येय अर्थ की विवक्षा में तो घटानां विंशति या विंशतयः इस तरह प्रयोक्तव्य होता है। इसी तरह विंशतिश्च एकविंशतिश्च इस विग्रह में द्वन्द्व होकर विंशत्येकविंशती आदि प्रयोगों

की भी बोधकता नहीं है। जैसे एक से दश तक के शब्दों के एकशेष द्वन्द्व अनभिधान के कारण नहीं होते हैं, वैसे संख्येयपरक विंशति आदि शब्दों के भी वे नहीं होते हैं।

यद्यपि लघुशब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्ट ने एक से दश तक के संख्यावाचकों में ही अनभिधान के कारण एकशेष एवं द्वन्द्व नहीं होते हैं तथापि वह संख्येय मात्र वाची शब्दों का उपलक्षण है ॥७३॥

द्वितीयभेदास्ते संख्यामात्रं प्रत्याययन्ति ते ।
इमे तु सर्ववचनाः एकशेषप्रवर्तनात् ॥७४॥

ये च द्वितीयप्रभेदा विंशत्यादयो विंशतित्वादिसंख्यामात्रपराः तेष्वेकशेषप्रवृत्त्या द्विवचनबहुवचने अपि भवतः। तथा ह्येकं चेद्विंशतित्वं विवक्षितं तदैकवचनं, घटानां विंशतिः संख्या। यदि च विंशतित्वद्वं विवक्षितं तदा द्विवचनं, घटानां विंशती संख्ये। यदि च बहु विंशतित्वं विवशितं स्यात्तदा बहुवचनं, घटानां विंशतयः संख्या इति।

संख्यामात्रपरविंशत्यादेः प्रयोगान्तरं यथा विंशतिसंख्याका घटा इत्यादि। यद्यपि एकसंख्याको घटः, द्विसंख्याकौ घटौ इत्यादयोऽपि प्रयोगा जायन्ते, तथापि एकादिदशान्तानां न संख्यामात्रशक्तत्वम्। किन्तूक्तप्रयोगे लक्षणया धर्ममात्रपरत्वम्। तेषां संख्यामात्रशक्तत्वे मानाभावात्। विंशत्यादीनां संख्यामात्रशक्तत्वे तु कोषरूपानुशासनं प्रमाणम्। तथाचामरः—

"विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः।
संख्यायां द्विबहुत्वेस्तस्तेषु चानवतेः स्त्रियः" ॥

अत्र संख्यायां द्विबहुत्वे स्त इत्यस्य संख्यामात्रबोधकत्वे द्वित्वबहुत्वे अपीत्यर्थः। अत्र वाक्ये सदेत्यस्यासम्बन्धात्। संख्यामात्रार्थकत्वे तत्रैकत्वबोधकत्वस्य स्वत एव सद्भावात् एकत्वे इति विशिष्य नोक्तम्। एकशेषेण विंशतित्वद्वयादिबोधकत्वे द्विवचन-बहुवचने अपि। संख्याविशिष्टसंख्येयबोधकत्वे सदेत्यस्योपादानेन एकशेषाभावस्य सूचनात्। संख्यामात्रपरत्वेऽप्येकशेषाभावो मा ज्ञायीत्याशयः ॥७४॥

दूसरे भेद में वे आते हैं जो संख्यामात्र का बोध कराते हैं। ये तो सब वचनों में होते हैं क्योंकि एकदेश का प्रवर्त्तन कराते हैं।

जो दूसरे प्रभेद के विंशति आदि शब्द विंशतित्व आदि संख्यामात्र को बताने वाले हैं, उनमें एकशेष की प्रवृत्ति होने के कारण उनमें द्विवचन एवं बहुवचन भी होते हैं। उस तरह एकविंशतित्व की विवक्षा रहने पर एकवचन होता है—जैसे घटानां विंशतिः संख्या। यदि विंशतित्वद्वय विवक्षित रहता है तो द्विवचन होता है—घटानां विंशती संख्ये। यदि बहुत विंशतित्व विवक्षित हो तो बहुवचन होता है—घटानां विंशतयः संख्याः।

संख्या मात्र परक विंशति आदि के दूसरे प्रयोग इस रूप में होते हैं। जैसे विंशति संख्याका घटाः, आदि। यद्यपि एक संख्याको घटः, द्विसंख्याकौ घटौ, आदि भी प्रयोग होते हैं,

तथापि एक से दश तक के शब्द संख्यामात्र में शक्त नहीं हैं। किन्तु कहे गये प्रयोगों में लक्षणा से वे धर्ममात्र परक होते हैं। उनके संख्यामात्र में शक्तत्व में प्रमाण का अभाव है। विंशति आदि शब्दों के संख्यामात्र में शक्त होने में तो कोशरूप अनुशासन प्रमाण है। अमरसिंह ने कहा है—

"विंशति आदि सब शब्द संख्येय एवं संख्या अर्थ में रहने पर सदा एकत्व में रहते हैं। संख्या अर्थ में रहने पर द्वित्व एवं बहुत्व में रहते हैं। नवति तक के वे शब्द स्त्रीलिङ्ग में होते हैं"।

अत्र संख्यायां किं बहुत्वे स्तः, इस वाक्य के संख्यामात्र का बोधक होने पर विंशति आदि द्वित्व एवं बहुत्व में भी होते हैं, यह अर्थ है; क्योंकि उस वाक्य के पूर्वार्ध में पठित "सदा" इस पद का सम्बन्ध नहीं होता है। संख्यामात्र अर्थ वाले होने पर वहाँ एकत्व का अपने ही सद्भाव रहने से एकत्व, यह विशेष रूप से उसमें नहीं कहा गया है। एकशेष से दो विंशति आदि का बोधक होने पर वहाँ द्विवचन एवं बहुवचन ही होते हैं। संख्या विशिष्ट संख्येय के बोधकत्व के रहने पर सदा एकत्व बताया गया है। उसमें सदा पद के होने से वहाँ एकशेष का अभाव सूचित होता है। संख्यामात्र परक रहने पर भी एकशेष का अभाव न समझा जाय, यह उसका आशय है ॥७४॥

तृतीयभेदाः संख्येयसमूहप्रतिपादकाः।
एभिर्योगे च षष्ठ्येव परिच्छेद्यार्थवाचकात् ॥७५॥

तथात्वे चैकशेषेण समुदायादिशब्दवत्।
इमेऽपि सर्ववचनाः प्रयुज्यन्ते यदृच्छया।
विशेष्यबोधका एव संख्येयार्थस्य ते ध्रुवम् ॥७६॥

एतावता विंशत्यादेरर्थद्वयं सप्रपञ्चमुक्तम्। अतः परं तृतीयोऽर्थो निरूप्यते योऽर्थोऽमरसिंहेन नोक्तः।

विंशत्यादयो विंशतित्वादिविशिष्टसंख्येयारब्धसमूहवाचका अपि। एतद्योगे च समूहसंघादियोगवत् परिच्छेद्यबोधकात् षष्ठ्येव भवति। यथा घटानां विंशतिरानीता, गवां शतं दत्तम्, अत्र भीष्मशतं दग्धं दुर्योधनशतं तथा इति।

न चात्र विंशत्यादयो विंशतित्वाद्यवच्छिन्नवाचका एव, न तु तत्समूहबोधका इति वाच्यम्, समूहत्वेनाबोधकविंशत्यादियोगे षष्ठ्या अप्रवृत्तेः। एतद्योगे च समूहादि योगवत् षष्ठ्या एव प्रयोग इति वैषम्यात्। किञ्च तेषां सदैकत्वे इत्यभिधानात् कोट्यो ब्रह्महत्यानाम्, रथानामयुतैः षड्भिरिति बहुवचनानुपपत्तिः।

नापि संख्यामात्रबोधकाः, आनीतेत्यादिसमानाधिकरणविशेषणानुपपत्तेः। तस्मात् संख्यावच्छिन्नबोधकेभ्यः संख्यामात्रबोधकेभ्यश्च विलक्षणा एवैते संख्येयसमूह-

बोधकाः। अत एवैषामेकशेषेण समूहसंघवृन्दादीनामिव सकलवचनान्तता, न तु संख्यावच्छिन्नबोधकविंशत्यादिवन्नित्यैकवचनान्तता।

अथ यदि विंशत्यादयः संख्येयसमूहवाचका अपि तदा अमरसिंहेन कुतो नोक्ता इति चेत्—समूहवाचिनां समूहादिशब्दवद्वचनव्यवस्थया सकलवचनान्तत्वस्य स्वत एव लभ्यत्वात्। तथापि विंशत्यादीनां संख्येयसमूहार्थता कुतो नोक्ता इति चेत्? उच्यते—संख्यावच्छिन्नसंख्येये वर्तमाना विंशत्याद्याः सदैकत्वे वर्तन्त इत्यर्थबोधनद्वारा तेभ्य एकवचनमेव न द्विवचनबहुवचने भवत इत्यर्थस्य पर्यवसानेन वचनव्यवस्थाया एव तदुद्देश्यत्वात् संख्येयसमूहबोधकविंशत्यादेस्तु समूहवृन्दादिवद्व्यवस्थासत्त्वेन तत्र वचनव्यवस्थाया अनावश्यकत्वात्।

यत्तु विंशत्यादयो न संख्येयसमूहे शक्ताः अत एवामरसिंहेन नोक्ताः। समूहत्वेन बोधस्य आनुभविकत्वे स बोधो लक्षणयोपपद्यते इत्याशयेन न तदुक्तिरिति—तन्न। तथा सति संख्यामात्रे शक्तिरस्तु, संख्येयस्य लक्षणयैव निर्वाह इति स्वीकृत्य संख्येयेऽपि शक्तिर्नोच्येत। तस्मान्नायमाशयोऽमरसिंहस्य।

तर्हि विंशत्याद्यानां समूहवाचकत्वं कथमवधार्यते? विंशतिर्घटाः, घटानां विंशतिरित्यादिद्विविधप्रयोगदर्शनात् शक्तिद्वयमवधार्यते इति तु न वक्तव्यम्, उभयत्रापि संख्येयानामेव प्रतीत्या विंशत्यादीनां परिच्छेद्यान् प्रति विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन वा बोधकत्वोपगमेनैव तदुभयप्रयोगोपपत्तेः। तत्रायं विशेषः। परिच्छेद्येषु विशेषणता अभेदसम्बन्धेन विशेष्यता तु संख्येयनिष्ठभेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेषणतानिरूपितेति। तत्र च विशेषणतासमर्पकत्वे नित्यैकवचनान्तता विशेष्यतासमर्पकत्वे तु द्विवचनबहुवचनान्ततापीति व्यवस्था। विंशतिर्घटा इत्यतो विंशतित्ववदभिन्ना घटा इति बोधः। घटानां विंशतिरित्यतश्च घटगतविंशतित्ववन्त इति तस्मादुक्तप्रयोगद्वैविध्यात् शक्तिद्वयमवधार्यत इति न साम्प्रतमिति चेत्—

अत्रोच्यते महामहोपाध्यायमैथिलपरमेश्वरकृतप्रयोगदर्पणे "विंशत्यादौ त्विष्ट एवैकशेषः। स च संख्यावच्छिन्नसमुदायपराणां, ब्राह्मणानां विंशती इत्यादौ द्वित्वसंख्यावच्छिन्नौ द्वौ समुदायावित्यर्थप्रतीतेः, विंशती घटा इत्यादौ चत्वारिंशतोप्रतीतेश्चेति भाट्टादय" इत्युक्तम्। अनेन विंशत्यादीनां विंशतित्वाद्यवच्छिन्नशक्तत्वम् विंशतित्वाद्यवच्छिन्नसमुदायशक्तत्वं चेति स्पष्टमेव लभ्यते।

अपि च पङ्क्तिविंशतित्रिंशदितिसूत्रे "एवन्तर्हि परिमाणिनि विंशत्यादयो भविष्यन्ती"ति भाष्यव्याख्यायां कैयटः "परिमाणी च द्विविधः द्रव्यसंघातो भिन्नानि वा द्रव्याणि। तत्र संघातस्यैकत्वाद्विंशतिरित्येकवचनं सिद्धयति। द्रव्याणान्तु परिमाणित्वे विंशतिगवम् विंशतिपूलीति समानाधिकरणसमाससिद्धिरिति भाव" इति।

अस्य कैयटग्रन्थस्यायमर्थः। विंशत्यादयः परिमाणिबोधकाः। परिमाणी च द्विविधः द्रव्यसंघातः अर्थात् विंशतित्वादिविशिष्टव्यक्तीनां संघातः समूहो, भिन्नानि वा

द्रव्याणि अर्थात् विंशतित्वादिविशिष्टा व्यक्तयः। तत्र संघातस्यैकत्वात्तद्गतमेकत्वं यदि विवक्ष्यते तदा विंशतिरेत्येकवचनं सिद्धयति। यदा पुनः समूहद्वयविवक्षा तदा द्विवचनम्, यदा च संघातगतबहुत्वविवक्षा तदा बहुवचनमपि। एकवचनं सिध्यतीत्यस्य एकवचनमपि सिद्धयतीत्यर्थपरत्वात्। द्रव्याणान्तु परिमाणित्वे विंशत्यादेः विंशतित्वादिपरिमाणविशिष्टव्यक्तिवाचित्वे विंशतिगवं विंशतिपूलीति समानाधिकरणसमासः सिद्धयति। यद्यत्र विंशतिपदार्थो विंशतिव्यक्त्यारब्धसंघातः स्यात्तदा गोपूलादिभिः सामानाधिकरण्याभावा "तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे" इत्यनेन शास्त्रेण समानाधिकरणेन सह विधीयमानः समासो न स्यात्। तस्मात्तत्र विंशतिपदार्थः परिमाणिव्यक्तयः स्वीक्रियते इति। एतेन भाष्यव्याख्यानपरकैयटग्रन्थेन विंशत्यादेः विंशतित्वाद्यवच्छिन्नवाचित्वं तत्समूहवाचित्वं च लभ्यते। एवं तावत् विंशत्यादौ शक्तित्रयं निरूपितम्।

तत्र संख्यावच्छिन्नपरा विंशत्यादयो नित्यैकवचनान्ताः। तत्प्रयोगा विंशतिर्घटाः सन्ति, विंशतिं घटान् आनय, विंशत्या रूप्यकैः क्रीतमित्यादयः। एवं त्रिंशद् घटाः, त्रिंशतं घटान्, त्रिंशता रूप्यकैः क्रीतमित्यादयः। विंशतित्ववदभिन्ना घटा इत्यादिस्तदर्थः।

संख्यामात्रपरास्तु सकलवचनान्ताः। यथा घटानां विंशतिः संख्या, एकं घटवृत्तिविंशतित्वं संख्येति तदर्थः। घटानां विंशती संख्ये, बहुघटवृत्तिविंशतित्वद्वयं संख्येत्यर्थः। इह विद्यालये छात्राणां विंशतयः संख्या, बहुच्छात्रगतबहुविंशतित्वानि संख्या इत्यर्थः। संख्यापरविंशत्यादियोगे संख्येयवाचकघटादिपदं बहुवचनान्तमेव भवति, स्वोत्तरवर्तिविभक्त्या प्रकृत्यर्थे संख्याया विवक्षितत्वात् तस्य च बहुत्वात्।

विंशतित्वादिसंख्यावच्छिन्नसंख्येयसमूहबोधका अपि विंशत्यादयः समूहादिशब्दवत्सकलवचनान्ताः, यथा घटानां विंशतिरानीता, बहुघटगतविंशतित्ववदारब्ध एकः समूह आनीत इत्यर्थः। एवं घटानां विंशती आनीते इत्यस्य घटगतविंशतित्वद्वयवदारब्धौ द्वौ समुदायावित्यर्थः। एवमेव 'इहच्छात्राणां विंशतयः पठन्ति' इत्यस्य बहुच्छात्रगतबहुविंशतित्ववदारब्धा बहवः समूहाः पठन्तीत्यर्थः।

यद्यपि समूहो नारभ्यते, अपि तु समूहत्वम्, तथापि समूहत्वगतारम्भकर्मत्वस्य समूहे समारोपात्तथा बोधः।

इदमत्र बोध्यम् विंशत्यादिप्रकृतिकविभक्तिवाच्यसंख्यायाः प्रकृत्यर्थसंख्यायामेवान्वयो व्युत्पत्तिसिद्धः व्युत्पत्तिवैचित्र्यात्। तथा चोक्तं व्युत्पत्तिवादे गदाधरेण "विरुद्धसंख्यावच्छिन्नवाचकशतादिपदोत्तरविभक्त्युपस्थाप्या संख्या प्रकृत्यर्थतावच्छेदकसंख्यायामेवान्वेती"ति।

नागेशस्तु पङ्क्तिविंशतीतिसूत्रभाष्यस्य प्रदीपोद्द्योते आह 'अत्र वदन्ति विंशतिशब्दद्व्यादिशब्दयोः को विशेषः समुदितद्रव्यसमवायित्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्। द्वेकयोरित्यादौ तेषामपि संख्यामात्रवचनताया दृष्टत्वाच्च।

तस्मादयमत्र भाष्यार्थः विंशत्यादयो द्व्यादयश्च धर्मशक्ता एव। धर्मधर्मिणोरभेदाच्च व्यक्तौ कार्याणि। तयोश्च भेदाभेदौ। विंशत्यादयः कदा चिद् भेदेन संख्यां वदन्ति गवां विंशतिरिति, कदा चिदभेदेन विंशतिर्गाव इति। यदाप्यभेदेन तदापि धर्मगतसंख्यावैशिष्ट्येनैव ततो द्रव्यप्रतीतिः शब्दशक्तिस्वभावात्। यथा गावो धनमित्यादौ प्रीतिहेतुत्वगुणगतसंख्यावैशिष्ट्येन द्रव्यप्रतीतिर्धनशब्दात्। इयांस्तु विशेषः तत्र कदाचित् स्वगतसंख्यावैशिष्ट्येनापि प्रतीतिः। अन्यगतधर्मवैशिष्ट्यमन्यस्य कथमिति चेत्—आरोपेणेति गृहाण। द्व्यादयस्तु स्ववाच्यसंख्याविशिष्टद्रव्याभेदेन तद्गतसंख्याविशिष्टमेव धर्मं प्रतिपादयन्ति शब्दशक्तिस्वभावादिति न कदाचिदपि तत्रैकवचनम् नापि विंशत्यादिभ्यो बहुवचनम्। विंशतिप्रचये तु बहुवचनमिष्टमेव। द्व्येकयोरित्यादौ तु विंशतिवदेव धर्मगतसंख्याविशिष्टद्रव्यस्यैव प्रतीतिरिति द्विवचनम्। एवं प्रतीतिरीदृशवृत्तिविषयैवेति नातिप्रसङ्गः। न ब्राह्मणं हन्यादित्यादौ जातावेकवचनमित्यस्याप्ययमेवार्थः। जातिगतसंख्यारोपाद्द्रव्यस्यैव प्रतीतिरिति। तद्गतसंख्यारोपश्च विनिगमनाविरहात् सकलव्यक्तिष्विति सकलव्यक्तिप्रतीतिः। जातिप्राधान्यविवक्षेत्यस्याप्ययमेवार्थः तद्ध्वनयन् वक्ष्यति अथ वाऽव्यतिरेकादि"ति।

इदमत्र बोध्यम् अयं नागेशसिद्धान्तो "विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोरि"ति नामलिङ्गानुशासनप्रतिकूलः, व्युत्पत्तिवादग्रन्थविरुद्धः, प्रोक्तकैयटग्रन्थविरुद्धश्च। सर्वत्रारोपरूपभ्रमात्मकबोधस्वीकारोऽनुचितश्च। तदपेक्षयोक्तरीत्या शक्तित्रयाभ्युपगमो न्याय्य इति।

अथ यदुक्तं "संख्यावच्छिन्नपराणां न द्वन्द्व इति" तत्रायमनुयोगः। कथं तर्हि एकश्च दश च एकादश, द्वौ च द्वादशेत्यादयो द्वन्द्वाः? न च नैते द्वन्द्वसमासाः, अपि तु एकाधिका दशेत्यादिविग्रहकतत्पुरुषाः। शाकपार्थिवादित्वादधिकस्य लोप इति वाच्यम्, ऐच्छिकशाकपार्थिवादित्वकल्पने मानाभावात्। एकादशेत्यादिप्रामाणिकप्रयोगास्तु न मानं, तेषां द्वन्द्वसमासत्वेनाप्युपपत्तेः, एकादशेत्यादित आधिक्यस्य पदार्थतावच्छेदकरूपेणानुभवाभावाच्च। किञ्च तद्रीत्या नवदशभिरित्यापत्तिः। सिद्धान्तकौमुद्यादौ एकादशादीनामेकश्च दश चेत्यादि विग्रहोक्त्या तद्विरोधश्चेति चेत्, अत्राहुः जगद्गुरुः गुरुवरशिवकुमारशास्त्रिचरणाः, द्वन्द्वानभिधानवादिनामिदं तात्पर्यम् यत् संख्यावच्छिन्नशक्तानां नानासंख्याप्रकारकबोधपरो द्वन्द्वो न भवत्यनभिधानात्। एकादशद्वादशादिशब्दास्त्वेकादशत्वद्वादशत्वरूपैकसंख्याप्रकारकबोधं जनयन्ति, न त्वेकत्वदशत्वाद्यनेकसंख्याप्रकारकम्। तेन द्वन्द्वो भवत्येव। नवदशत्वादिकं न काचित्संख्येति नवदशादिशब्दात् नवत्वदशत्वादिनानारूपेणैव बोधसंभव इति तादृशो द्वन्द्वो नेति। न चैवमपि "ननाद ढक्कं नवपञ्चवारमि"ति कथं प्रयोग इति वाच्यम्? तत्र हि नव च पञ्च च वाराण्यावृत्तयो यत्रेति विग्रहे त्रिपदबहुव्रीहिर्न तु द्वन्द्व इति।

संख्यावाचकेषु एकादिचतुरन्तास्त्रिलिङ्गाः। तत्रैकशब्दो नित्यमेकवचनान्तः। द्विशब्दो नित्यद्विवचनान्तश्चतुःशब्दो नित्यबहुवचनान्तः। एवं पञ्चाद्यष्टादशान्ता

नित्यबहुवचनान्ताः। तेऽमी त्रिलिङ्गा अपि लिङ्गप्रयुक्तरूपभेदं न लभन्ते, अपि तु त्रिष्वपि लिङ्गेषु सरूपा एव। तथाचोक्तं 'युष्मदस्मदिषट्संज्ञकास्त्रिषु सरूपा' इति। पञ्चन् इत्यादयः "ष्णान्ता षडि"तिसूत्रेण षट्संज्ञकाः। एकाद्यष्टादशान्ताः संख्याविशिष्ट-संख्येये शक्ताः। एकोनविंशत्याद्याः नवनवत्यन्ताः स्त्रीलिङ्गाः। ते च संख्यावच्छिन्नपरा एकवचनान्ता एव। संख्यामात्रपराः संख्येयसंघातपराश्चानियतवचनाः। शतादि-परार्धान्तरेषु केवलं कोटिशब्दः स्त्रीलिङ्गः अन्ये प्रायेण नपुंसकलिङ्गाः। शतादयोऽपि समूहपराः संख्यामात्रबोधकाश्चानियतवचनाः। संख्येयमात्रबोधकास्तु नित्यैकवचना इति बोध्यम्।

संख्यावाचकविषये विदुषां मतसंग्रहः

(१) एकादिपरार्धान्ताः संख्यावच्छिन्नवाचका इति गदाधरस्य मतम्।

(२) ते सर्वे संख्यामात्रवाचका इति नागेशस्य।

(३) एकादयोऽष्टादशान्ताः संख्यावच्छिन्नवाचकाः। एकोनविंशत्यादयस्तु संख्यावाचकाः संख्यावच्छिन्नवाचकाश्च इत्यमरसिंहस्वरसः।

(४) एकाद्यष्टादशान्ताः संख्यावच्छिन्नवाचकाः। एकोनविंशत्यादयस्तु संख्या-वच्छिन्नवाचकाः संख्यावच्छिन्नसंघातवाचकाश्चेति भट्टादीनां कैयटस्य च मतम्।

(५) अस्माभिस्तु सर्वेषां मतानि विभाव्य एकाद्यष्टादशान्तानां संख्यावच्छिन्ने विंशत्यादीनान्तु संख्यायां संख्यावच्छिन्ने संख्यावच्छिन्नसमुदाये च शक्तिरुक्ता। एषां मतभेदेन शाब्दबोधे भेदेऽपि प्रयोगेषु न कश्चिद् भेदः।

यत्तु व्युत्पत्तिवादे "शतादिपदोत्तरविभक्त्यर्थसंख्या प्रकृत्यर्थतावच्छेदकसंख्याया-मेवान्वेति, यथा शतमेकं, द्वे शते, त्रीणि शतानीत्युक्तं तत्र शतादिपदं विंशत्यादेरुप-लक्षणम्। अपि च शतमेकमित्यादिवाक्यस्य घटानामित्यादिः न तु घटा इति शेषः द्वे शते घटा इत्यादिवाक्यस्य प्रामाण्याङ्गीकारे 'विंशत्याद्याः सदैकत्वे' इत्यनुशासन-विरोधात् तथा प्रयोगाणां क्वचिदप्यदर्शनाच्च। तस्मात् परिमाणिस्वभेदेन विशेषण-पराणां विंशत्यादीनामेकवचनान्तत्वे एव साधुत्वमेष्टव्यम्। मतान्तरे तु द्वे शते इत्यादौ शतादयः शतादिसमूहबोधकाः द्वौ शतसमूहौ इत्यर्थप्रतीतेः, तदा तु घटादिसंख्येय-बोधकादुचितैव षष्ठीति प्रयोगे भेदाभाव इत्यलमतिविस्तरेण॥ ७५–७६॥

तृतीय भेद में संख्येय समूह को बताने वाले विंशति आदि आते हैं। इनके योग में परिच्छेद्य अर्थ के बोधक शब्द से षष्ठी विभक्ति ही होती है।

वैसा होने पर समुदाय आदि शब्दों के समान एकशेष से ये भी इच्छा के अनुसार सब वचनों में प्रयुक्त होते हैं। वे संख्येय अर्थ के विशेष्य के बोधक ही होते हैं।

इतने विवेचन के द्वारा प्रपञ्च के साथ विंशति आदि के दो अर्थ बताए गये। इसके बाद तीसरे अर्थ का निरूपण किया जाता है। जो अर्थ अमरसिंह द्वारा नहीं कहा गया है।

विंशति आदि, विंशतित्व आदि से विशिष्ट संख्येय से आरब्ध समूह के वाचक भी होते हैं। इनके योग में तो समूह एवं सङ्घ आदि शब्दों के योग के समान परिच्छेद्यबोधक शब्द से षष्ठी ही होती है। जैसे घटानां विंशतिरानीता, गवां शतं दत्तम्, अत्र भीष्मशतं दग्धं दुर्योधन-शतं तथा आदि प्रयोग है।

यहाँ विंशति आदि विंशतित्व आदि से अवच्छिन्न के ही वाचक हैं, समूह के बोधक तो नही है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समूहत्व रूप से बोध न कराने वाले विंशति आदि के योग में षष्ठी की प्रवृत्ति नहीं होती। इसके योग में तो समूह आदि शब्दों के योग के समान षष्ठी का ही प्रयोग होता है यह विषमता भी है। दूसरी बात है कि विंशतित्वावच्छिन्न आदि के वाचकों का सदा एकत्व होता है, इस कथन के कारण समूह के बोध न होने पर कोटचो- 'ब्रह्महत्यानां' तथा रथानामयुतैः षड्भिः इन प्रयोगों में बहुवचन की अनुपपत्ति होगी।

ये संख्यामात्र के भी बोधक नहीं हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में घटानां विंशतिरानीता, आदि वाक्यों में आनीता इस समानाधिकरण विशेषण की अनुपपत्ति होगी। इसलिए, संख्या-वच्छिन्न के बोधकों से तथा संख्यामात्र के बोधकों से विलक्षण ही ये संख्येय समूह के बोधक विंशति आदि है। इसीलिए इनके एकशेष के होने से समूह सङ्घ एवं द्वन्द्व आदि के समान सबवचनान्तता होती है। संख्यावच्छिन्न के बोधक विंशति आदि के समान एकवचनान्तता नहीं होती है।

प्रश्न है कि यदि विंशति आदि संख्येय समूह के वाचक भी हैं तो अमरसिंह से वैसे क्यों न कहे गये ? इसका उत्तर है कि समूह के वाचकों का समूह आदि शब्दों के समान वचन की व्यवस्था के होने से उनके सकलवचनान्तता की बात स्वतः ही लभ्य है। (यह समझ कर अमर सिंह ने वैसा नहीं कहा। वैसा होने पर भी विंशति आदि का संख्येयसमूहार्थत्व उनसे क्यों न कहा गया। इसका उत्तर है कि वे संख्यावच्छिन्न संख्येय अर्थ में वर्त्तमान रहने पर सदा सकल में रहते हैं—इस अर्थ के बोध कराने के द्वारा उनसे एकवचन ही होता है। द्विवचन बहुवचन नहीं है इस अर्थ के पर्यवसान में होने से सिद्ध है कि वचन की व्यवस्था ही अमरसिंह का उद्देश्य था। संख्येय समूह अर्थ के बोधक विंशति आदि के तो समूह एवं वृन्द आदि शब्दों के समान व्यवस्था रहने से वहाँ वचन की व्यवस्था अनावश्यक होने के कारण उन्होंने नहीं कहा यदि किसी का कहना है कि विंशति आदि शब्द संख्येय समूह अर्थ में शक्त नहीं है, इसीलिए अमरसिंह ने उनके सम्बन्ध में नहीं कहा। समूहत्व रूप से बोध के अनुभव सिद्ध होने से वैसा बोधलक्षणा से उपपन्न होता है। इस आशय से उसके सम्बन्ध में अमरसिंह की उक्ति नहीं है तो वह उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि वैसा होने पर उन शब्दों की संख्या मात्र में ही शक्ति रहे संख्येय अर्थ का लक्षणा से ही निर्वाह होगा, यह स्वीकार कर संख्येय में भी उसकी शक्ति को नहीं कहते। इसलिए अमरसिंह का यह आशय नहीं है।

वैसी स्थिति में विंशति आदि शब्दों के समूह का वाचकत्व का निर्धारण कैसे करते हैं ? यह प्रश्न है। विंशतिर्घटाः तथा घटानां विंशतिः इस तरह दो प्रकार के प्रयोगों के देखने से विंशति आदि को दो शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, यह तो नहीं कह सकते, क्योंकि

उन दोनों प्रयोगों में संख्येय अर्थ की ही प्रतीति होने से विंशति आदि के परिच्छेद्य घट आदि के प्रति विशेषणत्व रूप से या विशेष्यत्व रूप से बोधकत्व के मानने से उन दोनों प्रयोगों की उपपत्ति हो जाती है। उसमें यह विशेष है। परिच्छेद्यों में अभेद सम्बन्ध से विशेषणता होती है और विशेष्यता तो संख्येय में रहने वाली भेद सम्बन्धावच्छिन्न विशेषणता से निरुपित होती है। उसमें उसके विशेषणता समपर्क होने पर नित्य एकवचनान्तता होती है और विशेष्यता समपर्कत्व के रहने पर नित्य एकवचनान्तता होती है और विशेष्यता समपर्कत्व के रहने पर तो द्विवचनान्तता एवं बहुवचनान्तता भी होती है, यह व्यवस्था है। विंशतिर्घटाः, इससे विंशतित्ववद् से अभिन्न घट ऐसा बोध होता है और घटनां विंशतिः इससे घट में रहने वाले विंशेतित्व वाले घट ऐसा होता है। इसलिए कहे गये प्रयोगों की द्विविधता से दो शक्तियों का अवधारण किया जाता है, यह कहना युक्त नहीं है। (ऐसी स्थिति में समूह में शक्ति का अवधारण कैसे किया जाता है, यह प्रश्न है)।

इसके उत्तर में कहा जाता है! महामहोपाध्याय मैथिल परमेश्वर रचित प्रयोगदर्पण नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि "विंशति" आदि में तो एकशेष इष्ट ही है। वह संख्यावच्छिन्न समुदाय अर्थपरक विंशति आदि में होता है। क्योंकि ब्राह्मणानां विंशती, आदि प्रयोग से द्वित्वसंख्यावच्छिन्न दो समुदाय इस अर्थ की प्रतीति होती है, तथा विंशती घटाः आदि प्रयोगों से चालीस अर्थ की प्रतीति होती है। ऐसा भाट्टलोग कहते हैं। इस कथन से विंशति आदि के विंशतित्व आदि से अवच्छिन्न में शक्तत्व तथा विंशतित्वाद्यवच्छिन्न समुदाय में शक्तत्व है, यह स्पष्ट उपलब्ध होता है।

और "पङ्क्तिविंशति त्रिंशत्" इस तद्धित प्रकरण के सूत्र में "यदि ऐसी बात है तो परिमाणी अर्थ में विंशति आदि होंगे, इस भाष्य की व्याख्या करते हुए कैयट ने कहा है कि—परिमाणी भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यसंघात या भिन्न द्रव्य। उसमें संघात एकत्व रूप होता है, इसलिए विंशतिः यह एकवचन होता है। द्रव्यों के परिमाणी होने पर तो विंशतिगवम्, विंशतिपूली आदि प्रयोगों में समानाधिकरण समास की सिद्धि होती है; यह उस भाष्य का भाव है।

इस कैयट के ग्रन्थ का यह अर्थ है कि विंशति आदि परिमाण वाले के बोधक हैं। परिमाणी दो प्रकार के होते हैं एक द्रव्य संघात, अर्थात् विंशतित्व आदि से विशिष्ट व्यक्तियों का संघात (समूह) और दूसरा भिन्न द्रव्य, अर्थात् विंशतित्व आदि से विशिष्ट व्यक्ति। उसमें संघात के एक होने से उसमें रहने वाला एकत्व यदि विवक्षित होता है, तब विंशतिः इस रूप से एकवचन सिद्ध होता है। जब दो वैसे समूह की विवक्षा होती है, तब बहुवचन भी होता है। इसमें एकवचनं सिद्धयति यह पद एकवचनमपि सिद्धयति इस अर्थ का बोधक है। इसलिए अपि का बहुवचन से भी सम्बन्ध है। द्रव्यों के तो परिमाणित्व रहने पर विंशति आदि के विंशतित्व आदि परिमाणविशिष्ट व्यक्ति के वाची होने से विंशतिगवम्, विंशतिपूली इस रूप में समानाधिकरण समास सिद्ध होता है। यदि यहाँ विंशति पद का अर्थ विंशति व्यक्ति से आरब्ध समुदाय होता तो जडे को पूल आदि के साथ समानाधिकरण के न रहने

से तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इस सूत्र से समानाधिकरण के साथ विधीयमान समास न होता । इसलिए वहाँ विंशति पद का अर्थ परिमाणी व्यक्तियाँ स्वीकार किया जाता है । इस भाष्य के व्याख्यापरक कैयट के ग्रन्थ से विंशति आदि विंशतित्व आदि से अवच्छिन्न के वाची है तथा उसके समूह के वाची हैं यह प्रमाणित होता है । उसमें संख्यावच्छिन्न परक विंशति आदि नित्य एकवचनान्त होते हैं । उसके प्रयोग, विंशतिर्घटाः सन्ति, विंशतिं घटान् आनय, विंशत्या रूप्यकैः क्रीतम् आदि है । इसी तरह त्रिंशद् घटाः त्रिंशतं घटान्, त्रिंशता रूप्यकैः क्रीतम् आदि है । विंशतित्ववद् से अभिन्न घट आदि उनके अर्थ है ।

संख्या मात्रपरक विंशति आदि तो सकल वचनान्त होते हैं । जैसे घटानां विंशतिः संख्या, इसका अर्थ है एक घटवृत्तिविंशतित्व संख्या । घटानां विंशती संख्ये, इसका अर्थ है, बहुत घट में रहने वाली दो विंशति वाली संख्या । इह विद्यालये छात्राणां विंशतयः संख्या, इसका अर्थ हुआ—बहुत छात्रों में रहने वाली बहुत विंशतित्व संख्या । संख्यापरक विंशतित्व आदि के योग में संख्येय के वाचक घट आदि पद बहुवचनान्त ही होता है क्योंकि अपने उत्तर में रहने वाली विभक्ति से प्रकृति के अर्थ में रहनी वाली संख्या विवक्षित होती है, और वह बहुत है ।

विंशतित्व आदि संख्या से अवच्छिन्न संख्येय के समुदाय के बोधक भी विंशति आदि शब्द समूह आदि शब्दों के समान सकलवचनान्त होते हैं । जैसे घटानां विंशतिरानीता, बहुत घटगतविंशतित्ववत् से आरब्ध एक समुदाय लाया गया, इसका यह अर्थ है । इसी तरह घटानां विंशती आनीते, इसका घटगत विंशतित्वद्वयवत् से आरब्ध दो समुदाय लाये गये यह अर्थ है । इसी तरह इह छात्राणां विंशतयः पठन्ति, इसका बहुत छात्रगत बहुत विंशतित्ववत् से आरब्ध बहुत समुदाय पढते हैं यह अर्थ है ।

यद्यपि समूह आरब्ध नहीं किया जाता है, किन्तु समूहत्व किया जाता है तथापि समूहत्वगत आरम्भ के कर्मत्व का समूह में आरोपकर वैसा बोध होता है ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि विंशतित्वादि प्रकृति वाली विभक्ति की वाच्यसंख्या का प्रकृति के अर्थ संख्या में ही अन्वय होता है, क्योंकि व्युत्पत्ति में वैचित्र्य होता है । व्युत्पत्तिवाद में गदाधर ने कहा है "विरुद्ध संख्यावच्छिन्न के वाचक शत आदि पदों के उत्तर वाली विभक्ति से उपस्थित करायी जाने वाली संख्या प्रकृत्यर्थतावच्छेदक संख्या में ही अन्वित होती है ।"

नागेश ने तो "पङ्क्तिविंशति" इस सूत्र भाष्य के उद्योत में कहा है—"यहाँ कहा जाता है कि विंशति शब्द एवं द्वय आदि शब्दों में क्या विशेष है, क्योंकि समुदित द्रव्य का समवायित्व दोनों जगह तुल्य है । द्व्येकयोः आदि सूत्रों में उनकी भी संख्यामात्रवचनता देखी गयी है ।

इसलिए यहाँ भाष्य का यह अर्थ है कि विंशति आदि एवं द्वि आदि धर्म में शक्त ही है । धर्म एवं धर्मी में अभेद होने के कारण व्यक्ति में कार्य होते हैं । उन दोनों में भेद एवं अभेद दोनों रहते हैं । विंशति आदि कभी भेद से संख्या को बताते हैं—जैसे गवां विंशतिः

और कभी अभेद से संख्या को बताते हैं—जैसे विंशतिर्गावः। जब भी अभेद से बताता है तब भी धर्मगत संख्या के वैशिष्ट्य से ही उसमें द्रव्य की प्रतीति शब्द की शक्ति के स्वभाव से होती है। जैसे गावो धनम् आदि वाक्यों में प्रीति के हेतुत्व गुण में रहने वाली संख्या के वैशिष्ट्य से धनशब्द से द्रव्य की प्रतीति होती है। इतनी विशेषता तो होती है वहाँ कि कभी स्वगत संख्या के वैशिष्ट्य से भी द्रव्य की प्रतीति होती है, दूसरे में रहने वाले धर्म का वैशिष्ट्य दूसरे का कैसे होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आरोप से वैसा होगा। द्वि आदि तो स्ववाच्यसंख्या विशिष्ट द्रव्य के अभेद रूप से तद्गत संख्या विशिष्ट ही धर्म का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा शब्द की शक्ति के स्वभाव से वे प्रतिपादित करते हैं, कभी भी वहाँ न एकवचन होता है और न विंशति आदि शब्दों से बहुवचन होता है। विंशति के समूह में तो बहुवचन इष्ट ही है। द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने' आदि सूत्रों में तो धर्मगत संख्या विशिष्ट द्रव्य की ही प्रतीति होती है, इससे वहाँ द्विवचन होता है। इस तरह की प्रतीति ऐसी शक्ति विषयक ही होती है, इसलिए कहीं अति प्रसङ्ग नहीं होता। न ब्राह्मणं हन्यात् आदि वाक्यों में जाति में एकवचन है, इसका भी यही अर्थ है। जातिगत संख्या का आरोपकर द्रव्य की ही प्रतीति होती है। जातिगत एकत्व संख्या का आरोप विनिगमना विरह के कारण सफल व्यक्ति में होता है, इसलिए उससे सफल व्यक्ति की प्रतीति होती है। जाति के प्राधान्य की विवक्षा इसका भी यही अर्थ है। इसको ध्वनित करते हुए आगे "अथवाऽव्यतिरेकात्" ऐसा कहा गया है।

यहाँ यह समझना चाहिए कि—यह नागेश का सिद्धान्त "विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः", इस नामलिङ्गानुशासन के प्रतिकूल है, व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थ के विरुद्ध हैं तथा पूर्वोक्त कैयट ग्रन्थ के प्रतिकूल है। सब जगह आरोपरूपी भ्रममूलक बोध को स्वीकार करना भी उचित नहीं है। उसकी अपेक्षा बतायी गयी रीति से बतायी गयी तीनों शक्तियों को स्वीकार कर लेना ही न्याय है।

इसके बाद जो कहा गया है कि संख्यावच्छिन्नपरक उन शब्दों का द्वन्द्व नहीं होता है। वहाँ यह संशय है कि यदि ऐसा है तो एकश्च दश च इस विग्रह में एकादश तथा द्वौ च दश च द्वादश आदि द्वन्द्व कैसे होते हैं। यह नहीं कह सकते कि ये द्वन्द्वसमास नहीं हैं, किन्तु एकाधिका दश इस विग्रह वाला तत्पुरुष है। वहाँ शाकपार्थिवत्व के कारण अधिक शब्द का लोप होता है (जिससे उसकी सिद्धि होती है) क्योंकि ऐच्छिक शाकपार्थिवादित्व की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। एकादश आदि प्रामाणिक प्रयोग तो प्रमाण न हो सकते हैं क्योंकि द्वन्द्वसमास से भी उस प्रयोग की उपपत्ति हो जाती है तथा एकादश आदि से आधिक्य के पदार्थतावच्छेदक रूप से अनुभव का अभाव है। दूसरी बात है कि उस रीति से नवदशभिः इस प्रयोग की आपत्ति होगी तथा सिद्धान्तकौमुदी में एकादश आदि शब्दों के एकश्च दश च आदि विग्रह की उक्ति से उसका विरोध भी है। इसलिए तत्पुरुष नहीं कहा जा सकता है। द्वन्द्व भी उनमें नहीं होता है तो एकादश द्वादश में द्वन्द्व कैसे हुआ यह प्रश्न है। उसके उत्तर में जगद्गुरु, शिवकुमार शास्त्री ने कहा है—"द्वन्द्व के वहाँ अहभिधान-

वादियों का यह तात्पर्य है कि संख्यावच्छिन्न में शक्तों का नाना संख्या प्रकारक बोधपरक द्वन्द्व नहीं होता है, क्योंकि उसका अभिधान नहीं है। एकादश-द्वादश आदि शब्द तो एकादशत्व द्वादशत्व रूप एक संख्याप्रकारक बोध को कराते हैं। एकत्व दशत्व आदि अनेक संख्याप्रकारक बोध नहीं कराते हैं। इसलिये वहाँ द्वन्द्व होता है। नवदशत्व आदि कोई संख्या नहीं है इसलिए नवदश आदि शब्दों से नवत्व दशत्व आदि नाना रूप से ही बोध सम्भव है, अतः वैसा द्वन्द्व नहीं होता है। ऐसा होनेपर भी ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् ऐसा प्रयोग कैसे हुआ, यह तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ नव च दश च वाराणि आवृत्तयो यस्य इस विग्रह में त्रिपद् बहुव्रीहि है द्वन्द्व नहीं है।

संख्यावाचक शब्दों में एक से चतुर तक के शब्द तीनों लिङ्गों में होते हैं। वहाँ एक शब्द नित्य एकवचन है। द्विशब्द नित्य द्विवचनान्त है, चतुर शब्द नित्य बहुवचनान्त है। इसी तरह पञ्चन् से लेकर अष्टादश तक के शब्द नित्यबहुवचनान्त हैं। वे तीनों लिङ्गों में होनेपर भी लिङ्गप्रयुक्त रूप भेद को नहीं प्राप्त करते हैं। किन्तु तीनों लिङ्गों में समान रूप वाले ही होते हैं। वैसा कहा गया है कि—युस्मदस्मद्षट्संज्ञकास्त्रिषु सरूपाः अर्थात् युस्मद् अस्मद् एवं षट् संज्ञक शब्द तीनों लिङ्गों में समान रूप वाले होते हैं। पञ्चन् आदि शब्द ष्णान्ताषट् इस सूत्र से षट् संज्ञा वाले हैं। एकादश से लेकर अष्टादशतक के शब्द संख्या विशिष्टसंख्येय अर्थ में शक्त है। एकोनविंशति से लेकर नवनवति तक के स्त्रीलिङ्ग हैं। वे संख्यावच्छिन्नपरक एकवचान्त होते हैं। संख्यामात्रपरक तथा संख्येयसंघातपरक अनियतवचन होते हैं। शत शब्द से लेकर परार्ध तक के शब्दों में केवल कोटि शब्द स्त्रीलिङ्ग है और प्रायः नपुंसक लिङ्ग हैं। शत आदि भी समूहपरक तथा संख्यामात्र के बोधक अनियतवचन वाले होते हैं। संख्येयमात्र के बोधक तो नित्य एकवचन होते हैं ऐसा समझना चाहिये।

संख्यावाचक शब्दों के विषय में विद्वानों के मतों का संग्रह

(१) एक से लेकर परार्ध तक के वे शब्द संख्यावच्छिन्न के वाचक हैं, यह गदाधर का मत है।

(२) वे सब संख्यामात्र के वाचक हैं, यह नागेश का मत है।

(३) एक से लेकर अष्टादश तक के शब्द संख्यावच्छिन्न के वाचक हैं। एकोनविंशति आदि तो संख्यावाचक एवं संख्यावच्छिन्न के वाचक हैं, यह अमरसिंह का मत है।

(४) एक से लेकर अष्टादश तक के शब्द संख्यावच्छिन्न के वाचक हैं। एकोनविंशति आदि तो संख्यावच्छिन्न के वाचक तथा संख्यावच्छिन्न संघात के वाचक हैं, यह भाट्ट आदि का तथा कैयट का मत है।

(५) हमने तो सबों के मतों को विचार कर एक से लेकर अष्टादश तक के शब्दों की संख्यावच्छिन्न में, विंशति आदि शब्दों की तो संख्या में, संख्यावच्छिन्न में एवं संख्यावच्छिन्न समुदाय में शक्ति कही है। इनके मत भेद से शाब्दबोध में भेद होनेपर भी प्रयोग में कोई भेद नहीं है।

व्युत्पत्तिवाद में जो कहा गया है कि शत आदि पदों के उत्तर में रहने वाली विभक्ति के अर्थ संख्या प्रकृत्यर्थतावच्छेदक संख्या में ही अन्वित होती है। जैसे शतमेकं, द्वे शते, त्रीणि शतानि प्रयोग है। उसमें शत आदि पद विंशति आदि का उपलक्षण है तथा शतमेकम् आदि वाक्यों का घटानाम् आदि शेष है, घटा, शेष नहीं है। द्वे शते घटाः आदि वाक्यों के प्रामाण्य के स्वीकार करने पर 'विंशत्याद्याः सदैकत्वे' इस अनुशासन से विरोध होता है। दूसरी बात है कि वैसे प्रयोगों को कहीं न देखा जाता है। इसलिए परिमाणियों में अभेद सम्बन्ध से विशेषणपरक विंशति आदि का एकवचनान्तत्व में ही साधुत्व चाहना चाहिये। दूसरे मत में तो द्वे शते आदि प्रयोगों में शत आदि शब्द शत आदि समूह के बोधक हैं, क्योंकि उससे दो शत का समूह इस अर्थ की प्रतीति होती है। तब तो घट आदि संख्येय के बोधक शब्द से षष्ठी उचित ही है, इसलिए प्रयोग में भेद का अभाव है। यहाँ विस्तार भय से संक्षेप में ही कहा गया है ॥७५–७६॥

क्वचिदादरे बहुवचनम्

आदरे क्वचिदेकस्मिन् द्वयोरपि च कुत्र चित्।
बहूनां वचनं काव्ये नाटकेऽपि च दृश्यते ॥ ७७ ॥
संज्ञाभिन्नादतः शब्दान्मिश्रादेः परवर्त्तिनि।
तस्मिन् साधुत्वमेष्टव्यं यथा दारादितः परे ॥ ७८ ॥

क्वचिदादरबोधकं बहुवचनमेकद्वेष्वपि प्रयुज्यते कविभिः। यथा एकस्मिन् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। तत्र भवन्तः प्रमाणम्। द्वयोः आचार्याभिनवगुप्तपादा आहुः। गुरुचरणा आहुः। क्वचित्क्वचिदेतादृशप्रयोगदर्शनादद्यत्वे देवदत्तमहोदयाः, भवदत्त-महाशयाः, महामहोपाध्याया इत्येवं भूयांसि एकस्मिन् बहुवचनानि प्रयुञ्जते मन्यन्ते चैकवचनप्रयोगे तदनादरमिव। तदेवं बहुवचनानां साधुत्वे महाकविसंप्रदाय एव शरणम्। परन्तु कवयोऽपि संज्ञाशब्दाद्बहुवचनं क्वचिदपि न प्रयुक्तवन्तः। अतोऽद्यत्वे संज्ञाशब्दोऽपि बहुवचनं साधु मन्यमाना उपेक्ष्याः। व्याकरणविरोधस्तु दारशब्दादि-षूक्तरीत्या कथंचिदत्रापि परिहर्तुं शक्यत एव। परन्तु रामायणपुराणेतिहासादिष्वेवं प्रयोगा नैव दृश्यन्ते। तस्मादियं सृष्टिर्नूतना प्रतिभातीत्यलम्।

वयं ब्रूमः इत्यादेरुपपत्तिः

वयं ब्रूमः इत्यादि बहुवचनं साधु, "अस्मदो द्वयोश्चे"ति शास्त्रात्। न च सविशेषणानां प्रतिषेधात्।

"केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणां
केचिद्वदन्ति वनिताधरपल्लवेषु।
ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षा
जम्बीरनीरपरिपूरितमत्स्यखण्डे ॥"

इत्यत्र कथमेकस्मिन् बहुवचनमिति वाच्यम्, कौमुद्यां "सविशेषणानां प्रतिषेध" इति वार्तिकव्याख्यायां शेखरकृता दत्तोत्तरत्वात्। तत्र हि इदं मुख्यार्थे बहुवचन-निषेधाय। यदा त्वस्मच्छब्दस्य स्वघटिते उद्भूतावयवभेदे समुदाये लक्षणा तदा बहुवचनं भवत्येव। तेन 'त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः' इत्यादि सिद्धमित्युक्तम्। शब्दकौस्तुभे तु "सविशेषणानां प्रतिषेध" इति वार्त्तिके विशेषण-पदेनोद्देश्यसमर्पका एव गृह्यन्ते। तेन 'त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नता' इत्यादौ न प्रतिषेध इत्युक्तम्। परन्त्वेवंरीत्या "ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षा" इत्यत्र बहुवचनं नोपपद्यते ॥ ७७–७८ ॥

सम्मान (प्रदर्शन) में बहुवचन होता है

कहीं आदर में एक में तथा कहीं द्वित्व में भी काव्य एवं नाटक में बहुवचन का प्रयोग देखा जाता है।

संज्ञा से भिन्न मिश्र आदि शब्दों से बाद के ग्रन्थों में उस तरह बहुवचन का प्रयोग देखा जाता है, अतः दार आदि शब्दों से पर के शब्द के समान उस प्रयोग के साधुत्व को मानना चाहिए।

कहीं कवियों द्वारा एक तथा दो में भी आदरबोधक बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक में—आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि, तथा तत्र भवन्तः प्रमाणम् आदि प्रयोग है। दो में—आचार्याभिनवगुप्तपादाः आहुः, गुरुचरणाः आहुः आदि प्रयोग हैं। कहीं-कहीं इस तरह के प्रयोगों को देखने से आजकल देवदत्तमहोदयाः, यज्ञदत्तमहाशयाः एवं महामहोपाध्यायाः इत्यादि एक में बहुतेरे, बहुवचन के प्रयोग लोग करते हैं और एकवचन का प्रयोग करने पर उसे अनादर के समान मानते हैं। इस प्रकार उन बहुवचनों के साधुत्व में महाकवियों का सम्प्रदाय ही शरण है। परन्तु कवियों ने संज्ञाशब्द से कहीं भी बहुवचन का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए आजकल संज्ञाशब्द में भी बहुवचन को साधु मानने वाले उपेक्ष्य हैं। व्याकरण का विरोध तो दार आदि शब्दों में कही गयी रीति से किसी तरह यहाँ भी हटाया जा सकता है। किन्तु रामायण, पुराण एवं इतिहास आदि में ऐसे प्रयोग नहीं देखे जाते हैं। इससे यह शब्द-सृष्टि नवीन है, ऐसा प्रतिभासित होता है।

वयं ब्रूमः आदि प्रयोगों की उपपत्ति

वयं ब्रूमः आदि बहुवचन साधु है, क्योंकि "अस्मदो द्वयोश्च" यह साधुत्व प्रतिपादक सूत्र है। सविशेषणानां प्रतिषेधः इस वार्त्तिक से विशेषण सहित अस्मद् के प्रयोग में बहुवचन का प्रतिषेध होने से—"कुछ लोग कहते हैं कि देवों के पुर में अमृत है। कुछ लोग कहते हैं कि वनिता के अधरपल्लवों में है। पर सकल शास्त्र के विचार में निपुण हम सब कहते हैं कि जम्बीरानिम्बू के जल से परिपूरित मछली के खण्डों में अमृत रहता है।

इस पद्य में विशेषण के रहते एक में बहुवचन कैसे साधु है, यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कौमुदी में सविशेषणानां प्रतिषेधः इस वार्त्तिक की व्याख्या में शेखरकार ने इसका

उत्तर दे दिया है। वहाँ उन्होंने कहा है कि यह मुख्य अर्थ में बहुवचन के निषेध के लिये हैं। जब अस्मद् शब्द की स्वघटित उद्भूत अवयव भेद वाले समुदाय में लक्षणा होती है, तब तो बहुवचन होता ही है। इससे "त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः" अर्थात् तुम राजा हो तो मैं भी उपासना किये गये गुरु की प्रज्ञा के अभिमान से उन्नत हूँ, इस पद के प्रयोग सिद्ध हैं ऐसा उन्होंने कहा है। शब्दकौस्तुभ में तो कहा गया है कि सविशेषणानां प्रतिषेधः इस वार्त्तिक में विशेषण पद से उद्देश्य समपर्क ही लिये जाते हैं। इसलिये, त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिन्नोन्नताः इत्यादि स्थलों में प्रतिषेध नहीं हुआ। परन्तु इस रीति से ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षाः इसमें बहुवचन की उपपत्ति नहीं होती है। ७७,७८॥

अनुषङ्गे लिङ्गवचनविचारः

पूर्ववाक्यादुत्तरत्र पूर्वस्मिन्नुत्तरात्तथा।
शब्दोऽनुषज्यते लिङ्गसंख्याविपरिणामतः॥ ७९॥

आकाङ्क्षितपदस्य पूर्ववाक्यादुत्तरवाक्येऽनुषङ्गो भवति। क्वचिच्च परवाक्यात्-पूर्ववाक्ये। स च यथासंभवं स्वरूपेण, लिङ्गविपरिणामेन, वचनविपरिणामेन, उभय-विपरिणामेन वेत्यष्टधा।

(१) तत्र स्वरूपतः पूर्ववाक्यादुत्तरवाक्येऽनुषङ्गो यथा—

"उपकर्त्रारिणा सन्धिर्न मित्रेणापकारिणा।
उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः"॥
चैत्राय लेखनी दत्ता, मैत्राय पुस्तकी।

अत्र प्रथमोदाहरणे सन्धिरिति पूर्ववाक्यगतं स्वरूपेणैव "न मित्रेणे"त्युत्तर-वाक्येऽनुषज्यते। द्वितीयेऽपि दत्तेतिपदं तथाभूतमेव मैत्राय पुस्तकीत्युत्तरवाक्ये संबध्यते। अन्यथा वाक्यमपूर्णं स्यात्।

(२) स्वरूपेणोत्तरवाक्यात्पूर्ववाक्येऽनुषङ्गो यथा—

"निरुद्ध्यमाना यदुभिः कथंचिन्मुहुर्यदुच्चिक्षिपुरग्रपादान्।
ध्रुवं गुरून् मार्गरुधः करीन्द्रानुल्लङ्घ्य गन्तुं तुरगास्तदीषुः"॥
"स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसनेऽपरे।
यानमाहुस्तदासीनं त्वामुत्थापयति द्वयम्"॥

अत्र प्रथमपद्ये उत्तरवाक्यघटकस्य तुरगा इति पदस्य प्रथमवाक्येऽनुषङ्गः। द्वितीयपद्येऽपि स्वशक्त्युपचये केचिदिति पूर्ववाक्ये 'परस्य व्यसनेऽपरे यानमाहुरि'-त्युत्तरवाक्यात् 'यानमाहुरि'ति पदद्वयं स्वरूपेणैव सम्बध्यते।

(३) लिङ्गविपरिणामेन पूर्ववाक्यादुत्तरवाक्येऽनुषङ्गो यथा—

मया काशी विलोकिता, त्वया वृन्दावनम् ।

अत्र विलोकितेति स्त्रीलिङ्गेन निर्दिष्टं पूर्ववाक्ये। तच्च नपुंसकलिङ्गेन विपरिणामात् विलोकितमित्याकारीकृतं सत् उत्तरवाक्ये सम्बध्यते। तेन त्वया वृन्दावनं विलोकितमिति वाक्यं संपद्यते।

(४) लिङ्गविपरिणामेन परवाक्यात् पूर्ववाक्येऽनुषङ्गो यथा—

मया काशी, त्वया तु वृन्दावनमवलोकितम् ।

अत्र परवाक्यप्रविष्टस्यावलोकितमिति पदस्य स्त्रीलिङ्गेन विपरिणतस्य पूर्ववाक्येऽनुषङ्गः।

(५) वचनविपरिणामेन पूर्ववाक्यादुत्तरवाक्येऽनुषङ्गो यथा—

चैत्रो गृहे भुक्तवान्, मैत्रजैत्रौ बहिः ।

अत्र प्रथमवाक्यस्थस्य भुक्तवानिति पदस्य द्विवचनविपरिणामेनोत्तरवाक्ये सम्बन्धस्तेन मैत्रजैत्रौ बहिर्भुक्तवन्ताविति वाक्यं सम्पद्यते।

(६) वचनविपरिणामेन परवाक्यात् पूर्ववाक्येऽनुषङ्गो यथा—

कस्मै चिदन्तेवासिने द्वे पुस्तके कस्मै चित्तु तन्मूल्यं प्रदत्तम् ।

अत्रोत्तरवाक्यात् प्रदत्तमित्येकवचनान्तस्य द्विवचनान्ततया विपरिणमय्य प्रदत्ते इत्याकारं प्राप्तस्य पूर्ववाक्येऽनुषङ्गः। अत्र च पूर्ववाक्यादप्यन्तेवासिने इति पदस्य यथावदुत्तरवाक्ये सम्बन्ध इत्यपि विशेषः।

(७) लिङ्गवचनोभयविपरिणामेन पूर्ववाक्यादुत्तरवाक्येऽनुषङ्गो यथा—

चैत्रमैत्रौ काशीं गतवन्तौ, तयोर्भार्यास्तु स्वस्वजनकगृहान् ।

अत्र पूर्ववाक्यान्तर्गतस्य गतवन्ताविति पदस्य लिङ्गेन वचनेन च विपरिणामात् गतवत्य इत्येतादृशस्वरूपं प्राप्तस्य परवाक्ये सम्बन्धः।

(८) लिङ्गवचनोभयविपरिणामेनोत्तरवाक्यात् पूर्ववाक्येऽनुषङ्गो यथा—

चैत्रमैत्रयोर्भार्याः स्वस्वजनकगृहान्, तौ तु तीर्थानि गतवन्तौ ।

अत्रोत्तरवाक्यघटकं गतवन्तावितिपदं लिङ्गेन वचनेन च विपरिणतं गतवत्य इत्याकारं सत् पूर्ववाक्ये सम्बध्यते इति दिक् ॥ ७९ ॥

अनुषङ्ग अर्थात् सम्बन्धन की स्थिति में लिङ्ग एवं वचन के सम्बन्ध में विचार—

पूर्व के वाक्य से उत्तर के वाक्य में तथा उत्तर के वाक्य से पूर्व के वाक्य में लिङ्ग एवं वचन के विपरिणाम से शब्द का सम्बन्ध होता है।

आकाङ्क्षित पद का पूर्व के वाक्य से उत्तर के वाक्य में अनुषङ्ग होता है और कहीं उत्तर के वाक्य से पूर्व वाक्य में सम्बन्ध होता है। वह यथासम्भव स्वरूप से लिङ्ग के विपरिणाम से वचन के विपरिणाम से या दोनों के विपरिणाम से होने के कारण आठ प्रकार का होता है।

(१) उसमें पहला स्वरूप से पूर्ववाक्य से उत्तरवाक्य में अनुषङ्ग जैसे—उपकार करने वाले अरि से सन्धि होती है, अपकार मित्र से नहीं होती। क्योंकि उपकार एवं अपकार ही मित्र एवं शत्रु का लक्ष्य तथा लक्षण है। इस अर्थ वाले पद्य के प्रथम उदाहरण में सन्धि—यह पूर्ववाक्यगत पद, न मित्रेण इस उत्तर वाक्य में स्वरूपतः सम्बन्धित होता है। चैत्राय लेखनी दत्ता मैत्राय पुस्तकी इस दूसरे उदाहरण में पूर्ववाक्यगत दत्ता यह पद मैत्राय पुस्तकी इस उत्तर वाक्य में स्वरूपतः सम्बन्धित होता है!

(२) दूसरा प्रकार स्वरूपतः उत्तरवाक्य से पूर्ववाक्य में सम्बन्ध का जैसे—किसी तरह यदुवंशियों से रोके जा रहे तुरग जो आगे के पैरों को ऊपर चलाये। वह निश्चित ही वे तुरग मार्ग को आगे रोकने वाले बड़े हाथियों को लाँघ कर जाना चाहे। इस अर्थ वाले प्रथम पद्य के उत्तरवाक्य में रहने वाले तुरग पद का प्रथम वाक्य में अनुषङ्ग स्वरूपतः होता है।

कुछ लोग अपनी शक्ति की वृद्धि होने पर, दूसरे कुछ लोग शत्रु पर व्यसन के आने पर यान (चढ़ाई) करना चाहिए ऐसा कहते हैं। वे दोनों चुप बैठे आप को उठा रहे हैं, इस अर्थ वाले दूसरे पद्य के पूर्ववाक्य में यानमाहुः इस उत्तर वाक्य से यानमाहुः इन दोनों पदों का स्वरूपतः ही सम्बन्ध होता है।

(३) तीसरा प्रकार, लिङ्ग के विपरिणाम से पूर्व के वाक्य से उत्तर वाक्य में अनुषङ्ग का जैसे—मया काशी विलोकिता त्वया वृन्दावनम्—इस उदाहरण में पूर्व के वाक्य में विलोकित यह स्त्रीलिङ्ग से निर्दिष्ट पद है। वह नपुंसक लिङ्ग से विपरिणाम से विलोकित इस आकार का किया गया उत्तरवाक्य में सम्बन्धित होता है। उससे त्वया वृन्दावनं विलोकितम् ऐसा वह वाक्य सम्पन्न होता है।

(४) चतुर्थ प्रकार लिङ्ग के विपरिणाम से उत्तर के वाक्य से पूर्व वाक्य में अनुषङ्ग का है जैसे—

मया काशी त्वया तु वृन्दावनमवलोकितम्।

यहाँ उत्तर के वाक्य में प्रविष्ट अवलोकितम् इस पद का स्त्रीलिङ्ग में अवलोकिता इस रूप में विपरिणाम होकर पूर्व के वाक्य में अनुषङ्ग है।

(५) पाँचवा प्रकार वचन के विपरिणाम से पूर्व के वाक्य उत्तर वाक्य में अनुषङ्ग का जैसे—

चैत्रो गृहे भुक्तवान् मैत्रजैत्रौ बहिः।

इसमें पूर्व वाक्य में रहने वाले भुक्तवान् इस पद का द्विवचन में विपरिणाम से उत्तर वाक्य में सम्बन्ध है, जिससे चैत्रजैत्रौ बहिर्भुक्तिवन्तौ यह वाक्य सम्पन्न होता है।

(६) छठा प्रकार वचन के विपरिणाम से पर के वाक्य से पूर्व वाक्य से अनुषङ्ग जैसे—

कस्मैचिदन्तेवासिने द्वे पुस्तके, कस्मैचित्तु तन्मूल्यं प्रदत्तम् ।

इस उदाहरण में उत्तर के वाक्य से प्रदत्तम् इस एकवचनान्त का द्विवचन रूप में विपरिणाम कर प्रदत्ते ऐसा आकार प्राप्त होने पर पूर्व वाक्य में अनुषङ्ग है और पूर्व वाक्य के अन्तेवासिने इस पद का यथावत् उत्तर वाक्य में सम्बन्ध है, यह भी इसमें विशेष है ।

(७) सातवाँ प्रकार है लिङ्ग एवं वचन दोनों के विपरिणाम से पूर्व के वाक्य से उत्तर के वाक्य में अनुषङ्ग का जैसे—

चैत्रमैत्रौ काशीं गतवन्तौ तयोर्भार्यास्तु स्वस्वजनकगृहान् ।

इस वाक्य के उत्तर में रहने वाले गतवन्तौ पद का लिङ्ग से तथा वचन से विपरिणाम कर गतवत्यः इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त करने पर पूर्व के वाक्य में अनुषङ्ग हुआ है ।

(८) आठवाँ प्रकार है—लिङ्ग एवं वचन दोनों के विपरिणाम से उत्तरवाक्य से पूर्ववाक्य में अनुषङ्ग जैसे—

चैत्रमैत्रयोर्भार्याः स्वस्वजनकगृहान् तौ तु तीर्थानि गतवन्तौ ।

इस महावाक्य में उत्तर वाक्य घटक गन्तवन्तौ यह पद लिङ्ग एवं वचन से विपरिणतं गतवत्यः इस आकार वाला पूर्व वाक्य में सम्बन्धित होता है । यहाँ दिशा निदर्शन हुआ ॥७९॥

प्रकृतिविकृतिभावे वचनव्यवस्था

प्रकृतिर्विकृतिश्चैव यत्र कर्मद्वयं स्थितम् ।
तत्रेच्छया लादयः स्युः क्वचिदेकत्र कर्मणि ॥८०॥
एवं यत्रोभयं कर्तृ प्रकृतिर्विकृतिस्तथा ।
तत्रापि क्वचिदेकस्मिन्नर्थे कर्तरि लादयः ॥८१॥

अथेदं विचार्यते प्रकृतिविकृत्युभयकर्मकात् तादृशोभयकर्तृकाच्च धातोः किं प्रकृतिरूपे कर्मणि कर्तरि च लकाराः आहोस्वित् विकृतिरूपे ? तत्राद्यपक्षे काष्ठानि भस्म क्रियन्ते, काष्ठानि भस्म भवन्ति, काशाः कटः क्रियन्ते, काशाः कटो भवन्तीत्यादयः प्रयोगाः स्युः । अन्त्यपक्षे तु काष्ठानि भस्म क्रियते भवति वा । काशाः कटः क्रियते भवति वेत्यादयः । न च करोतेः काष्ठकाशादिकर्मकत्वमसंगतम्, तस्य यत्नार्थकत्वात् उत्पादनार्थकत्वाद्वा । अत एव काष्ठानि क्रियन्ते इत्यादयो न प्रयोगा इति वाच्यम्, यथा बलाहकाद्विद्योतते विद्युदित्यत्र निस्सरणाङ्गे विद्योतने द्युतिर्वर्तते वलाहकान्निःसृत्य विद्योतते इत्यर्थप्रत्ययात्, तथा करोतेरपि दाहाद्यङ्गे (दाहादिपूर्वके) उत्पादने वृत्या काष्ठादिकर्मकत्वसंभवात् । काष्ठानि भस्म करोतीत्यतः काष्ठानि दहन् भस्मोत्पादयतीत्यर्थः । दाहादेः स्वजन्यत्वसम्बन्धेनोत्पादनेऽन्वयात् यत्र काष्ठं दहति सुवर्णस्य च भस्म करोति तत्र काष्ठानि भस्म करोतीति न । तस्मात् काष्ठभस्मनोः

प्रकृतिविकृतिभावविवक्षायामेव तथा प्रयोगः। एवं काशान् कटं करोतीत्यतः काशान् योजयन् कटमुत्पादयतीति बोधः। तथा च दाहादौ काष्ठादेः कर्मत्वमुत्पादने तु भस्मादेः।

अत्र प्रकृतिविकृतिभावसम्बन्धे षष्ठीं विधाय काष्ठानां भस्म करोति, काशानां कटं करोतीत्यादयोऽपि प्रयोगा भवन्ति। प्रकृतिरूपे विकृतिरूपे वा कर्मादौ लादय इति सन्देहबीजन्तु आख्यातेनोभयोः कर्मणोः कर्त्रोर्वाऽभिधानेऽपि तयोर्विभिन्नसंख्यकत्वे उभयगतसंख्ययोर्बोधयितुमशक्यत्वादन्यतरगताया एव संख्याया बोधनीयत्वेन प्रकृतिगतसंख्याबोधकस्तिङ् विधेय उत विकृतिसंख्याबोधक इत्यत्र विनिगमनाविरहः। न च 'काशी प्रयागो मथुरा च मया गंस्यन्ते' इत्यत्र यथा सकलकर्मगता संख्या तिङाभिधीयते तथा काष्ठानि भस्म क्रियन्ते इत्यत्रापि सकलकर्मगता संख्याभिधीयतामिति वाच्यम् एवं हि काष्ठं भस्म क्रियेते इति प्रयोगापत्तेः।

अत्र वदन्ति प्रकृतिविकृत्युभयकर्मसत्त्वे "गृह्णाति वाचकः संख्यां प्रकृतेर्विकृतेर्न हि" इत्युक्तत्वात्, "भस्मीभवन्ति राजेन्द्र महापातककोटय" इत्यादिप्रयोगदर्शनाच्च प्रकृतिसंख्याभिधायक एव तङ्प्रत्ययो भवतीति। तदसत् "पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भवतः" इति महाभाष्यप्रयोगविरोधात्। अत्राख्यातस्य विकृतिभूतकुण्डलसंख्याबोधकत्वात्। 'गृह्णाति वाचकः संख्यां प्रकृतेर्विकृतेर्न ही'ति केनचिदुक्तस्य प्रामाणिकत्वाभावाच्च।

दर्पणकृन्मतखण्डनम्

यत्तु दर्पणकृता प्रकृत्युच्छेदसंभूतमितिभूषणस्थितकारिकाव्याख्यावसरे परे त्वित्यादिनोक्तम् खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भवत इति भाष्यनिर्देशो नाख्यातस्य विकृतिसमानवचनत्वे उपष्टम्भकः। तथा हि भाष्ये खदिराङ्गारसदृशे इति विशेषणेन तत्र कुण्डलयोः प्रकृतित्वं गम्यते, सिद्धायाः विकृतेः पाकानपेक्षणात्। पुनरपरया कृत्या युक्त इति विशेषणेन तु सुवर्णपिण्डस्य विकृतित्वम् आकृत्यन्तरयोगस्य प्रकृतित्वाप्रयोजकत्वात्। युज्यते चैतत् 'मृत्तिकेत्येव सत्यमि'तिवत् संहृतिमुखेन पुनरावृत्त इत्यनेनापि सुवर्णपिण्डस्य विकृतित्वं गम्यते। तथा हि पूर्वोपक्रान्ताया विकृतिपरम्परायास्तत्पर्यवसायित्वेन सिषाधयिषितसुवर्णनित्यत्वसिद्धेः। तस्मात् पूर्वनिर्दिष्टापराकृतिविशिष्टस्य तस्य विकृतित्वमेव भाष्यकृत्तात्पर्यविषय इत्यस्यापि वक्तुं शक्यतया नोक्तभाष्यमाख्यातस्य विकृतिसमानवचनत्वे साधकमिति—

तन्न। यथा हि सुवर्णस्य पिण्डप्रकृतित्वं पिण्डस्य तु सुवर्णविकृतित्वं यथा वा सुवर्णपिण्डस्य स्वस्तिकप्रकृतित्वं स्वस्तिकानान्तु सुवर्णपिण्डविकारत्वं भाष्याल्लभ्यते तथैव सुवर्णपिण्डे कुण्डलद्वयप्रकृतित्वलाभात् तथा हि "सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, स्वस्तिकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले

भवतः" इति भाष्यं सांख्यमतानुसारेण प्रवृत्तम् । तन्मते च कार्यकारणयोरभेदोपगमात् एकस्मिन् सुवर्णे आकृतिर्न्नाना सुवर्णन्तु तदेवेति दृष्टान्तमुखेन द्रव्यस्य नित्यत्वसाधकम् । तस्यायमर्थः विश्लिष्टाऽनेकसुवर्णखण्डमग्नितापात् कयाचिदाकृत्या पिण्डव्यवहारप्रयोजकाकृत्या युक्तं सत् पिण्डो भवति पिण्डव्यवहारविषयो भवति। ततः पुनरग्नितापादितः पिण्डाकृतिमुपमृद्य पिण्डाकृतिं तिरोभाव्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनः स्वस्तिकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते । पुनश्च ते दहनतापादेव आवृत्तः पुनरुद्भूतः सुवर्णपिण्डः अपरया पिण्डव्यवहारप्रयोजकाकृतिभिन्नया कुण्डलद्वयव्यवहारसंपादिकयाकृत्या युक्तः सन् कुण्डले भवतः इति ।

एवं चैतद्भाष्यं कुण्डलयोरेव विकृतित्वतात्पर्यकं न सुवर्णपिण्डस्य । नानाखण्डसुवर्णात् सुवर्णपिण्डः, सुवर्णपिण्डात् स्वस्तिकाः, स्वस्तिकेभ्यः कटकाः, पुनरग्नौ द्रुतेभ्यः कटकेभ्यः सुवर्णपिण्डः पुनस्तस्मात् कुण्डले इत्येवं विकृतिपरम्परायां सुवर्णमेव सर्वमिति द्रव्यस्य नित्यत्वसिद्धेः। यद्वा पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्ड इत्यनेनोपसंहृत्य सृष्टिप्रवाहदिदर्शयिषया पुनः कुण्डलसृष्टिरभिहिता । त्वदुक्तोत्प्रेक्षिताशयकत्वे कुण्डलसृष्टेरनुक्तयोपक्रमोपसंहारयोरसंगतिः। खदिराङ्गारसदृशे इति विशेषणं न कुण्डलयोः प्रकृतित्वसाधकं, न हि तत् तदानीन्तनपाकविशिष्टपरत्वे एव संगतं, सिद्धयोरपि कुण्डलयोर्भास्वररक्तवर्णतया खदिराङ्गारसादृशात् । अत उपरञ्जकमेव तद्विशेषणम् । तथा आकृत्यन्तरयोगस्य प्रकृतित्वाप्रयोजकत्वादित्यपि तदुक्तिरत्युक्तैव, सुवर्णपिण्डस्य कुण्डलाकृतिसम्बन्धाभावे कार्यकारणयोरैक्यानुपपत्तेः। न च तथा सति सुवर्णपिण्डे कुण्डलव्यवहारापत्तिः, कुण्डलाकृतेः सूक्ष्मरूपेणावस्थानात् । यदा तु तस्य प्राकट्यं तदा कुण्डलव्यवहारो भवत्येव। न चैवमाकृतेरपि नित्यत्वमेवेति "आकृतिरन्या चान्या चे"ति भाष्यविरोध इति वाच्यम्, व्यावहारिकदृष्ट्या तथोपादानात्, सिद्धान्ते त्वाकृतिरपि नित्यैव इतरथा सदेव कार्यमिति सिद्धान्तभङ्गापत्तेः। एवञ्चोक्तभाष्यप्रयोगविरोधात् । प्रकृतिकर्मणि लादय इति निर्णयः कर्तुमशक्य इति चेत्—

अत्रोच्यते। भस्मीक्रियते भस्मीभवन्तीत्यादिविकृतिवाचकप्रकृतिच्विप्रत्ययस्थले च्विप्रत्ययप्रकृत्यर्थस्य च्व्यर्थारोपेऽन्वयित्वेन तस्य कर्मत्वादिना क्रियान्वयासंभवात् तद्भिन्नस्य प्रकृतिरूपार्थस्यैव कर्मत्वं वा युज्यते। एवञ्च तत्रैव कर्मणि कर्तरि वा लादयः, तद्गतैव च संख्या तिङा बोध्या। अन्यत्र तु कामचारः प्रकृतिगताया विकृतिगताया वा संख्यास्तिङा बोधयितुं शक्यत्वात् ।

"गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम् ।
बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया" ॥

इति दुहादिविषये प्रामाणिकनियामकवत् प्रकृतिविकृत्युभयकर्मकधातुविषये नियामकाभावात् ।

'गृह्णाति वाचकः संख्यां प्रकृतेर्विकृतेर्न हि' इति केनचिदुक्तं तु सुवर्णं कुण्डले भवत इति भाष्यप्रयोगप्रतिकूलत्वान्न प्रामाणिकम्।

इदन्तु बोध्यम्। गौणे कर्मणि दुह्यादेरित्यादिवचनबलाद्यत्र कर्मणि प्रत्ययो जायते तस्मादन्यत् कर्म अनुक्तमेव भवति। अतस्तत्र कर्मत्वप्रयुक्ता द्वितीया भवति, यथा समुद्रो रत्नानि दुदुहे, बलिर्वसुधां याचितः। प्रकृतिविकृत्युभयकर्मकधातोस्तु यस्मिन् कर्मणि प्रत्ययः क्रियते ततोऽन्यदपि कर्म उक्तवद्भवति। तेन काशाः कटः क्रियन्ते इत्यादय एव प्रयोगाः न तु काशाः कटं क्रियन्ते इत्यादयः। अत्र च तथा प्रामाणिकप्रयोगदर्शनमेव मानम् ॥ ८०–८१ ॥

प्रकृति का विकृतिभाव होने पर वचन की व्यवस्था

जहाँ प्रकृति एवं विकृति रूप दो कर्म रहे, वहाँ इच्छा से किसी एक कर्म में लकार आदि होते हैं।

इसी तरह जहाँ प्रकृति तथा विकृति दो कर्त्ता हों, वहाँ भी किसी एक कर्त्ता अर्थ में लकार आदि होते हैं।

अब यह विचार किया जाता है कि प्रकृति एवं विकृति दोनों कर्म वाले तथा उस तरह के ही प्रकृति एवं विकृति कर्त्ता वाले धातु से क्या प्रकृतिरूप कर्म तथा कर्त्ता अर्थ में लकार होते हैं या विकृतिरूप कर्म तथा कर्त्ता अर्थ में होते है ? यहाँ आद्य पक्ष अर्थात् प्रकृतिरूप कर्म तथा कर्त्ता में होते हैं, ऐसा मानने पर काष्ठानि भस्म क्रियन्ते ऐसा कर्मवाच्य में तथा काष्ठानि भस्म भवन्ति ऐसा कर्त्तावाच्य में प्रयोग प्राप्त है। इसी तरह काशाः कटः क्रियन्ते एवं काशाः कटो भवन्ति आदि क्रमशः प्रयोग होंगे। अन्त्य पक्ष अर्थात् विकृति रूप कर्म तथा कर्त्ता में होते हैं ऐसा मानने पर काष्ठानि भस्म क्रियन्ते, यह कर्मवाच्य में तथा काष्ठानि भस्म भवति ऐसा कर्तृवाच्य में रूप होगा। यहाँ पर कहें कि कृ धातु का काष्ठ तथा काश आदि कर्म वाला होना असंगत है, क्योंकि कृ धातु गति अर्थ वाला है, या उत्पादन अर्थ वाला है। अतएव काष्ठानि क्रियन्ते आदि प्रयोग नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे बलाहकाद्विद्योतते विद्युत् इस प्रयोग में निःसरण अङ्ग वाले विद्योतन अर्थ में द्युत धातु है, क्योंकि उस प्रयोग से बलाहक के निकल कर विद्योतित होता है ऐसे अर्थ का बोध होता है। उसी तरह करोति (कृ धातु) भी दाह आदि अङ्ग वाले उत्पादन में शक्ति के होने से काष्ठ आदि कर्म वाला होना सम्भव है। काष्ठानि भस्म करोति, इससे काष्ठ को जलाता हुआ भस्म को उत्पन्न करता है, इस अर्थ की प्रतीति होती है। दाह आदि का स्वजन्यत्व सम्बन्ध से उत्पादन में अन्वय होने से जहाँ काष्ठ को दग्ध करता है, तथा सुवर्ण का भस्म करता है, वहाँ काष्ठानि भस्म करोति ऐसा प्रयोग नहीं होता। इसलिए काष्ठ एवं भस्म में प्रकृति एवं विकृति भाव की विवक्षा रहने पर ही वैसा प्रयोग होता है। उसी तरह काशान् कटं करोति इससे काशान् योजयन् कटमुत्पादयति ऐसा बोध होता है। उस तरह दाह आदि के प्रति काष्ठ आदि में कर्मत्व है और उत्पादन में भस्म आदि में कर्मत्व है।

इस प्रकृति विकृतिभाव सम्बन्ध में षष्ठी का विधान कर काष्ठानां भस्म करोति, काशानां कटं करोति आदि भी प्रयोग होते हैं। प्रकृतिरूप कर्म में या विकृतिरूप कर्म में लकार आदि होंगे इस सन्देह का बीज तो यह है कि आख्यात से दोनों कर्मों तथा दोनों कर्त्ताओं के अभिधान होने पर भी जहाँ वे दोनों विभिन्न संख्या वाले हैं वहाँ दोनों में रहने वाली संख्याओं को बोध कराना अशक्य होने के कारण दोनों में से किसी एक की संख्या बोधनीय होगी। ऐसी स्थिति में क्या प्रकृति गत संख्या का बोधक तिङ् विधेय है या विकृतिगत संख्या का बोधक तिङ् विधेय है, विनिगमना (एक पक्षसाधक युक्ति) के विरह से एक पक्ष में निश्चय न होने के कारण संशय होता है। "काशी प्रयागो मथुरा च मया गंस्यन्ते", इस वाक्य में जैसे सब कर्म में रहने वाली संख्या तिङ् से कही जाती है, उसी तरह काष्ठानि भस्म क्रियन्ते यहाँ भी सब कर्म में रहने वाली संख्या कही जाय, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस तरह काष्ठं भस्म क्रियेते इस तरह के प्रयोग की आपत्ति होगी।

इस सन्देह की स्थिति में कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति एवं विकृतिरूप दोनों कर्मों के रहने पर "गृह्णाति वाचकः संख्यां प्रकृतेर्विकृतेर्न हि" (वाचक प्रकृति की संख्या का ग्रहण करता है विकृति का नहीं) यह कहा गया है इसलिए तथा "भस्मो भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः", आदि प्रयोगों को देखने से प्रकृतिगत संख्या का अभिधायक ही तङ् होता है। किन्तु उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि "पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाकृत्यायुक्तः खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भवतः", इस महाभाष्य के प्रयोग से उस सिद्धान्त का विरोध होता है। इस प्रयोग में आख्यात विकृतिभूत कुण्डल की संख्या का बोधक है। "गृह्णाति वाचकः संख्यां प्रकृतेर्विकृतेर्न हि" किसी के द्वारा कहे गये इस वचन में प्रामाणिकत्व के अभाव से भी वैसा सिद्धान्त ठीक नहीं है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रदर्शित दर्पणकार के मत का खण्डन

प्रकृत्युच्छेदसम्भूतम् इस वैयाकरणभूषण की कारिका के व्याख्यान के अवसर पर उसकी दर्पण व्याख्या करने वाले आचार्य ने परे तु आदि वाक्यों से जो कहा है कि "खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भवतः" यह भाष्य निर्देश आख्यात के विकृति के समानवचनत्व में साधक नहीं है। जैसे—भाष्य में खदिराङ्गार सदृशे इस विशेष के देने से कुण्डलयोः इसमें प्रकृतित्व का बोध होता है, क्योंकि सिद्ध विकृति को पाक की अपेक्षा न होती है। पुनरपरयाकृत्या युक्त इस विशेषण से तो सुवर्णपिण्ड का विकृतित्व सिद्ध होता है। यह मानना युक्तिसंगत है कि दूसरी दूसरी आकृति का योग प्रकृतित्व का प्रयोजक नहीं होता है। उपनिषद् के "मृत्तिकेत्येव सत्यम्" इस वचन के अनुसार संहार पूर्व में कहकर पुनरावृतः ऐसा कहने से सुवर्णपिण्ड का विकृतित्व ज्ञात होता है। जैसे पूर्व में प्रारम्भ की गयी विकृति की परम्परा का सुवर्णपिण्ड में ही पर्यवसान होने से साधन करने के लिए इस सुवर्ण के नित्यत्व की सिद्धि होती है। इसलिए उस वाक्य के पूर्व में निर्दिष्ट दूसरी आकृति से विशिष्ट उसका विकृतित्व ही भाष्यकार के तात्पर्य का विषय है, यह भी कहा जा सकता है, इसलिए कहा गया वह भाष्य आख्यात के विकृतिसमानवचनत्व में साधक नहीं है।

दर्पणकार का यह कथन ठीक नहीं हैं। क्योंकि जैसे सुवर्ण का पिण्ड का प्रकृतित्व, और पिण्ड का सुवर्णविकृत्व प्राप्त होता है या जैसे सुवर्णपिण्ड का स्वस्तिक का प्रकृतित्व तथा स्वस्तिकों का सुवर्णपिण्ड विकारत्व भाव्य से मिलता है, उसी तरह सुवर्ण पिण्ड में कुण्डलद्वय के प्रकृतित्व का लाभ होता है। जैसे "सुवर्णं कयाचित्कृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, स्वस्तिकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, पुनरावृतः सुवर्णपिण्डः पुनरपरया कृत्या युक्तः खदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भावतः" अर्थात् सुवर्ण किसी आकार से युक्त पिण्ड होता है, उस पिण्ड के आकार का उपमर्दन कर स्वस्ति किये जाते हैं। फिर स्वस्तिक के आकार का उपमर्दन कर कटक बनाये जाते हैं। फिर उसके भी उपमर्दन से अपने रूप में आया सुवर्णपिण्ड फिर दूसरे आकार से युक्त खदिर की लकड़ी के अङ्गार के समान दो कुण्डल हो जाते हैं। यह भाष्य सांख्यदर्शन के मत के अनुसार प्रतिपादन में प्रवृत्त हुआ है। उस मत में कार्य एवं कारण में अभेद माना जाता है। जिससे एक सुवर्ण में नाना आकार होते हैं, किन्तु सुवर्ण तो वही होता है, इस दृष्टान्त के मुख से भाष्यकार ने द्रव्य को नित्यत्व का साधक बताया है। उसका यह अर्थ है कि विश्लिष्ट अनेक सुवर्ण खण्ड अग्नि के ताप से किसी आकृति से अर्थात् पिण्ड इस व्यवहार के प्रयोजक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होता है अर्थात् पिण्ड इस व्यवहार का विषय होता है। उसके बाद फिर अग्नि के ताप आदि से पिण्डाकृतिमुपमृद्य अर्थात् पिण्ड के आकार को तिरोहित कर स्वस्तिकाः क्रियन्ते। फिर स्वस्तिक के आकार को तिरोहित कर कटक किये जाते हैं। फिर वे अग्नि के ही ताप से आवृत फिर हुआ सुवर्णपिण्ड दूसरे आकृति से अर्थात् पिण्ड इस व्यवहार के प्रयोजक आकृति से भिन्न कुण्डलद्वय के व्यवहार को सम्पादित करने वाली आकृति से युक्त होकर कुण्डल होते हैं।

इस तरह यह भाष्य कुण्डलों के ही विकृतित्व का साधक है, सुवर्णपिण्ड के विकृति का साधक नहीं है। नाना खण्ड वाले सुवर्ण से सुवर्णपिण्ड, सुवर्णपिण्ड से स्वस्तिक, स्वस्तिकों से कटक, फिर अग्नि में हुत कटकों से सुवर्णपिण्ड होता है, फिर उससे कुण्डल होते हैं। इस तरह की विकृति की परम्परा में सुवर्ण ही सब हैं, इस तरह द्रव्य नित्यता की सिद्धि होती है। अथवा पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः इससे उपसंहार कर पुनः सृष्टि के प्रवाह को दिखाने की इच्छा से फिर कुण्डल की सृष्टि कही गयी, भाष्य के आप से कहे गये सम्भावित आशय वाले होने पर कुण्डल की सृष्टि के अनुक्त होने से आरम्भ एवं उपसंहार में संगति न होती। खदिराङ्गारसदृशे यह विशेषण कुण्डलों के प्रकृतित्व का साधक नहीं है, क्योंकि उस समय के पाक से विशिष्टपरक रहने पर ही खदिराङ्गार सदृश विशेष संगत होता है, ऐसी बात नहीं है, इसका कारण यह है कि सिद्ध कुण्डलों की भी भास्वररक्तवर्णता के कारण खदिराङ्गार सादृश्य होता है। इसलिए उपलक्षक हो वह विशेषण है। उसी तरह आकृत्यन्तरयोगस्य प्रकृतित्वाप्रयोजकत्वात् यह उनकी उक्ति भी अयुक्त ही है क्योंकि सुवर्णपिण्ड को कुण्डलाकृति से सम्बन्ध न रहने पर कार्य एवं कारण में ऐक्य की अनुपपत्ति होगी। दोनों में ऐक्य होने पर सुवर्णपिण्ड में कुण्डल इस व्यवहार की आपत्ति होगी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि

कुण्डल की आकृति का उसमें सूक्ष्म रूप से अवस्थान होता है। जब उसका प्राकट्य होता है तब कुण्डल शब्द का व्यवहार होता है। ऐसा मानने पर "अकृतेरपि नित्यत्वम्" इस भाष्य में एवं "आकृतिरन्याचान्या च भवति" इस भाष्य में विरोध होगा यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से भाष्यकार ने वैसा उपपादन किया है। सिद्धान्त में तो आकृति भी नित्य है, अन्यथा कारण में सत् कार्य ही उत्पन्न होता है, इस सिद्धान्त के भङ्ग की आपत्ति होगी। इसलिए उस भाष्य के विरोध के कारण प्रकृतिरूप कर्म में ल आदि होता है ऐसा निर्णय करना अशक्य है, यह पूर्वपक्ष है।

यहाँ उत्तर के रूप में कहा जाता है—'भस्मीक्रियते भस्मीभवन्ति" आदि विकृति के वाचक प्रकृति वाले च्वि प्रत्यय के स्थल में च्वि प्रत्यय के प्रकृत्यर्थ का च्वि के अर्थ आरोप में अन्वयी होने के कारण उसका कर्मत्व आदि के रूप में क्रिया के साथ अन्वय के असम्भव होने से उससे भिन्न प्रकृतिरूप अर्थ का कर्मत्व या कर्तृत्व युक्त होता है। इस प्रकार उसी कर्म में कर्त्ता में ल आदि होते हैं। अन्य स्थलों में तो कामचार है प्रकृतिगत या विकृतिगत संख्या का तिङ् से बोध कराना शक्य है।

"दुह् आदि धातुओं से गौणकर्म में तथा नीह् कृष् एवं वह् धातुओं से प्रधान कर्म में ल आदि होते हैं। बुद्धयर्थक एवं भक्षार्थक धातुओं से शब्दकर्मकों से अपनी इच्छा के अनुसार गौण या प्रधान में होते हैं।"

दुह् आदि धातुओं के विषय में इस प्रामाणिक नियामक के समान विकृति एवं विकृतिरूप दोनों कर्म वाले धातुओं के विषय में नियामक का अभाव है।

वाचक प्रवृत्ति के संख्या को लेता है, विकृति के संख्या को नहीं लेता, यह किसी का कहा हुआ तो "सुवर्णकुण्डले भवतः" इस भाष्य प्रयोग के प्रतिकूल होने से प्रामाणिक नहीं है।

यह तो समझना चाहिए कि "गौणे कर्मणि दुह्यादेः" आदिवचन के बल से जिस कर्म में प्रत्यय होता है, उस कर्म से अन्य कर्म अनुक्त ही होता है। इसलिए वहाँ कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया होती है। जैसे—"समुद्रो रत्नानि दुदुहे", "बलिर्वसुधां याचितः" आदि प्रयोग हैं। प्रकृति एवं विकृतिरूप दोनों कर्म वाले धातु से तो जिस कर्म में प्रत्यय किया जाता है, उससे दूसरा कर्म भी उक्त के समान ही होता है। इसलिए "काशः कटः क्रियन्ते" आदि ही प्रयोग होते हैं, "काशाः कटे क्रियन्ते" ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं। इसमें वैसे प्रामाणिक प्रयोगों का देखना ही प्रमाण है ॥८०–८१॥

भ्रान्तेरुक्तौ तथारोपे तद्विशेष्यार्थगामिनी।
प्रायः प्रत्याय्यते संख्या तिङेत्येतद्विभाव्यताम् ॥ ८२ ॥

तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानं भ्रमः। स च त्रिविधः तदभावज्ञानरूपबाधाऽपूर्वकः, तत्पूर्वकः विरुद्धानेककोटिकश्च। क्रमेण यथा रङ्गे इदं रजतम्। मुखं चन्द्रः।

अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। तत्राद्यो भ्रमशब्देन व्यवह्रियते, यद्वान् भ्रान्तोऽसीच्युते। द्वितीयस्तु आरोप इति आहार्यारोप इति वा व्यपदिश्यते। तृतीयस्तु संशयः। आरोपस्य वस्तुतो भ्रमत्वेऽपि तद्वान् पुरुषो भ्रान्त इति नोच्यते लोके। तत्र लोकव्यवह्रियमाणभ्रमप्रतिपादकवाक्ये तिङा प्रायेण भ्रमविशेष्यगता संख्या बोध्यते, यथा नेत्ररोगवशादनेन चन्द्रो द्वौ दृश्यते।

एवमारोपवाक्येऽपि प्रायेणारोपविशेष्यगता संख्या तिङा प्रत्याय्यते, यथा एकोऽपि घटोऽतिबृहत्वात् द्वौ घटौ मन्यताम्।

क्वचित्पुनरारोग्यमाणगतापि संख्या तिङा प्रतिपाद्यते, यथा—

"विभज्य मेरुर्न यदर्थिसात्कृतो न सिन्धुरुत्सर्गजलव्ययैर्मरुः।
अमानि तत्तेन निजायशोयुगं द्विफालबद्धाश्चिकुराः शिरःस्थितम्॥"

इत्यत्र श्रीहर्षपद्ये आरोप्यायशोयुगगतैकत्वसंख्याबोधकत्वमाख्यातस्य। अत एवोक्तं कारिकायां 'प्राय' इति।

तत्र मतान्तरखण्डनम्

यत्तु एकत्वावच्छिन्ने द्वित्वावच्छिन्नारोपस्थले एको द्वौ ज्ञायते इत्यादावारोपविशेष्यवाचकसमानवचनत्वमाख्यातस्य। न चैवम् "अमानि तत्तेन निजायशोयुगं द्विफालबद्धाश्चिकुराः शिरःस्थिति"मित्यत्रारोप्यमाणाशोयुगसमानवचनममानीति श्रीहर्षप्रयोगस्यासंगतिरिति वाच्यम्, अत्रापि पूर्वार्धसमर्पितायशोयुगस्य वास्तवत्वेन तस्मिन् द्विफालबद्धचिकुराणामेव राज्ञ आरोप्यत्वेन कवेरुत्प्रेक्षितत्वादिति।

तन्न, यतः इदमयशो मम शिरसि पतितमिति लोकव्यवहारसिद्धमयशसः शिरःस्थितत्वं लोकप्रसिद्धम्। प्रसिद्ध्यनुसारिणी च कवीनां वाणी। तथा च नैते चिकुराः अपि तु शिरःस्थितमयशोयुगमित्यपह्नुत्या सुबोधोऽर्थः कविनोत्प्रेक्षया निबद्ध इति सिद्धचिकुरविषयाकीर्त्युत्प्रेक्षेयम्। तस्मादत्र सिद्धानामारोपायोगात् चिद्धचिकुरेस्वसिद्धत्वमाक्षिप्य असिद्धेऽयशोयुगे सिद्धत्वं चाभ्युपेत्य तत्र द्विफालबद्धचिकुरोत्प्रेक्षोपपादनकुसृष्टिर्नोचितेति विभावयन्तु सुधियः॥ ८२॥

भ्रान्ति की उक्ति में तथा आरोप में उसके विशेष्य अर्थ में जाने वाली संख्या प्रायः तिङ् से बोधित करायी जाती है ऐसा ही निश्चय किया जाना चाहिए।

उसके अभाव वाले में तत्प्रकारक ज्ञान भ्रम होता है। वह तीन प्रकार का होता है। एक उसके अभाव के ज्ञान रूप बाधा जिसके पूर्व होती है वह भ्रम दूसरा जिसमें वही ज्ञानपूर्व में होता है और तीसरा विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान क्रम से तीनों के उदाहरण ये हैं—जैसे "रज्जे इदं रजतम्", मुखचन्द्रः, अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा ये हैं। उसमें पहला भ्रम शब्द से व्यवहृत किया जाता है। दूसरा आरोप या आहार्यारोप शब्द से कहा जाता हैं।

तीसरा तो संशय शब्द से कहा जाता है। आरोप के वस्तुतः भ्रम होने पर भी उसके ज्ञान वाला पुरुष लोक में प्राप्त ऐसा नहीं कहा जाता है। उसमें लोक में व्यवहार किये जा रहे भ्रम के प्रतिपादक वाक्य में तिङ् से प्रायः भ्रम के विशेष्य में रहने वाली संख्या का बोध कराया जाता है। जैसे "नेत्ररोगवशादनेन चन्द्रो द्वौ दृश्यते।"

इसी तरह आरोप के वाक्य में भी प्रायः आरोप के विशेष्य में रहने वाली संख्या तिङ् से बोधित होती है। जैसे—"एकोऽपि घटः वृहत्वात् द्वौ घटौ मन्यताम्।"

कही आरोप्यमाण में रहने वाली संख्या भी तिङ् से प्रतिपादित की जाती है। जैसे—विभागकर मेरुपर्वत जो याचकों के अधीन न कर दिया गया तथा दान में उत्सर्ग (त्याग) के जल के व्यय से मुझ से सामुद्र मरु के रूप में न कर दिया गया, उसे उसने दो भाग में बँधे चिकुरों को शिर पर स्थित अपने दो अयशों के रूप में माना।

श्रीहर्ष के इस पद्य में आरोप्य अयशोयुग में रहने वाली एकत्व संख्या तिङ् से बोधित करायी जा रही है। इसीलिए कारिका में प्रायः यह कहा गया है।

इस सम्बन्ध में दूसरे मतों का खण्डन

जो यह कहते हैं कि एकत्वावच्छिन्न में द्वित्ववच्छिन्न के आरोप के स्थल में एको द्वौ ज्ञायते आदि प्रयोगों में आरोप के विशेष्य वाचक शब्द के साथ आख्यात का समान वचनत्व होता है। ऐसा मानने पर, अमानि तत्तेन निजायशोयुगं द्विकालबद्धाश्रिकुराः शिरः स्थितम् इस पद्य में आरोप्यमाण अयशोयुग के समान वचन वाले अमानि इस श्रीहर्ष के प्रयोग की असंगति होगी, ऐसा कहना समुचित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी पद्य के पूर्वार्ध से समर्थित अयशोयुग के वास्तव होने से उसमें द्विकालबद्धाश्रिकुरो का ही राजा से आरोप्य के रूप में कवि से उत्प्रेक्षित किया गया है। (अतः आरोप्य वाचक के साथ आख्यात का समानवचनत्व कहना ठीक है)। (ऐसा किसी का मत है)।

किन्तु वह ठीक नहीं है क्योंकि—इदमयशो युगं मम शिरसि पतितम् इस व्यवहार से सिद्ध अयश का शिरःस्थित होना लोकप्रसिद्ध है। प्रसिद्धि का अनुसरण करने वाली कवियों की वाणी होती है। उस तरह ये चिकुर नहीं हैं किन्तु शिरःस्थित अयश हैं, इस रूप से अपह्नुति के द्वारा सुबोध यह अर्थ कवि से उत्प्रेक्षा द्वारा निबद्ध किया गया है। इसलिए सिद्ध चिकुर विषयक अकीर्त्ति की उत्प्रेक्षा यहाँ है। इसलिए सिद्धों के आरोप से योग न होने के कारण सिद्ध चिकुरों में असिद्धत्व का आक्षेपकर असिद्ध अयशोयुग में सिद्धत्व को मानकर वहाँ त्रिकालबद्ध चिकुर के उपपादन की कुसृष्टि उचित नहीं है यह विद्वान् ही विचारें ॥८२॥

लिङ्गनिमित्तककार्यस्य संग्रहविचारश्च

पुंस्त्वनिमित्तकविधयः "तस्माच्छसो नः पुंसी"ति नत्वम्। "इदोऽय् पुंसी"त्ययादेशः। "पुमान् स्त्रिये"त्येकशेषः। "तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्ये"ति पुंवद्भावः। "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणे"त्यादिभिः कृत्प्रत्ययाः एवमन्येऽपि।

स्त्रीत्वप्रयुक्ता विधयस्तु "स्त्रियामि"त्यधिकृत्य प्रत्ययाः। ते च टाप् डाप् चाप् ङीप् ङीष् ङीन् ष्फ ष्यङ्स्तयः। "पुमान् स्त्रिये"त्येकशेषः। "ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री"त्यनेनाप्येकशेषः। "आङो नाऽस्त्रिया"मिति नादेशाभावः। "स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्चे"ति लुक्। एवमन्येऽपि।

नपुंसकत्वनिमित्तककार्याणि च "स्वमोर्नपुंसकादि"ति लुक्। "अतोऽमि"त्यमादेशः। "नपुंसकस्य झल् च" इति "इकोचि विभक्तावि"ति च नुम्। "नपुंसकाच्चे"ति शीभावः। "जश्शसोः शि"रिति श्यादेशः। "नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्या"मित्येकशेषः। एवमन्यान्यपि।

अत्रेदं बोध्यम्। "अतोऽमि"ति सूत्रस्य नपुंसकत्वशात् परयोः स्वमोरमिति नार्थः। तथा सति पङ्को मा कारि इत्यत्रामादेशापत्तेः, "अस्त्री पङ्कं पुमान् पाप्मे"ति कोषात्। तत्र नपुंसकत्वनिरूपिताया अपि शक्तेः सद्भावात् 'निषिद्धलिङ्गं शेषार्थ'मिति परिभाषितत्वात्। नापि नपुंसकत्वबोधकादित्यर्थः, श्रोतुस्तद्विषयकबोधाभावे कुलमित्यादावमादेशाभावापत्तेः।

न वा नपुंसकत्वपरादित्यर्थः, नपुंसकतेत्यत्रामादेशप्रसङ्गात्। अपि तु नपुंसकत्वावच्छिन्नविषयताकबोधपरात्स्वमोरमित्यर्थो वाच्यः। तथा च नपुंसकताशब्दस्य नपुंसकत्वविषयकबोधपरत्वेऽपि न नपुंसकत्वावच्छिन्नविषयताकबोधपरत्वमपि तु स्त्रीत्वावच्छिन्नविषयताकबोधपरत्वमिति न तत्रातिप्रसङ्गः।

एवमेव पङ्कानि न क्रियन्तामित्यत्र तस्माच्छसो नः पुसीति नत्वाभावः। शसः प्रकृतेः पुंस्त्वावच्छिन्नविषयताकबोधजनकत्वप्रकारकवक्तृतात्पर्यीयविशेष्यत्वे नत्वमिति तदर्थात्।

एतेन व्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोके यदुक्तम् समानलिङ्गकत्वं च स्ववृत्तिपुंलिङ्गत्वाद्यन्यतमवत्त्वम्। पुंलिङ्गत्वादिकं च अप्राणिसाधारणपुंस्त्वादिव्यवहारप्रयोजकसत्त्वादिगुणोपचयापचयस्य पुंस्त्वादिरूपत्वनये पुंस्त्वादिबोधकत्वमेव। स्वप्नते गुणत्रयानङ्गीकारात्, सत्यां ब्राह्मण्यां ब्राह्मणो नास्ति, ब्राह्मणे च सति ब्राह्मणी नास्तीति प्रतीत्योरुत्पादात् लिङ्गयोन्यादिमत्त्वलक्षणपुंस्त्वस्त्रीत्वादिप्रत्ययस्याङ्गीकरणीयत्वेऽपि तटस्तटीत्यादौ तत्प्रत्ययस्य बाधात् प्रयोजनाभावाच्चानङ्गीकरणीयत्वमेवेति न पुंस्त्वादिबोधकत्वं पुंलिङ्गत्वादिकम्, अपि तु प्राण्यप्राणिप्रतिपादकसाधारणं पदसंस्कारप्रयोजकं पुंलिङ्गत्वादिना परिभाषितत्वमेव। पुंस्त्वादिबोधस्वरूपयोग्यत्वमेव पुंलिङ्गत्वादिकम्। तत्त्वं चानुगतं प्रातिपदिकवृत्त्यानुपूर्वीकत्वमित्यादि इत्यपि कश्चिदिति।

तच्चिन्त्यम्। पुंलिङ्गत्वादेः पुंलिङ्गत्वादिना परिभाषितत्वरूपत्वे पुंलिङ्गत्वादिबोधस्वरूपयोग्यत्वरूपत्वे वा। तस्य पुंस्त्वादिबोधकत्वरूपत्वानङ्गीकारात् पदसंस्कारप्रयोजनकत्वानुपपत्तेः। तथा हि अप्राणिबोधकतटादिशब्देभ्यो लिङ्गविषयक-

बोधानभ्युपगमे पङ्क इत्यादौ उक्तरीत्या अमाद्यापत्तिर्दुष्परिहरा, अर्थनिमित्तककार्यमात्रस्य तत्तदर्थविवक्षायामेव प्रवृत्तेः अन्यथातिप्रसङ्गात् ।

अपि च शास्त्रीयलिङ्गस्य शाब्दबोधाभावे उपमालङ्कारे उपमानोपमेयबोधकयोर्विभिन्नलिङ्गकत्वं दोष इत्यालङ्कारिकसिद्धान्तो निर्बीजः स्यात् । तद्बोधोपगमे तु लिङ्गभेदप्रयुक्तवैधर्म्यावभास एवं तस्य दोषत्वे बीजं भवति ।

अपि च अचेतनबोधकपदात्प्रतीयमानमपि लिङ्गं लोके प्रवृत्तिनिवृत्त्योरनुपयोगेनोपेक्षया ग्रहणात् शाब्दबोधे अविषयीभवदिव लक्ष्यते । यथा योगशास्त्रे भगवता पतञ्जलिमुनिना समाधेः शब्दसंकीर्णत्वे सवितर्कत्वोक्त्या—

"न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते" ॥

इति हर्युक्त्या च सूक्ष्मानुभवारूढतया च शाब्दबोधे भासमाना अपि शब्दाः प्रवृत्तौ निवृत्तौ वानुपकारेणाविषयीभवन्त इव प्रतिभान्ति तथा लिङ्गान्यपीति विभावयन्तु सुधियः ।

अथ पुंवद्गालवस्येत्यादिशास्त्रविहितपुंवद्भावात् पुंस्त्वनिमित्तककार्येण भवितव्यम् । न च 'अनादये ब्रह्मणे नम' इत्यादौ अनादि ए इत्यवस्थायां पुंस्त्वनिमित्तकं किमपि कार्यं प्राप्नोति यस्यातिदेशः स्यात् । नापि नपुंसकत्वनिमित्तकनुमादेः प्रतिबन्धो भवितुमर्हति । एवञ्च पुंवद्भावस्य किं तात्पर्यमिति चेत्—उच्यते । पुंवद्भावेन भावाभावयोरुभयोरप्यतिदेशः क्रियते, अर्थात् पुंस्त्वबोधपरत्वे यत्कार्यं प्राप्नोति तद्भवेत्, यच्च न प्राप्नोति तन्नेति अनादिशब्दस्य यदा पुंस्त्वपरत्वं तदा नपुंसकत्वपरत्वायोगात् नपुंसके विधीयमानो नुम् न प्राप्नोति, अतो न भवति । गुणे तु लिङ्गस्य निमित्तत्वाभावात्पुंस्त्वादिपरत्वेऽपि प्राप्त्या भवत्येव सः । तेन अनादये ब्रह्मणे इत्यादेः पाक्षिकी सिद्धिः ।

अथ स्त्रियाः पुंवदित्यादिना स्त्रीप्रत्ययान्तस्य स्त्रीबोधकस्य वा पुंवद्भावो विधीयते । चित्रा गौर्यस्य स चित्रगुः । रूपवती भार्या यस्य स रूपवद्भार्यः । रूपवती चासौ भार्या च रूपवद्भार्यः, पुंवत्कर्मधारयेति पुंवद्भावः । एनीमाचष्टे एतयति, "प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्चे"ति पुंवद्भावः इष्ठनि परे "भस्याढे तद्धिते" इति पुंवद्भावविधानात् ।

अत्रेयं विचारणा । पुंवद्भावात् कथमुक्तरूपसिद्धिः ? यतः पुंवदित्यस्य पुंस्त्वविवक्षायां यत्कार्यं प्राप्नोति तत्स्यादित्यर्थः । चित्रा गु रूपवती भार्या इत्यवस्थायां च चित्रा शब्दादेः पुंस्त्वनिमित्तकं न किमपि कार्यं प्राप्नोति । यदि च पुंवद्भावविधानसामर्थ्यात् स्त्रीप्रत्ययप्रकृतेः पुंवत्त्वमित्यर्थः क्रियते तदादि स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिरशक्या 'जातः संस्कारो न निवर्तते' इति न्यायात् । अत्रोच्यते—'येन येन शास्त्रेण पुंवद्भावो विधीयते तत्र तत्र सर्वत्र विषयसप्तमी' तथा च 'स्त्रियाः पुंवदि'त्यस्य स्त्रीबोधकसमाना-

धिकरणपरत्वविषये स्त्रीबोधकस्य पुंवद्रूपमित्यर्थः। पुंस्त्वविवक्षायां यत्कार्यं तद्भवेत् यच्च पुंस्त्वविवक्षायां न प्राप्नोति तन्नेति यावत्। एवं च यदि चित्रशब्दात् स्त्रीप्रत्ययो न स्यात्तर्हि समानाधिकरणपरत्वं स्यादिति संभावनाकाले एव चित्रशब्दादेः पुंवद्भाव-विधानात् टापोऽनुत्पत्त्या चित्रसु गोसु, रूपवत्सु भार्यासु इत्याद्यलौकिकविग्रहे एव बहुव्रीहिः। "चित्रा अस् गो अस् इत्यलौकिकविग्रहे चित्रगुः" इति सिद्धान्तकौमुद्यां लेखस्तु बालानां यथाकथंचिदापाततो झटिति बोधाय न तु यथावत्प्रक्रियातत्त्वबोधायेति बोध्यम्। पुंवद्भावविधिषु विषयसप्तमीति भाष्यप्रदीपोद्योते नागेशः।

नित्यबहुवचनान्तशब्दसंग्रहः

(१) दारशब्दो विवाहितायां नित्यबहुवचनान्तः, 'अथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी' इत्यमरकोषात्। आबन्तस्त्वनियतवचनः—

"क्रोडा हारा च दारा च त्रय एते यथाक्रमम्।
क्रोडे हारे च दारेषु शब्दाः प्रोक्ता मनीषिभिः" ॥

इति हेमचन्द्रकोषात्। तथा च दारशब्दः पुंसि स्त्रियां च। तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीप्रत्यये सति दारा इति अनियतवचनः। पुंस्त्वविवक्षायान्तु स्त्रीप्रत्ययाभावेऽदन्तो नित्यबहुवचनान्तः। आबन्तश्चामरकोषानुक्तत्वात् प्रयोगादर्शनाच्च लोके प्रयोगानर्हः।

(२) गृहशब्दः पुंलिङ्गो वेश्मनि दारेषु च। "गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्य-निलयालयाः" इति मनुष्यवर्गे, "दारेषु च गृहाः" इति नानार्थे चामरसिंहेनोक्तत्वात् नपुंसकगृहशब्दस्तु वेश्मन्येव अनियतवचनश्च।

(३) लाजशब्दो भर्जनेन स्फुटितधान्यविकारे लाबा इति मैथिलीभाषया व्यवहृते 'इमाल्लाँजानावपाम्यग्नौ', 'इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका' इत्यादि वेदेऽपि बहुवचनान्तस्यैव प्रयोगदर्शनात् 'लाजाः पुंभूम्नि' इत्यमरकोषाच्च।

(४) अक्षतशब्दो यवे। 'लाजाः पुंभूम्नि चाक्षता' इत्यमरग्रन्थस्य लाजा यवा इति व्याख्यानस्य अमरविवेके विश्वंभरेण कृतत्वात्। अयं नपुंसकलिङ्ग एकवनान्तोऽपि "अक्षतं न द्वयं पण्डे लाजेषु त्रिष्वहिंसिते यवेऽपि क्वचि"दिति मेदिनीकोषात्।

(५) धानाशब्दो भृष्टयवे 'फडभी' इति मैथिलीभाषया प्रसिद्धे। 'धाना भृष्टयवे स्त्रिय' इत्यमरकोषे स्त्रिय इति बहुवचनोक्तेः, नित्यबहुत्वे इत्यमरविवेके व्याख्यानाच्च।

(६) सुमनस्शब्दः प्रसूने, 'स्त्रियां सुमनसः पुष्पम्' इत्यमरोक्तेः। 'भूम्नि स्त्रियां सुमनसः' इति रत्नकोषाच्च। 'सुमनाः पुष्पमालत्योः स्त्रिया'मिति मेदिनीकोषादेकवचना-न्तोऽपि। अमरकोषे भूम्नीति कथनन्तु एकस्मिन्नपि बहुवचनस्य साधुत्वबोधनाय। देववाचकस्त्वनियतवचनः "सुपर्वाणः सुमनसः" इत्यमरकोषे बहुवचनन्तु देवानां बहुत्वात् छन्दोनुरोधाद्वा।

(७) अप्सरस्शब्दः स्वर्वेश्यायाम्, "स्त्रियां बहुष्वप्सरस" इत्युक्तत्वात् । अमरविवेककारास्तु एकस्यामपि व्यक्तौ बहुवचनान्तः अप्सरा इत्यपि प्रयोगदर्शनात्प्रायशो बहुत्वमित्याहुः । अन्ये तु 'अप्सराः' इति सविसर्गपाठः क्वचिदुपलभ्यमानोऽपि प्रामादिकः अप्सरेतिशब्दस्य रत्नावलीकोषे कथनात् । एतच्च शब्दकल्पद्रुमे ।

(८) असुशब्दो यावज्जीवनशरीरस्थायिवायुवाचकः । "पुंसि भूम्न्यसवः" इत्यमरकोषात् ।

(९) प्राणशब्दोऽसुपर्यायः । 'पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा' इत्यमरकोषात् । प्राणा अपि 'नित्यं पुंसि भूम्नि चे'ति टीकाकृतोक्तत्वात् तथैव प्रयोगाणामुपलब्धेश्च । हृन्मात्रस्थवायुवाचकस्तु न नित्यबहुत्वे, "हृदि प्राणो गुदेऽपान" इत्युक्तेः ।

(१०) वर्षाशब्दः प्रावृषि "स्त्रियां प्रावृट्" स्त्रियां भूम्नि वर्षाः, इत्यमरः ।

(११) जलौकस्शब्दो जलौकायाम् । "रक्तपा तु जलौका स्यात् स्त्रियां भूम्नि जलौकस" इत्यमरः । अयमनियतवचनोऽपि बहुत्वकथनन्त्वेकस्यामपि व्यक्तौ बहुवचनसाधुत्वबोधनार्थम् ।

(१२) वल्वजशब्दः तृणविशेषे, सावय इति मैथिलीभाषायां प्रसिद्धे । "पुंसि भूम्नि तु वल्वजाः" इत्यमरः । "एको वल्वज" इति भाष्यकारवचनादेकत्वेऽपीति महेश्वरः ।

(१३) सप्तर्षिशब्दः चित्रशिखण्डिषु । ते च ऋषयः ।

"मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।
वसिष्ठश्चेति सप्तैते ज्ञेयाश्चित्रशिखण्डिनः" ॥

(१४) चित्रचिखण्डिशब्दः सप्तर्षिपर्यायः । "सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्रशिखण्डिन" इत्युक्तत्वात् ।

(१५) इल्वलाशब्दः मृगशीर्षशिरोदेशस्थिततारासमूहे "इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति या" इत्यमरः ।

(१६) प्रोष्ठपदाशब्दः पूर्वाद्वयोत्तराद्वयरूपासु चतसृषु ।

(१७) भाद्रपदाशब्दश्च तारासु "स्युः प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः स्त्रियः" इत्यमरः ।

(१८) त्र्यादयोऽष्टादशान्ताः त्रित्वादिसंख्यावच्छिन्नवाचकाः ।

(१९) विश्वशब्दो देवगणविशेषे नित्यबहुवचनान्तः पाणिनीये सर्वनामसंज्ञकः । विश्वेदेवाः धर्मात् विश्वानाम्नि दक्षकन्यायामुत्पन्ना इति वायुपुराणे । सप्तपुरुषेभ्य उपरितनाः पितर एव विश्वे देवा इत्यन्यत्र । अयं च विश्वशब्दः स्वसमानवचनविशेषणवाचकदेवशब्देन सहैव प्रयुज्यते, यथा 'विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्', 'विश्वान्देवानहमावाहयिष्ये' विश्वदेवशब्दस्तु नास्त्येव । विश्वेदेवास्तु दश ।

"आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्मृताः ।
वसवश्चाष्ट संख्याताः षट्त्रिंशत् तुषिता मताः ॥
आभास्वराश्चतुःषष्टिर्वाताः पञ्चाशदूनका ।
महाराजिकनामानो द्वे शते विंशतिस्तथा ।
साध्या द्वादश विख्याता रुद्रा एकादश स्मृता" ॥

इत्युक्तत्वात् तथा—

वसुसत्यौ क्रतुर्दक्षौ कालकामौ धृतिः कुरुः
"पुरूरवा माद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्त्तिताः ।
दृष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः ॥ इति भरतः
नैमित्तिके कालकामौ काम्ये च धृतिलोचनौ ।
पुरूराव माद्रवाश्च पार्वणे समुदाहृताः" ॥

एतच्च विष्णुपुराणे गणभेदनामाध्याये । अत्र लोचन इति पूर्वोक्तकुरोदेव संज्ञान्तरम् । पुरूरवोमाद्रवसौ सकारान्तौ । उक्तञ्च व्युत्पत्तिवादे पुरूरवोमाद्रवसौ विश्वे देवा इति । एतेन विश्वशब्दस्य नित्यबहुवचनान्तत्वं लभ्यते । एवञ्च आदित्यवातादिवत् विश्वशब्दोऽनियतवचन इति न वाच्यम् । एतञ्च शब्दकल्पद्रुमे ।

(२०) दण्डकशब्दः अरण्यविशेषे । तथा च वाल्मीकीयेऽरण्यकाण्डे विराधं प्रति रामवाक्यम्—

"त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्त्वं चरसि दण्डकान्" इति ।

तथा तत्रैव रामं प्रति शूर्पणखावाक्यम्—

"पश्यन् सह मया कामी दण्डकान् विचरिष्यसि" ।

एवं खरं प्रति रामः—

"प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसुले ।
भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे" ॥

अङ्गादयः प्रभूतशब्दाः निवासार्थे विहितलुप्ततद्धितप्रत्यया देशविशेषबोधका नित्यबहुवचनान्ताः । तथा हि अङ्गनाम्नो राज्ञोऽपत्यमिति विग्रहेऽङ्गशब्दात् 'तस्यापत्यम्' इत्यणि आङ्गः, द्वित्वे आङ्गौ । बहुत्वे तु 'तद्राजस्य बहुषु' इत्यणो लुकि अङ्गाः । एवञ्च यथा राघवादिशब्दानां राघवः राघवौ राघव इत्येवं रूपाणि तथा आङ्गशब्दस्यापि । अङ्गानाम् (अङ्गराजापत्यानाम्) निवास इति विग्रहे 'तस्य निवासः' इति सूत्रेण पुनरण् प्रत्यये तस्यापि 'जनपदे लुप्' इति लुपि अङ्गा जनपद इति प्रयोगः ।

अणप्रकृत्यर्थस्य पुंस्त्वाद्बहुत्वाच्च 'लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने' इत्यनेन पुंस्त्ववद्भावात् बहुत्ववद्भावाच्च। एतावत्या प्रक्रियया अङ्गा इत्यस्य अङ्गराजापत्यनिवासजनपद इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवं कलिंगादीनामपि तेन कलिङ्गेष्ववात्सीः, नाहं कलिङ्गान् जगामेत्यादयः प्रयोगाः।

अङ्गप्रभृतिशब्दानां तत्तदेशे रूढिमभ्युपगम्य लोके योगार्थभानाभावं चाकलय्य स्वयमेव पाणिनिना लुपः प्रत्याख्याने तु लुपियुक्तवदित्यस्यापि प्रत्याख्येयतया लोकत एव तत्तद्देशरूढाङ्गादिशब्दानां पुंस्त्वे बहुत्वे च साधुत्वमिति तदाशयः।

तथा च येषां शब्दानां लोके यल्लिङ्गता यद्वचनता च दृश्यते तेषां तथैव साधुत्वमिति लाभात् दारलाजादीनामपि पुंस्त्वबहुत्वादौ साधुता व्याकरणशास्त्र-प्रवर्तकाचार्यसम्मतेति लभ्यते इति पूर्वमुक्तमनुसन्धेयम्।

मिथिलाकाशीप्रयागायोध्यादयस्तु देशवाचित्वेऽपि न बहुवचनान्ताः अपि त्वेक-वचनान्ता एव बहुत्वेऽप्रयुज्यमानत्वात्। नित्यबहुवचनान्ता अङ्गादयस्तु—

अङ्ग उत्कल कच्छ कम्बोज कर्णाट कलिङ्ग कुरु केकय केरल कोङ्कण कोशल गान्धार गुर्जर गोनर्द चोल तैलङ्ग दण्डक पञ्चाल पाण्डय पुण्ड्रबाह्लीक मगध मन्द्र मत्स्य मरु महाराष्ट्र मालव वङ्ग विदर्भ विदेह शक शाल्व सारस्वत सिंहल सौवीर सौराष्ट्रादयः पुराणादिषु द्रष्टव्याः।

इति माण्डरवंशोद्भवेन फेकूशर्म्मात्मजेन मैथिलेन श्रीदीनबन्धुशर्मणा कृतो लिङ्गवचनविचारः समाप्तः॥

लिङ्गनिमित्तक कार्यों का संग्रह एवं विचार

पुंस्त्व को निमित्त मानकर होने वाले विधि—"तस्याच्छसोनः पुंसि" से नत्व है, "इदोऽय् पुंसि" से अयादेश है, "पुमान् स्त्रिया" इससे एकशेष है, "तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य" से पुंवद्भाव है, "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण" आदि सूत्रों से कृत्प्रत्यय हैं। इसी तरह अन्य भी हैं।

स्त्रीत्व प्रयुक्त विधि—स्त्रियाम् का अधिकार कर होने वाले प्रत्यय। यथा—टाप्, डाप्, चाप्, ङीप्, ङीष्, ङीन् एवं ष्फ, ष्यङ् एवं ऊङ् तथा ति पुमान् स्त्रिया से एकशेष है। ग्राम्य-पशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री इससे भी एकशेष हैं। आङ्गो नास्त्रियाम् इससे नादेश का अभाव है। स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यः से लुक् है। इसी तरह दूसरे भी हैं।

नपुंसक को निमित्त मानकर कार्य हैं—स्वमोर्नपुंसकात् इससे लुक्, अतोऽम् इससे अनादेश, नपुंसकस्य झल् च तथा इकोऽचि विभक्तों से नुम् नपुंसकाच्च से शीभावः। जश्शसोः शि से शि आदेश, नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्, इससे एकशेष, इसी तरह दूसरे कार्य भी होते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि अतोऽम् सूत्र का नपुंसकत्व में शक्त शब्द से पर में रहने

वाले सु एवं अम् का अम् आदेश होता है ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि वैसा अर्थ होने पर पङ्को मा कारि यहाँ भी अम् के आदेश की आपत्ति होगी। अस्त्री पङ्कं पुमान् पाप्मा इस कोष से पङ्क शब्द में नपुंसकत्व निरूपित शक्ति का भी सद्भाव है। निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् ऐसा परिभाषित होने से वहाँ भी शक्ति है। नपुंसकत्व के बोधक से, ऐसा अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सुनने वाले को तद्विषयक बोध का अभाव रहने पर कुलम् आदि प्रयोगों में भी अमादेश के अभाव की आपत्ति होगी।

नपुंसक के पर में रहने वाले से ऐसा अर्थ भी नहीं है क्योंकि नपुंसकता शब्द में भी अमादेश का प्रसङ्ग होने लगेगा। वैसा होने से नपुंसकत्व से अवच्छिन्न विषयता वाले शब्द के पद में रहने वाले सु, एवं अम् के स्थान में अम् आदेश होता है, ऐसा अर्थ कहना चाहिए। वैसा अर्थ होने पर नपुंसकता पद का नपुंसकत्व विषयकबोधपरक होने पर भी नपुंसकत्वावच्छिन्नविषयताक बोध परत्व नहीं हैं, किन्तु स्त्रीत्वावच्छिन्नविषयताकबोध परत्व है इसलिए वहाँ अति प्रसङ्ग नहीं हुआ।

इसी तरह पङ्कानि न क्रियन्ताम् इसमें तस्माच्छसो नः पुंसि इस सूत्र से नत्व का अभाव हुआ, क्योंकि शस् के प्रकृति के पुंस्त्वावच्छिन्न विषयताकबोध के जनकत्व के प्रकार वाले वक्ता के तात्पर्य से रहने वाले विशेष्यत्व के रहने पर नत्व होता हैं, यह उसका अर्थ है।

इससे व्युत्पत्तिवाद के गूढार्थतत्वालोक में जो कहा गया है कि समानलिङ्गत्व भी अपने में रहने वाले पुंल्लिङ्गत्व आदि में से किसी एक लिङ्गवाला कहा जाता है और अप्राणि साधारण पुंस्त्व आदि व्यवहारों का प्रयोजक रूप सत्व आदि गुणों के उपचय, तथा अपचय पुंस्त्व आदि रूप हैं, इस मत में पुंलिङ्गत्व आदि पुंस्त्वादिबोधकत्व रूप है। अपने मत में तीन गुणों को अङ्गीकार न करने से तथा सत्यां ब्राह्मण्यां ब्राह्मणो नास्ति, ब्राह्मणे च सति ब्राह्मणी नास्ति इन प्रतीतियों के उत्पन्न होने से, लिङ्गमत्व एवं योनिमत्व रूप पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व के स्वीकरणीय होने पर भी तटः तटी, तटम् आदि में लिङ्ग के प्रत्यय के बाध होने से एवं प्रयोजन के अभाव से यह स्वीकरणीय ही है, इसलिए पुंस्त्वादिबोधकत्वं पुंलिङ्गत्वम् ऐसा नहीं होता है। किन्तु प्राणी अप्राणी के प्रतिपादक साधारण पदसंस्कार प्रयोजकत्व रूप पुंलिङ्गत्व आदि से परिभाषित ही पुंलिङ्गत्व आदि हैं। पुंस्त्वादिबोधस्वरूप योग्यत्व ही पुंलिङ्गत्व आदि हैं और तादृशस्वरूपयोग्यत्व अनुगतरूप से प्रातिपदिक में रहने वाला आनुपूर्वीक ही है, यह भी कोई कहता है। ऐसा कहा गया है।

किन्तु वह कथन चिन्त्य है, क्योंकि पुंलिङ्गत्व आदि के पुंलिङ्गत्व आदि रूप से पारिभाषितत्व रूप से रहने पर या पुंलिङ्गत्व आदि के बोध के स्वरूपयोगत्वरूप होने पर उसके पुंस्त्वादि के बोधकत्व रूप के स्वीकार न करने से पद के संस्कार के प्रयोजकत्व की अनुपपत्ति होगी। जैसे—अप्राणिविषयक तट आदि शब्दों से लिङ्गविषयकबोध को न मानने पर पङ्क आदि प्रयोगों में उक्त रीति से अम् आदि की आपत्ति परिहार करने योग्य नहीं रहेगी। अर्थनिमित्तक कार्य मात्र की उस अर्थ की विवक्षा रहने पर ही प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अन्यथा अतिप्रसङ्ग होगा।

दूसरी बात है कि शास्त्रीय लिङ्ग के शाब्दबोध के अभाव होने पर उपमा अलङ्कार में उपमान एवं उपमेय के बोधकत्वों में विभिन्न लिङ्गकत्व दोष होता है, यह आलङ्कारिकों का सिद्धान्त निर्बीज हो जाएगा। उसके शाब्दबोध में बोध को स्वीकार करने पर तो लिङ्गभेद प्रयुक्त वैधर्म्य का अवभास ही उसके दोष होने में बीज होता है।

यह भी है कि अचेतन के बोधक पद से प्रतीत हो रहा भी लिङ्ग लोक में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में अनुपयोग के कारण उपेक्षा से ग्रहण किया जाता है। इसलिए शाब्दबोध में अविषयी होते हुए के समान लक्षित होता है। जैसे योगशास्त्र में भगवान् पतञ्जलि ने समाधि को शब्द से सङ्कीर्ण रहने पर सवितर्क समाधि कहा है, उस उक्ति से तथा लोक में वह ज्ञान नहीं है जो शब्द के अनुगम के विना (लोक में) होता हो, सब ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होने के समान भासित होते हैं।

इस भर्तृहरि की उक्ति से सिद्ध है कि सूक्ष्म अनुभव में आरूढ़ होने के कारण शाब्दबोध में भासित होता हुआ भी शब्द प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में अनुपकार के कारण अविषय हो रहे के समान प्रतिभासित होते हैं। उसी तरह वैसे शास्त्रीय लिङ्ग भी होते हैं इस सम्बन्ध में विद्वद्जन विचार करें।

"पुंवद्गालवस्य" आदि सूत्रों से विदित पुंवद्भाव से पुंस्त्व निमित्तक कार्य को होना चाहिये। किन्तु अनादये ब्रह्मणे नमः आदि प्रयोगों में अनादि + ए की स्थिति में पुंस्त्वनिमित्तक कोई कार्य न प्राप्त होता है, जिसका अतिदेश हो। नपुंसकत्व निमित्तक नुम् आदि का प्रतिबन्ध भी न हो सकता है, ऐसी स्थिति में पुंवद्भाव का क्या तात्पर्य है? ऐसी शंका होती है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि पुंवद्भाव से भाव एवं अभाव दोनों का अतिदेश किया जाता है। अर्थात् पुंस्त्व के बोधपरक रहने पर जो कार्य प्राप्त होता है वह हो तथा जो नहीं प्राप्त होता है वह नहीं हो। इसलिए अनादि शब्द से जब पुंस्त्व परत्व रहता है तो नपुंसक परत्व के न रहने के कारण नपुंसक में विधीयमान नुम् नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वह नहीं होता है। गुण के कर्त्तव्य में तो लिङ्ग के निमित्तत्व का अभाव होने से पुंस्त्व आदि के पर में रहने पर भी वह होता ही है। इससे अनादये ब्रह्मणे आदि प्रयोगों की पक्ष में सिद्धि होती है।

स्त्रियाः पुंवत् इस सूत्र के पुंवद्भाव का विधान किया जाता है। जैसे "चित्रा गौर्यस्य स चित्रगुः" तथा "रूपवती भार्या यस्य स रूपवद्भार्यः" रूपवती चासौ भार्या च रूपवद्भार्याः यहाँ पुंवत्कर्मधारय इस सूत्र से पुंवद्भाव होता है। "एनीमाचष्टे एतयति" आदि में "प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवत्" इस वचन से पुंवद्भाव होता है, क्योंकि इष्ठन् प्रत्यय के पर में रहने पर "भस्याढे तद्धिते" इस सूत्र से पुंवद्भाव का विधान होता है।

इनके विषय में यह विचारणा है कि पुंवद्भाव से कैसे उक्त रूपों की सिद्धि होती है? क्योंकि पुंवत् का अर्थ है कि पुंस्त्व की विवक्षा रहने पर जो कार्य प्राप्त होता है, वह हो। चित्र 'गु' रूपवती भार्या इस अवस्था में तो चित्रा शब्द आदि में पुंस्त्वनिमित्त कुछ कार्य नहीं प्राप्त होता है। यदि पुंवद्भाव के विधान के सामर्थ्य से स्त्रीप्रत्यय की प्रकृति का पुंवत्व होता

है ऐसा अर्थ करते हैं तब भी चित्रा आदि शब्दों के स्त्रीप्रत्यय की निवृत्ति अशक्य है, क्योंकि हो गया संस्कार निवृत्त नहीं होता है ऐसा न्याय है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि जिस जिस शास्त्र से पुंवद्भाव का विधान किया जाता है वहाँ वहाँ विषय सप्तमी रहती है। उससे स्त्रियाः पुंवद् सूत्र का स्त्रीबोधक के समानाधिकार परत्व के विषय में स्त्रीबोधक का पुंवत् रूप होता है यह अर्थ है। इसका तात्पर्य है कि पुंस्त्व की विवक्षा रहने पर जो कार्य होता है, वह हो, और जो पुंस्त्व की विवक्षा में न प्राप्त होता है वह न हो। इस तरह यदि चित्र शब्द से स्त्रीप्रत्यय न हो, तो समानाधिकरण परत्व होता, इस सम्भावना के समय ही चित्र शब्द आदि के पुंवद्भाव के विधान से टाप् की उत्पत्ति के न होने से चित्रसु गोसु तथा रूपवत्सु भार्यासु आदि अलौकिक विकार में ही वहाँ बहुव्रीहि होती है। चित्रा अस् गो अस् इस अलौकिक विग्रह में इस प्रकार का सिद्धान्तकौमुदी में लेख तो बालकों के जिस किसी प्रकार से झटिति बोध के लिए दिखाया गया है। वह यथावत् प्रक्रिया के बोध के लिए नहीं है ऐसा समझना चाहिए। पुंवद्भाव के विधियों में विषय सप्तमी है ऐसा नागेश ने भाष्य के प्रदीप के उद्योत में बताया है।

नित्य बहुवचनान्तसंज्ञक शब्दों का संग्रह

(१) दार शब्द विवाहिता स्त्री के अर्थ में नित्यबहुवचनान्त होता है। इसमें प्रमाण है—"अथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी", यह अमरकोष जिसमें वैसा समझा जाता है। हेमचन्द्र के कोष के अनुसार भी आबन्त शब्द अनियतवचन माने जाते हैं। उक्त कोष में लिखा है—"क्रोडा हारा एवं दारा ये तीनों शब्द क्रमशः क्रोड, हार एवं दार अर्थ में मनीषियों द्वारा कहे गये हैं।"

इस तरह हेमचन्द्र के अनुसार दार शब्द का प्रयोग पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों में होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्री प्रत्यय के होने पर दारा शब्द बनता है, जो अनियत वचन होता है। पुंस्त्व की विवक्षा होने पर तो स्त्री प्रत्यय के अभाव में अदन्त, दार शब्द नित्यबहुवचनान्त होता है। आबन्त की चर्चा अमरकोष में नहीं की गयी है। उसका कहीं प्रयोग भी नहीं देखा जाता, इसलिए वह लोक में भी प्रयोग के योग्य नहीं माना गया है।

(२) गृह शब्द घर एवं दार अर्थ में पुंलिङ्ग है। क्योंकि "गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकथ्य निलयालयाः" यह मनुष्य वर्ग में तथा "दारेषु च गृहाः" ऐसा नानार्थ वर्ग में अमरसिंह ने कहा है। नपुंसक गृह शब्द तो घर के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है जो अनियतवचन है।

(३) लाज शब्द भुंजने से फुटे हुए धान का विकृत रूप "लावा" का वाचक है। लावा शब्द मैथिली भाषा में व्यवहृत होता है। "इमाँ लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव", "इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका" इत्यादि वैदिक वाक्यों में लाजा शब्द के बहुवचनान्त प्रयोगों से और "लाजाः पुंभूम्नि" इस अमरकोष से यह प्रमाणित होता है कि वह नित्यबहुवचन्त होता है।

(४) अक्षत शब्द यव अर्थ में नित्यबहुवचनान्त है। "लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः" इस अमर के ग्रन्थ का व्याख्यान विश्वम्भर ने अमरविवेक में लावा किया गया है। "अक्षतं न द्वयं

पण्डे लाजेषु त्रिष्वहिंसिते यवेऽपि क्वचित् इस मेदिनी कोष से यह सिद्ध होता है कि अक्षत शब्द नपुंसकलिङ्ग तथा एकवचनान्त भी होता है।

(५) धाना शब्द भुंजे हुए यव के अर्थ में है जिसके लिए फडभी यह शब्द भाषा में प्रचलित है। वह नित्यबहुबचनान्त होता है। "धात्राः भृष्टयवेस्त्रियः" इस अमरकोष में स्त्रियः यह बहुवचन कहा गया है, तथा अमरविवेक में इसके सम्बन्ध में नित्यबहुवचन व्याख्यात है जिससे समझा जाता है कि यह नित्य बहुवचनान्त है।

(६) सुमनस् शब्द पुष्प अर्थ में नित्यबहुवचनान्त है यह "स्त्रियां सुमनसः पुष्पम्" इस अमरकोष की उक्ति से प्रमाणित होता है। "भूम्नि स्त्रियां सुमनसः" इस रत्नकोष से भी नित्यबहुवचनान्त ज्ञात होता है। "सुमनाः पुष्पमालत्योः स्त्रियाम्" इस मेदिनी कोष से ज्ञात होता है कि वह एकवचनान्त भी होता है। अमरकोष में "भूम्नि" यह कथन तो एक में भी बहुवचन के साधुत्व का बोध कराने के लिये है। देववाचक सुमनस् शब्द तो अनियतवचन होता है। "सुपर्वाणः सुमनसः" इस अमरकोष में बहुवचनान्त तो प्रयोग देवताओं के बहुत होने से या छन्द के अनुरोध से है।

(७) अप्सरस् शब्द स्वर्ग की वेश्याओं के लिए प्रयुक्त नित्यबहुवचनान्त है। इसका प्रमाण "स्त्रियां बहुष्वप्सरसः" यह कोष है। अमरविवेक के कर्त्ता ने तो एक व्यक्ति में भी बहुवचनान्तं अप्सराः इस प्रयोग के देखने से प्रायशः बहुत्व है ऐसा कहा है। अन्य लोगों की राय है कि अप्सराः इस सविसर्ग पाठ के कहीं उपलभ्यमान होने पर भी अप्सरा शब्द का प्रयोग प्रामादिक है ऐसा रत्नावली कोष में कहा गया है। ऐसी चर्चा शब्दकल्पद्रुम में की गयी है।

(८) असु शब्द जीवन भर शरीर में स्थायी वायु का वाचक नित्यबहुवचनान्त है। पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः इस अमरकोष से इस कथन का समर्थन होता है।

(९) प्राण शब्द असु का पर्यायवाची नित्यबहुवचनान्त है। पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः इस अमरकोष से ऐसा प्रमाणित होता है। नित्यं पुंसि भूम्नि च इस टीकाकार की उक्ति से तथा उसी तरह के प्रयोगों के उपलब्ध होने से वैसा समझा जाता है। हृदय मात्र में रहने वाले वायु का वाचक प्राण शब्द तो नित्यबहुत्व अर्थ में नहीं होता है क्योंकि हृदि प्राणो गुदेऽपानः ऐसा कहा गया है।

(१०) वर्षा शब्द प्रावट् ऋतुपरक नित्य बहुवचन है। अमरकोष में उद्धृत "स्त्रयाँ प्रावृट्" स्त्रियाँ भूम्नि वर्षाः" से वह प्रमाणित होता है।

(११) जलौकस् शब्द जलौका (जोंक) अर्थ में नित्य बहुवचनान्त होता है। "रक्तपा तु जलौका स्यात् स्त्रियाँ भूस्मि जलौकसः "इस अमर सिंह के वचन से वह सिद्ध है। यह अनियतवचन भी होता है। बहुत्व कथन तो एक व्यक्ति में भी बहुवचन के साधुत्व का बोध कराने के लिये है।

(१२) बल्वज शब्द तृणविशेष अर्थ में नित्य बहुवचन है। सावय ऐसा मैथिली भाषा में प्रसिद्ध है। अमर सिंह ने भी कोष में पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः ऐसा कहा है। महेश्वर का कहना है कि इस भाष्यकार के वचन से सिद्ध होता है कि वह एकत्व में भी होता है।

(१३) सप्तर्षि शब्द चित्रशिखण्डी अर्थ में नित्य बहुवचन है। वे ऋषि हैं। मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ ये सात चित्रशिखण्डी समझे जाते हैं।

(१४) चित्रशिखण्डी शब्द सप्तर्षि का पर्याय नित्य बहुवचन है। सप्तर्षयो मरीच्य त्रिमुखाश्चित्रशिखण्डिनः ऐसा कहा गया है।

(१५) इल्वलाशब्द मृगशिरानक्षत्र के शिरो देश में रहने वाले तारा समूह के अर्थ में नित्यबहुवचनान्त है। अमरकोष में इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारकाः निवसन्ति याः ऐसा कहा गया है।

(१६) प्रोष्ठपदा शब्द दोनों पूर्वा एवं दोनों उत्तरानक्षत्र इन चारों का वाचक नित्यबहुवचन है।

(१७) भाद्रपदा शब्द भी ताराओं के अर्थ वाला नित्यबहुवचन है। स्युः प्रोष्ठपदा भाद्रपदा स्त्रियः ऐसा अमरकोष में पठित है।

(१८) त्रि से लेकर अष्टादश तक के त्रित्व आदि संख्यावच्छिन्न के वाचक नित्यबहुवचन होते हैं।

(१९) विश्व शब्द देवगण विशेष के अर्थ में नित्यबहुवचनान्त है। वह पाणिनीय व्याकरण में सर्वनाम संज्ञक है। विश्वेदेव धर्म से विश्वा नाम की दक्ष की कन्या में उत्पन्न हुए, ऐसा वायुपुराण में आया है। अपने सात पुरुष से ऊपर के पितर ही विश्वेदेव हैं, ऐसा और जगह मिलता है। यह विश्वशब्द अपने समानवचन वाले विशेषण के वाचक देव शब्द के साथ ही प्रयुक्त होता है। जैसे विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्, विश्वान्देवानहमावाहयिष्ये। विश्वदेव शब्द नहीं है। विश्वेदेव दश होते हैं। कहा गया है कि - आदित्य बारह कहे गये हैं, विश्वेदेव दश होते हैं। वसु आठ गिने गये है, और तुषित छत्तीस माने गये हैं। आभास्वर चौसठ है तथा वायु उनचास (उनपञ्चाशत्) है। महाराजिक नाम वाले २२० हैं, साध्य बारह प्रसिद्ध है, रुद्र ग्यारह होते हैं। दश विश्वेदेव हैं—वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काम, काल, धृति, कुरु, पुरुरवा और माद्रवा। यह भारत का कहना है—दृष्टिश्राद्ध में क्रतु एवं दक्ष, नान्दीमुख में सत्य एवं वसु, नैमित्तिक में काल एवं काम, काम्य में धृति एवं लोचन और पार्वणश्राद्ध में पुरुरवा तथा माद्रवा कहे गये हैं।

यह विष्णुपुराण में गणभेदनामक अध्याय में कहा गया है। इस गणना में लोचन यह पहले कहे गये कुरु की ही दूसरी संज्ञा है। पुरुरवस् एवं माद्रवस् शब्द सकारान्त हैं। व्युत्पत्तिवाद में कहा गया है कि पुरुरवोमाद्रवसौ विश्वेदेवाः, इस प्रयोग से यह समझा जाता है कि विश्वेदेव शब्द नित्यबहुवचनान्त है, इस तरह आदित्य एवं वात आदि शब्दों के समान विश्व शब्द भी अनियत वचन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह शब्दकल्पद्रुम में पठित है।

(२०) दण्डक शब्द अरण्य विशेष के अर्थ में नित्य, बहुवचनान्त है। वाल्मीकीय रामायण के अरण्यकाण्ड में विराध के प्रति राम की उक्ति है—"तुमको तो जानना चाहता हूँ कि दण्डकों में विचरने वाले तुम कौन हो" इस वाक्य में दण्डकान् यह बहुवचनान्त प्रयोग है। राम के प्रति सूर्यशाखा की उक्ति "पश्यन् सह मया कामी दण्डकान् विचरिष्यति" में भी दण्डिकान् प्रयोग है।

इसी प्रकार खर के प्रति राम का वचन है—प्रवृद्ध (चिर) निद्रा में तुम राक्षस पापी के सो जाने पर ये दण्डक शरण चाहने वालों के लिए शरण्य होंगे। इस पद्य में दण्डकाः प्रयोग है।

अङ्ग आदि बहुत शब्द निवास अर्थ में विहित फिर लुप्त तद्धितप्रत्यय वाले देश विशेष के बोधक नित्यबहुवचनान्त होते हैं। जैसे अङ्ग नाम के राजा का अपत्य इस विग्रह में अङ्ग शब्द से तस्यापत्यम् इस सूत्र से अण् होनेपर (आदिवृद्धि आदि कार्य के बाद) आङ्गः प्रयोग होता है। द्वित्व में आङ्गौ होता है। बहुत्व के रहने पर तो तद्राज संज्ञा होनेपर तो 'तद्राजस्य बहुषु', इस सूत्र से अण् के लुक् होने पर अङ्गाः रूप होता है। इसी तरह जैसे रघुओं के निवास के अर्थ में यः राघवौ, राघवः रूप होते हैं, उसी तरह आङ्ग शब्द के होते हैं। अङ्गानामर्थात् अङ्गराजापत्यानाम् निवासः इस विग्रह में तस्य निवासः इस सूत्र से फिर अण् होने पर, उसका भी जनपदे लुप् इस सूत्र से लुप् होकर अङ्गाः जनपदः ऐसा प्रयोग होता है। अण् प्रत्यय की प्रकृति अङ्ग के पुंस्त्व एवं बहुत्व होने के कारण "लुपि-सूक्तवद् व्यक्तिवचने" इस सूत्र से पुंस्त्वद्भाव तथा बहुत्ववद्भाव होने से अजाः जनपदः ऐसा प्रयोग होता है। इतनी प्रक्रिया से अङ्गशब्द का अङ्ग के राजा के अपत्य का निवास का जनपद ऐसा अर्थ सिद्ध होता है। इसी तरह निवास अर्थ में कलिङ्ग आदि शब्द भी नित्य बहुवचन होते हैं। इसी से कलिङ्गेष्ववात्सीः नाहं कलिङ्गान् जगाम आदि प्रयोग है।

अङ्ग प्रभृति शब्दों को उस-उस देश में रूढि मानकर तथा लोक में योग के अर्थ के भान का अभाव आकलन कर अपने ही पाणिनि ने लुप् का प्रत्याख्यान किया है। उस स्थिति में तो "लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने" इस सूत्र के भी प्रत्याख्येय होने से लोकतः ही उस देश में रूढ अङ्ग आदि शब्दों का पुंस्त्व एवं बहुत्व में साधुत्व है ऐसा उनका आशय है।

उस तरह जिन शब्दों का लोक में जो लिङ्ग या जो वचन देखा जाता है, उनका वैसे ही साधुत्व है, यह सिद्धान्त के उपलब्ध होने से दार एवं लाज आदि शब्दों की भी पुंस्त्व एवं बहुत्व आदि में साधुता होती है जिससे व्याकरण शास्त्र के प्रवर्त्तक आचार्यों से भी सहमत हैं, इस तरह पूर्व उक्ति का अनुसन्धान करना चाहिए।

मिथिला, काशी, प्रयाग एवं अयोध्या आदि शब्द तो देशवाची होनेपर भी बहुवचनान्त नहीं होते हैं। बहुवचन में अप्रयुक्त होने के कारण वे एकवचनान्त ही होते हैं। नित्य-बहुवचनान्त अङ्ग आदि यथा—अङ्ग, उत्कल, कच्छ, कम्बोज, कर्णाट, कलिङ्गः, कुरु, केरल, केकय, कोङ्कण, कोशल, गान्धार, गुर्जर, गोनर्द, चोल, तैलङ्ग, दण्डक, पञ्चाल, पाण्डच, पुण्ड्र, वाह्लीक, मगध, मन्द्र, मत्स्य, मरु, महाराष्ट्र, मालव, वङ्ग, विदर्भ, विदेह, शक, शाल्व, सारस्वत, सिंहल, सौवीर, सौराष्ट्र आदि पुराण आदि में द्रष्टव्य है।

माण्डरवंश में उत्पन्न फेकु शर्मा के पुत्र मैथिल श्री दीनबन्धु शर्मा द्वारा रचित यह लिङ्गवचनविचार समाप्त हुआ।

[illegible]